शनिवार, 09 आषाढ़, शक संवत् 1934
(30 जून, 2012 ई0)

खण्ड-480
अंक-9

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सदन की ओर से अध्यक्ष ने शोक-संवेदना व्यक्त की :-

श्री सूबेदार सिंह तथा

श्री राम देव दुबे।

श्री अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि सदन की संवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जायेगी।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष ने दिनांक 28 मई, 2012 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाया।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद वाराणसी के अन्तर्गत 387 रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार मौर्य तथा श्री हरीशंकर पटेल, निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका मा0 सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण उपस्थित नहीं की जा सकी।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 30 जून, 2012 को प्रश्नकाल नहीं होगा तथा नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं,

3-दिनांक 30 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मद के उपरान्त श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, जो उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद रखी जाय,

4-दिनांक 30 जून, 2012 को श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना सम्बन्धी मद के उपरान्त, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार सम्बन्धी मद रखी जाय,

5-दिनांक 30 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या-84 एवं 26 के पूर्व अनुदान संख्या-02 की मद रखी जाय,

6-दिनांक 03 जुलाई, 2012 को प्रश्नकाल न हो एवं नियम-56, 300 व 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं तथा नियम-301 और 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

7-दिनांक 30 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून 2012</u>

30 शनिवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें,

2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान,

3-श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, जो उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पर एक घण्टे की चर्चा,

4-उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार।

जुलाई, 2012

01 रविवार बैठक नहीं होगी।

02 सोमवार वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

03 मंगलवार **11.00 बजे पूर्वाह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

लोक निर्माण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,77,93,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

लोक निर्माण मंत्री के भाषण के मध्य ही नेता विरोधी दल ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी के इर्द-गिर्द अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके सदस्यगण खड़े रहते हैं, इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है। उन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे मा0 सदस्यगण को अपने कक्ष में कम से कम आधे घण्टे का समय अवश्य दे दिया करें जिससे इस सदन की गरिमा भी बनी रहेगी।

श्री प्रमोद तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सदस्यगण मा0 मुख्य मंत्री के स्वागत में उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सदन में ऐसी बहुत सी परम्परायें हैं जिन्हें चलते रहना चाहिए। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी सुलभता से उपलब्ध रहते हैं व मा0 सदस्यगण मुख्य मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं। पीठ का अपमान करने का साहस कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है।

श्री सतीश महाना ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-02 के अधीन मांगी गई धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री मदन चौहान,
श्री रामहेत भारती,
श्री प्रमोद तिवारी तथा

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)।

श्री अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री को सुझाव दिया कि वे कैबिनेट मंत्रियों को बैठाकर सदन में कैसे व्यवहार करें और कैसे अपनी बात रखें, इसकी ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने भी चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के बारे में कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके साथ वर्तमान मुख्य मंत्री का नाम न जोड़ा जाय।

श्री प्रमोद तिवारी ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मा0 श्री नारायण दत्त तिवारी के बारे में की गयी टिप्पणी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में सदन में टिप्पणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने श्री तिवारी के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी को कार्यवाही से निकलवाने का अनुरोध किया। इस पर श्री हुकुम सिंह ने भी उक्त टिप्पणी को कार्यवाही से निकलवाने का अनुरोध किया।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से असन्तुष्ट होकर श्री प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।

श्री अध्यक्ष ने उक्त टिप्पणी को दिखवाकर निकलवाने का आश्वासन दिया।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि पीठ से उक्त टिप्पणी को कार्यवाही से निकलवाने के निर्देश ठीक हैं।

तदुपरान्त कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।

लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना तथा श्री प्रदीप माथुर ने स्पष्टीकरण मांगा। जिस पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा आप लिखकर दे दें। श्री प्रदीप माथुर के लगातार बोलते रहने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि आप लिखकर दे दें।

लोक निर्माण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-02 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्णरूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने अनुदान संख्या-84 एवं 26 को एक साथ प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,10,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,11,18,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री के बजट भाषण के मध्य नेता विरोधी दल ने उक्त गृह विभाग के बजट को परम्परानुसार मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के बारे में जानकारी चाही। संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-84 एवं 26 के अधीन मांगी गईं धनराशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नेता विरोधी दल द्वारा अपने भाषण में अधिक समय लिये जाने पर श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल से अनुरोध किया कि और भी नेताओं को बोलना है आप अपने सुझाव लिखकर दे दें कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

श्री अध्यक्ष ने चर्चा हेतु दलीय नेताओं के लिये 15 मिनट तथा मा0 सदस्यों के लिये 7 मिनट का समय निर्धारित किया।

श्री हुकुम सिंह ने चर्चा में भाग लिया।

श्री हुकुम सिंह के भाषण के मध्य 2 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रदीप माथुर,

श्री दलवीर सिंह,

श्री मुख्तार अंसारी।

श्री मुख्तार अंसारी के भाषण के मध्य 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री रामलाल अकेला,

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

श्री माइकल चन्द्रा,

श्री तेजपाल सिंह,

श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)।

विपक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य लिखकर दे दें कार्यवाही का अंग बन जायेगा।

नेता विरोधी दल ने उत्तर भाषण दिया।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-84 एवं 26 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

नेता विरोधी दल ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

नेता विरोधी दल द्वारा स्वयं को तथा संसदीय कार्य मंत्री को एक ही विद्यालय के छात्र बताने पर श्री हुकुम सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि सदन को उस विद्यालय का नाम भी पता चल जाय तो उचित होगा।

राजस्व मंत्री द्वारा मद संख्या-9 से पहले मद संख्या-10 लेने का अनुरोध किये जाने पर श्री हुकुम सिंह द्वारा चर्चा की महत्ता पर बल दिये जाने पर श्री अध्यक्ष ने मद संख्या-9 नियम-52 की चर्चा हेतु श्री हुकुम सिंह को पुकारा।

उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा उन्हीं के भाषण से आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकरण पर विचार हो जायेगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री प्रदीप माथुर तथा श्री तेजपाल सिंह ने भी विचार व्यक्त किये।

लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर भाषण दिया, तदुपरान्त चर्चा समाप्त हुयी।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और जिसे श्री अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित किया, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश निम्नवत् है :-

खण्ड-2

इस विधेयक के खण्ड-2 में (क) की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :-

> ''(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।''

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मद संख्या-12 का वक्तव्य पढ़ना शुरू किये जाने पर सदन में श्री राजबली जैसल सहित कई मा0 सदस्यों द्वारा सभी वक्तव्य पढ़े हुए मान लिये जाने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :-

जनपद बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली की अघोषित कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

जनपद चन्दौली के सैय्यद राजा में स्थित चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं के दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं अस्पताल में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य।

जनपद इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क में स्थित स्टेडियम को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खेलकूद मंत्री का वक्तव्य।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ग्राम जमालपुर पिपरी में गोमती नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड श्रीदत्त गंज में जले हुए घरों के पीड़ित परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में अंकित करते हुए सभी सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम पासवान द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत अकोला के समस्त ग्रामों में खारे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा केवल 5-6 घण्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

जनपद जौनपुर के केराकत में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य।

जनपद लखनऊ के विधान सभा मध्य क्षेत्र में मार्टिनपुरवा, हजरतगंज में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य।

उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ एवं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

मा0 सदस्य के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से सुश्री अनुप्रिया पटेल, सदस्य, विधान सभा ने जनपद वाराणसी के अन्तर्गत 387 रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार मौर्य तथा श्री हरीशंकर पटेल, निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजे सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2012 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-480, अंक-9
शनिवार, 09 आषाढ़, शक संवत् 1934
(30 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री सूबेदार सिंह एवं श्री रामदेव दुबे के निधन पर शोकोद्‌गार	7
दिनांक 28 मई, 2012 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार पत्र	7-8
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	8-10
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2 आवास विभाग (जारी)	10
मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द सदस्यों के मंडराने पर आपत्ति	10-12
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2 आवास विभाग (जारी)	12-30
पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को आक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	30-32
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2 आवास विभाग (स्वीकृत)	32-35
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (जारी)	35-58
बजट चर्चा में भाग लेने हेतु समय-सीमा का निर्धारण	58
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (जारी)	58-86
समयाभाव के कारण बोलने से वंचित रह गये सदस्यों से कार्यवाही में जुड़वाने हेतु भाषण लिखकर देने का अनुरोध	86-87
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	87-99

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा (समाप्त)	99-109
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार का प्रस्ताव (विचार का प्रस्ताव स्वीकृत तथा सिफारिशों का प्रस्ताव अस्वीकृत)	109-110
सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध	110
जनपद बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली की अघोषित कटौती किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	110-111
जनपद चन्दौली के सैय्यद राजा तथा बरहनी विकास खण्ड में स्थित चिकित्सालयों में फैली अव्यवस्थाओं के दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं अस्पताल में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	111-113
जनपद इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क में स्थित स्टेडियम को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	113
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ग्राम जमालपुर पिपरी में गोमती नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	114
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में जले हुए घरों के पीड़ित परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में अंकित करते हुए सभी सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	114-115
जनपद आगरा के ग्राम पंचायत अकोला के समस्त ग्रामों में खारे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	116
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा केवल 5-6 घण्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	116-117

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के केराकत में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	117-118
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र में मार्टिनपुरवा, हजरतगंज में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	118
उत्तर प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाचार्य के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ एवं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	118-120
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार मौर्य आदि निवासी वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	120
नत्थियां	121-153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शनिवार, दिनांक 30 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-303

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
21. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
22. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
23. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
24. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
25. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
26. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अविनाश, श्री — सोनभद्र
29. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
30. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
31. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
34. आशीष यादव, श्री — बदायूं
35. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
36. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
37. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
38. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
39. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
40. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
41. उदयराज, श्री — उन्नाव
42. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
43. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
44. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
45. उमाशंकर, श्री — बलिया
46. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
47. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
48. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री — जौनपुर
49. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
50. कमाल युसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर

51. कामेश्वर, श्री देवरिया
52. काली चरन सुमन, श्री आगरा
53. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
54. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
55. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
56. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
57. कैलाश, श्री गाजीपुर
58. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
59. गंगा, श्री कुशीनगर
60. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
61. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
62. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
63. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
64. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
65. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
66. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
67. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
68. गोमती यादव, श्री लखनऊ
69. गोरख पासवान, श्री बलिया
70. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
71. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
72. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
73. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
74. जगपाल, श्री सहारनपुर
75. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
76. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
77. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
78. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
79. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
80. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
81. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
82. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
83. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
84. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
85. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
86. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
87. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
88. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
89. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
90. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
91. दलजीत सिंह, श्री बांदा
92. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
93. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
94. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
95. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
96. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
98. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
99. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
100. धर्मराज, श्री बाराबंकी
101. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
102. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
103. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
104. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
105. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
106. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
107. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
108. नारद राय, श्री बलिया
109. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई

110. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
111. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
112. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
113. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
114. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
115. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
116. पीतमराम, श्री पीलीभीत
117. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
118. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
119. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
120. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
121. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
122. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
123. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
124. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
125. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
126. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
127. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
128. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
129. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
130. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
131. बदलू खां, श्री उन्नाव
132. बाबू खां, श्री हरदोई
133. बाबूलाल, श्री गोण्डा
134. बावन सिंह, श्री गोण्डा
135. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
136. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
137. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
138. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
139. बैजनाथ, श्री मऊ
140. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
141. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
142. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
143. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
144. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
145. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
146. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
147. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
148. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
149. मनबोध, श्री देवरिया
150. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
151. मनीष रावत, श्री सीतापुर
152. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
153. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
154. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
155. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
156. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
157. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
158. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
159. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
160. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
161. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
162. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
163. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
164. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
165. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
166. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
167. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
168. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
169. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर

170. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
171. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
172. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
173. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
174. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
175. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
176. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
177. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
178. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
179. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
180. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
181. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
182. यासर शाह, श्री बहराइच
183. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
184. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
185. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
186. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
187. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
188. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
189. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
190. रणजीत सुमन, श्री एटा
191. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
192. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
193. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
194. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
195. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
196. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
197. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
198. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
199. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
200. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
201. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
202. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
203. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
204. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
205. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
206. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
207. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
208. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
209. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
211. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
212. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
213. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
214. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
215. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
216. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
217. राम गोविन्द, श्री बलिया
218. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
219. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
220. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
221. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
222. राम मगन, श्री बाराबंकी
223. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
224. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
225. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
226. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
227. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
228. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
229. रामहेत भारती, श्री सीतापुर

230. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
231. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
232. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
233. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
234. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
235. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
236. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
237. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
238. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
239. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
240. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
241. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
242. विजय कुमार मिश्र, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
243. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
244. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
245. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
246. विजय सिंह, श्री रामपुर
247. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
248. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
249. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
250. वीरपाल राठी, श्री बागपत
251. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
252. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
253. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
254. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
255. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
256. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
257. शाकिर अली, श्री देवरिया
258. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
259. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
260. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
261. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
262. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
263. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
264. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
265. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
266. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
267. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
268. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
269. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
270. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
271. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
272. संजय कपूर, श्री रामपुर
273. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
274. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
275. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
276. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
277. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
278. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
279. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
280. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
281. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
282. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
283. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
284. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
285. सियाराम सागर, डा0 बरेली
286. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
287. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
288. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
289. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
290. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
291. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
292. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
293. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी

294. सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर	300. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
295. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	301. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
296. सुल्तान बेग, श्री	बरेली	302. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
297. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	303. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
298. सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर		
299. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी		

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री सूबेदार सिंह एवं श्री रामदेव दुबे के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूबेदार सिंह का 06 मार्च, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री सूबेदार सिंह का जन्म 1 दिसम्बर, 1936 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एम0एड0 एवं एलएल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूबेदार सिंह वर्ष 1962 में कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1969 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में कांग्रेस (अर्स) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सूबेदार सिंह कृषक विद्यापीठ, हायर सेकेन्डरी स्कूल, भोगांव के प्रबन्धक एवं संस्थापक, आदर्श जनता इण्टर कालेज, बेवर, मैनपुरी के सदस्य तथा आर0पी0 कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद के संस्थापक प्राचार्य थे। अध्ययन एवं अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि थी तथा सांस्कृतिक गोष्ठियों में भाग लेना प्रिय था।

श्री सूबेदार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामदेव दुबे का 23 जून, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री रामदेव दुबे का जन्म 30 जुलाई, 1930 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, साहित्यरत्न, एलएल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम देव दुबे वर्ष 1967 और वर्ष 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बीरापुर, जनपद प्रतापगढ़ से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामदेव दुबे अनेक बार सत्याग्रह आन्दोलनों में जेल गये। उन्होंने शिव कुमारी दुबे इण्टरमीडिएट कालेज, नौडेरा, प्रतापगढ़ एवं कुमारी इन्द्रा दुबे स्मारक विद्या निकेतन, जगतपुर, प्रतापगढ़ की स्थापना की थी। साहित्य एवं संगीत में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री रामदेव दुबे के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन मा0 पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों को पहुंचा दूंगा।

उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अब हम सभी दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

दिनांक 28 मई, 2012 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार पत्र

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल जी धन्यवाद प्रस्ताव विषयक जो पत्र प्रेषित किया है उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

बी0एल0 जोशी
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राज भवन
लखनऊ-227132

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या : जी-2509/जी0एस0
दिनांक : 25 जून, 2012

माननीय अध्यक्ष जी,

दिनांक 28 मई, 2012 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव विषयक आपके पत्र संख्या : 624/अ0वि0स0/7(सं)/2012, दिनांक 20 जून, 2012 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इसके लिये मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

सादर।

भवदीय,
बी0एल0 जोशी

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

(मद संख्या-4 हेतु श्रीमती अनुप्रिया पटेल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर याचिका उपस्थित नहीं की जा सकी।)

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 30 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 30 जून, 2012 को प्रश्नकाल नहीं होगा तथा नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं,

3-दिनांक 30 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मद के उपरान्त श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, जो उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद रखी जाय,

4-दिनांक 30 जून, 2012 को श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना सम्बन्धी मद के उपरान्त, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार सम्बन्धी मद रखी जाय,

5-दिनांक 30 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या-84 एवं 26 के पूर्व अनुदान संख्या-02 की मद रखी जाय,

6-दिनांक 03 जुलाई, 2012 को प्रश्नकाल न हो एवं नियम-56, 300 व 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं तथा नियम-301 और 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जायं।

7-दिनांक 30 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून, 2012</u>

30 शनिवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें,

2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान,

3-श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, जो उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पर एक घण्टे की चर्चा,

4-उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश पर विचार।

<u>जुलाई, 2012</u>

01 रविवार — बैठक नहीं होगी।

02 सोमवार — वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

03 मंगलवार — **<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2
आवास विभाग

लोक निर्माण, सिंचाई सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,77,93,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के चालू तथा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-2 आयोजनागत पक्ष में रुपये 570 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 51.93 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है। गोमतीनगर, लखनऊ में....

मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द सदस्यों के मंडराने पर आपत्ति

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, रोज-रोज का चाहे जितना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही हो, चाहे बजट प्रस्तुत किया जाता रहा हो चाहे महम्वपूर्ण विषय की सूचनाएं रखी जाती रही हों या किसी भी मौके पर माननीय सदस्यगण हमेशा पीठ की ओर पीठ करके माननीय मुख्य मंत्री जी के इर्द-गिर्द मंडराते रहते हैं तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने कक्ष में कम से कम आधे घंटे, 10 मिनट इन माननीय सदस्यों के लिये समय दे दिया करें और इस सदन के अन्दर जो गरिमा है सदन की और इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये सहयोग देने का कष्ट करें। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि एक दिन की बात नहीं हैं, रोज यह होता है और माननीय मुख्य मंत्री जी जब-जब आते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं नित्य प्रति आपको भी कई बार इंगित करने के बावजूद भी। मैं देखता हूं कभी-कभी राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी जी हाथ से रोकते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी इशारे से समझातें हैं फिर भी नहीं मानते हैं तो जब तक माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई निर्देश नहीं होगा हम

समझते हैं यह परम्परा नहीं रूकेगी, आप इसका संज्ञान लें और आगे सदन के संचालन में जिस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चल रहा है इसकी गरिमा बनाये रखें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदस्य मंडराते क्यों हैं ? सदस्य इसलिये मंडराते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन में आते हैं। (मेजें थपथपाई गई) बहुत सी बातें सदन में ऐसी होती हैं जिसमें वरिष्ठ नेताओं को और मौर्या जी तो वरिष्ठ पद से भी हैं, उम्र से भी हैं लाख वह छुपाएं छिपती नहीं है। मान्यवर, बहुत सी चीजों का संज्ञान नहीं लिया जाता है। मान्यवर, जो वर्ग यहां बैठा है, इससे ज्यादा पीड़ित दुनिया में कोई वर्ग है नहीं मान्यवर। क्षेत्र का दबाव, क्षेत्र के काम, तमाम परेशानियां होती हैं और अगर मुख्य मंत्री जी को कोई दरख्वास्त दे दें तो हम लोगों को चाहिए कि उसकी तरफ देखें न और अगर अवसर मिले मौर्या जी यहां से कह दिया करिये कि भई मुख्य मंत्री जी जरूर इसका काम करें। वह ज्यादा अच्छा होगा। अब रही पीठ की बात, पीठ की तरफ, तो मान्यवर, आप तो पीठ हैं। आपको तो सूरज भी दिखाया जाय तो धीमा पड़ जायेगा मान्यवर। तो पीठ कौन दिखाता है मान्यवर। पीठ कौन दिखाना चाहता है मान्यवर। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप जो निर्देश दे दें वहां से, पालन होगा। मुख्य मंत्री जी भी कह दे उसका पालन होगा लेकिन सदन में बहुत सी परम्पराएं है मान्यवर, जिसको चलते रहने देना चाहिए, चलना चाहिए और मैं तो स्वागत करूंगा कि मुख्य मंत्री जी कम से कम इतने सुलभ तो हैं कि लोग उनसे डरते नहीं हैं। वरना अगर मुख्य मंत्री से लोग डरने लगेंगें तो विधायक लोग अपनी बात यहां पर नहीं कहेंगें तो जब यहां से निकल कर जायेंगें अपने-अपने क्षेत्र में तो विधायकों के सामने बड़ी समस्या हो जायेगी तो विधायकों के हित में मैं मौर्या जी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि यह जैसे मंडराते रहें इनको मंडराने दीजिये और आप भी कुछ ऐसा कर दीजिये कि हम आपके अगल-बगल मंडराया करें। कुछ ऐसा इन्तजाम कर दीजिये मान्यवर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रमोद तिवारी जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं। इनको तो छूट हमेशा रहती है। यहां इस जगह पर बहिन मायावती जी मुख्य मंत्री के रूप में बैठती थीं तब भी प्रमोद तिवारी जी आ करके अपनी बात कर लिया करते थे और आज वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठते हैं तब भी प्रमोद तिवारी जी हारे-गारे आकर अपनी बात करा ले जाते हैं तो आपको तो छूट हमेशा है सब सरकार में है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता। प्रमोद तिवारी जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, आपको विशेषाधिकार है लेकिन मैंने तो इसलिए इसको इंगित किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी इतने बड़े प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी हैं हम चाहते है सदन के अन्दर, मा0 सदस्य अपने काम के लिए यहां आते हैं हम तो माननीय सदस्य के हित में कह रहे हैं अगर मा0 मुख्य मंत्री जी 15-20 मिनट विधान सभा के कार्यालय में बैठ जाएंगे तो माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे। उनके आस-पास यहां नहीं मंडरायेंगे। मैंने इसलिए कहा है कि इसका संज्ञान लिया जाए और व्यवस्थित रूप से सदन को चलाने में आसानी हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मौर्या जी ने जो बात कही है उनकी बात मैं खास वजह से मानता हूं एक तो वह मेरे जिले के हैं, दूसरे यह हमारे बहुत प्रिय साथी हैं। आज तक जीवन में मुख्य मंत्री जी गवाह हैं मैं वहां कभी नहीं गया। उसका कारण है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ऐसे इकलौते मुख्य मंत्री जी हैं, इकलौता इसलिए कह रहा हूं किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, अगर मैंने मुख्य मंत्री जी को फोन कर दिया, एस0एम0एस0 कर दिया तो उनका जवाब आ जाता है। (मेंजें थपथपाई गई) अगर मिलना चाहता हूं तो मिल लेता हूं और आदरणीया मायावती जी का जहां तक सवाल है बहुत आदर है उनके लिए, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया हूं। राणा जी मंडराए थे लेकिन बीच मंझदार में छोड़कर भागना पड़ा था इनको। आप छोड़कर चले आए थे। मुझे याद है नये लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी हैसियत तो वहां मंडराने की थी नहीं, लेकिन मौर्या जी आपकी भी हैसियत उनके बगल में वहां जाकर खड़े होने की नहीं थी। आपके मंत्रियों की भी नहीं थी। तो इसको एक अच्छे नोट के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक सुलभ मुख्य मंत्री जी, जिनके आस-पास माननीय सदस्य मंडरा तो रहे हैं तो उनको इसी तरह से मंडराने दीजिए।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2-आवास विभाग (क्रमागत)

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, इसी तरह से गोमती नगर, लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना वर्तमान सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत भव्य आडीटोरियम, लाइब्रेरी, बैंक्वेट हाल, इन्डोर स्वीमिंग पूल, बैडमिन्टन कोर्ट, कान्फ्रेन्स हाल एवं अन्य अनुषांगिक पब्लिक यूटीलिटीज का प्राविधान प्रस्तावित है।

परियोजना का क्रियान्वयन इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने हेतु रु0 2000.00 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है। लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2012-13 में रु0 10000.00 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है। इसके अन्तर्गत रेल उपरिगामी सेतु फ्लाई ओवर, यातायात को सुगम और सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण आदि से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे। गोमती नगर, लखनऊ में स्थापित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए रु0 426.59 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय भवन को पूर्ण करने के लिए रु0 649.65 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है। प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय योजनाओं के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण की योजनाएं इन संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों से क्रियान्वित की जायेंगी। गाजियाबाद में मेट्रो रेल परियोजना का द्वितीय चरण तथा नार्दन पेरीफरल बाईपास, सिटी फारेस्ट तथा सिटी लेक का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। लखनऊ नगर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी0आर0टी0एस0), स्व0 जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क, गोमती तट विकास परियोजना, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आदि को प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया जाना है। आवास एवं विकास परिषद् के अधीन गाजियाबाद स्थित दिल्ली-सहारनपुर रोड आवासीय योजना तथा लखनऊ स्थित अवध बिहार आवासीय योजना का विकास इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। इसी प्रकार कानपुर में मन्धना भौती बाईपास का निर्माण, आगरा में इनर रिंग रोड का निर्माण, मेरठ में इनर रिंग रोड का निर्माण, वाराणसी में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना, गोरखपुर में रामगढ़ ताल का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र का विकास, झांसी में झांसी हाट का विकास आदि अनेकानेक जनोपयोगी योजनाएं प्रदेश के समस्त छोटे-बड़े नगरों में प्राथमिकता पर क्रियान्वित की जायेंगी। माननीय श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण में प्लिंथ लेवल से ऊपर भौतिक प्रगति वाले 26597 भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 34050/- लाख का बजट प्राविधान कराया गया है।

इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, हम उत्तर प्रदेश को एक हराभरा प्रदेश और प्रदूषण से मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं और इस उत्तर प्रदेश में हमारी योजना है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर सहित सभी बड़े शहरों में जहां बड़े पैमाने पर प्रदूषण है, हमारी सरकार इस प्रदूषण से मुक्ति देना चाहती है और जितने भी प्रदेश में झीलें हैं, तालाब हैं, जिनका प्राकृतिक स्वरूप इस समय खत्म हो गया है, हम उस प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रख करके सौन्दर्यीकरण कराना चाहते हैं और इस समय पूरे प्रदेश में भारी पैमाने पर कब्जे हैं, तालाबों पर, झीलों पर तो हम इनको मुक्त करा करके तालाबों से ले करके, झीलों से ले करके और पूरे प्रदेश में जहां पर जितनी भी जगह खाली है, हम पेड़ लगाना चाहते हैं। हम पत्थर लगाना नहीं चाहते हैं, हम मूर्तियां नहीं लगाना चाहते हैं। हम महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं लेकिन महापुरूषों के नाम पर जो लूट हुई है, हम लूट नहीं कराना चाहते हैं। जनता की जो गाढ़ी कमाई थी, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कमीशन लिया गया था, हम कमीशन को खत्म करके इस प्रदेश में हरे-भरे पेड़ लगाकर प्रदेश को हरा-भरा बनाना चाहते हैं, प्रदूषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और यहीं तक नहीं हम उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, याहे गाजियाबाद में हिण्डन नदी हो, लखनऊ में गोमती नदी हो, यमुना नदी मथुरा-वृन्दावन के किनारे और यहां तक की जितने भी शहर हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो, जितनी भी नदियां हैं, हम इनको स्वच्छ करना चाहते हैं और जितनी भी जगह इन नदियों के किनारे हैं, वृक्षारोपण करके और आपको पता है, लखनऊ में इन पत्थरों की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर बढ़ गया है। मान्यवर, हम लोग जय प्रकाश नारायण के नाम पर एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाना चाहते हैं और इसी तरीके से स्व0 जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर यहां पर एक पार्क बनायेंगे जिसमें 95 प्रतिपशत हरे-भरे पेड़ होंगे। इस प्रकार से हम लखनऊ को हरा-भरा बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जितने भी शहर हैं उनका चौड़ीकरण हो ताकि सड़कों पर कहीं पर भी जाम न लगे और किसी को कहीं पर भी दिक्कत न हों, जहां पर भी रेल क्रासिंग है उस पर फ्लाई ओवर बनाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे

हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस आवास विभाग के बजट को सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पास करायेंगे।

(श्री रामहेत भारती तथा श्री सतीश महाना के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, दो लोग खड़े हैं कटौती कौन रखेगा। आपने पहले किसी को लिखा नहीं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं रखूंगा, यह पहले से तय था।

नेता विराधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

चलिये महाना जी रख दें वैसे तैयारी आपकी थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। रामहेत जी अब आप बैठ जायें। आपके नेता विरोधी दल ने महाना जी के लिए कहा है।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, यह पुरानी परम्परा है कि जिस समय कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो यह लाइन कही जाती है। लेकिन समय और परिवर्तन के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें आगे इस बात का भी प्रस्ताव लाना चाहिए कि यह पैसा बढ़ा दिया जाये ताकि और विकास कार्य हो सके। मान्यवर, पहली बार वर्ष 1974 में विकास प्राधिकरण बना था। उसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद थे। उसके बाद वर्ष 1976 एवं 1978 में विकास प्राधिकरण बने। विकास प्राधिकरण के पीछे सोच थी कि बढ़ती हुई शहरी आबादी का नियोजित तरीके से विकास करके उस आबादी को सुविधायें दें, उनके लिए मकान, आवास उपलब्ध करायें और हर वर्ग के लोगों को मांग के हिसाब से सुविधायें उपलब्ध करायें। शहरों के बढ़ते स्वरूप के अनुसार सड़कें चौड़ी हों, मूलभूत अवस्थापना सुविधायें लोगों को मिल सकें और लोगों का जीवनस्तर ऊंचा हो सके। ताकि वह अपने जीवन को आगे चला सके और इस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सके। यह महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए शहरी विकास प्राधिकरण बनाये गये। इसके लिए मास्टर प्लान बने और मास्टर प्लान के अनुरूप वहां पर उसका विकास होना चाहिए। मैं यहां पर एक बात बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कालान्तर में इसमें काम किया होगा लेकिन इस प्रकार की अपेक्षा पहले नहीं रही होगी जिस प्रकार की आज इस सदन में अपेक्षायें हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी को देखकर मैं इस बात को कह रहा हूं। मान्यवर, इस बात को हम कब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक कहते रहेंगे कि 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह पांच साल तक वहां बैठे हुए थे तो इन्होंने पांच साल केवल यही राग अलापा। मान्यवर, उसकी एक समयसीमा तय कर दी जाये कि दो महीने, चार महीने, छः महीने, एक साल यह बात कहेंगे। एक साल के बाद हम अपनी बात कहेंगे कि हम आगे कैसे काम करेंगे। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने कहा कि अपेक्षाएं हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो यह बात कहने की आवश्यकता नहीं होती और आज जिस समय पूरे प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात जिस समय की जाती है तो मन के अन्दर एक छवि फैल जाती है कि शहर हमारे ऐसे होंगे, गांव हमारे ऐसे होंगें, सड़कें हमारी ऐसी होंगीं और उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, जिस समय उम्मीद रखी जायेगी, तभी उसको पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा, अगर उम्मीद नहीं रखेंगें तो फिर उसको पूरा करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा।

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लैण्ड स्कैप को बदलने के लिए माइण्ड स्कैप को बदलने की आवश्यकता है और उस माइण्ड स्कैप को बदलने का एक जज्बा नजर आ रहा है, लेकिन अभी सिर्फ घूम फिर कर उतनी ही बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर दें, हमारे बहुत आदरणीय मंत्री मा0 श्री शिवपाल जी ने बजट यहां पर रखा मैं बहुत ध्यान से उसको सुन रहा था, 576 करोड़ योजनागत और 51 करोड़ आयोजनागत मद के अन्तर्गत इस बजट में प्रस्ताव है, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा जो पार्क बनाया जो सुविधायें दी जा रही है उसके लिए 20 करोड़ रुपया, लखनऊ नगर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपया, रेलवे ओवर ब्रिज के लिए मान्यवर, जहां पर भारत सरकार के द्वारा एक शासनादेश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकारें अगर रेलवे ओवर ब्रिज बनाना चाहती हैं तो वह अपने शेयर का पैसा रेलवे ओवर ब्रिज का वह देने के लिए तैयार है, अगर स्टेट गवर्नमेण्ट दे देंगीं तो उसको स्वीकृत कर देंगें, मा0 मंत्री जी ने इस बात को कहा है तो वह साधुवाद के पात्र हैं। इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए मान्यवर, 04 करोड़ रुपया बताया, सी0पी0टी0 के लिए एक कार्यालय बनायेंगें उसके लिए 449 लाख रुपये बताया। गाजियाबाद के लिए कुछ बताया, आदरणीय स्व0 जनेश्वर मिश्र जी पार्क के बारे में कुछ बताया। मान्यवर, मैं सुन रहा था कि शायद अपना भाषण समाप्त करते-करते यह इस बात को बतायेंगें कि शहरों की बढ़ती हुई आबादी के लिए हमने यह योजना बनाई है कि हम ई0डब्ल्यू0एस0 (इकोनामिक वीकर सेक्शन) के रहने वालों के लिए इतने मकान बनवायेंगें, फिर मेरे ध्यान में आया कि शायद उनके लिए अगर आपने मान्यवर, कांशीराम योजना के अन्तर्गत कहा है कि जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करेंगें उसके बाद शायद आप इस बात को कह दें कि हम लोवर इन्कम ग्रुप वालों के लिए इतने आवास बनायेंगें, वह भी शायद ध्यान से छूट गया होगा, शायद लोवर इन्कम ग्रुप वालों के लिए कोई बात नहीं की। फिर यह हुआ कि मिडिल इन्कम ग्रुप है शायद उनके लिए कोई न कोई योजना आयेगी, मिडिल इन्कम ग्रुप वालों के लिए भी किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, पर स्वाभाविक रूप से जिस समय समाज की बात करते हैं तो ई0डब्ल्यू0एस0 से लेकर एच0आई0जी0 तक हर स्तर की बात होनी चाहिए, हायर इन्कम ग्रुप के लिए भी किसी प्रकार की कोई योजना आपके बजट में या आपकी योजना में नहीं है। कैसे मान्यवर, आप शहरों की बढ़ती हुई आबादी को, परम् आदरणीय

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, जिस समय हम यहां पर बात करते हैं कि शहरों के बढ़ते हुए स्वरूप को, लोग यहां पर आकर रह रहे हैं, तो आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, जो मा0 नगर विकास मंत्री भी हैं, इन्होंनें कहा कि वह आकर रह जाते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, खेतों में बस जाते हैं, भू-माफिया उनको अपना संरक्षण देते हैं। हमने कौन सी योजना बनाई है कि हम उनसे कहें कि भइया आओं हमने आपके लिए यह मकान बनायें हैं, आप आकर इन्हें लो, आपको वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। खेतों को काट कर जहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है वहां पर मजबूरी में क्यों रह रहे हो, आइये हम देंगें सारी सुविधायें, हम आपको मकान बना कर देंगें, हम आपको पानी देंगें, आपको सीवर देंगें, हम आपको जल निकासी का साधन देंगें, हम आपको अच्छी सड़क देंगें, यह कहां कहा गया है मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको अपने ध्यान रखिये, इसको करें। आज मैं हर चीज को जो बात मैंनें कटौती के समय रखी है कि केवल आलोचना और सुझाव देने तक मैं आपने आप को सीमित रखूंगा मान्यवर, मैं आरोप-प्रत्यारोप की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, अगर साल दो साल बाद भी नहीं होगा, तो उसको भी अगर आप नहीं करेंगें तो उसको भी कहने में हम किसी प्रकार का गुरेज नहीं करेंगें यह भी मैं कह रहा हूं, लेकिन आज मैंनें कहा है कि अगर अपेक्षायें हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर सोंचें, गरीब आदमी शहर में आता है, सड़क के किनारे, नाले के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ योजनायें कुछ महापुरूषों के नाम के ऊपर चली होंगीं और चलती हैं हमेशा से चलती हैं, जब से देश आजाद हुआ तब से चलती आई हैं, चलनी भी चाहिए, लेकिन मान्यवर, उनका सही उपयोग हो, जो पात्रता श्रेणी में आते हों, कल इसके ऊपर चर्चा हुई थी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया तो उन्होंनें बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग, पिछले दिनों बने हैं मान्यवर, कांशीराम आवास योजना बनी, मान्यवर, मैं बड़े प्रमाण के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अधिकांश लोग जो उसमें रह रहे हैं वह उसकी पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हजारों की संख्या में बता दिया कि हमने हजारों की संख्या में मकान बनाये हैं, उन हजारों की संख्या में जो आपने मकान बनाये हैं आप कह सकते हैं क्या इस नाले के किनारे यह सौ परिवार रह रहे थे और इनको हमने उठा कर वहां स्थापित कर दिया, यह आप कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या इस सड़क के किनारे झोपड़ी में कीड़े-मकोड़ों की तरह अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर लोगों को यहां से उठाकर वहां भेज दिया ? मान्यवर, अगर मैं पूछ लूं कि आप कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस समय वह मकान बनाये जा रहे थे, उस समय ध्यान कुछ और था और बात कुछ और थी। अगर ध्यान उस गरीब आदमी का करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सामने आएगा। जैसे मा0 मंत्री जी आपने कहा, मैं आपको बधाई देता हूं, आपने इस बात को कहा कि बड़े-बड़े स्मारक बनाने से समाज का भला नहीं होता है। पहले जिस समय आवास का बजट आता था तो उस समय एक ही बात होती थी, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती थी। एक ही प्रकार के पत्थरों की, पार्कों की बातचीज होती थी और अगर कोई बात कहो तो बहुत सारे चुनने गड़ते है ना वह कहा जाता था। अगर मान्यवर, उससे ही जनता

को प्रसन्न हो जाना चाहिए था, अगर लखनऊ में 5 हजार करोड़ से अधिक पैसा पार्कों के ऊपर और स्मारकों के ऊपर खर्च कर देने से ही, जनता का भला हो जाना चाहिए था तो क्यों लखनऊ जैसे शहरों में एक भी सीट उस राजनैतिक दल को नहीं मिली, जिस लखनऊ को वह कहते है कि हमने चमकाने का काम किया था। इसका मतलब है कि जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। जनता इस बात की अपेक्षा भी नहीं करती थी कि आप बहुत बड़े-बड़े स्मारक बना दें। जनता इस बात की अपेक्षा पहले करती है कि आप उसको सीवर, नाली, सड़क, बिजली दीजिए, सफाई व्यवस्था दीजिए। मान्यवर, जिस समय नगर विकास का बजट आएगा, उस समय इस पर विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज केवल आपने आपको आवास के ऊपर सीमित रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मकानों के लिए कोई नीति बनाइये। मा0 मंत्री जी, ऐसी कोई नीति बनाइये। शहरों की बढ़ती हुई आबादी को कैटर करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए मान्यवर, कोई नीति बनाइये। आप बना सकते हैं। जमीन ढूंढ़िये, लैण्ड बैंक कीजिये, लैण्ड बैंक के अन्तर्गत पहले आप योजना का इन्फ्रास्टेक्चर खड़ा कीजिये। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में भी इस बिन्दु को लाना चाहता हूं, विकास प्राधिकरण इसका उदाहरण है मान्यवर, जब कोई आदमी वहां पर नक्शा पास कराने जाता है, तो आजकल कहते हैं कि कमाऊ सीटें होती है विकास प्राधिकरण और आवास संघ की। एक नक्शा पास कराने के लिये जितना उस नक्शे के ऊपर पैसा नहीं खर्च होता है, उससे कई गुना ज्यादा मान्यवर, उसके ऊपर पैसा लिया जाता है। यह आपकी जानकारी में है, मुझे मालूम है। उसे आप कैसे ठीक करेंगे, आज आपके पास जिम्मेदारी है, ठीक आपको करनी है और आप उसको ठीक कर सकते हो। मान्यवर, आप उसको ठीक करिए। मान्यवर, ये सारे के सारे सम्मन शुल्क लिया जाता है, भवन निर्माण शुल्क लिया जाता है, भवन के मानचित्रों के लिये जो आय होती है, वह लिया जाता है। लीज रेंट लिया जाता है। फ्री-होल्ड करवाने के लिये मान्यवर, पैसा लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, भवन निर्माण के लिये अग्रिम जो किश्तें होती हैं वह ली जाती हैं, इस तरह से वसूली सारे शहर के करेगा विकास प्राधिकरण और जिस समय कहा जायेगा कि शहर के इन्फ्रास्ट्रेक्चर में आपका योगदान होना चाहिये, तो वह कहते हैं कि हमसे क्या मतलब ? अरे, तो किससे मतलब है, पैसा आपका विभाग ले रहा है और आप कहते हैं कि हमसे क्या मतलब।

नगर निगम और विकास प्राधिकरण के मध्य मान्यवर, इस प्रकार का हमेशा द्वन्द रहता है। नगर निगम वाले कहते हैं कि हमने क्या लिया है, हम क्यों करें यह तो विकास प्राधिकरण ने लिया है, विकास प्राधिकरण करे। विकास प्राधिकरण कहते हैं कि शहर में काम करने की हमारी जिम्मेदारी थोड़े है। सम्मन शुल्क आप लेंगे, भवन निर्माण शुल्क आप लोगे, नक्शे को बनाने का आप लेंगे जो रजिस्ट्रियां होती है उसका शेयर आप लेंगे, सब कुछ आप लेंगे तो जो शहर के इन्फ्रास्ट्रेक्चर के सुधार के लिये योगदान कौन देगा ? उन्हीं को देना पड़ेगा। इसके लिये मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिये पूरी एक योजना बना दें। और पूरी योजना बना कर जितनी भी आम जमीन है, यह बात सही है कि विकास प्राधिकरण जो है, सरकार उनको सहायता नहीं करती है लेकिन विकास प्राधिकरण कोई बिल्डर्स के रूप में वहां काम

नहीं कर रहे हैं। वह सरकारी एजेंसीज् हैं, दे ऑर नॉट प्राफिट मेकिंग कम्पनी। प्रॉफिट मेंकिंग कम्पनी के रूप में वहां पर जो बड़े-बड़े बिल्डिरों के नाम है, नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, वह उस प्रकार का काम करने के लिये विकास प्राधिकरण नहीं खड़े हुये हैं। विकास प्राधिकरण सरकार का एक कम्पोनेन्ट हैं, जिससे वह नो प्रॉफिट नो लॉस पर जनता के लिये काम करेंगे। अगर उनका यह सोचना है कि हमें पैसा बनाना है, हम प्रॉफिट मेंकिंग कम्पनी है तो मान्यवर, किसके लिये हैं जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी ? किससे अपेक्षायें करेगी ? यह मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पिछले कुछ दिनों, कुछ वर्षों में लगभग 22 वर्ष मान लीजिये, 24 वर्ष मान लीजिये। मान्यवर, सन् 1989 से आज तक 23 वर्षों के कार्यकाल में, विकास प्राधिकरण के द्वारा स्थान-स्थान पर कालोनियां खड़ी करी गयीं। मान्यवर, 1989 में जब आपकी सरकार थी, आज 2012 में फिर आपकी सरकार हैं। स्थितियां बदली होंगी मैंने कहा था न कि सरकारें बदलती हैं, कुर्सियां बदलती हैं, ये लोकतंत्र में आम बात है। लेकिन आज मैं आपके संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूं कि इनकी जांच करा लें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इटावा से लखनऊ आते हैं, किसी दिन कानपुर आयें, अधिकारियों की निगाह से तो देखे ही देखें लेकिन मेरा निवेदन है कि हम भी 20-22 वर्षों से जनता की कृपा से चुनकर आते हैं। हमारी निगाह से भी एक बार देखें। मान्यवर हम आपको दिखायेंगे कि 22 साल से बनी हुयी कालोनियां मान्यवर, जिसमें गरीब आदमी रहता है, ई0डब्ल्यू0एस0 कालोनियां हैं मान्यवर, वो गिरने की स्थिति में हैं। कहा जाता है न कि 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग थी वो गिर गयी। अब थोड़े दिनों में अखबारों में छपना शुरू हो जायेगा कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग जो विकास प्राधिकरण की थी, वो गिर गयी। मान्यवर, ये सच है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने ये सोचा था कि सोमवार को नगर विकास एवं आवास दोनों साथ में होंगे तो मैंने कुछ प्रमाण लिख के रखे थे। आज सुबह जब मैंने कार्य-सूची में देखा तो आवास का था तो आज सुबह ही मैंने तैयारी की। मेरे पास सारे प्रमाण, सारे फोटोग्राफ्स हैं। विकास प्राधिकरण ने कालोनियां डेवलप कर लीं, आवास विकास ने डेवलप कर लीं, आवास विकास की कानपुर में हैं, पूरे प्रदेश में होंगी। मैं उदाहरण के लिये आपको देना चाहता हूं कि कानपुर में आवास विकास कालोनी हंसपुरम में चले जाइये, न सड़क, न सीवर, न नाली, न बिजली, 50 हजार की जनसंख्या से ज्यादा वाला क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग में मान्यवर, होना चाहिये था कि यहां पर एक बैंक होगा, नहीं है, प्लानिंग में होना चाहिये था कि एक पोस्ट ऑफिस होगा, नहीं है। प्लानिंग में होना चाहिये था कि हॉस्पिटल होगा नहीं है।

प्लानिंग में बस अड्डा होना चाहिये था लेकिन नहीं है। प्लानिंग में होना चाहिये था कि किसी भी प्रकार की सुविधायें पार्क में होंगी लेकिन नहीं है। अगर हैं भी पार्कों के लिये कोई जगह छोड़ी है तो मैंने पिछले दिनों एक आवास विकास के अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि सर हम सोच रहे हैं कि इसको बेच दें, इसको लीज पर दे दें। मान्यवर, जिस समय विकास प्राधिकरण और आवास विकास के द्वारा डवेलप कॉलोनीज में आम आदमी मकान लेने जाता है तो उसकी अपेक्षायें होती हैं, हम सोसाइटीज में मकान नहीं लेंगे जो अवैध रूप से प्लॉट काट के बेच रही है। हम सरकार के द्वारा विकसित कॉलोनीज में मकान ले रहे हैं, हमें पूरी तरीके से जो भी

अवस्थापना सुविधायें हैं, हमें मिलेंगी। लेकिन मान्यवर, नहीं, अगर विकास प्राधिकरण के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो पहले इन कॉलोनीज को ठीक करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आज जिस समय आप बजट रख रहे हैं और मैं इस कटौती के प्रस्ताव को रख रहा हूं, आज से अगले बजट में जब इस सदन में रखें मान्यवर, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज अपनी सुविधानुसार अपने अधिकारियों के द्वारा बताये गये किसी एक क्षेत्र को, एक एरिया को, एक कॉलोनी को जो विकास प्राधिकरण या आवास विकास द्वारा डेवलप करायी गयी है। आप यह कह सकें कि एक साल के बाद हमने ये एक साल में एक कालोनी का आदर्श कॉलोनी के रूप के विकास किया है। मान्यवर, आप करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं फिर आपसे अपेक्षा करूंगा। मान्यवर, अपेक्षायें बनी रहेगी और अपेक्षायें तब बनी रहेंगी, जब उनसे कुछ परिणाम निकलेगा। मान्यवर, मैं स्वयं उस बात को खड़ा हो करके कह रहा हूं कि अपेक्षायें बनी रहेगी और अपेक्षायें उससे होती हैं जो कुछ कर सके। मान्यवर, कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में तो इस प्रकार की कोई बात करने का तो मौका ही नहीं लगा। हमारे कानपुर में अर्रा है, बिझगवा है, गंगापुर है, गुंजन बिहार है, बहुत सारी है लेकिन सीवर नहीं है, पानी नहीं है। मान्यवर, ये सीवर की कहानी भी बड़ी है, सीवर का वो बना हुआ है चैम्बर। उसके बाद कुछ दूर तो सीवर लाइन डाली होंगी लेकिन फिर बीच में गैप कर दिया तो चली नहीं कभी सीवर। सीवर लाइनों का ये हाल है, उस दिन संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह रहे थे कि जब वो इलाहाबाद गये तो उन्होंने देखा कि चैम्बरों में सारे के सारे पत्थर डाले हुये हैं। वहां तो ये जा करके देख आये, ठीक कराये, लेकिन कहां कहां देखेंगे। मान्यवर, आपका इकबाल, आपकी हनक और आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर आपका एक इशारा भी हो जायेगा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। मान्यवर, एक वर्ल्ड बैंक की बात है, एक बात और है, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मान्यवर, मैंने कहा न कि माइण्ड सेट को बदलना पड़ेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी आपने तो पूरा विश्व घूमा हुआ है, कुछ मा0 सदस्यों ने भी घूमा है, हांगकांग चले जाओं तो वहां पर कहते हैं कि हम 65 मंजिल से कम का नक्शा पास नहीं करेंगे। चले जाओं तो वहां लगता है कि ये कौन सी बिल्डिंग है ये तो 150 मंजिल की है। हम यहां पर कहते हैं कि हम आपको 1.25 एफ0ए0आर0 देंगे, जितनी आपने जमीन बना रखी है, इसका 1.25 का फ्लोर एरिया रेशियो को हम अनुमन्य करते हैं और कहते हैं कि बस इससे ज्यादा आपको बनाने नहीं दिया जायेगा। हम कहेंगे कि हम उसको तीन मंजिल से ज्यादा बनाने नहीं देंगे। हम कहेंगे कि हम उसको 10, 12 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करने नहीं देंगे। हम आपको कहेंगे कि आप हॉरिजांटली खड़ी करिये या वर्टिकली खड़ी करिये। जो भी बिल्डिंग बनी हैं मान्यवर, बिल्डिंगों को आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास केवल नोएडा के विकास से होने वाला नहीं है। नोएडा में बड़े-बड़े बिल्डर्स है बड़े-बड़े लोग है।

लेकिन क्या जो भवन बन रहे है उसमें छोटे लोगों के लिये भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ में छोटे भवन भी बनने चाहिये। मान्यवर आज इन प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद् में होता क्या है कि जैसे ही कोई छोटा मोटा बिल्डर अपना प्रस्ताव लेकर जाता है तो कह दिया जाता है कि चलो कोई पार्टी आ गयी है। फिर उसमें उनका लूट खसोट का मामला शुरू हो

जाता है। फिर वह पार्टी उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती है और अपना प्रस्ताव वापस ले आती है तो इसको आप देखें। मान्यवर, एक अन्ना का आन्दोलन लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुआ था। एक व्यक्ति बिजली विभाग पहुंचा बिल जमा करने के लिये उससे 2.5 हजार रुपये की मांग की गयी तो उसने कहा कि मैं अन्ना जी की पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं तो उन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि हमने आपसे कब रिश्वत देने के लिये कहा उसके बाद उसका बिल 1.5 लाख रुपये का बना दिया। अब उससे कहा गया कि इसको आप उच्च अधिकारियों को दिखाइयें और ठीक कराइयें तो यह स्थिति है। मान्यवर, अगर आप के विभागों में जाकर कोई आदमी ईमानदारी से अपने बकाये का भुगतान करना चाहता है तो उसका वहां पर उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिये और ऐसी व्यवस्थायें स्थापित होनी चाहिये जिससे नियमों के हिसाब से कोई भी आम नागरिक वहां जाकर अपना काम आसानी से करा सकें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी भूमि अधिग्रहण की बात आयी आपका लैंड बैंक का प्रस्ताव है। हम चाहते हैं कि उसमें आप आगे बड़े और आप कुछ कालोनियों को इतना विकसित बनाये कि हम कह सकें कि हमारे यहां यह दो कालोनियां आदर्श कालोनियां के रूप में है। आप कानपुर महानगर में विकास प्राधिकरण है आवास विकास है, वहां की कुछ कालोनियों को ले लीजिये और उन्हें आदर्श कालोनी बना दीजिये। आप अपने अगल बगल के बैठे मा0 मंत्रियों से कुछ कालोनियों के नाम ले लें और उन्हें आदर्श कालोनी बना दें। आप हमारी बात से शत प्रतिशत सहमत होंगे कि कालोनियों में विकास की बहुत जरूरत है। अब मान्यवर, इलीगल और लीगल सोसाइटी में क्या फर्क है। मान्यवर जो सोसाइटीज् है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, आवास विकास परिषद् में रजिस्ट्रेशन होता है आप देखें कि उस रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या शर्तें लिखी है कि उन सोसाइट्रीज को क्या-क्या मूलभूत और आधारभूत सुविधायें अपने आवंटियों को देनी होगी। और जब वह सोसाइट्रीज भवन बनाती है या प्लाट डेवलप करके बेचती है तो उसकी समीक्षा भी आवास विकास परिषद् को करनी चाहिये कि वह सब कार्य मानक और स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है कि नहीं। हमें ज्ञात हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत भी सोसाइट्रीज का रजिस्ट्रेशन होता है आपने उनको मान्यता दे रखी है। तो मेरा कहना यह है कि उन सोसाइट्रीज के द्वारा जो भी कार्य किये जाये वह नियमों के हिसाब से हों और विकास होना चाहिये। मान्यवर, सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इन सोसाइट्रीज से जमीन लेते हैं और मकान बनाते हैं लेकिन वहां पर न तो पानी की सुविधा होती है और न सीवर की सुविधा होती है और न नालियों की सुविधा होती है न बिजली होती है तो वह जो जमीन इनको बेचता है वह कोई भू-माफिया ही हो सकता है। जो खरीदता है वह भू-माफिया तो नहीं हो सकता है। उन लोगों ने तो आपके अधिकारियों के संरक्षण में सोसाइटी का पंजीकरण करा कर जमीन बेच दी और वह गरीब आदमी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वहां रहने के लिये मजबूर है तो मेरा कहना है कि आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण को इन सोसाइट्रीज के कार्य कलापों की निगरानी करनी चाहिये। और लोगों को वहां पर सभी प्रकार की मूलभूत व आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये और यह देखना चाहिये कि इन आवासीय सोसाइट्रीज ने नियमों के अनुसार मानकों के अनुरूप

डेवलपमेंट का कार्य किया है कि नहीं। इसमें कोई हीला हवाली नहीं हो सकती है, यह जरूर सुनिश्चित करें। लेकिन हम यह कहते हैं कि जो भवन निर्माता छोटे मकान बनाने के लिये आगे आ रहे हैं उन्हें आप इजाजत तो दे दीजिये।

अब यह कह देना कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं बहुत ईमानदार है और फिर चुपचाप बैठ जाये तो इससे भी आम लोगो का भला होने वाला नहीं है। आपके विकास प्राधिकरणों के बोर्ड हैं मुझे ज्ञात हुआ है कि उसमें शहरों से जो सभासद चुनकर आते हैं वह 4 सभासद उसके मेम्बर होते हैं उसके बाद सरकार का अधिकार है वह 3 अपने सदस्य नामित कर सकती है मेरा निवेदन यह है कि हम सदस्य लोग जो यहां पर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र से शहरों से चुनकर आये हैं उनको भी उस बोर्ड में नामित करने पर विचार करें वह भी सुझाव दे सकेंगे एक मेम्बर की हैसियत से वहां पर रहेंगे तो कुछ न कुछ सुझाव ही देते रहेंगे तो जनता के हित का कुछ न कुछ दबाव ही रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं किसी भी दल के हों, सारे राजनीतिक दल के हों, मेरे कानपुर से तो सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के, भाजपा के है, सभी के हैं, उसके नहीं है जिसके आप चाहते हैं कि न हों उसके नहीं हैं बाकी सभी के हैं। यह ठीक करिये, भागीदारी बढ़ाइये, हम बता सके, जनता हमारे को बताती है, किसी को नहीं मालूम। एक बहुत बड़े अफसर थे मैं उनके आफिस में बैठा हुआ था उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सारे के सारे विधायक सब गड़बड़ हैं। मैं बताना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है इस सदन के सारे सदस्यों से संबंधित बात है। उन्होंने कहा यह सब छोड़ो। मैंने कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो यार। मैंने कहा यह जो बिल्डिंग बनी है भारत सरकार के एक मंत्रालय की बिल्डिंग है मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा यह जो बिल्डिंग बनी है अभी नई बनी है इसका क्या बजट है तो उसने कहा कि यह होगी 70-80 करोड़ की। तो मैंने कहा भारत सरकार के तुम्हारे इस डिपार्टमेंट ने पास किया और तुम्हारे डिपार्टमेंट ने हिस्सा दिया होगा, मैंने कहा कि मंत्री जी से कुछ सेटिंग करी थी क्या तो कहा कि मंत्री जी को क्या मालूम इतनी योजनायें होती है उनके पास। तो मैंने कहा कि कोई एम0एल0ए0, एम0पी0 हैं जिसका इससें इण्टरफेरेंस हो जिसमें वह अपनी कुछ सलाह दे सकता है, कुछ नुक्ताचीनी कर सकता हो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैंने कहा कोई सभासद है तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं तो मैंने कहा कि कौन सा अधिकारी है बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक जो इसमें पैसा नहीं लेता है। चोरी वह करे, बेइमान हम इसके ऊपर मान्यवर, रोक लगनी चाहिये। मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि जिस समय सड़क बनती है तो उस सड़क का चाहे जो ठेकेदार हो उसका नाम कोई नहीं जानता, जो जूनियर इंजीनियर है उसका नाम कोई नहीं जानता, जो चीफ इंजीनियर है उसका भी नाम कोई नहीं जानता वहां रहने वाला जानता है कि क्षेत्र का विधायक यह है गड़बड़ बन रही है तो जरूर कोई मामला गड़बड़ है। क्या है कहीं ऐसा, आप माननीय मंत्री है बहुत सारे विभाग के आप मंत्री है आप बताइये कि जब सड़क बनती है तो कौन सा विधायक, कौन सा सांसद वहां जाकर अपना सुझाव दे सके, कौन सुनता है। इसलिये नहीं सुनते कि वह घिरे हुये हैं चाटुकारों से जहां से उनको लाभ है। मान्यवर, शहर का अपना स्ट्रक्चर है, बहुत सारी योजनायें होती हैं, नगर विकास पर बात आयेगी तो उस पर विस्तार से बात करूंगा। मान्यवर, कानपुर महानगर को सुन्दर बनाने की योजना चलाई

गयी एक नो टेम्पो जोन कर दिया गया अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या दे रहे हैं हमने विकल्प क्या दिया अगर कोई आदमी बीमार हो जाय उसको टेम्पो पर ले नहीं जा सकते, बस पर चढ़ नहीं सकता उसके पास दूसरा साधन है नहीं कि वह टेम्पो टैक्सी कर सके, कोई न कोई वैकल्पिक जब तक आप कर नहीं देंगे तब तक आपको उस पर विचार करना होगा आप एकदम से तानाशाही लगाकर एक आर्डर से उसको बन्द नहीं कर सकते। यह बात ठीक है कि हमें सुन्दर करना है, करे, हम सब उसमें शामिल है लेकिन उसके बारे में वैकिल्पक योजना हमने क्या तैयार कर रखी है। स्कूल खुलेंगे, स्कूल के लिये बसेज नहीं है, बच्चे स्कूल कैसे जायेंगे। कुछ उसमें योजना बनाइये कि इतने परसेन्ट, इतने लोग, इतनी चीजें तो मान्यवर, मैं इस बात का विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप दिखवा लें, विशेष रूप से कानपुर महानगर के बारे में दिखवा लें और अन्त में माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और मैं उनके निर्देशों की कभी अवहेलना नहीं करता हूं क्योंकि वे मेरे ऊपर कृपा बनाते हैं, आगे भी उनकी कृपा बनी रहे इसलिये मैं अपनी बात को यही तक सीमित रखता हूं इस निवेदन के साथ कि लैंड्स के बदलने के लिये माइन्ड्स के बदलने की जरूरत होगी और इसको आप करेंगे इस विश्वास के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करना हूं।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने मौका दिया आवास के इस बजट पर, जो माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत सारी योजनायें सम्मिलित की गयी हैं जो आज की सरकार का संकल्प है। मान्यवर, आवास विभाग गांव से लेकर शहर तक तमाम लोगों से जुड़ा है और उसमें ज्यादातर प्रयास होता है कि जो नगरीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको कैसे सुनियोजित तरीके से विकास हो, मकान मिले और सभी को सुविधायें मिलें इसके बहुत सारे बिन्दु हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 के अनुसार भवन सम्बन्धी निर्माण और आवास सम्बन्धी योजनाओं पर शोध कर रहे हैं। यह योजना हमारे प्रदेश में उन लोगों को लाभान्वित करने के लिये है जो बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं। उसी तरह से विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो हमारे विकास होता है उसमें 27 विकास प्राधिकरण हैं। मान्यवर, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो विकास प्राधिकरण जमीन लेते हैं, अधिग्रहण करने में जिनकी जमीन ली जाती है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। उनके बच्चों को रोजगार मिले और जो लोग अपनी जमीन देते हैं उनको किसी भी तरकीब से व्यवसाय के लिये या किसी और संस्था के लिये अनुज्ञा दी जानी चाहिये, मान्यवर, विद्युत आपूर्ति और जल का प्रबन्ध होना चाहिये। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं पहला सुझाव मेरा यह है कि बिल्डिंगें बनती जा रही हैं प्राधिकरणों के माध्यम से या आवास विकास के माध्यम से या किसी और योजना के अन्तर्गत लेकिन वहां पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, स्वास लेने हेतु वायु नहीं रह गई है, इसलिये वहां पौधों का रोपण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, हमारी राष्ट्रीय औसत 234 प्रतिशत है वनाच्छादित, लेकिन उत्तर प्रदेश में मात्र 4.46 प्रतिशत है। जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी बिल्डर के द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही हो वहां पर पौधारोपण की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। मान्यवर, नजूल की बहुत सारी जमीनें हैं, जिन पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जे को हटा करके वहां पर कम्युनिटी सेन्टर या पार्क आदि बनाये जाने चाहिये। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं वह बहुत दिनों से एक ही स्थान पर जमा रहते हैं और उनका ट्रांसफर नहीं होता इसलिये भी भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है। मान्यवर, जो भी आदमी काम कराने के लिये उनके पास जाता है चाहे वह नक्शा पास कराने जाये या आवंटन के सम्बन्ध में जाना हो, बिना पैसे दिये काम कराना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में ही हो जाये तो इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मान्यवर, प्राधिकरण बहुत सारे बने हैं, मेरे यहां भी जी0डी0ए0 है और गढ़मुक्तेश्वर में बहुत बड़ी झील है उसका हम एच0पी0डी0ए0 के माध्यम से सौन्दर्यीकरण कराना चाहते हैं। मान्यवर, उसके सौन्दर्यीकरण के लिये बहुत सारी जो तकनीकी सलाह है रूड़की से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराया जाना चाहिये। जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, एच0पी0डी0ए0 या जितने भी प्राधिकरण हैं उनमें बैठे अधिकारी अनाधिकृत कॉलोनियां, बनाने के लिये प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इससे उनको सीधा-सीधा पैसा मिलता है।

मान्यवर, उस प्रोत्साहन को रोका जाना चाहिये और अगर अनाधिकृत कॉलोनी नहीं बनेंगी तो निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण का और ज्यादा विकास होगा। अगर अनाधिकृत कॉलोनी कोई बन भी गई है तो उससे विकास शुल्क ले करके उसका विकास किया जाना चाहिये। मान्यवर, चूंकि कोई लिमिटेशन नहीं है, प्राधिकरण कोई बिल्डिंग बनाये या कोई दूसरा बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाये, उनकी लूट जारी है, इस पर मैं विशेष ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। मान्यवर, बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले वह लोगों को आमंत्रित करता है कि उसे फ्लैट बेचने हैं, उसने मान लीजिये कि 25 लाख रुपये का फ्लैट दिया कुछ दिन के बाद वह उसका 25 लाख रुपये लौटा देगा और उसी फ्लैट 35 लाख रुपये में दूसरे व्यक्ति को देगा, मान्यवर, बिल्डरों द्वारा जो लूट चल रही है इस पर अंकुश लगना चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से निजी पूंजी निवेश जो लूट का अड्डा बना हुआ है, जिसमें 10 हजार करोड़ रियल स्टेट में निवेश अनुमानित है, मान्यवर, जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं, उनको सुविधायें मिलें और उनको सही रेट मिलना चाहिये और कम से कम 16 प्रतिशत उसकी भूमि विकसित करके उसे दी जाये। मान्यवर, रेनवास्टर की बात हुई है। मान्यवर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, इसके अन्दर जो क्षेत्र छूट गये हैं प्राधिकरणों की वजह से उनको नियोजित करने के लिये सरकार की स्कीम है, इसको भी और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। जो मलिन बस्तियां हैं उनके सुधार के लिये नई योजनाओं के लाने की आवश्यकता है। नगर और ग्राम नेशनल कैपिटल रीजन को और बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें रेल मेट्रों योजना को अगर गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद, मेरठ यहां तक बढ़ा दिया जाए तो और बहुत सारी सुविधायें वहां के लोगों को मिलेगी। मान्यवर, आवास बन्धु योजना है, मान्यवर कुछ योजनायें हैं जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में 20 करोड़ रुपये, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 करोड़ 26 लाख रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के लिये 1 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रोविजन किया है, वह सरकार की संकल्पता को दर्शाता है।

मान्यवर, गंगा किनारे एच0पी0डी0ए0 के अन्तर्गत मैं चाहूंगा कि वहां पर जो घाट बने हैं उनका विकास हो और जो गंगा स्नान करने के लिये जाएं वह डूब न सकें इसके लिये एक बैरीकेटिंग की व्यवस्था कर दी जाए। वहीं पर एक बस अड्डे का निर्माण एच0पी0डी0ए0 के द्वारा हो यह मैं सुझाव देना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जो भी कहना हो उसे संक्षेप में कहें।

श्री रामहेत भारती-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री सतीश महाना जी द्वारा आवास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आवास एवं शहरी नियोजन शहर और कस्बों में रहने वाले अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनके पास आवास की समस्या है उन्हें भवन बनाकर या भू-खण्ड उपलब्ध कराकर, उनका विकास और अवस्थापना की सुविधायें प्रदान करना आवास विभाग का महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, आवास विभाग का महत्वपूर्ण कार्य शहर और कस्बे में नगर पालिका परिषद् और महानगरों में रहने वाले और बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें आवास एवं अवस्थापना की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मानव जीवन की सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान की है, इसके अलावा भी तमाम जरूरतें हैं मानव जीवन के लिये लेकिन मान्यवर, गरीब आदमी किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके रोजी-रोटी कमा लेता है और जब वह गांव से परेशान होता है, तमाम समस्यायें उसके सामने आती हैं तो वह रोजी-रोटी के लिये शहरों की तरफ पलायन करता है क्योंकि उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती, मकान बनाने की क्षमता नहीं होती, भवन या भू-खण्ड खरीदने की उसकी हैसियत नहीं होती और किसी तरह से मेहनत करके नाले के किनारे गन्दी बस्तियों में खुद और अपने परिवार के साथ आकर बस जाता है। ऐसे में वह गरीब आदमी जिनके लिये मुश्किल है आवास बनाना और भू-खण्ड खरीदना, क्योंकि वह आर्थिक तंगी के कारण ही गांव से पलायन करता है और शहरों में आकर गन्दी बस्तियों झुग्गी-झोपड़ी, पल्ली, झिल्ली, त्रिपाल लगाकर अपने परिवार के साथ रहता है। मान्यवर, आवास विभाग के इतिहास की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी ने कटमोशन रख दिया है। आप संक्षेप में अपने सुझाव रखें।

श्री रामहेत भारती-

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही रख रहा हूं। माननीय महाना जी ने जिन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। हर सरकार जो सत्ता में आती है उसकी अपनी प्राथमिकतायें होती हैं, कार्य करने का तरीका होता है और उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्ताव भी तैयार करती है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि यह बजट पुस्तिका आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का 2012-2013 के बजट में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना जिसे 2008-09 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश

में बहुजन समाज पार्टी की सरकार की मुखिया मा0 बहन कु0 मायावती जी ने शुरुआत किया था। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि बड़ी अच्छी व्यवस्था थी।) सुन लें, और अच्छी व्यवस्था ले आयेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 में मान्यवर, कांशीराम साहब के नाम पर जो शहरी आवास योजना का संचालन बहन कु0 मायावती जी ने शुरू किया था। मैं अपनी व्यक्तिगत और अनुभव की बात कह रहा हूं। मैं जनपद सीतापुर का रहने वाला हूं। सीतापुर में 1986 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और महानायक मान्यवर कांशीराम जी सीतापुर में गये, मुझे उनके साथ घूमने का मौका मिला। वह गन्दी बस्तियों में गये जहां लोग नाली के किनारे, सड़कों के किनारे बरसाती व तिरपाल डालकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। वे गरीब लोग जिनकी न तो कोई जाति थी, न धर्म था वे गरीब लोग थे। वहां वर्षों से कोई 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 50 सालों से नालों के किनारे गंदी बस्तियों में रह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन बस्तियों में ले चलो जहां पर गरीब लोग रहते हों। मैं एक बस्ती में ले गया, जिला अस्पताल के किनारे एक बहुत बड़ा नाला था वहां सभी वर्ग और जातियों के लोग उस नाले के किनारे सैकड़ों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी बनाकर, बरसाती डालकर, तिरपाल तानकर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। वहां पर मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बैठक किया और उन लोगों से पूछा कि भाई आप कितने दिनों से रह रहे हो ? तो किसी ने कहा कि 10 साल से, किसी ने 15 साल से और किसी ने कहा कि जन्म से ही यहां रह रहा हूं। लेकिन उनके आवास के लिये इस उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे जिस दल और पार्टी की सरकारें बनी हों, किसी ने ऐसे गरीब और नालों के किनारे गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिये किसी भी सरकार ने उनके लिये सुव्यवस्थित आवास की व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वह महान शख्सियत जिसका नाम लेते कुछ लोगों के दिमाग में एक हलचल होने लगती है। महापुरुष और महान व्यक्तित्व कोई भी हो सकता है, किसी जाति और धर्म में पैदा हो सकता है, हमारे बगल के साथी बैठे हुये है। शायद नाम भूल गये पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जिन्होंने कहा था कि गरीब की अगर मदद करना है तो एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ गरीब बढ़ा देगा। मान्यवर, कांशीराम साहब ने वह काम किया है जो वास्तव में गरीब था उसके पास पैसा नहीं था ऐसे लोगों के लिये जो नाले के किनारे रहते थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप जल्दी से अपने सुझाव दे दें जिससे इसे पास करायें क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बजट है। अभी नेता विरोधी दल को भी बोलना है।

श्री रामहेत भारती-

अध्यक्ष जी आप जानते हैं शायद आपने हमें कम ही मौका दिया है पूरे बजट सत्र में यह दूसरी बार मौका दिया है मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा आपकी कृपा तो इधर भी चाहिये उधर भी चाहिये। आप पूरे सदन के हैं। अध्यक्ष जी मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा हूं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जिनके लिये आशियाना उपलब्ध कराना उनके बस की बात नहीं थी। ऐसे शहरों में नगर पंचायतों में नगर

पालिका परिषदों में और नगर निगमों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जो डेरे जमाये थे रह रहे थे कोई भी मूलभूत सुविधायें उन्हें नहीं मिल रही थी इसलिये बहुजन समाज वादी पार्टी की सरकार की मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने इस योजना की शुरूआत की और ऐसे लोगों को ..

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत रहें। इतना शोर न करें।

श्री रामहेत भारती-

निराश्रित विधवाओं के लिये निराश्रित विकलांगों के लिये और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वसमाज के गरीब व्यक्तियों को सुनियोजित रूप से निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई गई। पहले चरण में यह आपकी ही पुस्तिका है मैं अलग से नहीं कह रहा हूं मैं 2011-12 के बजट से नहीं कह रहा हूं मैं 2012-13 की जो आपकी पुस्तिका है मैं उसके सम्बन्ध में यह बात कह रहा हूं। आपने उल्लेख किया है कि 2009-10 में माननीय अध्यक्ष जी 2008-09 में एक लाख एक हजार आवास बनाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 98 हजार 936 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और कुल 97,200 भवनों का आवंटन और 96,638 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दे दिया गया है। द्वितीय 2009-10 में 42,768 भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 37,732 भवनों का निर्माण कराकर कब्जा दिया गया है। मान्यवर, यह लक्ष्य जो रखा गया था और 2011-12 में 60 जनपदों में 40,478 भवनों का लक्ष्य जो रखा गया था उस लक्ष्य के सापेक्ष मान्यवर जो भी आवास बन गये उनका कब्जा भी दे दिया गया। बात होती है कि कमीशन खा लिया गया गलत तरीके से आवंटन किया गया यह आपका ही दस्तावेज है अगर गलत आवंटन हुआ था तो आपने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की। यह उल्लेख होना चाहिये क्यों नहीं निरस्त कर दिया। यह आपका दस्तवेज है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग शांत रहें बात सुनें। आप भी बोलिये।

श्री रामहेत भारती-

माननीय अध्यक्ष जी एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो ऐसे महापुरुष महान शख्शियत के नाम पर शहरों में कस्बों में रहने वाले गरीबों को निःशुल्क कांशीराम आवास बनाकर दिये गये हैं मान्यवर, आप आदेश कर दीजिये जांच करवा लीजिये। अध्यक्ष जी ऐसे कांशीराम आवासों का जहां निर्माण किया गया है। तीन मंजिला भवन जिसमें सर्व समाज के लोगों को आवंटन किया गया है सारी मूलभूत आवश्यकतायें जिनमें पार्क है, स्कूल है, विद्यालय है, पेयजल की व्यवस्था है, राशन की दुकानें हैं, आंगनवाड़ी है, ओवर हैड टैंक बनाये गये हैं। मान्यवर, सारी सुविधाओं से वह कांशीराम आवास सर्व समाज के लोगों को उपलब्ध कराया गया। आपने इस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख किया है कि जो भवन निर्माणाधीन थे, उनको पूरा किया जायेगा लेकिन मान्यवर, अभी यह योजना समाप्त कर दी गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह योजना समाप्त

कर दी गई है तो क्या शहरों और कस्बों में रहने वाले उन गरीब लोगों को सभी को आवास मिल गया ? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सर्वजन हिताय स्लम एरिया मालिकाना हक की शुरूआत की थी जिसको आपने समाप्त करने का काम किया है। मान्यवर, शहरों में एक सुनियोजित तरीके से विकास हो। कस्बों का अच्छे ढंग से विकास हो, कोई न कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। मान्यवर, शहरों में रहने वाले उन तमाम गरीब चाहे वह अगड़े हों, दलित हों ऐसी बस्तियों के विकास के लिये मान्यवर कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य विकास योजना को लागू किया था। जिसमें सारी मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का लक्ष्य था उसे आपने समाप्त करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रामहेत भारती-

अभी तो मान्यवर, 30 सेकेंड हुआ है, 30 सेकेंड बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन गरीबों को या जिन गरीब बस्तियों को विकसित करने का काम किया जा रहा था उन गरीबों को जो शहरों में और कस्बों में नदी और नालों के किनारे गंदी बस्तियों में अपने परिवार सहित जीवन यापन करने के लिये मजबूर थे उन लोगों को कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क भवन आवंटित किये जा रहे थे, उस योजना को समाप्त करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ऐसे गरीब जो नदी और नालों के किनारे आवास बनाने में सक्षम नहीं थे उनकी योजना को समाप्त करने का काम किया है। ऐसा प्रतीत होता है, यह परिलक्षित होता है कि गरीबों की विरोधी, दलितों की विरोधी, पिछड़ों की विरोधी और जो गरीब हैं वास्तव में उनकी विरोधी यह सरकार है और उन्होंने इस योजना को समाप्त किया है। मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण देखिये सामान्य प्रशासन पर चर्चा है और इस पर एक घंटे की चर्चा करीब-करीब हो रही है। देखिये इसको जल्दी से पास करा दें। इसलिये प्रदीप माथुर जी आप सामान्य प्रशासन पर बोल लीजियेगा, इसको पास करा लेने दीजिये।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आज शनिवार के दिन आम तौर पर सदन की कार्यवाही नहीं होती है और विशेष रूप से और कोई कार्य न लिया जाय सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो, इसलिये आपने आज की तिथि रखी थी। मान्यवर, अब काफी हो गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक मिनट बस एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस एक बात आपसे कह कर समाप्त करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन गृह अत्यन्त महत्वपूर्ण है मान्यवर, और उस पर करीब-करीब सभी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता लोग भी बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

बोलेंगे मान्यवर, बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिये तो चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो।

श्री प्रमोद तिवारी-

जो मैं चाहता हूं कि वह आप सुन लें तो आपको लगेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। मान्यवर, यह संसार नश्वर है।

श्री अध्यक्ष-

कहां से सन्यासी भाव आ गया आप में।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जैसे यह संसार नश्वर है, वैसे ही यह राजनीति नश्वर है। यहां जो आता है मान्यवर, कभी-कभी उसे जाना भी पड़ता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो गोमतीनगर में आवास विभाग ने विधायकपुरम् बनाया था और उसमें विधायकों के लिये आवास की सुविधा थी। पत्रकारपुरम भी बनाया गया था। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं और कहना भी नहीं चाहता हूं लेकिन मान्यवर, 1985 और 2012 के बीच में, इस नश्वर संसार में कितने आये और कितने गये और राजनीति में कितने लोग आये और गये। अब आवश्यकता इस बात की है कि जब कोई लखनऊ आ जाता है तो वह किसी न किसी रूप में रहना चाहता है। बहुत से विधायकों के बच्चे यहां पढ़ते हैं, बहुत से विधायकों को स्वास्थ्य की वजह से यहां रहना पड़ता है। तो मैं सिर्फ आवास विभाग के बजट पर एक अनुरोध करना चाहता हूं कि लखनऊ में जैसा 1984-85 में हुआ था, पत्रकारपुरम भी बना था, उस समय श्री वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे, विश्व नाथ प्रताप सिंह और नारायण दत्त तिवारी जी के समय में विधायक पुरम का निर्माण हुआ था तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक नया विधायकपुरम वक्त की आवश्यकता बन गया है। विधायकों के लिये प्राथमिकता के आधार पर विधायकपुरम बनायें। श्रीमन् कुछ विधायक गाजियाबाद के हैं जो दिल्ली के आसपास रहना चाहते हैं उनके लिये अलग हो जाए। लेकिन लोग लखनऊ में रहना चाहते हैं इस बजट की प्रशंसा मैं तभी करूंगा जब मंत्री जी के विचार आ जाएंगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें। मैं जैसा कि कह रहा था कि यह आवश्यक चीज है। सांसदों के लिये बना है दिल्ली में, पूर्व सांसदों के लिये बना है दिल्ली में। ज्यादातर राज्यों में विधायकपुरम बना हुआ है तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पीछे क्यों

है। ज्यादा मैं करने को कह नहीं रहा हूं मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। श्री वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में गोमतीनगर में आज भी बना है। उस समय तो मान्यवर दस हजार में प्लाट मिले थे मैं नहीं कहता कि आप दस हजार में दे दें। बीस हजार में दे दें। मेरा अनुरोध है कि विधायकपुरम के बारे में यहां घोषणा न करें तो इस पर बाद में विचार अवश्य कर लें। अगर आप विचार करेंगे तो जैसे मैं आज खड़े होकर श्री नारायण दत्त तिवारी जी का नाम ले रहा हूं, श्री वीर बहादुर सिंह जी का नाम ले रहा हूं, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम ले रहा हूं इसी तरह से 20 साल बाद खड़ा होकर कोई कहेगा कि अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे उनके कार्यकाल में विधायकपुरम बना है। (मेजें थपथपाई गईं)

फिर मान्यवर उसमें यह भी जोड़ा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हुकुम सिंह जी थे उन्होंने हमारी बात पर बल दिया, अभी देखियेगा बल देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्या जी का भी नाम आएगा कि वह अपनी अनुपस्थिति में भी बल दे रहे हैं। कोई बल दे न दे आप बल दे दें। एक बार इस समस्या का निदान कर दें यह अधिकार है हमारा।

*ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आवास विकास एक महत्वपूर्ण विभाग है और प्रदेश के लिये जन उपयोगी, सदुपयोगी और इसकी तरफ लोगों की आकांशायें और निगाहें लगी रहती हैं। ग्रामीण अंचलों से हमारे बहुत सारे साथी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, जनपदों में जाते हैं और प्रेस में काम करते हैं उनको वहां पर मकानों की बहुत दिक्कत रहती है।

पत्रकार होने के नाते लोग उनको मकान देना नहीं पसन्द करते हैं। तो ऐसे पत्रकार जो जिलों में काम करते हैं, उनके पास आवास नहीं है, यदि उन पत्रकारों को जिले में जहां आवास विकास की योजनायें हैं उनको भी प्राथमिकता के आधार पर पत्रकार बन्धुओं को आवास आवंटित करने की व्यवस्था कर दी जाए तो उसमें सभी पत्रकारों को आवास मिल जाएंगे। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के लिये कोई न कोई व्यवस्था मकान की कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी आप अपने मंत्रियों को थोड़ा बैठाकर यह बता दें कि असेम्बली में कैसा व्यवहार करना चाहिये और सदन में अपनी बात कैसे रखनी चाहिये। इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादियों की यही खूबी है और मैंने माननीय नेता जी से यह सुना है कि एक जमाना वह था समाजवादियों का कि दो समाजवादी अगर एक जगह हों और जब तक वह लड़कर अलग-अलग न हो जायें तब तक समाजवादी सिद्ध नहीं होते।

(हंसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग 1958 से समाजवादी हैं, ऐसी बात नहीं थी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह समाजवादियों की खूबी है कि सत्ता में रहने के बाद भी हमें विपक्ष का एहसास बराबर रहता है और इस तरह हम सत्ता का भी रोल अदा करते हैं और विपक्ष का भी रोल अदा करते हैं और इसी सदन में बैठे हुए हमारे कुछ ऐसे साथी जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, माननीय मंत्री जी के सुझाव पर अपने-अपने कक्षों से तालियां बजा रहे थे जो हम देख रहे थे तो खबर तो कल अच्छी बन जायेगी, इसका अंदाजा है। प्रमोद तिवारी जी ने माननीय विधायकों को आवास दिये जाने के बारे में कहा है और ऐसा हुआ भी है लेकिन क्योंकि विधायक लोग आते-जाते रहते हैं, बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जो यहां बराबर मुसल्लत है। (हंसी गूंजी), जा नहीं रहे हैं, मैं भी हूं उसमें से लेकिन जो दो नाम आपने दिये हैं, नारायण दत्त तिवारी जी का उनके नाम से अगर अखिलेश जी याद न रखे जायें। उनकी खूबियों के नाम से तो ज्यादा अच्छा होगा। [x x x] क्योंकि वीर बहादुर जी दुनिया में नहीं हैं, उनका सब सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे हमारे मुख्य मंत्री रहे हैं, हमें यह सौभाग्य रहा है कि उन सबके साथ हमने कार्य किया है। अब जब आवास दिये जाने की आपने घोषणा कर ही दी है और इधर से उसका स्वागत हो ही गया है तो इतना ध्यान जरूर रहे कि समाजवादियों की सोच ही है कि हम जब तक उस गरीब आदमी को जिसने हमें यहां चुनकर भेजा है, जब तक उसके पास रहने के लिए मकान नहीं हो जाता, उस हद तक अपने लिए सरकार से इस तरह की सुविधा लेना दुरुस्त नहीं होगा। हमारा यह संकल्प है कि हम इन पांच वर्षों में कोशिश करेंगे कि सड़कों के किनारे जो इन्सान पैदा होकर मर जाते हैं, वहीं जल जाते हैं, वहीं दफन हो जाते हैं पहले उनके लिए घर बना लें, जिस दिन हम उनके लिए घर बना लेंगे, उस दिन हम अपने लिये भी घर का विचार करेंगे।

पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को आक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य परम्परा यही है कि सदन में जो उपस्थित न हो, उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं किया जाता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमने आक्षेप की बात नहीं की है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आपसे सिर्फ इतना विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो चार बार मुख्य मंत्री रहा हो, चार बार नेता विरोधी दल रहा हो, उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनें इस पर आप विचार कर लें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*श्री हुकुम सिंह-

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उस बात पर मैं भी भारी मन से कह रहा हूं। नारायण दत्त जी यहां मुख्य मंत्री रहे और सफलतम् मुख्य मंत्रियों में से एक रहे। विकास के काम में उनकी जितनी रुचि रही, संभवतः कुछ ही लोगों में रही होगी। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतने हल्के ढंग से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। अभी पता नहीं, कोर्ट में मामला है, क्या है, क्या नहीं है, कब निर्णय होगा, कब निर्णय नहीं होगा ? क्या उसकी स्थिति होगी। अगर हम इस तरह से किसी का मजाक बनायेंगे तो मुझे यह सुनने में एतराज भी है और अगर यह कार्यवाही का हिस्सा रहता है तो मैं अनुमति चाहूंगा मैं शायद यहां बैठ भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि तिवारी जी की एक बात को कहकर एक बात ऐसी कह दी, उनका इस प्रदेश के निर्माण में कितना योगदान रहा है। छात्र जीवन से तिवारी जी ने कितना संघर्ष किया है। देश की आजादी के लिए विश्वविद्यालय छोड़कर जेल में चले गये। एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और एक घटना को लेकर जिसका अभी कुछ प्रमाण भी नहीं है खाली चर्चा चल रही है उसको लेकर यहां पर टिप्पणी कर देना यह बहुत खेदजनक बात है और मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दबाव में आने की बात नहीं है। जो व्यक्ति यहां पर नहीं है और यह सदन की परम्परा रही है कि जो व्यक्ति यहां पर नहीं है उनके बारे में कोई टिप्पणी यहां पर नहीं की जा सकती और नारायण दत्त जी कोई मामूली आदमी नहीं है। किसी के लिए यह मामूली बात होगी। वह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रधान मंत्री भी हो सकते थे। केन्द्र में भी न जाने कितने विभागों के मंत्री रहे और आज जब वह 90 साल के करीब आ चुके हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी कर देना यह निहायत खेदजनक है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर आप निर्णय लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह मंशा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी जी ने एक बात रखी और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हंसी की हद तक होती है और कोई उसको संजीदगी से लेने की बात नहीं है। न मैंने संजीदगी से लिया। एक बात आपने कही उसके जवाब में यह बात आयी। जाहिर है मामला अदालत में है वह अपनी जगह है। मैंने तो कहा है कि हमने उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छे मुख्य मंत्री रहे हैं। उसका वह बिल्कुल आशय नहीं है, हुकुम सिंह जी आप जानते हैं, न हमारा आशय यह हो सकता है न आपके लिये हो सकता है। बस यूं ही जिक्र में बात निकल आयी तो चली गयी और इससे ज्यादा कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे कृपापूर्वक आश्वासन चाहता हूं कि उनके बारे में जो भी टिप्पणियां की गयी हैं अगर आप उसे निकाल दें तो उचित है वरना मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित बहिर्गमन कर गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

देखिये मैं दिखवा लूंगा अगर उचित नहीं है तो निकाल दी जायेगी। तिवारी जी, बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें बहिष्कार की क्या जरूरत थी।

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, मा0 आजम खां साहब को कोई अधिकार नहीं है कि इतने वरिष्ठ मुख्य मंत्री के बारे में ऐसी बात कहें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में शोर शराबा उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

दीक्षित जी, बैठिये, हुकुम सिंह जी मैंने कह दिया तो अब क्या प्रश्न आ गया। रिकार्ड से निकाल देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, जो आपका फैसला था वह ठीक है, रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह तो दिया है कि रिकार्ड से निकाल देंगे। बैठ जाइये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में वापस आ गये)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-2-आवास विभाग (क्रमागत)

*लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी मैंने आवास विभाग का जो बजट आपके सामने रखा है उस पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। हमारी सरकार पर उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत अपेक्षायें हैं और हमारी यह सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरने का काम करेगी। मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है। जो नालों के किनारे रहते हैं और नालों के किनारे से भी उजाड़ दिये गये हैं और अभी तक बेघर हैं और अपना घर बचाने के लिए उन्होंने लाठियां भी खाईं और बहुत से लोगों को जेल भी जाना पड़ा। मान्यवर, हमारी सरकार की नीति है जिसके पास घर नहीं है, कम से कम हर गरीब के पास बड़ा घर नहीं तो छोटा घर ही सही, छोटा घर हर गरीब के पास हो जाना चाहिए और हमें तो सबका ध्यान रखना है, विधायकों से लेकर पत्रकारों से लेकर के और सबसे पहले हमको गरीब का ध्यान रखना है और जहां तक सतीश महाना साहब ने जो सुझाव दिये हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कटिबद्ध है कैसे भी और हमारी सरकार के पास बहुत कम समय में कम संशोधन होने के बाजजूद भी हम इतना आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार के पास धन की कमी नहीं आयेगी गरीबों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बसाने के लिए और जो हमने बताया है, जो योजना बताई है स्वच्छ शहर बनाने के लिए और मैंने तो देखा है, अभी कांशीराम शहर आवास योजना की बात चलीं माननीय अध्यक्ष जी ऐसे-ऐसे मकान हैं अगर उन मकानों में जाया जाय तो उन मकानों में रह नहीं सकते और यहां तक की पानी के लिए जो टंकियां बनी हैं, अगर उन टंकियों में पानी पूरा भर दिया जाये तो टंकियां हिलने लगती हैं तो उन्हें भी हम ही को ठीक कराना पड़ेगा, उन्हें हटाना भी पड़ सकता है, उन्हें गिराना पड़ सकता है, उन्हें गिराकर के फिर से पानी के लिए इन्तजाम करना पड़ेगा और जो हमने कहा, जैसे गोरखपुर का जो रामगढ़ तालाब है जो हमारी योजना में है। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं और जो हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश को हरा-भरा प्रदेश बनायेंगे और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देंगे। अभी तो हमारी सरकार मात्र तीन महीने की हुई है, हम संसाधन जुटायेंगे और जहां तक जितनी भी सुविधायें दे सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे पहले गरीबों के लिए उसके बाद जितने भी अच्छे सुझाव आये हैं हम उन पर विचार करेंगे और भी सुझाव जो शेष देना चाहते थे, मैं सभी सदस्यों से अपील करूंगा सभी लोग लिखकर अपने सुझाव हमें दे दें, उन सुझावों पर हमारी सरकार अमल करेगी, इन्हीं विचारों के साथ इतना ही आश्वासन देने के साथ-साथ हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि सतीश महाना साहब अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और जितने भी अच्छे सुझाव होंगे उन पर हम गम्भीरता पूर्वक विचार कर के उत्तर प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधायें देने का काम करेंगे और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की हमारी सरकार की नीति भी है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बात मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पार्क शुल्क के नाम पर नागरिकों का भीषण शोषण कर रहे हैं, जितने की जमीन नहीं है उससे अधिक नक्शा पास कराई ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

तो आप लिखकर मा0 मंत्री जी को दे दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी यह विषय मा0 मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है। पार्क शुल्क के नाम पर चार लाख की जमीन पर चार लाख रुपये नक्शा पास कराई ली जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा मा0 मंत्री जी से आप इसको संज्ञान में लें और यह लूट बन्द होनी चाहिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आप लिखकर दे दीजिएगा। हम करा देंगे।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, मुझे पहले आपको बुलाना चाहिए था, मैं जानता था कि मा0 मंत्री जी से पहले आपको बुलाना था लेकिन सभी नेताओं ने कह दिया की, बस हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, वह परम्परा है मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कहने से पहले मुझे कहना था, अब दो शब्द में अपनी बात पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूछ लीजिए।

श्री सतीश महाना-

मा0 मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी सारी बातों का संज्ञान लेकर आपने मुझको आश्वासन दिया है। मान्यवर, कुछ शहर हैं हिन्दुस्तान में जिन शहरों का नाम है, जैसे गुजरात में कहते हैं कि सूरत की सूरत बदल गई। आपको भी पता है। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बड़ौदा हो, गुजरात में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मान्यवर, वहां पर मेरा निवेदन है कि आप एक टीम भेज दें। जिसमें यहां के भी कुछ सदस्य हो, जिनको भी आप उचित समझे। उनको भेज दीजिए। 2-4 पांच लोगों को तो वहां पर उस टीम को पता चलेगा कि उनकी क्या योजना है ? उनका क्या नियम है उनका ग्राउन्ड प्लानिंग का क्या आधार है, नक्शा पास कराने के लिए वह कितना एफ0ए0आर0 देते हैं आदि सब कुछ जो वो देते हैं तो इसका मान्यवर, एक अध्ययन करा लीजिए तो यहां का भला होगा। इतनी बात कहकर मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ठीक है, इस पर विचार किया जायेगा।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है। मा0 मंत्री जी द्वारा आवास विकास का बजट पेश हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का संज्ञान चाहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी आज आवास विकास का बजट है और मा0 नगर विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मान्यवर, यदि आप किसी भी व्यवस्था को देखें। यदि उत्तर प्रदेश में कोई भी परियोजना लाई जाती है तो न तो उसकी ठीक से डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) बनती है, न सिटी डेवलपमेन्ट प्लान बनता है और न ही आपके पास कोई ऐसे कंसल्टेन्ट्स हैं, जिनकी डी0पी0आर0 यदि कहीं भी भेजी जाए तो उसे ढंग से वह अप्रूव करे तो मैं चाहूंगा मा0 मंत्री जी से हमारे दोनों मंत्री जी बैठे हुए हैं लेकिन संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, मा0 अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप लिखकर दे दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं इनको बताना चाह रहा हूं। मा0 मंत्री जी, आप दोनों मंत्री जी, यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परियोजना के लिए आपने ट्रेनिंग डिपार्टमेन्ट जरूर बना रखे हैं, पर कोई भी डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डी0पी0आर0), सिटी डेवलपमेन्ट प्लान कोई भी ढंग से नहीं बनता है, मानकों के अनुरूप नहीं बनता। मैं चाहूंगा कि वहां पर कोई ढंग का नेशनल, इण्टर नेशनल कन्सल्टेन्ट अप्वाइंट करें, जिससे कि जो प्रदेश के शहर हैं उनकी योजनाएं ढंग से बन सके। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में जो योजनाएं बनायी गई हैं, आपने भी देखी हैं वह कितनी घटिया स्तर की डी0पी0आर0 बनी हैं तो मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी आपके माध्यम से कि आप लोग डी0पी0आर0 बनाने के लिए काम्प्लीजेंस दें और दूसरी बात यह है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आप इन समझौतों को नहीं देखते हैं। आपही के विभाग में कोई भी व्यवस्था नहीं बदली है पिछली बार की तरह ही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,77,93,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मद संख्या-2 और 3 को साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,10,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,11,18,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे एक बार फिर यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट पेश कर रहा हूं। मान्यवर, सरकार ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिये प्रदेश में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिये कुदरत ने बहुत सी चीजें मुहैया की है, बनाई है वो एक आम आदमी की जिन्दगी से लेकर के मध्य वर्ग के व्यक्ति और उच्च वर्ग का व्यक्ति जब तक एक नज्म से एक व्यवस्था से नहीं जुड़ेगा। तब तक प्रदेश के आम आदमी की जिन्दगी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अगर एक घर व्यवस्थित ढंग से चलता है तो वो घर खुशहाल रखता है जो घर तरक्की करता है। उसी तरह से पूरा प्रदेश और एक ऐसा प्रदेश जो पूरे देश का दिल हो तकरीबन 21 करोड़ लोग जिस प्रदेश में रहते हों, वहां बहुत सी समस्यायें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं और उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक मा0 मुख्य मंत्री जी, सदन में उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग....

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई बात होगी जो गये हैं। प्रदेश के बहुत से और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक और तुरन्त देखना होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं न रहने के कारण नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन विभाग पर मा0 मुख्य मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करना था तो क्या वो इस बजट को प्रस्तुत करने से मना कर दिये हैं। जो संसदीय कार्य मंत्री जी इस उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने कहा न कि मुझे एक बार फिर अब पता नहीं कि पूर्व में मैंने बजट पेश किया है तो आपको याद क्यों नहीं रहा, मैंने कहा कि एक बार फिर। मान्यवर, ये जैसा मैंने कहा कि दुनिया का, भारत का दिल है उत्तर प्रदेश। एक बहुत बड़ी तादाद बहुत बड़ी जनसंख्या यहीं रहती है और जिस तरह रहती है उसे पूरा प्रदेश जानता है। हमारा आपसी सौहार्द, हमारे आपसी रिश्ते, हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारे एक दूसरे से वास्ते और उन सबको एक धार में संजोकर ले जाने वाली सरकारें जो आती हैं और चली जाती हैं लेकिन कुछ व्यवस्थायें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। यहां के मुख्य मंत्री वहां चले जायें। वहां के मुख्य मंत्री यहां चले आयें। लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने और हमारी परम्पराओं में जिन चीजों को तय कर दिया है, वो चीजें कुर्सियों और नामों के बदलने से नहीं बदलती। हम जब असभ्य थे, तब हम एक दूसरे की पत्थरों से

जान लेते थे, जब हम असभ्य थे और समाज के पास कोई कानून नहीं था। वो सब झोपड़ियों के बाहर इंसानों के सिर जिसके ज्यादा टंगे होते थे, वो कबीले का सरदार होता था। एक दूसरे की जान लेना, एक दूसरे का बरबाद करना, यह समाज का चलन था और वही लोग जो उस समाज में रहते थे, उसको चलाते थे। पहले दहशत का कानून चलता था, नाइंसाफी का कानून चलता था और नाइंसाफी को सबसे आगे लेकर चलने वाले। आज हम सब राजनैतिक दलों के अपने-अपने नाम हैं, अपने-अपने परचम हैं, अपनी-अपनी निशानियां हैं। किसी का हाथी निशान है। मान्यवर, किसी का पंजा है किसी का कमल का फूल है और किसी की साइकिल है, मान्यवर, इस तरह से उस असभ्यता के काल में भी लोगों के अन्दर जागरूकता भी थी और अहसास भी था घोड़ों पर बैठकर हाथी पर बैठकर जब वह चलते थे बादशाहियत करते थे तब उनके हाथ में एक परचम होता था जिसमें एक निशान लगा होता था। मान्यवर, आज हजारों साल पुरानी सभ्यता यहां रही है और उसमें लोगों की पहचान रही है और अपना निशान रहा है। मान्यवर, उस जमाने से लेकर आज तक का समय गुजरने के बाद भी जो सभ्य सिस्टम आया है जिसे कानून की मान्यता है, संविधान की मान्यता है इस सदन की मान्यता है उसमें हम लाकानूनियत फैलाने वालों, कानून पर हाथ रखने वालों पर अंकुश पैदा कर सकें, उन्हें रोक सकें, यहीं सरकार का काम है।

मान्यवर, इस बजट के माध्यम से जो हर साल यहां पर रखा जाता है, वह सदन में मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन विभाग का पुराना इतिहास रहा है मान्यवर, जो पुस्तिका है उसमें है कि सामान्य प्रशासन विभाग का गठन वर्ष 1911 से पूर्व का होना पाया जाता है। मान्यवर, यानी उस वक्त भी हमारे यहां सामान्य प्रशासन का सिस्टम था उसमें पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि आज यह बिल्कुल सही सिस्टम है इसमें मौजूद सारी कमियों को दूर कर दिया गया है। मान्यवर, इसमें है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही लोक शिकायत, लोक आयुक्त, प्रशासन, सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग का अधिष्ठान, कार्मिक विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित कराया जाता है। मान्यवर, इस तरह से एक पूरी जिन्दगी हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य उसमें जुड़ा रहता है। मान्यवर, हमारी सरकारों को किस तरह से इन्तजाम करने हैं वह सामान्य प्रशासन विभाग देखता है।

मान्यवर, घरों मोहल्लों में रहने वाले एक दूसरे की पहचान होती है। मान्यवर, हमारे यहां संविधान लागू है दफा 302 लागू है यदि कोई उसे तोड़ता है तो उसे ताउम्र कैद की सजा हो जाती है या फांसी की सजा हो जाती है लेकिन उसमें भी कितनी जगहों पर डकैती होती है, बलात्कार की घटनायें होती हैं, मासूम सी 3-4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है उस समाज के लोग क्या उस राजनीतिक दल को या उस सरकार को कोई सही कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस लाकानूनियत करने वाले लोगों को रोकने के लिये कौन से तरीके होंगे यह सरकार को सोचना होगा। मान्यवर, सिर्फ हथियारों से हम इस तरह के कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं। क्या वह पुराना इतिहास और बदला हुआ इतिहास हमारे सामने नहीं है जब बन्दूकों से निकली हुई गोलियों से लोगों की जानें चली जाती थीं और कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाती थी। बहुत से देश ऐसे भी रहे हैं जहां संविधान को मान्यता नहीं थी और किसी की जबान से निकली हुई बात फैसला होती थी। लोग

बादशाहियत करते थे और सात समुन्दर पार से आकर शासन स्थापित करते थे। मान्यवर, यह दूसरे देशों में भी देखने को मिला है। मान्यवर, दि ग्रेट यू0एस0एस0आर0 कहां चला गया क्या उसका इतिहास मिट गया मान्यवर, एक रात जब हम लेटे थे तो वह दि ग्रेट यू0एस0एस0आर0 था और जब सुबह उठे तो अखबारों में पढ़ा कि दि ग्रेट यू0एस0एस0आर0 बहुत से टुकड़ों में बंट गया है। मान्यवर, ऐसे भी देश रहे हैं जिनकी ताकत इस बात की थी कि उनके आधार पर सूरज निकलता था और सूरज डूबता था। लेकिन आज वह क्या रह गये हैं। मान्यवर, बहुत से देश आजाद हो गये। हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को खुद रोकेंगे और इसीलिये मैं बार-बार कहता हूं सदन में कि बहुत सी चीजें जिसे कानून नहीं रोक सकता उसको समाज रोकता है। बहुत से ऐसे मौके हैं जब धारा-376, 302, 307 किसी व्यक्ति को जुर्म करने से नहीं रोकती उस वक्त उसे समाज के लोग रोकने के लिये मजबूर करते हैं और कानून से ऊपर उठकर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। मैं जिस चीज का बजट पेश कर रहा हूं सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का मान्यवर, उसका मूल भाव यही है कि क्या हम सिर्फ पुलिस के सहारे, क्या हम सिर्फ बन्दूक के सहारे, क्या हम बजट के सहारे, क्या हम सुरक्षा कर्मियों के सहारे, क्या हम पुलिस के सहारे, क्या यह सच नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर गली को, हर मुहल्ले को, हर गांव को, हर शहर, हर बस्ती, हर आबादी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। मान्यवर, हर जगह पर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पी0ए0सी0 पुलिस नहीं पहुंचाई जा सकती, हर व्यक्ति को कानून की गोली से, कानून की बन्दूक से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, पुलिस की लाठी से हर व्यक्ति को सीधा चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यही फर्क है तानाशाही और लोकतंत्र में। तानाशाही इंसान को दहशत की जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर करती है और लोकतंत्र इंसान के अन्दर सोये हुए उस इंसान को जगाने की कोशिश करता है और उसे यह अधिकार देता है कि तुम व्यवस्था का हिस्सा हो, तुम्हारे ही हाथों से बनाया हुआ संविधान और तुम्हारे ही हाथों से इस सदन में तुम्हारी जुबान और तुम्हारी फल से बनाया हुआ कानून तुम्हारे लिये है अपने बनाये हुये कानून को अगर नहीं मानोगे और उस कानून को नकार दोगे तो जंगल का राज हो जायेगा। क्या यह सही नहीं है कि हम आये दिन और रोजमर्रा के कानून यहीं बैठकर बनाते हैं सदन में आये हुए लोग क्या 21 करोड़ लोगों की नुमाइन्दगी नहीं करते उनका नेतृत्व नहीं करते, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ईमानदारी से हर बुराई को खत्म करने के लिए कोशिश करें लेकिन कानून बन जाते हैं उन पर अमलदरामद नहीं होता उसकी कमजोरी की वजह सिर्फ यह सदन ही नहीं है, बहुत सी चीजे हैं मान्यवर, मैं जब आज अधिकारियों से बात कर रहा था मैंने उनसे कई बातें कही हैं मैं नहीं समझता कि वह सब बातें पूरी हो जायेंगी और मान ली जायेंगी। मिसाल के तौर पर मैं किसी कटाक्ष की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं क्योंकि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट है कोई सरकार नहीं चाहेगी, कोई बैठा हो यहां वह सारे राजनीतिक दल मौजूद हैं जो कभी न कभी इस कुर्सी पर काबिज रहे हैं चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आज की समाजवादी पार्टी हो, कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके दौर में लाकानूनियत हो, अराजकता हो। विकास के काम तो हो सकते हैं जैसे कहा कि पानी टंकियां भरी जाती हैं तो हिलने लगती है वह गिराई जा सकती है दुबारा बन सकती है पानी की टंकियां, बनाये गये मकानात दुबारा बन सकते हैं, सड़कें खराब है, अच्छी बन सकती हैं, राजनैतिक दलों के मैनिफिस्टों खराब हैं तो सही लिखे जा सकते

हैं लेकिन अगर एक बार प्रदेश या देश का कानून खराब हो जाये अगर उस कानून को मनवाने वाले लोग खराब हो जायेंगे, अगर उनका काम कानून को लागू करने के बजाय कानून की धज्जियां उड़ाना हो जायेगा, अगर कोई पुलिसकर्मी अपने हाथ में अपना सरकारी रिवाल्वर लेकर किसी व्यक्ति के सिर पर रखकर अपहरण करेगा फिरौती लेने के लिए, तो जाहिर है सिस्टम खत्म हो जायेगा। मान्यवर, अगर कोई पुलिसकर्मी सट्टा, जुआ, शराब कराता हुआ पकड़ा जायेगा सिस्टम खत्म हो जायेगा।

मान्यवर, अगर कोई पुलिसकर्मी अशोक की लाट लगाकर हिन्दोस्तान के नौजवान को वह किसी राजनीतिक दल का हो, मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे अपनी पार्टी के ऊपर कटाक्ष न समझें बल्कि आज यह जाने कि अगर वह सब कुछ न हुआ होता तो हो सकता था राजनैतिक समीकरण उनके हिसाब से वह नहीं होते जो आज हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ में अशोक की लाट लगाकर अगर कोई आफिसर किसी नौजवान के भेजे पर जूता रखकर उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बना नहीं रहेगा। यह वाकया किसी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि खाकी वर्दी और अशोक की लाट का वह नाजायज फायदा है जिसे लगाने के बाद कोई अधिकारी यह याद नहीं रखता कि समाज के लिये, प्रदेश के लिये, इंसानों के लिये, कानून के लिये उसकी जिम्मेदारी क्या है और यह अहसास दिलाना पड़ेगा। सत्ता किसी की बपौती नहीं है, किसी की इजारादारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें हमेशा सत्ता में रहना है। सत्ता का चक्र बदलता है। सैकड़ों साल हुकूमत करने वाले लोगों के सिर्फ निशान बाकी हैं और नाम याद भी नहीं है लोगों को सिवाय चंद नामों के। जैसा मैंने कहा था कि ग्रेट यू0एस0एस0आर0 कहां चला गया, महान बरतानियां कहां चला गया, आज महान बरतानियां की रानी का नाम भी किसी को मालूम नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि बर्किघंम पैलेस का इतिहास क्या है। इसलिये मान्यवर, जिन्दा वही लोग रहेंगे, जिन्दा वही व्यवस्थायें रहेंगी, जिन्दा वही कौमें रहेंगी जो इंसाफ के रास्तों पर चलेंगी और सरकारों की जिम्मेदारी है, इंसाफ के रास्तों पर चलना और इंसाफ के रास्तों पर चलाना।

मान्यवर, बहुत सी तब्दीलियां करने का इरादा है। मेरे पास वह लिखित तमाम आंकड़े हैं लेकिन उसका मतलब यह हो जायेगा कि मैं तीन महीने पुरानी सरकार के खिलाफ कटाक्ष के दरवाजे खोल रहा हूं। जाहिर है गलतियां हुई होंगी, तभी नसिस्तें बदली, वह गलतियां हमसे न हों, इसलिये हम उसकी कोशिश में लगे हैं कि जुर्म करने वाले को पकड़ा जाये। क्या हुआ मान्यवर, क्यों जुर्म बढ़ा ज्यादा, इसलिये बढ़ा कि हमने जो मुकदमें दर्ज किये उन मुकदमों पर कार्यवाही नहीं की, यह बात अलग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 बरस से ज्यादा की जिस मुकदमें में सजा न हो वह मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे हैं, जिसमें कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसमें एक दिन की सजा भी न होती हो लेकिन कानून मजबूर है वहां मुजरिम के हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल भेजने के लिये। क्योंकि अगर वह जेल से बाहर रहेगा तो बस्तियों के जला देगा, खाक कर देगा, आग लगा देगा, अव्यवस्था फैला देगा, तोड़ देगा, वहां कानून अपना काम कैसे करता है। वहां कानून के सामने सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला क्यों नहीं रह जाता, इसलिये आज हम पूरे सदन के सामने और पूरे उत्तर प्रदेश के सामने यह कहना चाहते हैं कि सामान्य प्रशासन और गृह प्रशासन उस वक्त तक नहीं चलता जब

तक उसके डन्डे का इकबाल बरकरार नहीं रहता और जिस दिन सामान्य प्रशासन और गृह प्रशासन के डंडे का इकबाल खत्म हो जाता है, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। मान्यवर, कहा यह जाता है कि देग का एक चावल निकाल कर देख लीजिये, पूरी देग पक गई, उसका अंदाजा हो जाता है। मैं जहां रहता हूं वह हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है उसे रामपुर कहते हैं, मैं मंत्री था, डाक बंगले में बैठा था। मुझे मालूम हुआ कि कचेहरी पर एक डिमास्ट्रेशन हुआ और बहुत तोड़-फोड़ हुयी, शीशे तोड़ दिये गये, गमले तोड़ दिये गये, कोई बात नहीं, टूटे हुये गमले नये आ जायेंगे, टूटे हुए शीशे बदल जायेंगे, टूटी हुयी मेज-कुर्सी नई आ जायेंगी, लेकिन जब मुझे यह मालूम हुआ कि एस0पी0 के हाथ से बेंत छीन लिया गया, जब मुझे यह मालूम हुआ कि एस0पी0 के कांधे से अशोक की लाट हटा ली गयी, तब मैंने बुलाकर कहा कि यह तुम्हारा बेंत नहीं था, यह शासन का इकबाल था, यह सरकार की इज्जत थी और जिस अशोक की लाट को नोच लिया गया हो और जिस आई0पी0एस0 आफिसर के हाथ से बेंत ले लिया गया हो, वह पूरी सरकार के लिये शर्म के सिवा कुछ और नहीं है। इसलिये कहना चाहता हूं पूरे सदन के सामने कि मान्यवर, जो लोग शासन और प्रशासन दोनों को चलाते हैं जिस घर का मुखिया खराब होगा, जिस घर का मुखिया बदकिरदारी और चरित्रहीनता के रास्ते पर चलेगा, वह घर न तो कभी खुशहाल हो सकता है न वह घर कभी चरित्रवान हो सकता है, न उस घर के बच्चे, न उस घर की नस्लें कभी तरक्की कर सकती है। इसलिये मान्यवर, जब तक सरकार चरित्रवान नहीं होगी, जब तक सरकार की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग उनके गिरेबान और दामन साफ नहीं होंगे और वह इंसाफ को इंसाफ नहीं मानेंगे और कानून को मनवाने के लिये अपनी पूरी सरकारी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत चुनौतियों का प्रदेश है। मान्यवर, मैं जैसे बार-बार कहता हूं कि यहां अयोध्या है, यहां बनारस है, यहां मथुरा है और जहां यह तीन चुनौतियां हों जो पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं है लिहाजा ऐसे उत्तर प्रदेश को चलाने के लिये बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि इन तीन महीनों में हमने कोई ऐसा फन हासिल कर लिया, कोई ऐसा जादुई चिराग है हमारे पास, जिससे हमने तमाम बुराइयों को खत्म कर दिया है। हमारे हाथ जैसा प्रदेश आया है, वह सबको मालूम है। जैसी कानून-व्यवस्था आई है, वह भी सबको मालूम है। मैंने जैसे आपसे कहा कि विवेचना के नाम पर हर जिले में फाइलों के अंबार हैं और विवेचना न होने का अंजाम यह हुआ कि वह तमाम मुजरिम जिनकी रपटें लिखी थीं और विवेचनायें नहीं हो सकीं, उनके सीने चौड़े हो गये, एक जुर्म की सजा अगर उसे नहीं मिली तो उसने दूसरा जुर्म किया और दूसरे जुर्म में भी विवेचना नहीं हुयी तो उसने तीसरा जुर्म किया और नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश जरायम का प्रदेश बन गया।

अब विवेचनायें जारी हैं मान्यवर, उसकी स्पीड तेज हो गयी है और तय यह किया गया है मेरठ को हमने माडल माना है कि विवेचना करने वाले अधिकारी अलग होंगे और कानून-व्यवस्था लागू करने वाले अधिकारी अलग होंगे। लेकिन इसके साथ डाक्टर साहब एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल यह है कि जो मैंने किया है अधिकारियों से कि हमारे पास जो लोग हैं, काम करने वाले हमने पूछा कि क्या विवेचना करने वाले दरोगा अलग होंगे और कानून-व्यवस्था वाले अलग होंगे जवाब मिला कि नहीं, उन्हीं में से होंगे। जब उन्हीं में से होंगे तो फर्क क्या हो गया, हमारे पास एक लिमिटेड संख्या है, उनमें से हमने कुछ को कानून-व्यवस्था के लिये लगा दिया और कुछ को विवेचना के लिये

लगा दिया, फर्क क्या हुआ। हमारे पास काम करने वाले हाथ कम हैं, हमारे पास काम करने वाले हाथ बढ़ने चाहिये, भर्ती होना चाहिये लेकिन फिर वही लाचारी और फिर वही मजबूरी है, माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, न भर्ती की जा सकती है और न प्रमोशन किया जा सकता है। हमें इंतजार है, माननीय उच्च न्यायालय का कि कोई वहां से आदेश मिले तो कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। उस स्थगना आदेश पर मेरे ख्याल से अगले महीने की कोई तारीख है, उस पर फिर हमारा हाईकोर्ट में मामला है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नियुक्ति को लेकर भी स्थगन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

17,500 सब इंस्पेक्टर होने चाहिये, 7800 हैं, 3300 पर स्थगन आदेश है तो अगर यह मान्यवर, वहां से क्लियर हो जायेगा तो यह जो रोक है, उसमें शायद....

श्री सतीश महाना-

क्या ओवरआल नियुक्ति पर रोक है या ऐसी भर्ती पर जिनकी भर्ती पर कुछ विवाद है, कुछ ऐसा है क्या ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

एज ए होल रोक है। माननीय उच्च न्यायालय में जाहिर है जो लोग जाते हैं वह इंसाफ के लिये जाते हैं। मैं कभी-कभी सदन में कुछ ऐसी चीजें रख देता हूं, मिसाल के तौर पर यह गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का बजट है लेकिन कल एक ऐसी पत्रावली हमारे सामने आई जिसमें मालूम यह हुआ कि एक व्यक्ति को जिसे डेलीवेजेज पर रखा गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने रेगुलराइज करने का आदेश किया है और कल उसकी तारीख है, मन्डे में कोर्ट में तारीख है और कल पत्रावली मेरे सामने आई और मुझसे यह कहा गया कि मैं जल्दी से इसे अनुमोदित कर दूं। नहीं किया मान्यवर, मैंने, हमने कहा कि इसमें तारीख लीजिये, हमें यह मालूम होना चाहिये कि दैनिक वेतन पर जो सख्स रखा गया था, उसकी सर्विसेज को रेगुलराइज कैसे किया जा रहा है और हुकुम सिंह जी हम यह भी बता दें कि जिस व्यक्ति के लिये हाईकोर्ट का यह आदेश है और जिसके लिये यह पत्रावली आई थी, ही इज ए मुस्लिम फेलो लेकिन कानून के रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में धर्म और जाति कोई नहीं आती है। वह पत्रावली इसलिये रोक दी गयी कि किसी एक व्यक्ति को अगर हम धर्म के आधार पर अपने किसी जज्बे के आधार पर रियायत देते हैं तो न जाने उसका कितना नुकसान समाज को पहुंचेगा और कितने लोगों को हमें वही राहत देना होगी। हम उस व्यक्ति के लिये कहीं और आसानी पैदा कर सकते हैं, उसको कहीं और इंसाफ दे सकते हैं लेकिन उसकी बुनियाद पर हम पूरे प्रदेश के साथ नाइंसाफी करें, यही सामान्य प्रशासन है। मां की कोख से पैदा होने वाले बच्चे को इंसाफ मिले जो अपाहिज पैदा हुआ है उसे मां का दूध ज्यादा मिले, उसे एक लुक्मा ज्यादा मिले, उसे एक फल का दाना ज्यादा मिले, यह उस घर के बाप की जिम्मेदारी है, उस घर की मां की जिम्मेदारी है। लेकिन एक मां की कोख से पैदा होने वाले बच्चों में अगर बाप तफरीक करता है, एक बच्चे के लिऐ एक सहूलियत और दूसरे के लिए दूसरी सहूलियत करता है तो वह नाइंसाफी करता है। ऐसा ही मुखिया

होना चाहिए। सामान्य प्रशासक ऐसा ही होना चाहिए और सामान्य प्रशासन और गृह विभाग को चलाने वाले लोग ऐसे ही होने चाहिये जिनके सामने धर्म, जाति, अगड़ा और पिछड़ा का कोई सवाल न हो। जब कानून का डंडा चले तो कानून यह न देखे कि जिसने जुर्म किया है उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है ? जब तक सरकारों का यह चरित्र नहीं होगा, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पेश होते रहेंगे, लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा और आने वाली नस्लें हमारी पिछली किताबों को पढ़ करके सिर्फ यही याद करेंगी कि कल भी वही हुआ था और आज भी वही हो रहा है। मान्यवर, हमारी कोशिश है और इसीलिये मोटे शब्दों में मैंने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की वह रकम रख दी है जिससे हम हथियारों के जरिये, पुलिस के जरिये, पुलिस के अधिकारियों के जरिये सामान्य प्रशासन और गृह विभाग को चलाना चाहते हैं। लेकिन उस सबसे बेहतर यह होगा कि हम अपनी जिन्दगियों को भी व्यवस्थित करें और कानून का राज्य स्थापित हो। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग इस बजट को एक ऐसा बजट मान लें कि इसके आंकड़ों के अलावा भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी पक्ष और विपक्ष के साथी सामान्य बजट को पास करने के साथ-साथ यह संकल्प जरूर लेकर जायं कि हमें अपने प्रदेश और अपने कानून को बनाने के लिये अपनी कहीं अगर कुर्बानी देनी है तो उसे देने की कोशिश करेंगे या उसकी शुरूआत करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि प्रायः सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट माननीय नेता सदन द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता रहा है और कभी-कभी यदि गृह विभाग के कोई मा0 मंत्री हैं तो उन्होंने भी रखने का काम किया है। आज सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा न प्रस्तुत किया जाना अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी या तो कहीं न कहीं हाईजैक कर लिये गये हैं (सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी कि क्या बात है ?) (हंसी) या माननीय मुख्य मंत्री जी जो प्रदेश की बिगड़ी कानून-व्यवस्था है जो प्रदेश में जंगलराज हैं जो पूरा प्रदेश गुण्डाराज के हवाले हो चुका है इससे आजिज आकर इससे तंग आकर उन्होंने सामान्य प्रशासन गृह विभाग का बजट रखने से अपने को मना कर दिया है। यही दो कारण हो सकते हैं जिसके नाते यह बजट आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मजबूरी में रखना पड़ रहा है। इसी क्रम में हमारे विद्वान साथी चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। विगत दिनों जब आप लोग इधर की कतार में थे तो यह प्रश्न चौधरी साहब ने ही उठाया था श्री अम्बिका चौधरी जी ने उठाया था और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सामान्य प्रशासन गृह विभाग न प्रस्तुत किये जाने पर यही चिन्ता माननीय चौधरी जी ने

व्यक्त की थी और मान्यवर, यह अम्बिका चौधरी जी की चिन्ता है जिसमें मान्यवर, खुद इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट परम्परानुसार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखा जाता रहा है और तमाम उस समय आंकड़े भी दिये गये थे 1990 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा यह बजट रखा गया था। 91 में भी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा रखा गया था। 92 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा रखा गया था। 93 में राष्ट्रपति शासन था और 1994 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा रखा गया था। 1995 में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा रखा गया था। 1997 में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा रखा गया था। 98 में भी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा रखा गया था। 99 में मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा रखा गया था। सन् 2000 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री रामप्रकाश गुप्त जी द्वारा रखा गया था। 2001 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा रखा गया था। 2002 में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा रखा गया था। बीच-बीच में जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं बीच-बीच में कभी-कभी माननीय मुख्य मंत्री जी उस हालात में सामान्य प्रशासन गृह विभाग का बजट नहीं रखे जब उनके अधीन कोई न कोई गृह विभाग का माननीय मंत्री रहा है। ऐसी हालात में बीच में भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी एक दो साल को छोड़कर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही रखा था और फिर परिवर्तन के बाद जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उसमें भी एक सत्र को छोड़कर लगभग सभी सत्रों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही रखा था।

यह माननीय अम्बिका चौधरी जी ने उस समय इस प्रश्न को प्रस्तुत किया था जब बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री माननीय लालजी वर्मा ने रखा था। पर उपदेश कुशल बहुतेरे मान्यवर, आज यह कौन सी ऐसी परिस्थितियां आईं कि सुबह से लेकर सामान्य प्रशासन गृह विभाग का बजट रखे जाने तक माननीय मुख्य मंत्री जी यहां थे एकाएक उठकर चले जाने का मतलब है आज जो बिगड़ी हालात हैं जो जर्जर कानून-व्यवस्था है जो आज पूरे प्रदेश में निरंकुश अराजक तत्व हैं उससे कहीं न कहीं खिन्न हैं और इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी बगल से उठकर चले गये। यह अपने आप एक संदेश दे गये कि यह कानून-व्यवस्था हमारे नियंत्रण में नहीं। सामान्य प्रशासन गृह विभाग पर हमारी कोई पकड़ नहीं वह लाचार मुख्य मंत्री, नर्वश मुख्य मंत्री, असहाय मुख्य मंत्री और बेचारा मुख्य मंत्री, मजबूर मुख्य मंत्री जो भी कह लीजिये आज वह माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से उठकर जाने के बाद अपने आप अपने पीछे यहां एक संदेश छोड़कर चले गये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग का बजट रखते हुए कुछ गम्भीर प्रश्न भी रखे यह सही है कि कानून-व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। राजनैतिक पार्टियों की सीमाओं से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था को बनाने में सबका सहयोग भी मिलना चाहिए क्योंकि जब तक प्रदेश में अमन चैन की बहाली नहीं होगी, कानून का राज नहीं होगा तब तक लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, विकास भी निर्वाध गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा इसलिये भी अति आवश्यक है कि कानून-व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे देश की संस्कृति रही है और मौर्य साम्राज्य काल में गुप्त

साम्राज्य काल में लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे बहिन बेटियां देवी के रूप में पूजी जाती थीं और हमारे ही देश से पूरी दनिया को संदेश जाता था मानवता का। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले दुनिया को संदेश देने वाले विश्व धर्म गुरू नायक भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि पंचशील का पालन करो और उस पंचशील में था हिंसा से दूर रहने का, झूठ नहीं बोलने का, किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करने का और मान्यवर, किसी भी बहिन बेटी को अपनी मां बहिन के समान उसके प्रति आदर भाव रखने का और कहीं भी किसी भी गलत काम करने से मनाही यह हमारी संस्कृति रही है जिसको पंचशील में त्रिपिटक एवं बौद्ध दर्शन में लिखा हुआ है :-

पाणातिपाणा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि
आदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि
कामेसुमिच्छाचारी वेरमणी सिक्खापदं समादियामि
मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि
सुरामेरयमज्जपमदटठाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि

यानि मान्यवर, यह तो हमारी संस्कृति रही है और आज कहीं न कहीं नैतिकता में गिरावट आई। कहीं न कहीं लोगों की सोच दूषित हुई और कहीं न कहीं शासन प्रशासन भी इसके प्रति उदासीन हुआ। मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि अगर कानून-व्यवस्था नहीं रहेगी तो सिस्टम खत्म हो जायेगा। यही तो मैं भी कहना चाहता हूं और जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वह सही है। अगर जंगल राज रहेगा, गुण्डा राज रहेगा तो सरकारी व्यवस्था चरमरा जायेगी।

सरकार के कानूनों को लोग ठेंगा दिखायेंगे। अराजक तत्वों पर अगर समय रहते अंकुश नहीं लगाया जायेगा तो सरकार को भी काम करने में वो कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करते रहेंगे इसीलिये आज आवश्यकता है कानून राज स्थापना के लिये कठोर कदम उठाने का। मान्यवर, आज दहशतगर्दी का माहौल है। बकौल संसदीय कार्य मंत्री दहशतगर्दी अगर होती है तो कहीं न कहीं तानाशाही की ओर इंगित करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकमरान भले तानाशाह न हो, आज लोकतंत्र में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और प्रदेश के सूबे के जो मुखिया है माननीय मुख्य मंत्री जी, वह भले ही तानाशाह न हो लेकिन अगर आज अराजक तत्वों में अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है जो यहां दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं उनको हम कहीं न कहीं छूट प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप अगर समय रहते दहशतगर्दी पैदा करने वाले इन अराजक तत्वों पर, इन गुण्डाराज फैलाने वाले, जंगल राज फैलाने वाले आततायियों पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो आपकी मंशा के विपरीत होगा मैं चाहता हूं कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश में जंगल राज हो, गुण्डा राज हो, अमन चैन में दखल हो, लेकिन अगर कहीं होता है तो वह शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी हिमाकत करने वाले लोगों पर हमें अंकुश लगाने के लिये आगे आना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन गृह विभाग के बजट के प्रस्तुतीकरण के समय कहा था कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग डंडे के इकबाल से नहीं बल्कि शासन प्रशासन मा0 मुख्य मंत्री जी की नीयत से चलता है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं यह चुने हुए प्रतिनिधियों की होती हैं। जनता के प्रतिनिधि बहुसंख्यक रूप में जो

आते हैं उन्हीं का नेता मुख्य मंत्री बनता है यानि आज कहीं न कहीं इकबाल में कमी आई और कहीं न कहीं आज अगर आततायी, अराजक तत्व, बेखौफ निकले हैं तो इसका मतलब है कि हमारी नीयत में कहीं न कहीं सवालिया निशान लग रहा है। इसलिए मान्यवर, आज आवश्यकता है इस पर कठोर कार्यवाही करने की, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं पूर्व में भी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमको उस समय बिगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश मिला था। जंगल राज था लेकिन शासन में आते ही सत्ता संभालते ही जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्तर प्रदेश की डोर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में दी तो समय रहते हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया मान्यवर, जैसा कि नियम है, जैसा नेता और नेता की जैसी नीयत, वैसे ही उसके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग भी मिलेंगे। इसलिए मान्यवर, हमारी वचनबद्धता थी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कि अन्यायमुक्त, भयमुक्त, अपराधमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त उत्तर प्रदेश बना करके विकासशील प्रदेश बनाने की, श्रीमन् हमने कोशिश भी किया कठोर कार्यवाही भी की और नियंत्रण पाने में हम कामयाब भी रहे। मान्यवर, यह कानून की हनक है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही, सारे गुण्डे, माफिया, अपराधी सारे के सारे या तो जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं या अपराध बन्द करके सुकून से अपने घरों में रहते हैं वह इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यह दिखा दिया कि आजादी के 64 सालों में कोई भी सरकार जो कभी भी नहीं कर सकी थी उसने उत्तर प्रदेश की जनता की हिफाजत के लिए, उत्तर प्रदेश में कानून राज्य की स्थापना के लिए, उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज पर अंकुश लगाने के लिए और उत्तर प्रदेश में आततायियों पर लगाम लगाने के लिए मान्यवर, उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया।

हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि अगर कानून तोड़ने वाला भूलचूक से कोई बहुजन समाज पार्टी का विधायक निकला या सांसद ने वह गलती कर दी, अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कानून को तोड़ने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी भी क्यों न हो उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं किया गया। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के अन्दर भेजा गया। मान्यवर, यही कारण है, एक सन्देश गया कि जो सरकार कानून तोड़ने वाले अपने मंत्री को जेल भेज सकती है, अपने विधायक को जेल भेज सकती है, अपने सांसद को जेल भेज सकती है, अपने संगठन के पदाधिकारी को जेल भेज सकती है तो अपराधियों को बख्शने वाले नहीं हैं और यही कारण है कि प्रदेश में जो जंगलराज था, गुण्डाराज था उस पर अंकुश लगा और मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब तक सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी कि कानून से ऊपर कोई नहीं तब तक कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग इसी तरीके से कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। इसीलिए किसी भी नातेदारी, रिश्तेदारी, पार्टी से सम्बन्ध या व्यक्तिगत सम्बन्धों को इससे दूर करना होगा क्योंकि हमारे सामने प्रदेश की 21-22 करोड़ जनता है, जिसने विश्वास किया और विश्वास करके वहां बैठाने का काम किया, उस जनता की जवाबदेही आपकी प्राथमिकता है। अगर कुछ चन्द लोगों को खुश करने के लिए, कुछ चन्द लोगों को उत्तर प्रदेश लूटने की छूट देने के नाते अगर कहीं कोई गलती कर बैठे तो समझ लीजिए कि वही जनता जिसने आपको वहां पर भेजा है, वही जनता वहां से हटाने का भी काम कर सकती है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज स्थितियां बदली हैं, अभी मात्र 100 दिन बीते, 2-4 दिन और हुए लेकिन मान्यवर, जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, हम यह जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इससे दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि

उनकी नीयत से पता लगा, जब उन्होंने एक-दो अपराधियों को पार्टी में शामिल कराने से मना किया। इससे इंगित होता है कि उनकी नीयत साफ है। लेकिन कहीं न कहीं वह मजबूर है और इसी नाते मजबूरी के चलते चाहते हुए भी इस गुण्डाराज पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, मान्यवर, यह जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण वित्तीय वर्ष 2012-13 की पुस्तिका है, यह सीधे-सीधे इस बात को बयां करती है कि बहुजन समाजपार्टी ने बेहतर कानूनराज दिया, बेहतर सामान्य प्रशासन दिया, बेहतर व्यवस्था दिया, उत्तर प्रदेश को अमन-चैन दिया, यह पुस्तिका इसकी गवाह है क्योंकि पहली जनवरी से ले करके 31 मार्च, तक यानी 3 महीने का आपने लेखा-जोखा दिया है और इस तीन महीने के लेखा-जोखा में, 15 मार्च को सरकार बनती है और 30 मार्च तक यानी 15 दिन इस 3 महीने के लेखा-जोखा में समाजवादी पार्टी की सरकार का शामिल है और ढाई महीना बहुजन समाज पार्टी का शामिल है और इसमें जो भी लिखा है, यह बहुजन समाज पार्टी वालों ने नहीं लिखा है, यह समाजवादी पार्टी का दस्तावेज है और समाजवादी पार्टी की इस पुस्तिका से स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज था, गुण्डे माफिया जेल की सलाखों में थे, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता था, यह पुस्तिका उसको बयां करती है और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं, इसी बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में ऐसे भी मौके आये जब हमको परीक्षा पास करने की जरूरत पड़ी। मान्यवर, 30 सितम्बर, 2010 को अयोध्या प्रकरण विवाद माननीय उच्च न्यायालय से निस्तारित हुआ, पूरे प्रदेश में हाय-तौबा मचा था और देश के तमाम प्रदेशों ने बन्दी का आह्वान किया लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कानूनराज का हनक था कि यहां चिड़िया चूं तक नहीं किया।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था रही, पूरे प्रदेश में कानून का राज रहा। हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा बना रहा। आपसी सौहार्द का वातावरण रहा। यहां तक कि कहीं किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं हुआ। कहीं किसी प्रकार से कानून तोड़ने की कोशिश नहीं हुयी। सभी लोग अमन चैन से रहे। बहुजन समाज पार्टी ने इस परीक्षा को पास किया। उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहा और अन्य प्रदेशों में बन्द का आह्वान किया गया। इस तरीके से हमने वह परीक्षा पास किया। यही नहीं हमने 28 अक्टूबर, 2011 से लेकर 30 नवम्बर, 2011 तक जनपद गौतमबुद्ध नगर में आयोजित इंडियन ग्रांट प्री फार्मूला वन रेस में भी बड़ी कामयाबी से उसको कराने का काम किया है। यह दो ऐसी परीक्षायें थीं जिसमें उत्तर प्रदेश में कानून के राज में परीक्षा में पास होने की बारी आयी थी और दोनों परीक्षाओं को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पास किया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री बहन कु0 मायावती जी ने जो यहां कानून राज का माहौल बनाया वह आज बिगड़ता नजर आ रहा है यह चिन्तनीय विषय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम ऐसी शक्तियां रही हैं जो बीच-बीच में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। मुरादाबाद, मेरठ, बहराइच, लखनऊ, रामपुर, प्रतापगढ़ में बीच-बीच में साम्प्रदायिक तनाव लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों ने समय रहते उस पर नियंत्रण किया। कोई भी टकराहट की स्थिति नहीं आने पायी। धनहानि, जनहानि नहीं हुयी, साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा। इसी प्रकार से इलाहाबाद, फतेहगढ़, मऊ, महामायानगर, पीलीभीत, बिजनौर, अलीगढ़, बांदा, एटा और पंचशीलनगर में भी जातीय तनाव की स्थितियां पैदा हुयीं लेकिन हमने बिना समय गवायें उस पर अंकुश लगाया। हमने अमन चैन से खिलवाड़ करने की छूट किसी को

नहीं दी और नतीजा यह रहा है कि पांच साल की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन रहा, हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द रहा। सभी जातियों में आपसी भाईचारा रहा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होने पायी। इस पर हम अंकुश लगाने में कामयाब हुए। लेकिन मान्यवर, क्या कारण हैं कि अभी मात्र सौ दिन के अन्दर उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाली घटना, मथुरा जो हमेशा साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता रहा। वहां हिन्दू-मुस्लिम दंगा कभी होता नहीं था। लेकिन वह कौन से ऐसे अराजक तत्व थे जो अपने मंसूबे में कामयाब हो गये। उत्तर प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द को तार-तार करने की कोशिश में कामयाब हो गये और उन पर अंकुश लगाने में चूक हुयी। मान्यवर, इसी प्रकार से जैसाकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यह डंडे के इकबाल से शासन प्रशासन नहीं चलता, लेकिन शासन प्रशासन मुख्य मंत्री की हनक से चलता है। शासन प्रशासन सत्ता की हनक से चलता है और यह हनक कहीं न कहीं कमजोर हुयी है इसीलिए कानून के रख वाले यह पुलिस कहीं न कहीं ढीली पड़ी है। अभी प्रतापगढ़ का प्रश्न मान्यवर, कल ही आपके समक्ष आया था। जहां पर चालीस गरीबों की झोपड़ियां जला दी गयीं। 40 गरीबों की झोपड़ियां जला दी गई, यह तो कहिये कि वहां पर लोगों ने कोशिश किया हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा बनाये रखने का, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर भी इस भाईचारे को तार-तार करने की कोशिश की, लेकिन वहां के जनपद वासी इस बात के बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और मान्यवर, वह वहां पर नाकाम हुए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ही फिरकापरस्त ताकतों के चलते वहां यह घटना घटी जो शर्मनाक है और मान्यवर, इस प्रकार की जो भी वारदातें हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज रहा उसमें ऐसे कई मौके आये जहां हमें परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ा, दो का मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से नक्सलवाद से निपटने के लिए कुछ ऐसे मौके आये थे जहां हमारी सरकार को गम्भीर होना पड़ा था और हमारी यह मान्यता है कि नक्सलवाद आज सरकार के निकम्मेपन की देन है, जहां-जहां पर नक्सलवाद है वहां-वहां की सरकारें अगर बेरोजगार नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ती, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देती, बेरोजगार नौजवानों को रोटी-कपड़ा और मकान की व्यवस्था करती तो हम समझते हैं कि वहां का बेरोजगार नौजवान हाथों में हथियार नहीं उठाता, अगर हर हाथ को काम मिलता, हर आदमी को उसके पेट के लिए रोटी मिलती उसको खाने-पीने का मौका मिलता तो कोई भी नौजवान हथियार नहीं उठाता, हथियार मजबूरी में उठाया है।

उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद बिहार से आया है, हम जानते हैं कि यह हमारे यहां की मूल समस्या नहीं है लेकिन बिहार की छाया जो उत्तर प्रदेश पर पड़ी और जो बिहार की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जैसे-सोनभद्र, चन्दौली और इसके साथ ही साथ कुछ मिर्जापुर यहां पर जो नक्सलवाद कुछ थोड़ा-थोड़ा पैदा हुआ उसके नाते कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन मान्यवर, उनको मुख्य धारा में लाने के बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से अम्बेडकर ग्राम योजना के माध्यम से गांव में पक्की सड़क, बिजली, पानी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, स्कूल, पंचायत भवन दिया जाता है उसी प्रकार नक्सल प्रभावित गांव को प्राथमिकता के आधार पर अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करके उनको विकास से जोड़ने का काम किया गया है। मान्यवर, पिछले ही साल 423 गांवों को अम्बेडकर गांव घोषित कर के हमने उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमने गांव-गांव में सड़क दिया,

बिजली, पानी इण्डिया मार्का नल, स्कूल, पंचयात भवन दिया विकास से जोड़ने का काम किया और विकास से जुड़ने के कारण उनका रूझान मुख्य धारा में आने का हुआ। आज नक्सलवाद पर पूर्णतः विराम है तो मान्यवर उनके प्रति हमें विश्वास की भावना पैदा करनी होगी। वह सरकार की उदासीनता से नक्सलवादी बने हैं, सरकार की उदासीनता से ही उन्होंने हथियार उठाये हैं अगर हम उनको मुख्य धारा में लाने में कामयाब हो जायेंगे तो नक्सलवाद जो सीमा क्षेत्रों में है वह अपने आप खत्म हो जायेगी। श्रीमन् हमारी सरकार ने ही उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए व्यवस्था किया था, व्यवसायिक व्यवस्था, विकास प्रशिक्षण, ड्राइविंग के साथ स्कूली शिक्षा, घरेलू सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, पेय जलापूर्ति, शौचालय का निर्माण, स्वास्थ्य, सामूहिक विवाह, विकलांग और वृद्धा, विधवा पेंशन आदि सुविधाओं को देने का काम किया और इन्हीं सुविधाओं के माध्यम से ही हमने उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, जिससे आज बहुत कुछ नक्सलवाद कम हुआ है और उसका प्रभाव घटा है। मान्यवर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे-उत्तर प्रदेश का जो क्राइम क्षेत्र है। मान्यवर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज इत्यादि यह लगभग 500 किलोमीटर की पट्टी है, जहां पर कभी-कभी, समय-समय पर नेपाल से माओवादी घुस जाया करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह समस्या उग्र हो ही जायेगी, अगर कहीं हमारी पकड़ ढीली हुई तो इसलिए उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाये रखने के लिये जिस तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को हमने विकास कार्यों से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से इन तराई क्षेत्रों में जिसमें मान्यवर, सीमावर्ती जनपदों के 30 थाने और 26 चौकियां आज इमीग्रेशन से त्रस्त हैं। इनके माध्यम से हम उन पर सतत् निगरानी रखें। मान्यवर, हमारी बहुजन समाज पार्टी की 5 साल की सरकार में माओवादी भी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं कर सके जिससे कहीं धन और जनहानि हुई हो या कहीं पर जन सामान्य आहत हुआ हो।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के हुकूमत के दौर में जो यह कड़क शासन और प्रशासन तथा चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था रखी गयी थी उसी का परिणाम था कि न नक्सलवाद सिर उठा सका, न माओवाद सिर उठा सका। इसी तरह से मान्यवर, आतंकवादी घटनाएं भी आए-गए दिन बहुतायत हुआ करती थी लेकिन हमारी 5 साल की सरकार में बनारस की शीतलाघाट पर जो बम विस्फोट हुआ, उसको छोड़कर के कहीं कोई ऐसा हादसा नहीं होने पाया। यह केवल कानून का ही डर था। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार की चिन्ता है, यह हमारी भी चिन्ता है। यह सभी पार्टियों की चिन्ता है क्योंकि हम सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते इस जनता के प्रति जवाबदेही है जो चुनकर के हमें यहां पर भेजती है। जिसके आर्शीवाद से हम सदन के अन्दर आते हैं उस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम सभी लोगों की सामूहिक होती है। इसलिए मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री से, जैसा आज वह सामान्य प्रशासन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये आप जितनी भी कड़ाई करेंगे, हम उतना ही उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर अमन-चैन रहेगा तो सभी की सुरक्षा हो सकेगी और यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप और कितना समय लेंगे मा0 नेता विरोधी दल। आपके लिए कोई समय-सीमा तो तय नहीं है लेकिन अभी आप और कितना समय लेंगे। नेता विरोधी दल के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, वह तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कितना समय और लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कोशिश करूंगा आपकी अपेक्षा अनुसार अपने को समय-सीमा में बांधने की कोशिश करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बजट पुस्तिका कुछ आंकड़े भी दर्शाये गये हैं, मान्यवर, आपकी सरकार का जो बजट है। इस बजट में मान्यवर, स्पष्ट है कि डकैती, लूट, हत्या, बलवा इत्यादि में जो आंशिक वृद्धि हुई है, शायद यदि 15 दिन समाजवादी पार्टी का इसमें से निकाल दिया जाए तो वह भी घट जाता। मान्यवर, इसी प्रकार से फिरौती के लिए अपहरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण में जो कमियां आई हैं, वह स्वागतयोग्य है और मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि ये मा0 मुख्य मंत्री जी का इसी सदन में दिया गया बयान है कानून-व्यवस्था पर। जिसमें प्रश्न प्रस्तुत किया गया था कि क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01-04-2011 से 30-11-2011 तक तथा 07-03-2012 से 17-4-2012 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की कितनी घटनायें पंजीकृत हुयी हैं ? यानी 40 दिन की घटना का ब्यौरा, 40 दिन की घटना का ब्यौरा, यानी ऊपर पूछा गया 01-04-2011 से 30-11-2011 तक यानी 7 महीने का। तो ऊपर पैराग्राफ में 7 महीने का ब्यौरा है और नीचे 40 दिन का ब्यौरा है। 7 महीने के ब्यौरे में मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रदेश में दिनांक 01-04-2011 से 30-11-2011 तक हत्या 3161, डकैती 164, बलात्कार 1164, लूट 1831 तथा वाहन चोरी 13457 की घटनायें पंजीकृत हुयीं और वहां पर 07-03-2012 से लेकर के 17-04-2012 तक यानी 40 दिन की घटना का भी जिक्र है कि इसमें हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की घटनाओं का विवरण दिया जाना संभव नहीं है पूरा विस्तार से लेकिन 01-03-2012 से 15-04-12 तक 40 दिन का उन्होंने ब्यौरा दिया। 40 दिन में हत्या 669, डकैती 35, बलात्कार 263, लूट 429, वाहन चोरी 3256 और मान्यवर, अगर इसको 7 महीने का जो ऊपर आंकड़ा दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाये यानी इसका जो औसत आ रहा है। एक दिन में औसत 17, जैसे 17 हत्या। इसी तरीके से 210 दिन, 40 दिन का ब्यौरा है, 210 दिन के हिसाब से अगर इसको गुणा कर दिया जाये, गुणात्मक लाया जाये तो हत्या की संख्या पड़ेगी इतने ही दिन में 4000, डकैती पड़ेगी 900, बलात्कार होगा 6000, लूट की घटनायें होंगी 11000, वाहन चोरी होगा लगभग 80,000, ये 40 दिन की घटना का अगर 7 महीने के आंकड़े में तब्दील किया जाये जो 7 महीने का ऊपर बी0एस0पी0 का आंकड़ा है तो मा0 मुख्य मंत्री जी के दिये गये इस आंकड़े के सापेक्ष ये अपराध लगभग 2 गुना होता है, डेढ़ गुना होता है। इस तरीके से मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया नहीं है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री होते तो यह तो बहुत चालाक हैं ये तो मुस्कुरा करके कहीं न कहीं दांये-बांये कर देते और हम उसको सही मान जाते लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसको स्वीकारा और ये मान्यवर, आपका ही इसी सदन का अंग है। मान्यवर, इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये हत्या, आगजनी, बलात्कार, गम्भीर चोट तथा अनुसूचित जाति, जनजाति

में तमाम अपराधों में जो कमी आयी है ये बहुजन समाज पार्टी का इतिहास बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में क्या था, आपका तो इसमें मात्र 15 दिन मिला है। 40 दिन का ब्यौरा आपने दे दिया और उस 40 दिन के ब्यौरे को अगर 7 महीने में बदला जाये इस हिसाब से तो उसके अपराध का मैंने आंकड़ा भी दे दिया। जो लगभग 2 गुना जाता है, डेढ़ गुना जाता है। इस तरीके से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है कड़ाई करने की। अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि नियुक्ति हेतु मा0 न्यायालय में कोई मामला, प्रकरण लम्बित है। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती से सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है।

मान्यवर, नयी नियुक्तियां कर सकते हैं। नयी नियुक्तियां रोकने के लिए ऐसा कोई मा0 न्यायालय का आदेश नहीं है। मान्यवर, जो मामले हैं भी वह या तो लोगों की प्रोन्नति से सम्बन्धित है या किसी का व्यक्तिगत कोई कहीं क्लेम है तो वह लम्बित है। सामान्य भर्ती प्रक्रिया पर शायद कोई रोक नहीं है। मान्यवर, हमारी सरकार ने हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने इसकी शुरूआत की थी और कानून का राज स्थापित करने के सम्बन्ध में यहां एक कीर्तिमान स्थापित किया था। मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पुलिस कर्मियों की कमी की चिन्ता जतायी है मान्यवर, उनका कहना है कि कुछ सिपाही गश्त करते हैं वही विवेचना करते हैं, इस तरह से कर्मियों का अभाव है। मान्यवर, इसी क्रम में हमारी सरकार के समय में पिछली बार शुरूआत की गयी थी और 33 हजार 844 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गयी थी मान्यवर, उसमें जो भर्ती की प्रक्रिया अपनायी गयी थी वह पूरे देश में एक उदाहरण स्वरूप रही है और जिसको भारत सरकार ने भी एक आदर्श के रूप में भी स्वीकार किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई उसमें जो निष्पक्षता बरती गयी और सभी जाति के लोगों को मौका दिया गया। वह काबिले तारीफ है। मान्यवर, उसी वजह से उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना है। लेकिन आज जिस तरीके से मान्यवर, कानून-व्यवस्था की स्थिति तार-तार हो रही है वह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, इस सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पुस्तिका में जो व्यवस्था की गयी है उसको मैं बताना चाहता हूं। इसमें पृष्ठ 12 पर प्रशासनिक सुधार विभाग लिखा है उसमें है कि शासन जन सामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण, उनको बेहतर सुविधायें प्रदान करने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा शासकीय कार्यों को समय से निस्तारित करने के लिये कटिबद्ध है। यह लिखा है इसमें। लेकिन जब हम जन सामान्य की समस्याओं का समय से निस्तारण नहीं करेंगे तो उससे जो आक्रोश पनपता है उस हालत में कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं।

मान्यवर, हम अगर जन सामान्य की समस्याओं से आंखें मूंद रहे तो फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगती है। मान्यवर, इसमें आप देखें कि बिजली की आपूर्ति के संकट से आज कानून-व्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है। आज तमाम जगहों पर अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसके नाते लोग धरना-प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। उसमें फिर पुलिस प्रशासन को नियंत्रित करने के लिये अलग से पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसी तरह से आज बिजली आपूर्ति के अभाव से पूरा प्रदेश त्रस्त है आज चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, नगर हों, सब जगह पीने के पानी की मारामारी है। आज टैंकरों से पानी घरों में जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था को

लेकर लोग आक्रोशित है। आज जिला मुख्यालयों तहसील मुख्यालयों और तमाम जगहों पर पीने के पानी की समस्या को हल किये जाने के प्रश्न को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, इस तरह से कानून-व्यवस्था कि स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। जहां भी इस तरीके से आन्दोलन होते हैं आपको वहां पर स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था करनी पड़ती है। मान्यवर, इसी प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जन समस्याओं का अम्बार बढ़ता ही जा रहा है। आप गेहूं क्रय केन्द्रों पर देख लें आज बिचौलियों की मनमानियों से किसान त्रस्त हैं। वह अपना गेहूं लेकर 15-20 दिन गेहूं क्रय केन्द्र पर खड़ा रहता है और दूसरी ओर बिचौलियों के माध्यम से आयी गेहूं तुल जाती है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि गेहूं न बिकने के कारण कोई किसान अपनी गेहूं को आग के हवाले कर दे रहा है या उसका गेहूं बरसात के पानी में भीग जा रहा है या देख-रेख के अभाव में गेहूं बर्बाद हो रहा है। मान्यवर, इन सब बातों को लेकर किसान आन्दोलित हैं और इन आन्दोलनों पर नियंत्रण करने के लिए आपको अलग से पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है और जिसमें कमी है। हमारे कहने का मतलब जब सामान्य प्रशासन से हम कहीं न कहीं अनदेखी करेंगें, सामान्य प्रशासन से हम कहीं न कहीं मुंह मोड़ेंगे तो जनसामान्य की समस्याओं से प्रभावित होकर कानून व्यवस्था भी तमाम जगह पर पैदा हो सकती है और ऐसी कानून-व्यवस्था जो समस्याओं को लेकर पैदा होती है अगर समय रहते हम उस पर अंकुश नहीं लगाये तो बेकाबू होने के बाद उसका रूप बड़ा विकराल हो सकता है। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जो इस प्रकार की साइट प्राब्लम है उसका भी संज्ञान लें और प्रमुखता से ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उस पर अंकुश लगाने का काम करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो आज अभी अपराध की स्थिति आपके सामने रखी गयी वह चिन्तनीय है और इस प्रदेश के लिए विचारणीय है। साथ ही साथ आज ऐसी तमाम समस्याएं हो रही हैं जैसे अभी चुनाव के दरम्यान माननीय मुख्य मंत्री जी और समाजवादी पार्टी के अन्य तमाम माननीय नेताओं ने क्षेत्रों में जाकर घोषणाएं करी। अभी दो दिन पहले मैं देख रहा था, मुझे जानकारी मिली बेरोजगारी भत्ता के लिए जो फार्म मंगाये जा रहे हैं लगभग 18,970 फार्म आये और 46 का चयन हुआ इससे भी साइट प्राब्लम होगी। कानून को प्रभावित करने के लिए अगर यहां पर इस प्रकार का कहीं न कहीं कोई वितण्डावाद हो रहा है तो इसका मतलब है जनसामान्य कहीं न कहीं आपा खो न दे, आपा से बाहर न हो समय रहते उस पर भी प्रभावी नियंत्रण करने का काम यह सरकार करेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो कानून की चिन्ताजनक स्थिति है जिसके नाते पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था चरमराई है, आज पूरे प्रदेश में लोगों में भय और दहशत का वातावरण है, आज कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है उसके लिए हमें गम्भीर होना पड़ेगा और मान्यवर, जैसा कि बीच में अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इशारा किया था अपने माननीय मंत्रियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठक लेकर उनको कुछ निर्देश देने का, वह बहुत वरिष्ठ नेता हैं अनुभवी हैं, कई बार मुख्य मंत्री रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात को उन्होंने गम्भीरता से लिया होगा कि आज कहीं न कहीं दयनीय हालत है, कहीं न कहीं सोचनीय हालत है इस पर समय रहते अंकुश लगाना चाहिए इसीलिए शायद उन्होंने बैठक करने का निर्णय लिया था क्योंकि मान्यवर, अभी तमाम जगह पर इन्हीं 3 महीनों के अन्दर, तमाम जगह पर ऐसे भी प्रकरण आये जब सत्ता पक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्य या मंत्री कहीं अंधाधुन्ध गोली चला रहे हैं तो कहीं

पर मंत्री होकर के नोट उड़ा रहे हैं तो कहीं सत्ता पक्ष के सदस्य रेलवे स्टेशन पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, तो कहीं पर मान्यवर, सत्ता पक्ष के हमारे विधायक दादागिरी करने के लिये बीच चौराहे पर पुलिस कर्मियों का मनोबल गिराने के लिए हनक बनाने के लिए धरने पर बैठने का नाटक कर रहे हैं तो कहीं पर गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है तो कहीं पर हमारे सत्ता पक्ष के कुछ साथियों के द्वारा थानों में घुसकर अपराधियों को पुलिस बल से जबरदस्ती छुड़ाया जा रहा है। मान्यवर, यह पुलिस बल भी किसी और का नहीं है यह पुलिस बल आपका है आपकी सरकार है और पुलिस बल भी आपका है। अगर आप अपने पुलिस बल पर धौंस जमाओगे, अपने पुलिस बल पर रोब दिखाओगे, सत्ता का दुरुपयोग करके उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं उनका मनोबल गिरेगा कहीं न कहीं कानून को रखवालों का हौसला पस्त होगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतों पर रोक लगनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष ही कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को शह देगा, कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को जबरदस्ती पुलिस हिरासत से छुड़ाकर लाने का काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी। मान्यवर, इसी प्रकार से सत्ता पक्ष के साथियों को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए जब किसी पेड़ में फल आ जाता है तो वह भारी होने के नाते उसकी डालें झुक जाती हैं, आजकल आम का सीजन है, आम का पेड़ जब फलता है बौर आता है तो उसकी डालें झुकती हैं और जब आम का फल लगता है तो उसकी डालें और झुक जाती हैं इसी प्रकार से जब आप सत्ता में हैं तो आपको तो बा-अदब पेश आना चाहिए। आपकी तो सरकार है आप जो चाहेंगे वह अपने आप होगा आपको कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है बल्कि आपको तो चाहिए कि जो लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है लेकिन जब आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो यह चिन्तनीय विषय होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 17 मार्च को गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के कुछ साथियों के द्वारा सेवायोजन अधिकारी को कार्यालय में घुसकर पीटा गया। 21 मार्च, 2012 को एटा अवर अभियन्ता आर0पी0 सक्सेना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 24 मार्च, 2012 को झांसी में बी0डी0ओ0 सुधीर सिंह को गोली मार दी गई। 10 अप्रैल, 2012 को कुशीनगर में पडरौना कोतवाली में घुस करके विपिन लाल श्रीवास्तव को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद द्वारा पीटा गया। 04 मई, 2012 को लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लाक में गढ़ी जमुनी प्रधान की भरी पंचायत में लोगों ने पिटाई की। 21 मई, 2012 को कन्नौज के जिला अस्पताल में दर्जन भर हमलावरों ने डाक्टर पर हमला करके मन-मुताबिक मेडिकल जांच तैयार कराई। 22 मई, 2012 को कानपुर में सब-स्टेशन पर धावा बोल करके जूनियर इंजीनियर को पीटा गया। 16 मई, 2012 को लखीमपुर खीरी में डी0पी0आर0ओ0 के साथ मारपीट की गई। 21 मई को फैजाबाद में ई0ओ0 जो नगर का अधिशासी अधिकारी होता है। उसे पीटा गया। 20 जून को हमीरपुर में सब-स्टेशन आपरेटर को पीटा गया। मान्यवर, जब सत्ता पक्ष के लोग कानून को इस तरीके से अपने हाथों में लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो संसदीय कार्य मंत्री जी की चिन्ता है उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगेगा। मान्यवर, यही नहीं आज कानून के रखवाले भी कानून के भक्षक बन गये हैं और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जायेंगे तो हम समझते हैं कि जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दृष्टान्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 01 अप्रैल, 2012 को लखनऊ में कानून के

रखवाले सिपाहियों ने वर्दी का रौब दिखाकर टैम्पो चालक को पीटा। 01 अप्रैल, 2012 को इटावा में श्रद्धालुओं पर फायरिंग करके राम नवमी के दिन पुलिस कर्मियों ने तीन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 01 अप्रैल, 2012 को लखीमपुर खीरी में थाने में पीटकर अधेड़ व्यक्ति की हत्या करके पुलिस वालों ने उसे डायरिया का रोगी बताकर अस्पताल पहुंचा दिया। 01 अप्रैल, 2012 को ही लखनऊ के नाका कोतवाली में कांस्टेबिल कामता केसरवानी द्वारा व्यापारियों को पीटा गया। 05 अप्रैल, 2012 को सुल्तानपुर में थाना कूरेभार की पुलिस की गुण्डई हुई, वसूली न होने पर वाहन चालक पर गोली चलाई। 06 अप्रैल, 2012 को बाराबंकी में सिपाहियों ने सुन्दरपुर गांव जाकर सरेआम महिला से अभद्रता की और महिला व बच्चों की पिटाई की। 15 अप्रैल, 2012 को अलीगढ़ में एस0ओ0जी0 पुलिस की हिरासत में पिटाई से युवक की मौत हो गई। 16 अप्रैल, 2012 को लखनऊ में काकोरी में होमगार्ड पुलिस के द्वारा युवक की पिटाई पर वर्दी का आक्रोश फूटा उसका नतीजा हुआ कि गांववालों ने सिपाही की भी धुनाई की। 15 मई को लखनऊ के सरोजनी नगर में खाकी की दबंगई हुई, नशे में धुत दरोगा ने चौकी में बंधक बनाकर महिला को पीटा। 18 मई को इलाहाबाद के बमरौली इलाके में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत हुई और जिसके बदले में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी को भी आग के हवाले किया, तोड़-फोड़ किया। 20 मई को ज्योतिबाफुले नगर में अमरोहा में कोतवाल ने युवक की लाश को जूतों से पलटा। 23 मई को आगरा में शाहगंज थाने की पुलिस की पिटाई से व्यापारी की मौत हुई और मान्यवर, इसी तरीके से 04 जून को लखनऊ जनपद में काकोरी की दुबग्गा पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान डा0 विनय सिंह की मौत होती है। 13 जून को गाजियाबाद जिले के थाना विजयनगर में पुलिस हिरासत में ले जाते समय आरोपी विनायक की मौत होती है और 27 जून को यानी मान्यवर, दो-तीन दिन पहले कानपुर में एक शादी समारोह में नशे में धुत दरोगा ने गोली चलाई जिससे एक बच्ची की मौत हुई।

मान्यवर, यह कानून के रखवालों का चेहरा है, जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ायेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की दुहाई लगाता है कि केवल राम भरोसे देने वाली है। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं जैसा कि मैंने कहा कि कानून के रखवाले कानून के भक्षक बन गये हैं तो कहीं कानून के रखवाले खुद अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित हैं। आज तमाम उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनायें आ रही हैं जहां शोहरेबुस्त अपराधी अराजकतत्व गोलबन्द होकर थाने में पहुंचकर पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं और मान्यवर, जो पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं उसका भी दृष्टान्त मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 24 मार्च, 2012 को इटावा में वहां के एक सिपाही गौरव कुमार रावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 17 मार्च, 2012 को देवरिया में सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर दिन-दहाड़े बदमाशों ने सिपाही को गोली मारकर पेशी पर आये शातिर अपराधी सतीश को छुड़ा ले गये। 22 मार्च, 2012 को महाराजगंज जनपद में बदमाशों ने सिपाहियों को बन्धक बनाकर उनकी रायफल लूट ली। 29 मार्च, 2012 को कानपुर में नौबस्ता पुलिस चौकी में सब-इन्सपेक्टर देवेन्द्र कुमार सिंह को गोली मार दी गई और वह मौत का शिकार हुआ। 31 मार्च, 2012 को जनपद बहराइच के खैरी गांव में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर वहां के लोगों ने हमला बोल दिया। 31 मार्च, 2012 को इलाहाबाद में मेजा थाने की पुलिस व सपा समर्थकों के बीच में मारपीट हुई। शनिवार आधी रात को थाने में बन्द दो सगे भाइयों को छुड़ाने पहुंचे सपा समर्थकों ने

पुलिस के साथ हाथापाई की। 22 मार्च, 2012 को जनपद महराजगंज में बदमाशों ने सिपाहियों को बन्धक बनाया। 07 अप्रैल, 2012 को लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर यातायात नियमों को तोड़कर मनबढ़ युवकों ने सिपाही को कार की बोनट पर लादकर घसीटने का नंगा प्रदर्शन किया। 11 मई, 2012 को मुरादाबाद में सम्भल में हत्या पर बवाल हुआ, आरोपियों के घरों पर हमला हुआ और पुलिस बल पर भी बड़े पैमाने पर हमला और पथराव हुआ। 11 मई, 2012 को लखनऊ के अन्दर पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने गये जोनल अधिकारी के साथ मारपीट हुई। 15 मई, 2012 को मेरठ जनपद के कांकरखेड़ा में कार सवार बदमाशों ने दिल्ली पुलिस टीम पर हमला बोला, कांस्टेबिल को गोलियों से भूना और मौके पर एक सिपाही की मौत हुई। 03 जून, 2012 को झांसी में, झांसी पुलिस टीम पर हमला करके एस0ओ0 समेत तीन सिपाहियों को घायल किया। 03 जून, 2012 को गोरखपुर में सहजनवां थाने में पुलिस को ग्रामीणों द्वारा पिटायी का शिकार होना पड़ा। 06 जून, 2012 को लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक सिपाही पर जानलेवा हमला हुआ। 11 जून, 2012 को गोण्डा में चोरी के मामले में तफतीश करने गयी थाना खरगूपुर की पुलिस पर अभियुक्तों द्वारा हमला किया गया। 14 जून, 2012 को मथुरा में जैस चौकी के पास गांव नगला स्टेशन में झगड़ा सुलझाने गयी पुलिस पर हमला हुआ दरोगा से रिवाल्वर छीन लिया तथा सिपाहियों की पिटायी की गयी। 15 जून, 2012 को बहराइच के हुजूरपुर थानान्तर्गत पुलिस टीम पर हमला हुआ, गैंगेस्टर आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, जो आप कह रहे हैं वह कुछ अन्य सदस्यों को बोलने के लिए दे दें। आप कुछ सुझाव दे दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो मुख्य-मुख्य चीजें हैं उसे सरकार के संज्ञान में लाना मैं आवश्यक समझता हूं। 16 जून को सुल्तानपुर गोसाईगंज थानान्तर्गत युवक की गिरफ्तारी से भड़के और वहां पर एस0पी0, सी0ओ0 समेत 12 पुलिस कर्मियों की पिटायी हुई। कुशीनगर में थाना कुबरेस्थान के गांव फागूपुर में सिपाहियों की पिटायी हुई। 21 जून को मुजफ्फरनगर में भी पुलिस टीम की पिटायी हुई। 29 जून, 2012 को बाराबंकी के फतेहपुर थानान्तर्गत पुलिस की पिटायी हुई। मान्यवर, अगर पुलिस की पिटायी हो रही है तो इसका मतलब है कि यह कहीं न कहीं हमारे सत्ता पक्ष के लोगों का उन पर बरदहस्त है अन्यथा किसी भी जबरे से जबरे आदमी की हिम्मत नहीं है कि वह किसी पुलिस पर हाथ उठाये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से आज बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनायें भी घटित हो रही हैं। इसी के तहत मैं आपके संज्ञान में चन्द घटनायें लाना चाहता हूं। 07 मई, 2012 को छत्रपति शाहूजी महराजनगर में शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूल जा रही शिक्षा मित्र का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। 19 मई, 2012 को इटावा में लखनऊ के एक युवक का अपहरण हुआ। 19 मई, को ही लखनऊ के सरोजनीनगर में दरोगाखेड़ा के जगदीश प्रसाद का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इसी प्रकार से 28 मई, 2012 को हरदोई के लोनार थानान्तर्गत एक बच्ची का अपहरण कर लिया। इसी प्रकार से 28 मई को छत्रपति शाहू जी महराजनगर में दूसरी घटना घटती है पीपलपुर थानान्तर्गत तरौली गांव की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया। 21 जून, 2012 को यही लखनऊ में एक सर्राफ के बेटे का अपहरण करके 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गयी। 29 जून, 2012 को यानी एक दिन पहले कल फैजाबाद टेण्डर डालने जा रहे दो युवकों का अपहरण कर लिया गया।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है आज कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान उठ रहा है। आए दिन जब हम यहां पर तमाम घटनाओं का उल्लेख करते हैं। घटनायें तो होती है लेकिन समय सीमा के कारण हम सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो प्रदेश की ज्वलंत समस्यायें है उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो बलात्कार की भरमार हुई है आज इसी बलात्कार को लेकर जब मैं एक दिन चिन्ता व्यक्त कर रहा था तो हमारे कुछ माननीय सदस्य उसका उपहास कर रहे थे। और मान्यवर, यह कुछ माननीय सदस्य जो उपहास कर रहे थे वह अभी शायद उनको इस बात का संज्ञान नहीं है कि यह सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट इसीलिये होता है कि कहां-कहां कौन-कौन सी बातें कानून राज को प्रभावित कर रही है सरकार के संज्ञान में आना चाहिये जिससे कि इन बातों का संज्ञान लेकर सरकार उस पर समय रहते प्रभावी कार्यवाही कर सके। मान्यवर, बलात्कार की कुछ घटनायें घटी है जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। चार मई को गाजियाबाद महागुन माल की पार्किंग में बीटेक छात्रा से गैंग रेप हुआ 4 मई को फर्रुखाबाद में कायमगंज के ग्राम जियाऊ में किशोरी के साथ गैंग रेप हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सब दे दीजिये मैं उसको कार्यवाही में लिखवा दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसकी हत्या करके शव को जला दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैं चाहता था कि आप जो घटनायें दे रहे हैं उसको आप दे दीजिये मैं उसको कार्यवाही में दर्ज करा दूंगा। कुछ और सुझाव दे दें जिससे और नेताओं को भी मौका मिले।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं बलात्कार की घटनाओं की सूची आपके पास भिजवा दूंगा लेकिन जो सबसे ज्यादा चिन्तनीय है अभी कल भी हमने चिन्ता व्यक्त की थी प्रतापगढ़ की घटनाओं की घटना के बारे में अभी फिर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतापगढ़ के लोगों के माध्यम से एक खबर फिर आई है कि कल फिर वहां एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। यानी चार दिन के अन्दर 6 दिन के अन्दर वहां पर 4 बलात्कार की घटनायें प्रतापगढ़ के अन्दर हुई। यह चिन्तनीय है इन घटनाओं से सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी चिन्तायें हैं। हम सब चाहते हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरस्त होनी चाहिये। जिससे उत्तर प्रदेश की जनता की हिफाजत सुनिश्चित हो सके। मान्यवर, इसी प्रकार से हत्यायें और अन्य अपराधिक घटनायें हुई है। हमीरपुर में चुनावी रंजिस को लेकर बसपा कार्यकर्ता को गोली मारी गई। 20 मार्च, 2012 को कानपुर में गुण्डा टैक्स न देने पर...

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष अभी और दलों के नेताओं को भी बोलना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह कार्यवाही का भाग बने। हम सूची भेज देंगे। क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में घटनायें है इसीलिये इसको कार्यवाही का हिस्सा बना लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में सुझाव दे दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं जब इन घटनाओं का उल्लेख करता हूं तो हमारे सत्ता पक्ष के साथी व्यंग करते रहते हैं। कि बहुजन समाज पार्टी ने यह किया, यह किया। मान्यवर, हमारी 5 साल की सरकार में केवल 3 बैंक डकैती का होना पाया गया और 100 दिन की इनकी सरकार में मान्यवर, जो लोग अंधे हों उनको रास्ता दिखाने के लिये सहायक चाहिये। सही घटनाओं को जो लोग अंधे बन करके नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हकीकत को स्वीकारना चाहिये, इससे आपका कद छोटा नहीं होगा बल्कि अपराध को नियंत्रण करने में आपको सहयोग मिलेगा। मान्यवर, 22 मार्च को जनपद पीलीभीत में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में वहां तिजोरी से 16 लाख रुपये की चोरी हो गई। 23 मार्च 2012 को छत्रपति शाहू जी महराजनगर में बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से दिनदहाड़े 3 लाख रुपये की लूट हुई। 23 मार्च, 2012 को आगरा में केनरा बैंक से फिल्मी अंदाज में डकैतो ने 11 लाख 73 हजार रुपये लूट लिये। 30 मार्च, 2012 को लखनऊ के मलिहाबाद में बैंक आफ इण्डिया में खिड़की काटकर बैंक से वहां पर चोरी की। 31 मार्च, 2012 को मेरठ में दिन दहाड़े कैश वैन से 33 लाख की लूट किया हवाई फायर करते हुये वो लुटरे पैसा लेकर भागने में कामयाब रहे। 10 अप्रैल, 2012 को मथुरा में एच0डी0एफ0सी0 बैंक की कैश ले जाती कार में टक्कर मार कर 8 लाख 83 हजार रुपये लूट कर ले जाने में बदमाश कामयाब रहे। 12 अप्रैल, 2012 को अम्बेडकरनगर देवरिया बाजार स्थित स्टेट बैंक में सपाइयों का उत्पाद किया और वहां पर कैशियर की पिटाई की और जो भी नकदी पाया उसको लूटने का काम किया। 13 अप्रैल, 2012 को बदायूं को कोल्हीं सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक में 2 लाख 86 हजार रुपये की डकैती हुई। 15 अप्रैल, 2012 को आगरा में समसाबाद में सर्राफ को गोली मार कर उसका थैला लूट लिया गया। 21 मई, 2012 को बदायूं के कसला कस्बे में मुख्य चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का ए0टी0एम उखाड़कर बदमाशों ने 5 लाख 30 हजार रुपया लूट लिया। 25 मई को अलीगढ़ में त्रयेश ग्रामीण बैंक के मैनेजर की पिटाई की और लाखों रुपया लूट लिया।

श्री अध्यक्ष-

अभी और घटनायें हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

एक मिनट मान्यवर, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो यह सूची है हत्या एवं अन्य गम्भीर अपराधी घटनायें यह अलग है। और यह वह हत्या है जो चोरी, लूट डकैती में हत्या हुई है यानि चोरी, लूट, डकैती के फलस्वरूप जिन लोगों की हत्या हुई है उसकी सूची यह है। तो हम इसलिये इसको बता दे रहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको पूरा पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

आप दे दीजिये हम सूची में लिखा देंगे।†

† (देखिये मा0 नेता विरोधी दल का लिखित भाषण नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 121-153 पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो हम तरीके से जिनका हमने उल्लेख नहीं किया चोरी, लूट, डकैती के फलस्वरूप हुई हत्या एक। हत्या एवं गम्भीर आपराधिक घटनायें दो, बलात्कार की घटनायें तीन।

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोले नहीं हैं वहीं दीजिये। जो बोले है वो नहीं। अब आप संक्षेप करके दो एक सुझाव दे दीजिये। और नेताओं को भी बोलना है। आपके माननीय सदस्यों का भी समय चला जायेगा आपके साथ।

श्री स्वामी प्रसाद मार्य-

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं.....

†राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी कृपा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की कि मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ तो यह बैठ गये। मान्यवर, हमारे कुछ साथी थे तो जब इम्तेहान होता था तो एक कापी में बी0सी0डी0 कई कापियां ले लेते थे। हमने कहा कि आखिर आप इतना लिखते क्या हो ? उन्होंने कहा कि जैसे हमने लिखा कि इब्राहीम लोदी भारत पर आक्रमण करता था, इब्राहिम लोदी भारत पर आक्रमण करता है और करता रहेगा तो क्या कर लोगे। तो यह तीन बार में तीन वाक्य हो गये। तो मान्यवर, इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो एक घटना को एक घटना को एक बार में, उसकी व्याख्या दूसरी बार में, फिर उसका उल्लेख तीसरी बार में, कार्यवाही में दर्ज कराने के लिये सूची चौथी बार, इसलिये मान्यवर, इतना लम्बा हो रहा है। अगर एक बार में बता देते तो बहुत आसानी से यह बात हो गई होती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं अम्बिका चौधरी नहीं हूं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हूं और न मैं सदन को गुमराह करता हूं और न सदन का समय जाया करता हूं। मैं तो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आपकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा था, आप न समझने की कोशिश करें, तो इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। मैं जानता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि माननीय मुख्यमंत्री जी लाचार है, असहाय है, मजबूर है बेचारे हैं, क्यों मा0 मुख्य मंत्री जी के कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो मा0 मुख्यमंत्री जी को फेल करके कहीं न कहीं आगे की कतार में खड़ा होना चाहते हैं इसलिये आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने सुझाव दिये हैं जो भी मैंने इंगित किया कि सरकार गम्भीर हो। सरकार ऐसे गम्भीर मामलों पर जब कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर बजट प्रस्तुत हो रहा है और कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आज मैं जो प्रदेश में भयावह स्थिति है जब उसकी ओर ध्यान खींच रहा हूं तो उसको गम्भीरता से लेना चाहिये। यह हंसी मजाक का विषय नहीं है। इसमें सरकार को शर्म महसूस करना चाहिये कि आज 100 दिन की सरकार में जो प्रदेश की हालत है, जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश गुण्डा

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माफियाओं की भेंट चढ़ गया है। जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश चोरी डकैती, हत्या बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण फिरौती का पर्याय बन गया है उस पर अंकुश लगना चाहिये। इसलिये मैंने यह सुझाव दिये हैं। मान्यवर, जैसा कि आपका निर्देश है कि इसमें तमाम मा0 सदस्यों के सुझाव आ जाएं इसलिये मान्यवर, अन्त में जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते समय उन पर बल दूंगा और अन्य मा0 सदस्य इसमें हिस्सेदारी निभा सकें। इसमें चाहे हमारे सत्तापक्ष के सदस्य हों चाहे विपक्ष के सदस्य हों यह सभी मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को इंगित कर सकें। और आज जो कानून पर खतरा मंडरा रहा है उसको सदन के संज्ञान में ला सकें, उनकी भी बात आ सके इसलिये मैं अपने सुझाव देते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये आपके निर्देश को मानते हुये मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

बजट चर्चा में भाग लेने हेतु समय सीमा का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

परम्परा यह रही है कि सामान्य प्रशासन पर पहले दलीय नेता बोल लेते हैं उसके बाद मा0 सदस्य अपनी बात रखते हैं तो मैं उस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये पहले नेता लोग बोलेंगे और उनको 15 मिनट का समय मिलेगा और मा0 सदस्यों को सात मिनट का समय मिलेगा। अगर कोई मिनिस्टर अपने विचार रखते हैं तो 15 मिनट मिलेगा। नेतागण 15 मिनट में अपनी बात कहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह हमारे प्रदेश के जन-जीवन से जुड़ा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आज बहुत ही दार्शनिक हो गये और लग रहा था कि वह बजाय बजट प्रस्तुत करने, बहुत को कामयाब प्रोफेसर के रूप में दर्शन शास्त्र पर अपना उद्‌बोधन कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा यह भी सौभाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त उद्‌बोधन से लाभान्वित होने का अवसर मिला।..

(इस समय 2 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुये)

सुनने का मुझे अवसर मिला, लाभान्वित हुआ मैं, 100 दिन की यह सरकार है, मेरी शुभकामनायें है कि आगे जा करके कानून-व्यवस्था को सही करे, प्रशासन को सही करे और 100 दिन में मैं बहुत उम्मीद भी नहीं करता कि 100 दिन में बहुत सम्भव है। लेकिन घटनायें माननीय नेता प्रतिपक्ष ने गिनायी है, मुझे लगता नहीं है कि 100 दिन की यह सरकार है, मुझे लगता है कि 500 दिन यह सरकार पूरे कर चुकी है। घटनाओं की संख्या को देख करके 100 दिन में इतनी घटनायें हो जायें तो अपने आप में आपके लिये यह कीर्तिमान है, जो इन्होंने गिनवाया, मेरे पास तो नहीं है लेकिन आपको जानकारी होगी और अब तो वह कार्यवाही का हिस्सा भी बन गया है, सूची भी आपको दी, आपकी सुविधा के लिये। उन घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार सम्भव हो पाया व्यावहारिक रूप में इतनी घटनाओं को घटित होना, यदि यह 100 दिन के अन्दर की है तो खैर मैं अपनी बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर मान्यवर, आता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, इतने बड़े प्रदेश में कानून-व्यवस्था को कायम रखना, सामान्य प्रशासन को जनोपयोगी बनाना, यह बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। एक समस्या सरकार के सामने भी है और मैं चाहता हूं कि उसको अन्यथा न लेकर उस पर विचार करें। अगर सरकार में स्वच्छ छवि के साथ में शुरूआत हो तो बात और होती है, मगर एक जो पुलिस भर्ती वाला प्रकरण था, वह एक बहुत बड़ा धब्बा है। उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उस पर चर्चा हुई, आयोग गठित हुये और चयन समिति के जो अध्यक्ष बने थे, आई0जी0 स्तर तक के अधिकारी, वह निलम्बित भी हुये, उनके खिलाफ टिप्पणियां भी हुई, कुछ लोगों को सेवा से निकालना भी पड़ा। आगे ऐसी स्थिति न हो, तभी हम कानून-व्यवस्था को सही कर पायेंगे। हम कैसे अधिकारियों का विश्वास अर्जित करेंगे, वह भी एक प्रश्न हमारे सामने हैं। अपने-अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, जितने काम हम करते हैं, प्रशासन के रूप में, पुलिस अधिकारियों के रूप में क्या हम गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हैं ? एक व्यवस्था बन करके आ गयी और जब तक इस व्यवस्था पर हम चोट नहीं करेंगे, न कानून-व्यवस्था ठीक होगी, न जनता का विश्वास हम अर्जित कर पायेंगे और न ही वह पुलिस बल, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को ठीक करने की है, न ही वह पुलिस बल अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा पायेगा। कठिनाई क्या होती है, मान्यवर, कठिनाई यह होती है कि हमने दीवार बना करके पुलिस बल को बांट करके रख दिया, कौन मेरा है, कौन उनका है और यह मेरे-तेरे में ही पुलिस बल की परेड होती रहती है।

मान्यवर, मुझे पता है, जानकारी भी है कि एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्योंकि मैं उसे पसन्द नहीं करता, सरकार उसे पसन्द नहीं करती, चार साल तक पी0टी0सी0, मुरादाबाद में बहुत ही महत्वहीन पद पर समय गुजारता है, हम उसकी सेवा का कोई फायदा नहीं उठा पाये क्योंकि हमें उसका चेहरा पसन्द नहीं था। मान्यवर, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ में ही बहुत निम्न स्तर के सेल में चार साल तक रखा गया, अब चाहे आई0जी0 बन गये हों या डी0आई0डी0 बन गये हों। सरकार आई तो महत्वपूर्ण पद है, दूसरी सरकार आई तो महत्वहीन पद है, क्या आप इससे पुलिस को ठीक कर पायेंगे ? कैसे आप विश्वास करते हैं कि वह निष्पक्षता के साथ काम करेगी ? आज हमारे सामने चुनौती है, पुलिस की सर्वोच्च सेवा है, आई0पी0एस0 अधिकारी, अगर आई0पी0एस0 अधिकारी को हमने बांट करके रख दिया तो वह अपने समय को इस काम में गुजारेगा कि कौन मंत्री मुझे काम दे सकेगा और कौन मंत्री काम नहीं दे सकेगा। मान्यवर, ऐसी स्थिति में क्या वह कानून-व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे पायेगा ? मान्यवर, अगर यह हकीकत न रही होती तो पुलिस कान्सटेबल, पुलिस सिपाही से ले करके, डी0जी0पी0 तक के लिये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी प्रतिकूल टिप्पणी देने के बारे में मजबूर न होना पड़ता। आज न्यायालय इस स्थिति में आ गया कि आपको स्थानान्तरण तक का अधिकार नहीं है, आयोग बनाइये, चीफ सिक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाइये, वह आपसे सिफारिश करेगी, तब आप आदेश जारी करेंगे। आखिर 19 करोड़ की चुनी हुई यह विधान सभा है, मान्यवर और विधान सभा में बहुत वाली यह सरकार है। अगर उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा कि वह निष्पक्ष भाव से काम को कर सकेगी तो अगर काम के लिये भी न्यायालय को दखल देना पड़े, न्यायालय को टिप्पणी करने पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये हमें इस बात पर सोचना चाहिये कि आज ऐसी सरकार है जो पूर्ण बहुमत में है जिसको किसी

के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश का हित उनके सामने है। आज उनको यह निर्णय लेना चाहिये कि हम किसी भी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे। तब देखिये कि कानून व्यवस्था स्वयं ठीक होती है या नहीं होती है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जो आज बजट के साथ दी गयी है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों का विवरण दिया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको देखें। पहले पेज पर उपलब्धि यह है कि नोएडा में फार्मूला वन रेस को पुलिस अच्छी तरह से सम्पन्न कराने में कामयाब हो गयी। शर्म आती है। पूंजीपतियों के अय्याशी के शौक को आप पूरा कराने में सफल रहे और उसको उपलब्धि के रूप में पहले पेज पर आप उल्लेख कर रहे है। आप अगर लिखते कि हमने गांव में सुरक्षा की व्यवस्था कर दी, ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप सड़कों पर आजादी के साथ घूम सकते हैं, हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि बच्चे स्कूल में आजादी के साथ जा सकते हैं, हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई बेईमान आदमी किसी बच्चों पर बुरी नजर से नहीं देखेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी कि पुलिस थाने में किसी बच्ची को घसीटकर नहीं ले जाया जाएगा और पुलिस वाले उसके साथ बलात्कार नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो मैं उसे उपलब्धि मानता। लेकिन आपने उपलब्धि में लिखा है कि फार्मूला वन रेस को हमने ठीक से करा दिया यह पुलिस की उपलब्धि है। आप यह उपलब्धि लिखते कि हम पुलिस में सिपाही से लेकर अधिकारी तक के प्रशिक्षण में कुछ आब्जेक्टिव भी लाये हैं, उसमें कुछ सुधार लाये हैं, उसको जनता के प्रति उसके दायित्व को समझाने में सफल हुये हैं लेकिन इसके बारे में कहीं एक शब्द नहीं है। आज हमारा पुलिसकर्मी क्या करता है। अगर आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच में किसी हाईवे पर निकल जायें तो सिविल वर्दी में चार सिपाही कहीं न कहीं खड़े मिलेंगे और जितने ट्रक और वाहन वहां से गुजर रहे हैं उनसे जबरदस्ती वसूली करते पाये जायेंगे। उससे भी आगे बढ़ेंगे, कुर्सी बिछाकर वर्दी में बैठ जायेंगे चार आदमी को ठेके पर लें लेंगे, दैनिक मजदूरी पर ले लेंगे, डंडा लेकर वसूली वह करेंगे उनसे पैसे लेकर थोड़ा सा कमीशन उनको दे देंगे। यह प्रशिक्षण है।

आप इस पुलिस से उम्मीद करते हैं कि यह कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाले यही लोग है मान्यवर, थाने की स्थिति क्या है। जो भी सरकार आयेगी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, गृह मंत्री जी के माध्यम से यह घोषणा होगी कि हमने आदेश दिये हैं कि केस दर्ज होगा। न जाने क्यों मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करते हैं और क्या जरूरत है घोषणा करने की जब उस बात में बल ही नहीं है केवल इस सदन के उपयोग के लिये वह घोषणा है तो क्यों वह घोषणा करते हैं। थाने में जाकर देखो कभी, उसको यह जानकारी न हो कि आप विधायक या मंत्री है, एक एफ0आई0आर0 करके देख लीजिये आपको पता चल जाएगा। आज व्यवस्था का सवाल है। और व्यवस्था के हम नम्बरदार बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां हम उधर बैठे हम नम्बरदार बने इधर आये तो हम आलोचना करने वाले बन गये। हमने भी अपने आपको इस तरह से बांध दिया है। और उसका परिणाम यह है कि जो सही स्थिति आनी चाहिये वह सही स्थिति सामने नहीं आ पाती। सामान्य प्रशासन। मान्यवर, सामान्य प्रशासन से ही समस्त उत्तर प्रदेश का संचालन होता है। और सामान्य प्रशासन में अगर दम नहीं है, नैतिकता नहीं है तो यह कहां से हो जायेगा। मान्यवर, आज आई0ए0एस अधिकारी सर्वोच्च सेवा है। आई0ए0एस0 का कभी दबदबा होता था, उसके बाद में आई0ए0एस0 का दबदबा हुआ, लेकिन क्या हुआ दबदबे में, मैं सबसे आग्रह करता हूं

यहां खड़े होकर के न कहें, लेकिन जब मौका लगे मा0 मुख्यमंत्री जी को बतायें, संसदीय कार्यमंत्री जी को बतायें मान्यवर, आज क्या चीज है, एक असलहा का लाइसेन्स, गांव का सीधा-सादा आदमी चाहता है कि मेरी सुरक्षा के लिये मुझे हथियार मिल जाय और आज मन चाहता है कि मैं राजनीति छोड़ कर के सन्यास ले लें जब मैं देखता हूं कि उच्च पदों पर बैठे हुये आई0ए0एस0 अधिकारी आज लाइसेन्स देने के लिये पैसे लेने लगे हैं। यह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है मान्यवर, उसके बाद में भी हम कहें कि सामान्य प्रशासन, चल जायेगा क्या, अगर वह चल जायेगा मान्यवर, कौन-कौन शामिल नहीं होते थे जो असलहा क्लर्क से लेकर के जो बीच वाली कड़ी है उनसे ले कर के और उसके बाद में फिर छोटे-छोटे कर्मचारी ठेकेदार बन जाते हैं, आओ 20 हजार दो, आओ 25 हजार दो आओ 50 हजार दो साथ के साथ मैं लाइसेन्स दे दूंगा, जन प्रतिनिधि बैठे हैं, हम घमण्ड में बैठे हैं, हमें जनता का साथ है, जनता का सहयोग है, जनता का समर्थन है, हममें बड़ी शक्ति है, आज वह शक्ति छीड़ हो गई है, क्यों, नियंत्रण करने की क्षमता हम लोग खो बैठे हैं। आज उन लोगों में शक्ति इतनी आई सब कुछ भ्रष्टाचार मिटाने के बावजूद उनमें इतनी शक्ति आ गई कि चिन्ता न सरकार की है, न जनप्रतिनिधि की है, इसलिये चिन्ता नहीं है, वह आकर के अच्छी हिन्दी बोल सकते हैं, अच्छा विषय प्रस्तुतीकरण कर सकते है और जब एक आदमी चुन कर के महत्वपूर्ण पद पर बैठता है तो उसको लगता है कि अक्ल के ठेकेदार यही हैं, किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, परिणाम आपके सामने है। परिणाम इसलिये सामने है कि सरकार बनते ही मान्यवर, सबसे पहला काम क्या शुरू होता है, अधिकारियों के तबादले, तबादले आज इसलिये कर रहे हैं, क्या इसलिये कर रहे हैं कि वह अधिकारी अपने काम में निपुण नहीं है, क्या तबादले इसलिये कर रहे हैं कि वह अधिकारी अपने दायित्व को सम्भाल नहीं पा रहा है या तबादले इसलिये कर रहे है कि अभी यह अधिकारी फला के नजदीक था, अब मैं उन अधिकारियों को लाऊं जो मेरे नजदीक हैं, जब तेरे-मेरे की लड़ाई शुरू होगी अधिकारियों की नियुक्ति में मान्यवर, तो वह अधिकारी जनता की सेवा करेगा या आपको खुश करेगा या इनको खुश करेगा या अपने परिवार के लिये नोएडा में मकान बनाने की तैयारी करेगा, आप जांच करवा लें और मैं चाहता हूं कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कभी-कभी मजबूती का स्टैण्ड लेते हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं, बना दें एक कमेटी आप सदन की और पांच साल की, सात साल की, दस साल की आप जांच करा लें, किस-किस स्तर के अधिकारियों ने 20-20, 50-50 करोड़ के मकानों का निर्माण नोएडा में कराया, कहां से पैसे आ गये, आपके पास तो बहुत से लोग बैठे हैं जिनके पास पांच सौ एकड़ के, छः सौ एकड़ के कृषि फार्म होंगे, बहुत से लोग बैठे है जो उद्योग भी चलाते हैं, लेकिन हिम्मत है नोएडा में मकान बनाने की। मान्यवर, जब यह स्थिति बनती है प्रदेश की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रदेश में आप विकास करा लेंगे, प्रदेश का विकास तभी सम्भव होगा, जब प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक होगी।

मैं आंकड़ों की गिनती करा करके कानून-व्यवस्था को चुनौती नहीं देना चाहता, मैं एक सामान्य व्यवहारिक बात आपके सामने कर रहा हूं ताकि उसका समाधान निकल सके। समाधान निकलेगा नम्बर-एक जितने हमारे प्रशिक्षण के स्कूल है, उन ट्रेनिंग के स्कूल को हम ऐसा न बना दें कि गड्ढे में डालने वाले हैं, ऐसा न बना दें कि इस अधिकारी का चेहश हमें पसन्द नहीं है, इसको हम वहां भेजेंगे। आप उनको बनायें, जैसे आर्मी स्कूल होते हैं, जैसे आई0एम0ए0 है, जैसे

ओ0टी0एस0 है, जैसे मान्यवर खड़गवासला है, एन0डी0ए0 है, जब हमारे सामने यह बात आयेगी तो उनके चरित्र का निर्माण होगा, आम आदमी के साथ में व्यवहार करने की कला वह सीखेंगे, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उनकी, उसको सीखेंगे। आज सबसे पहले जब नियुक्ति मिलती है सिपाही को कोशिश यह करता है कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊँ, छोटा कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी होने के बाद में मान्यवर, अगर कोई चेक पोस्ट है किसी नगर में, उस चेक पोस्ट की भी अब बोली लगनी लगनी लगी है, फला तीन सिपाहियों की चौकी थी तो बोली यह थी, अब बढ़ा कर बताओं क्या दोंगे और बढ़ा कर बताने के बाद में जितना भी संचालन वहां यातायात का होगा, पूरा का पूरा अवैध होगा, सबसे पैसों की वसूली होगी, रेत का खनन कराया जायेगा, अवैध वसूली होगी, बाहर से गाय कटने के लिये आयेंगी, पशुधन कटने के लिये आयेगा सबसे वसूली होगी, उस वक्त वह भूल जायेगा कि वह हिन्दू है या क्या है, सारी बात भूल जायेगा, केवल पैसा उसको याद रहेगा और अगर पैसा उसको याद रहेगा। तो मान्यवर, कहां प्रदेश में कानून व्यवस्था सही हो जायेगी ? कहां प्रदेश का विकास हो जायेगा ? ये आपको छोटे बिन्दु लग सकते हैं लेकिन मौलिक बिन्दु यही हैं, जिनको हमें सुधारना है। अगर आपको लगता है कि यह मेरे स्तर के नहीं है। अगर यह आपके स्तर के नहीं है तो इस स्तर को सही करने के लिये कौन आएगा ? आवश्यकता यहां पर ध्यान देने की है, भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त है और हम लोग यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार पहले ज्यादा था और अब कम हो गया है। हमारे वहां बैठने से थोड़े यह कम हो जायेगा। मान्यवर, इसमें आपने दिया है कि सतर्कता आयोग, फलां सतर्कता आयोग, हमने कितने आयोग बना दिये हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आप कितने ही अधिकारियों को लगा दीजिये संख्या बढ़ाते जाइये, बढ़ाते जाइये। रोकने के तरीके वहीं होंगे जब हम अपने आप समझ करके अपने आपको उस टम्पटेशन से दूर करेंगे जो टम्पटेशन मुझको गलत निर्णय लेने के लिये मजबूर कर रहा है। उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है, मान्यवर, हो सकता है कि कुछ मंत्री हमारे उस पर विचार करें, कुछ मा0 सदस्य उस विचार करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। मान्यवर, एक-दो बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बाकी और लोगों को भी बोलना है। मान्यवर, ये बलात्कार की बातें, आपने भी कहीं। न जाने किस कारण से समाज में क्या दोष आया या तो मीडिया की वजह से हमें जानकारी होने लगी पहले जानकारी न होती हो, लेकिन कितनी बुरी-बुरी घटनायें होने लगी है, 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, स्कूल में जाने वाली बच्ची, उठा लिया, गाड़ी में डाल लिया, ले गये, बेहोश किया, छोड़ गये, धक्का दे गये। ये इस तरह की मानसिकता हमारे समाज की क्यों बढ़ती जा रही है और जिन लोगों की ऐसी मानसिकता बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है ? मैं जानता हूं कि संस्कार भी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। संस्कार विहीन वे लोग हैं लेकिन संस्कारविहीन होना तो एक अलग बात है। मान्यवर, जो शिक्षा दी जा रही है उसका भी योगदान हो सकता है, लेकिन साथ-साथ अगर प्रभावी हमारी कानून व्यवस्था हो जाये, तो शायद इसमें कमी आ जाए। आज कई अधिकारियों के बयान तो राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट हुये मान्यवर, लड़की भाग गई, चली गई, भगा के ले गया कोई। उन मां-बाप की आप मानसिक स्थिति समझिये, जिसकी बेटी गई है, समाज में उसकी गर्दन नीची हो जाती है। रिश्तेदार इक्ट्ठे होते हैं, पास-पड़ोस के लोग इक्ट्ठे होते हैं, उसके द्वारा शर्म के मारे कुछ कहा नहीं जाता। मजबूर होकर पुलिस की शरण में जाता है और एक पुलिस अधिकारी, जो मेरे जिले का था, क्या टिप्पणी उस पर करता है ?

एक पूर्वांचल के अधिकारी थे, उन्होंने उससे बढ़कर टिप्पणी करनी शुरू कर दी, क्यों मैं उसकी कमी तो बाद में निकालूंगा लेकिन आज जो स्थिति भयावह हो गई है, कोई नगर नहीं बचा है आपका और संभवतः गांव भी कम बचे होंगे, जहां रोजाना इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो रही हो। ये केवल थाने में रपट करने से नहीं रुकने वाली। एक-आध लड़कियों को बरामद भी कर लें तो भी यह घटनायें नहीं रुकने वाली। सरकार के रूप में जब आपकी यह जिम्मेदारी मिली है तो क्या आपने इस पर विचार किया कि हम गांव स्तर पर, जिले स्तर पर, नगर स्तर पर वहां के संभ्रान्त नागरिकों को बिठा करके, वहां के अधिकारियों को बिठा करके इन बातों पर विचार करें। आपके 100 दिन में 1 घंटा भी कभी ऐसी योजनाओं को मिला है कि हम ऐसी कार्यप्रणाली अपनी अपनायें कि समाज का विश्वास आपकी पुलिस में हो जाए, समाज का विश्वास आपके प्रशासन में हो जाए। ये विश्वास का जो गैप आया है, उसे दूर करने की कोशिश की है क्या आपने कभी। मान्यवर, उसकी आवश्यकता है और अब चेतना पैदा करने की आवश्यकता इस बात के लिये है कि जो लोग बुरा काम कर रहे हैं। इस बात के लिये, जो लगे हैं इस काम में बेईमान लोग जो लगे हैं, समाज में उनका बहिष्कार अपने आप ही हो जाना चाहिये। आज मां-बाप ही उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले, यह नौबत नहीं आ सकती थी। इसलिये इन बुराइयों को हम समझने की कोशिश करें मान्यवर, तब कहीं जाकर के यह सुधार हो सकता है। मान्यवर, आपने जो अभी उत्तर दिया उसके बारे में भी पढ़ रहा था आपने लिखा है कि जातीय दंगे नहीं हुये, आपने लिखा है साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये। साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये, यह तो अच्छी बात है, न हो इससे भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखे अभी तक जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है या पुलिस व्यवस्था है, दंगे अगर नहीं हुये तो उनके न होने में इनका योगदान नहीं है। नहीं हुये स्थानीय फैक्टर रहे होंगे, स्थानीय कारण रहे होंगे, लोगों की समझदारी रही होगी। उन्होंने समझा होगा इस बात को, रोकने की कोशिश की होगी। क्योंकि मैंने देख लिया कोसी कला का, छोटा सा नगर पुलिस तो कुछ नहीं कर पायी। दंगा रोका होगा आपने जाके रोका होगा, आपके प्रति विश्वास लोगों का पैदा हुआ होगा या वहां के सम्भ्रान्त नागरिकों ने समझ करके, समझा करके, सम्प्रदाय को समझा करके रोका होगा। जब लूट हो रही थी कोसी कला में, संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने खुद कहा खड़े हो करके सदन में कि दोनों सम्प्रदायों की दुकानों में लूट हुयी। वो साम्प्रदायिक दंगा कैसे कह दें उसे हम, जिसका मौका लगा वो लूट रहा है वहां पर खड़ा हो करके, तब पुलिस क्या कर रही थी ? प्रशासन क्या कर रहा था ? और क्यों बराबर वो चार-पांच दिन तक चलता रहा ? जाओ रूट पर, जाओ उसकी रूट पर कि क्यों ऐसा हो रहा था और क्यो नहीं उसमें सुधार हो सका ? जब तक आप उस पर नहीं जायेंगे तब तक आप श्रेय लेने की कोशिश न करकें कि पुलिस की वजह से वह नहीं हुआ। पुलिस का योगदान उसमें लेशमात्र भी नहीं है, इन बातो को रोकने के लिये।

मान्यवर, आगे मैं ध्यान चाहता हूं आपका कि ट्रैफिक व्यवस्था है चौपट है या नहीं है और अगर चौपट है तो उसको सुधारने की कोई योजना है या नहीं है। बस यही योजना है कि सी0ओ0 ट्रैफिक बना दिया, बड़े शहरों में एस0पी0 ट्रैफिक बना दिया। उस नगर की ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन करने के बारे में क्या हमें कार्यवाही करनी चाहिये, कभी आपने इस पर विचार किया, क्या सरकार ने विचार किया, क्या कभी समीक्षा की इस बात की। अभी आप निकल जाओ हजरतगंज में

पता लग जायेगा कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है। उसके ऊपर भी हाइकोर्ट को आना पड़ रहा है मान्यवर, कि कहां पार्किंग होगी, कहां पार्किंग नहीं होगी। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या पुलिस की जिम्मेदारी ये नहीं है, जब कि व्यवस्था चरमरा जाती है तो मजबूर हो करके फिर न्यायालय बीच में आता है, उसको कोई न कोई निर्देश देने पड़ते हैं। जहां न्यायालयों को निर्देश देने के लिये विवश होना पड़े तो मान लेना चाहिये कि हमारी असफलता है, टोटल हमारी असफलता है। वरना न्यायालय को निर्देश देने की स्थिति नहीं होनी चाहिये, उनका अपना काम ही बहुत ज्यादा हैं। उसी को करते रहें। लेकिन विवश होना पडता है उनको भी कि व्यवस्था को सही कर दें इसमें अभी आपने जो पुस्तक लिखी है, उसमें खुद आपने लिखे हैं और इतने जनपदों के नाम हैं, मैं सदन के सामने बता दूं कि इलाहाबाद, मऊ, महामाया नगर, पीलीभीत, बिजनौर, अलीगढ़, बांदा, एटा, पंचशील नगर, इनमें आपने खुद लिखा है कि यहां जातीय दंगे हुये हैं और फिर भी इसको उपलब्धि मान रहे हैं। आपकी अपनी पुस्तिका में लिखा हुआ है कि यहां जातीय दंगे हुये। तो क्या ये आपको श्रेय जा रहा है कि बाकी जगह क्यों नहीं हुये। इतने दंगे हो गये क्या आपको यह अच्छी खासी संख्या नहीं लग रही है। क्यों हुये ये, साम्प्रदायिक दंगों का आपने खुद ही विवरण दिया है। 15 जिले, इससे प्रभावित हैं, लेकिन मैं इन दंगों के लिये आपको दोषी नहीं ठहराता क्योंकि 100 दिन में मैं समझूं आपसे कि आप बिल्कुल सब बदल देंगे, क्रांति ला देंगे। वो संभव भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से मौलिक बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित हो। ये दो चार बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नम्बर एक, थानों की नियुक्ति, एक बार आदेश ये हुये कि फलां हर थाने में एक जाति विशेष के दरोगा की इतनी नियुक्ति होगी। ये आदेश हुये कि इतने थानों में एक जाति विशेष का एस0ओ0 आपको इंचार्ज बनाना पडेगा। क्या आप इस आधार पर कानून व्यवस्था ठीक कर लेंगे। जातिवाद को तोड़ना भी चाह रहे हैं, गुण दोष के आधार पर नियुक्ति भी करना चाह रहे है। आदेश यहां बैठ करके ये दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं सामाजिक रूप से नियुक्ति होनी चाहिए। इसलिये दे रहे हैं न कि एस0ओ0 अगर होगा तो कमाई ज्यादा होगी। तो फलां समाज के व्यक्ति की कमाई होनी चाहिये। आप थानों को कमाई का अड्डा बना रहे हैं या कानून-व्यवस्था को ठीक करने का अड्डा बना रहे हैं। ये विचारणीय बिन्दु है और मैं चाहूंगा कि वर्तमान सरकार, पहले आपने किया आदेश एक पहले वाले टैन्योर में, अब आ करके आप उस पर दोबारा विचार करें और कहीं भी इस प्रकार भ्रांति पैदा न करें कि एक वर्ग विशेष के लोगों को ही नियुक्ति मिल सकती है। बाकी के लोगों को नियुक्ति नहीं मिल सकती। जो पहले गलती हुयी है उस गलती को हम दूर करें तो शायद यह आये कि जो स्थानीय अधिकारी है, जो थाने का एस0ओ0 है वो वहां का कमाण्डर है या तो फिर हमें उसकी निषक्षता में विश्वास नहीं है। यह उसके ऊपर प्रतिबंध लगाकर मजबूर करेंगे कि आपको यह नियुक्तियां इसी आधार पर करनी होगी। मान्यवर, ऐसी स्थिति में वह जिले का पुलिस कप्तान कैसे पूरे जिले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा यह कैसे सम्भव है। मान्यवर, यह जो स्थिति उत्पन्न हो रही है इस पर आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और जिले के अधिकारियों को छूट देनी चाहिए कि वह अपने हिसाब से व्यवस्था बनाये। मान्यवर, जब आप सिपाहियों के बारे में यहां से कहेंगे कि इन्हें आप यहां पर तैनात करें तो फिर यह संभव नहीं है कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से एस0पी0 के नियंत्रण में रह पायेगी। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि जो प्रशिक्षण के स्कूल खुले हुए हैं

वहां पर उसको प्रभावी बनाया जाये। मान्यवर, नियुक्तियों में एक शब्द प्रयुक्त होता है ऑब्जैक्टिविटी और सब्जैक्टिविटी तो दोनों में अन्तर समझने का काम करें। यहां से निर्णय हो रहे हैं। ऑब्जैक्टिविटी देखें तो अच्छा हो। लेकिन अपने अहम् के तहत यदि आप नियुक्तियों कर रहे हैं तो कभी सुधार ला पाना संभव है ही नहीं। घटनाओं के बारे में बार-बार कहा जाता है कि आदेश देंगे कि एफ0आई0आर0 लॉज हों। मान्यवर, वहां पर कोई सुनने वाला भी तो हो। यह कहा जाता रहा है कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जांच करने वाला होगा एक अधिकारी, इन्वेस्टीगेशन करने वाला एक अधिकारी होगा। अब अगर यह व्यवस्था हो जाती है तो वह कितनी सफल होगी कितनी नहीं यह आने वाला समय ही बता पायेगा और यह आगे देखने वाली बाते हैं।

मान्यवर, जो भी जांच कर रहा है अधिकारी अगर उसकी समीक्षा होती जिला स्तर पर तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दो-चार महीनों में वह निर्णय ले ले। अब जिस अधिकारी ने दो एक महीने में जांच कम्पलीट नहीं की है तो आप उसको दोषी माने। मान्यवर, कत्ल के मुकदमें दस-दस साल तक तय नहीं हो पाते हैं। अगर वह तय नहीं होगें और लम्बे समय तक लम्बित रहेंगे मैं कोर्ट की बात नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर कत्ल करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों कि इन मुकदमें के लम्बे समय तक लम्बित रहने के पीछे पुलिस का भी रोल होता है। मान्यवर, जो आपका आई0ओ0 है वह पैरवियों के समय उपलब्ध नहीं होता है। चार्ज शीट देने में कितना समय लगता है वह आप सब जानते हैं। मान्यवर, यह देखने की बात है कि कोआरडिनेशन शासन का और जिले स्तर का बढ़िया होना चाहिए। मान्यवर, अब एक पिछले दस-पन्द्रह सालों से न तो मंत्री निर्णय लेंगे और न प्रमुख सचिव, गृह लेंगे और न जिला स्तर पर लिया जायेगा। इसमें सलाह कोई और देगा। जिसका कोई इससे मतलब नहीं है। नियुक्तियां वही करेगा एक नया पावर सेंटर खुल गया है। आज भी हमारी जानकारी में है मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप उन पिछली गल्तियों से सबक क्यों नहीं लेते हैं। यह शक्ति के केन्द्र नये-नये बनते जा रहे हैं जिनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है न जिम्मेदारी है। आप प्रमुख सचिव, गृह से, सचिव गृह से डी0जी0पी0 से सलाह कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है और कार्य वह करते हैं। लेकिन आप उस पावर सेंटर की बात मानेंगे क्योंकि उस पर आपको विश्वास है। क्योंकि उसने आपके फलां इलैक्शन में अच्छा काम किया था वह आपके यहां एस0पी0 था सी0ओ0 था उसने बहुत अच्छा काम किया था। कुछ लोगों को भगाया था और कुछ मामलो में चालान भी काटे थे इसलिए आज वह पावर सेंटर बन गया है एक शक्ति केन्द्र बन गया है। लेकिन आपको इन पिछले अनुभवों से सबक लेना चाहिए। मान्यवर, जो प्रमुख सचिव, गृह के पद पर आसीन अधिकारी है वह प्रशासनिक पद है उस प्रशासनिक पद की गरिमा को कायम आप करा सकते हैं उसकी सलाह माने। फिर देखिये परिवर्तन आता है कि नहीं। मान्यवर, आज मैं स्वयं देख रहा हूं हमारे क्षेत्र की बात है एक सिपाही है मैं नाम नहीं लूंगा वहां पर सी0ओ0 और एस0पी0 की हैसियत नहीं है कि उसको कुछ कह दे। वह खुले आम जब कहता है कि फलां गांव का मैं हूं तो फिर वह नाम सुनते ही अधिकारी इधर-उधर देखने लगते हैं। अब उस सिपाही का इतना दुस्साहस है कि इस तरीके से बात करता है और दरोगा उसके पीछे घूमता है फिर एस0पी0 साहब की क्या मजाल कि उसको कुछ कह दें। मान्यवर, इन सब बातों में सुधार आना चाहिए और यह आपको देखना चाहिए। मैं आपकी लाल बत्ती का इंतजार नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सोचता हूं कि

बोलना सबको है, मौका सबको मिले, सुझाव के रूप में मैंने बात कही है और मैंने शुरूआत ही यहां से की थी कि 100 दिन की सरकार में मैं अपेक्षा यह नहीं करता कि बिलकुल क्रान्ति लायेंगे शुभकामनाओं से मैंने बात कही है लेकिन कमियां जो हैं उन कमियों को दूर करना हमारा दायित्व है, इसी के साथ-साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर हमें बोलने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पुरानी कहावत है शासन डन्डे का और व्यापार ठन्डे का, जब तक शासन करने की प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक यही व्यवस्था रहेगी। जब से क्षेत्रीय पार्टी प्रदेश में आई है और उसके बाद से यह स्थिति हुई है कि अधिकारी लोगों के ऊपर मोहर लग गयी है। जब एक पार्टी आती है तो दूसरे पार्टी के अधिकारी जिन पर मोहर लगी होती है उनको हटा दिया जाता है। जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है उस पार्टी के लोग अधिकारियों पर जिन पर मोहर लगी होती है उनको हटा दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि असमन्जस की स्थिति रहती है ऊपर तो अधिकारियों की स्थिति उसी तरह की रहती है आप देखिये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं माननीय हुकुम सिंह जी से अभी 100 दिन हुए है इस पर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है कि सरकार कैसी चल रही है, क्या चल रही है 100 दिन का समय कोई ज्यादा नहीं होता है परन्तु फिर भी शुरूआती दौर में जो होता है जो शुरूआती दौर होता है उसमें जो पांव रहते हैं उससे नजर आने लगता है कि भविष्य क्या होगा। तो सारी की सारी इस पांव से हमें दिख रहा है कि मुख्य मंत्री जी तो बहुत कुछ चाहते हैं उनकी सोच अच्छी हैं, विजन अच्छी है वह कुछ करना चाहते हैं, पर अभी जो कुछ हो रहा है वह जनता के माफिक नहीं हो रहा है। यदि आप देखें कानून व्यवस्था के मामले में उस कानून व्यवस्था के मामले में व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर है। आम जनता ने सोचा था जैसी सरकार आई थी कि व्यापक बदलाव आयेगा पर नीचे ग्रास रूट पर सतही स्तर पर आम आदमी जो प्रभावित होता है उसको सत्ता परिवर्तन का कुछ महसूस या एहसास नहीं हो रहा है। वह उसी तरह से उत्पीड़ित है जैसे पूर्ववर्ती सरकार में था उसे नहीं लगता कि कोई सत्ता का परिवर्तन हुआ है। 224 विधायक चुनकर आये भरपूर मजारिटी के साथ आये तो हम महसूस करते हैं कि यह सरकार व्यापक परिवर्तन लायेगी सोच में परिवर्तन करेगी और जबरदस्त तरीके से बदलाव होगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था चरमराई है। ग्राफ नीचे न गिरते हुए क्राइम रेट ऊपर बढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आपने एस0एस0पी0 बदल दिये हैं एडीशनल एस0पी0 बदल दिये हैं, दारोगाओं के मामले स्थिति क्या है कि जब बसपा की सरकार आती है तो जाति विशेष के दारोगा बिल्कुल बास हो जाते हैं उसी तरह सपा की सरकार आती है तो जाति विशेष के दारोगा का गुण्डाराज चलने लगता है। एक ही जिले में अगर आपके 25 थाने हैं तो 20 थानों में जाति विशेष के एस0ओ0 होंगे। आज स्थिति यह है कि उन्होंने पावर सेन्टर बना रखे हैं और जनता को राहत नहीं मिलती है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा क्योंकि वह अपनी बात पर स्टैण्ड लेते हैं उसमें कम से कम यह लगे लोगों को यह न लगे कि जाति विशेष की सरकार है। समग्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोच की बात हो, समग्र विजन की बात हो तो जनता को राहत मिलेगी। आज पूरे प्रदेश में देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से हो रहा है पुलिस की दबंगई अब पुलिस ने इस तरह से कर रखा है कि उनके एजेन्ट बन गये हैं, दारोगा फंड कलेक्शन के सेन्टर बन गये हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, माफिया एक्टीवेट हो गये हैं, खनन की प्रक्रियायें बढ़ गयी है और आपकी बालू निकाली जाने लगी है। ऐसा लगता है कि 5 साल तक वह लोग चुने, वह जब 5 साल शांत रहे तो दूसरे शुरू हो गये तो कम से कम आम जनता को क्या मिला इस बदलाव से आम जनता को राहत नहीं महसूस हो रही है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी तरह से आप अधिकारी जब बदल देते है तो आप जिला स्तर, ब्लाक स्तर और उनके बाबुओं पर नजर रखिये उनकी सोंच से कोई परिवर्तन नहीं आया है हर काम कराने के लिए सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है। हम लोग सोचते थे कि एक एब्सल्यूट मेजारिटी की सरकार आई है तो सुविधा शुल्क से आम आदमी को निजात मिलेगी। आप किसी भी विभाग में चले जाइये, यदि आप विधवा पेंशन की बात करते हैं तो विधवा पेंशन लेने वाली महिला को भी अपनी एक या दो महीने की पेंशन एडवांश ब्लाक करनी पड़ती है, तब उसका काम होता है। इसी तरह से आप बुजुर्गो की पेंशन की बात करिये, उनके साथ भी यही हाल है। आप किसी भी विभाग में चले जाइये, अधिकारी बदल जाते हैं, पर वह नेटवर्क और सिस्टम नहीं बदला। जब तक आप उस नेटवर्क और सिस्टम को जिलास्तर पर चेंज नहीं करेंगे, उन पर पैनी नजर नहीं रखेंगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है। अब वह जमाना बोनस थ्योरी का गया कि जब आप बोनस देते थे और लोग काम करते थे। अब कम से कम उत्तर प्रदेश में आपको दंडात्मक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तब लोगों को बात समझ में आयेगी, इसलिये मैंनें शुरू में कहा था कि शासन डन्डे का व्यापार ठंडे का, अब आप देखिये कार चोरियों की घटनायें बहुत बढ़ गयी हैं। आप अपनी कार कहीं खड़ी कर दीजिये, उसके शीशे को तोड़ेगें, लैपटाप या कैश होगा, निकाल कर ले जायेगें। आप काशी में जाइये, मथुरा में जाइये, अयोध्या में जाइये जहां भी आप ऐसे स्थानों पर जाइये, जो पर्यटक स्थल हैं, वहां आम पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। आप किसी धार्मिक नगरियों में जाइये, वहां से लोग लूट-पिटकर आते हैं।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सवाल है आपने 2011-12 के बारे में बताया, उसमें आपकी सरकार को मैं दोषी नहीं मानता। मेरठ में, मुादाबाद में, बहराइच में, चन्दौसी में इन सब जगह यह सब हुआ। परन्तु जो बदनुमा दाग लगा वह कोंसी में साम्प्रदायिक दंगों की वजह से लगा। हम जानते है कि हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी वहां गये थे, उन्होंने वहां काफी सुकून की बात करी थी, बहुत लोगों को राहत दिलाई, बहुत लोगों को अच्छा लगा कि किसी ने तो हिम्मत करी कि जाकर दोनों सम्प्रदाय के लोगों के दिलों पर मरहम लगाया, पर शुरूआत कैसे हुयी। यदि आपके एस0एस0पी0 साहब, जिलाधिकारी साहब तत्काल चले जाते और वहां पर थोड़ी सी पंचायत करा देते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। आपके कलेक्टर और एस0एस0पी0 अपने आपको अंग्रेजों के जमाने के एस0एस0पी0 और कलेक्टर समझने लगे है। एक कामन आदमी का टेलीफोन जाता है कि वहां दंगे हो रहे है, वहां दंगे होने की संभावना है, वहां गड़बड़ हो रही है तो न तो एस0ओ0 सुनता है, न एस0पी0 सिटी सुनता और न एस0एस0पी0 सुनता है। यह पूरे

प्रदेश का हाल है मैं किसी विशेष जगह की बात नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के निर्देश दें कि अधिकारी आम जनता की सुने, विधायकों की तो प्रोटोकाल के मामले में आपके सामने बहुत सारी घटनायें आयीं। आज अधिकारी हमारे विधायकों की और एम0पीज0 की भी कोई परवाह नहीं करते। वह कहते हैं कि तुम 5 साल के लिये आये हो, क्या बिगाड़ लोगे हमारा। अधिकारी उनकी परवाह नहीं करते और पीठ पीछे हल्की-हल्की बातें करते हैं। आज स्थिति यह है कि आपने देखा कि हमारी पार्टी की माधुरी वर्मा जी, जो विधायक हैं, उनको बहराइच की एक कोतवाली में किस तरह से एक दरोगा ने धक्के मारकर निकाला, उनके पति जो तीन टर्म के विधायक थे, उनका किसी मामले में एम0वी0डब्लू0 निकला था, उन्हें कायदे से कहते, लेकिन उनको इस तरह से खींचकर लाये, जैसे वह बहुत बड़े क्रिमिनल हों। आज स्थिति यह है कि वह दरोगा वहीं का वहीं बरकरार है और सम्मानित विधायिका माधुरी वर्मा जी, जो हमारी पार्टी की हैं, वह अपने आपसे ग्लानि महसूस कर रही हैं कि उनके साथ एक दरोगा इस तरह की हरकत की, उनके पति के साथ इतनी ज्यादती हुयी और उसके बावजूद भी इस सरकार ने उस दरोगा के साथ कुछ नहीं किया।

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां तक लूट का प्रश्न है, नेशनल हाईवेज पर क्या होने लगा है। लोग नीली बत्ती, लाल बत्ती लगाकर आते हैं और नेशनल हाई-वे रार्बर्स हो गये है। मैं बात करूंगा हरियाणा की सीमा से लगे, राजस्थान की सीमा से लगे, आगरा, मथुरा सहित उन जनपदों की जो इटावा तक सड़क जाती है, आप जाकर रात को देखिये, नीली बत्तियां, लाल बत्तियां लगाये लोग दौड़ रहे हैं, वह न विधायक हैं, न सांसद हैं, वह आकर लोगों को रोकते हैं और कहते हैं कि आप पीछे एक्सीडेंट कर के आ रहे हैं। इसी तरह की अभी एक पेट्रोल पंप की घटना हुयी है, मालिक को रोका और जब वह उतरा तो उसे कसकर पकड़ लिया, बांधकर अपनी गाड़ी में डाल लिया और उसका अपहरण कर लिया। उससे पूछने लगे कि कितना पैसा देगा, तू कौन है, कितना बड़ा आदमी है। उसने कहा साहब मैं तो ड्राइवर हूं, जबकि वह पेट्रोल पम्प का मालिक था। तो वह लोग उसे मार पीटकर हरियाणा के बार्डर के पास छोड़ गये और गाड़ी लेकर चले गये, आज तक उस गाड़ी का पता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि अभी कुन्डा में बलात्कार हुआ, उसके मामले में कल यहां चर्चा की गयी, ऐसे मामले हर जिले में हो रहे हैं क्योंकि लोग निर्भीक हो गये हैं। लोगों में भय नहीं है, लोगों में डर नहीं है, यह डर यह भय कैसे पैदा किया जायेगा। भय उस तरह का नहीं क्योंकि आम आदमी के लिये अमन चैन और शान्ति की आवश्यकता है और गुन्डे बदमाशों के लिये इस तरह के हाई-वे रावर्स के लिये डन्डे की जरूरत है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी पुलिस लाइनों की हालत देख लीजिये जब आप उन सिपाहियों और कांस्टेबिलों की बात करते हैं, उन दरोगाओं की बात करते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। आज उनके रहने के घर ठीक नहीं हैं, उनकी पुलिस लाइनों में सड़के ठीक नहीं हैं, उनकी पुलिस लाइनों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ जब आप पुलिस से काम लेने की बात करते हैं तो आपको मूलभूत सुविधायें उन पुलिस लाइनों में देनी होगी।

इसी तरह आप अग्निशमन विभाग को देखें, कितना बुरा हाल है, कहीं आग लग जाती हैं, उनके पास टेलीफोन तक नहीं हैं और आप चिल्लाते रहिये, आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, आग मंडी में लग जाती है और उनकी अग्निशमन की गाड़ियां पता नहीं कौन से जमाने की है। न उनके पास पानी होता है और वह आग बुझाने में संक्षम नहीं होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तक वह आग बुझाने वहां फायर ब्रिगेड पहुंचती है। आप अपने अग्निशमन विभाग को दुरूस्त करिये, उनमें मुस्तैदी लाइये, उनके लिये अच्छी फायर हाइड्रेन्टस और फायर ब्रिगेड्स खरीदिये और उनके लोगों को चुस्त-दुरूस्त करिये।

मान्यवर, जहां तक मथुरा, काशी और अयोध्या के मंदिर-मस्जिद के विवाद का सवाल है, आपने उसकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर रखी है, पर उस व्यवस्था की आड़ में उसके आसपास रहने वाले लोगों का कितना उत्पीड़न होता है। आपने जोंस बना दिये हैं, रेड जोन, यलो जोन और इस तरह के जोन बनाने के बाद, वहां जो लोग रहते हैं, उनके नक्शे पास नहीं हो सकते हैं। वह अपने घर की मरम्मत तक नहीं करा सकते, उनकी दीवारें ऐसी हो गयी है यदि वह प्लास्टर भी कराते हैं, ईटें भी लगाते हैं तो इतना जबरदस्त सिक्योरिटी है कि उन लोगों का उस जोंस मे रहना मुश्किल हो गया है। आप थोड़ा उस एंगिल से भी सोचिये, आप इन सब स्थानों की सुरक्षा तो करिये पर उस स्थान पर रहने वाले इंसान लोगों की इतनी दुर्गति मत करिये कि वह तौबा कर लें।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपका जो जनगणना विभाग है, जनगणना हुई और आपने जो जनगणना के लिये बजट एलाट किया था, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ियां हैं। इस पर आप निगाह रखिये, सही जनगणना हो रही है, यह देखना आपका काम है। अभी जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, उन व्यवस्थाओं को ठीक कराने का प्रयास करिये। मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक कन्जेक्शन कितना हो गया है। आप देखिये हर शहर में, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कोई भी शहर हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आबादी बढ़ गयी है। आज लोक निर्माण मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि वह कई जगह फ्लाईओवर्स बनवायेगें और इनकी बहुत आवश्यकता है जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न न हो। आज बड़े शहरों में पुलिस का जो सिस्टम है, यदि आप कोशिश करें मुम्बई की तरह कमिश्नरी सिस्टम को लाने के लिये, उसे कुछ शहरों में लागू करके देखिये तो आप महसूस करेंगे कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। आप लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में कमिश्नरी सिस्टम लाने की कोशिश कर सकते हैं, आप एक साथ पूरे प्रदेश में मत करिये, पहले ट्रायल एन्ड एरर बेसिस पर देखिये कि वह उत्तर प्रदेश में कामयाब होता है कि नहीं होता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपका सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लोक शिकायत विभाग है उसमें लोगों की शिकायतें आती हैं, एक आम आदमी जो एम0एल0ए0, एम0पी0 व मंत्रियों तक नहीं पहुंच सकता, वह लोक शिकायत विभाग में शिकायत करता है, परन्तु उसकी शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि आवश्यक कार्यवाही हेतु में कोई काम होगा ? एक आम आदमी की अप्लीकेशन डस्टबिन में चली जाती है। मैं चाहूंगा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, हमेशा आम

आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के लिए यदि लोक शिकायत विभाग को मुस्तैद बनायेंगें, एक आम आदमी की पहुंच तक बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ सुधार आयेगा। हमारे नेता विरोधी दल ने तमाम आंकड़े चोरी, डकैती, बलात्कार, गृह-भेदन और लूट के प्रस्तुत किये। आंकड़ों का जो मामला है, वह तो मैं समझ सकता हूं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का मामला है। मैं यह भी जानता हूं कि 224 एम0एल0ए0 की सरकार पूरे पांच साल चलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माथुर जी, कृपया संक्षेप करिये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके कैबिनेट के सम्मानित सदस्य एक सोच बनायें कि प्रदेश को कैसे पटरी पर लाया जाए, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से काम नहीं चल सकता। आप यह कह कर नहीं बच सकते कि उनके जमाने में इतनी हत्यायें, बलात्कार, लूट, अपहरण आदि के अपराध हुए बल्कि आपको कुछ करके दिखाना होगा। आज स्थिति यह है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि सौ दिन काफी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार कुछ करके दिखायेगी और यह बहुत अहम मसला है सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का। मैं यह भी चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन और पुलिस के विभागों में बहुत काम्पीटेंट अधिकारियों को लगाया जाय जो एक ऐसी नजर से देखें, पार्टी विशेष की नजर से न देखें, वह देखें कि एक आम आदमी को राहत किस तरह से मिल रही है। गांव के गरीब, झोपड़-पट्टी में रहने वाले आदमी के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो उसे न्याय कैसे मिले। पूर्ववर्ती लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि जो पावर सेन्टर्स बन जाते हैं वह बहुत गलत होता है और लोकतंत्र की हत्या एक तरह से पावर सेन्टर्स कर रहे हैं। मैंने देखा था कि मंत्री लोग एक अफसर विशेष से मिलने के लिये बाहर इंतजार कर रहे हैं। हमें खुद शर्म आती थी कि वह बैठे हुये हैं और उन अफसर विशेष ने मना कर दिया कि हम मंत्री जी से नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के पावर सेन्टर्स नहीं बनने चाहिये। लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री, मंत्री लोग बोलें या जो विधायक बोलें उनकी आवाज बुलन्द होनी चाहिये। पंचम तल जो पावर कारीडोर कहलाता है उसे इतना शक्तिशाली मत कर दीजिये कि इन सब विधायकों की आवाज भी न सुनी जा सके। मैं जानता हूं कि यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं वह इस सोच से काम करेंगे कि आम आदमी की पहुंच उस पंचम तल तक हो पाये। इस तरह की नीतियां बन पायें कि सामान्य प्रशासन भी ठीक चले। जिलाधिकारी, आम आदमी की सुन सकता हो, वहां मुख्यमंत्री भी सुनें, जहां प्रमुख सचिव गृह सुन सकता हो, जहां डी0जी0पी0 सुन सकता हो, वहां आम आदमी की सुनवाई हो। खाली इस बात पर मामला न निपट जाए कि उधर स0पा0 के लोग बैठे है इधर ब0स0पा0 के लोग बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रदीप जी संक्षेप करें, काफी लोगों को बोलना है।

श्री प्रदीप माथुर-

एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर खिचड़ी न बन जाये और प्रदेश में एक अमनचैन का राज हो यह मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी के कारण आयी है। सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश की जनता ने एक-दो महीने प्रतीक्षा की कि वर्तमान सरकार कुछ परिवर्तन करेगी लेकिन ढाक के तीन पात निकले, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपराधों में इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा अपराधों में इजाफा, हमारे पूर्व साथी कत्ल, डकैती, रेप, हत्या, अपहरण आदि का उल्लेख कर चुके हैं। मैं अपने जनपद और आस-पास के जिलों के सम्बन्ध में एक विशेष बात बताना चाहता हूं इस वर्तमान समय में, जितनी पहले पशुओं की चोरी होती थी अब पशुओं की डकैती हो रही है। पहले चोर रात में पशुओं की चोरी करके ले जाते थे लेकिन अब दिन में बलपूर्वक भैंसों की और गायों की अलीगढ़ और उसके आस-पास के जनपदों में इतनी चोरी हो रही है। रिपोर्ट कोई लिख नहीं रहा है। थाने का एस0ओ0 लाल पीला मुंह करके बैठा रहता है थाने में रिपोर्ट करने वाला जाता है तो दो चार अपशब्द ऐसे कह देता है कि किसी भले आदमी की थाने में जाकर रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस अपराध को रोकने के लिये विशेष विंग बनाकर डी0जी0पी0 और विभाग के अधिकारी भी बैठे हों क्योंकि यह चोरी रुक नहीं रही है। धड़ल्ले से पशुओं की चोरी जो हो रही है उस पर सरकार अंकुश लगाये। जब यह सरकार आई थी तो घोषणा हुई थी कि जितने भी किसानों पर झूठे मुकदमें कायम हुये हैं चाहे वह अलीगढ़ के हों या नोएडा के हों, चाहे गाजियाबाद के थे, मेरठ के थे उन सब मुकदमों को वापस लिया जायेगा। लेकिन अभी नहीं लिये बहुत से पिछली सरकार में ऐसे फर्जी मुकदमें कायम हुये जिनकी वजह से लोग तंग हुये और क्षेत्र छोड़कर भाग गये। वर्तमान सरकार से आशा थी वर्तमान मुख्य मंत्री युवा हैं उनसे आशा थी कि यह सब मुकदमें वापस होंगे क्योंकि सरकार का ज्यादा समय नहीं हुआ है तीन महीने सरकार का जीवन है मैं आरोप नहीं लगा सकता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि पूरे प्रदेश की जनता निगाह लगाये बैठी है। युवा मुख्यमंत्री की तरफ कि जितने भी पिछली सरकार में फर्जी मुकदमें लगे थे। किसानों पर अलीगढ़ मेरठ विभिन्न जिलों में जो मुकदमें लगे थे वह वापस किये जायं। अभी हमारे जनपद अलीगढ़ में पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या हुई। क्या कानून है साधारण व्यक्ति की हत्या हो जाय तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है पुलिस अभिरक्षा में हत्या होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। डाक्टरों की हत्या हो रही है अखबार भरे पड़े हैं। स्मृति शुक्ला हों चाहे कोई अन्य हो अखबार रंगे पड़े हैं अलीगढ़ के लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बीच पधारे हैं मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष रूप से मवेशियों की चोरी गाय भैंसों की चोरी धड़ल्ले से जो चोरी होती थी अब डकैती हो रही है उस अंकुश लगाया जाय हमारे साथी आंकड़ों के हिसाब से बहुत अध्ययन करके आते हैं पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से आंकड़े दिये हैं मैं कटौती के इस प्रस्ताव पर बल देते हुये अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

*श्री मुख्तार अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री जी को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। हमारे गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विधान सभा में एक औथई गांव है जहां आज सुबह साढ़े नौ बजे साम्प्रदायिक लोगों ने जिले के माहौल को खराब करने के उद्देश्य से वहां मदरसा तामीर हो रहा था औथई गांव में उस मदरसे को डेढ़ दो सौ लोग जाकर गिरा रहे हैं। अभी पता लगा है कि दो तीन खम्भे और दीवाल गिरा दिया है। सामने का गेट गिर चुका है। घरों में घुसकर जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं चालीस पचास घर उनको बुरी तरह मारा पीटा है घरों को लूटा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से नेता सदन से यह चाहूंगा क्योंकि चुनाव का माहौल है जिले में चार तारीख को चुनाव होने वाला है ऐसे हालात को देखते हुये इसमें तत्काल अभी यहां से कंट्रोल रूम को सूचना करके क्योंकि मेरे बड़े भाई जो विधायक हैं उन्होंने एस0पी0 साहब से बात की तो कप्तान साहब ने कहा कि हम लोग चुनाव में बिजी हैं शाम तक जायेंगे। जब तक तो वहां मदरसे गिर जायेंगे। कई गांव में दंगे फसाद का माहौल पैदा हो गया हैं और शरारती तत्व यही चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो इसलिये हमारी गज़ारिश है कि इसको तत्काल जितना जल्द से जल्द हो सके मैसेज करके शरारती लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करें और जिले के माहौल को बनाये रखने की कोशिश करें। इसी के साथ-साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय आज आपने हमको गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ बातें नेता सदन से कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी घटना हम लोगों के कार्य-कर्ताओं, कौमी एकता दल के कार्य-कर्ताओं के साथ घटित हुई जब यह तानाशाह सरकार थी और तानाशाह सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों को सताने के लिये उन पर झूठे मुकदमें लगाये। समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टों है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह जालिम सरकार जिसने राजनीतिक विरोध के चलते झूठे मुकदमें जिन-जिन पर लगाये हैं उन मुकदमों की जांच कराई जायेगी और उन मुकदमों को वापस लिया जायेगा। मैं एक-दो बिन्दु आपको बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले यह है कि मैं ढाई साल पहले गाजीपुर जेल से आगरा जेल में भेज दिया गया। वहां मैं था, चुनाव के दौरान अदालत में मैंने एप्लीकेशन डाली और एप्लीकेशन डालने पर दिल्ली की मकोका अदालत ने मुझे 10 दिन की पैरोल पर रिहा करने का चुनाव प्रचार करने के लिये स्पष्ट आदेश किया। उस आदेश की कापी भी मेरे पास है, जिसमें है कि मुख्तार अंसारी को चुनाव प्रचार के लिये 10 दिन के लिये कस्टडी पैरोल में अपने विधान सभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिये भेजा जाय। लेकिन यह जालिम सरकार, जो बसपा की सरकार थी उस समय उसने इस आदेश को न मानते हुये बल्कि उल्टे जब यह खबर मीडिया और टीवी ने प्रसारित किया तो लाजिमी है कि हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता इस बात को सुनेंगे कि उसके क्षेत्र का विधायक 10 दिन के लिये पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, हम लोगों के बीच आ रहा है तो वह खुशी मनायेंगे। 30 जनवरी को यह आदेश हुआ और 30 जनवरी की शाम को साढ़े पांच बजे वहां कुछ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने पटाखें छोड़े। माननीय अध्यक्ष जी, उन पटाखों को यह दिखाया गया कि पटाखे नहीं बम छोड़े गये और बम का मुकदमा कायम करके सैकड़ों लोगों को बेगुनाह जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र का अध्यक्ष, जिसमें मेरा जिला अध्यक्ष सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा पीटा गया और उनको कहा कि तुम भी अज्ञात में मुजरिम हो, तुम भी अज्ञात में मुजरिम हो। यह एक बड़ा गम्भीर विषय है, मैं इसलिये आपके संज्ञान में डाल रहा हूं कि इन्होंने जालिम तरीके से मेरे ऊपर 8 मुकदमें नये लगाये इस ढाई साल में। वह अलग बात है, और चीज है कि मैं उसको सह लूंगा लेकिन एक सौ कुछ लोगों पर यह जो बम कांड का मुकदमा लगाया है, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें। 108 लोग जिसमें कभी भी जीवन में अपराध का एक भी मुकदमा नहीं है वह पटाखा छोड़ने पर बम बताकर के सबको मुजरिम बना करके जेल भेज दिया गया। और अब यह लगातार सिलसिला जारी हो गया है। आजकल नगर पालिका का चुनाव चालू हो गया है तो जिले कानून व्यवस्था कन्ट्रोल करने के लिये कह दिया गया है।

पहला मुकदमा 30 जनवरी को लागू हुआ उसके बाद उन लोगों पर दूसरा मुकदमा, जब मैं 6 मार्च को चुनाव जीत गया। जनता के प्यार से वोट पाकर मैं चुनाव जीत गया तो 6 मार्च को शाम को नगर में कई जगह लोगों ने पटाखे छोड़े। आपकी भी सरकार बनी तो आपके कार्यकर्ता भी पटाखे छोड़ रहे थे, खुशिया मना रहे थे तो उस आखिरी दिन भी जाते-जाते इस सरकार ने मेरे 250 लोगों पर मुकदमा करके अनगिनत घरों में घुस करके लूट पाट की, परदानशीं मां, बहनों को मारा पीटा। उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। हाथ तोड़ दिया। 70 और 80 साल तक के बूढ़े लोगों को गिरफ्तार करके घसीट कर ले गये। थाने में दो दिन मारा, फिर जेल ले गये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नेता सदन जी कम से कम इन दोनों प्रकरणों की जांच सुनिश्चित करा लें और उन अधिकारियों ने जो इस तानाशाह हुकूमत के आदेश पर फर्जी, बेगुनाह, मजलूम और बेगुनाह लोगों को जेल भेजने का काम किया है शरीफ लोगों की जिन्दगी बरबाद करने का काम किया है। अब उसके नतीजे में, मैं आपको एक व्यवस्था बता रहा हूं अब यह हो गया है, चूंकि वह बम कांड के और 307 के मुलजिम बना दिये गये, दस, बारह धारा लगा दी हैं 147, 148, 353, 307, 188 और क्रिमिनल लॉ 8, बम कांड, तो अब जो आर्डर जा रहा है वह यह जा रहा है कि उन गुण्डा एक्ट लगाओ। अब तक वह 6-7 मुकदमों के मुलजिम बन चुके हैं। जिनके जीवन में आज तक एक भी मुकदमा नहीं था हो सकता है उन पर और मुकदमें लग जायें, इसलिये मैं चाहता हूं जो बिल्कुल शरीफ और बेसहारा लोग हैं जिनको मुख्तार अंसारी की दुश्मनी निभाने के लिये सताया जा रहा है, इसकी आप जांच का आदेश कर दें और इन बेगुनाहों को इंसाफ दिला दें, और जो शरारती अधिकारी इन ताराशाह लोगों की बात को मानकर फर्जी मुकदमें कायम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये। ताकि आगे कोई अधिकारी आगे कोई बेगुनाह लोगों को फंसाकर जेल भेजने की हरकत न कर सके इसी के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगरा जेल में था 18 लोग बारी-बारी मुझसे मिलने गये। किसी पर एक भी मुकदमा आज तक नहीं है। मान्यवर, जो लोग मुझसे मिलने जाते थे उनको पकड़ लिया जाता था और तीन लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया कहा गया कि

मुख्तार अंसारी को भगाने आये हैं। बारह लोगों को पकड़ लिया गया, पूछा गया, कि क्यों आये थे भई, कहा मुख्तार अंसारी से मिलने आये थे उनके क्षेत्र से आये हैं। उन बारह लोगों को जेल भेज दिया गया। लाइसेंसी रिवाल्वर इमरान की जो दस कारतूसों के साथ जमा है, सबकी जेब में दे दिया एक-एक कारतूस, और कहा सबकी जेब से एक-एक कारतूस बरामद हुआ और एक के पास से रिवाल्वर बरामद हुई और लाइसेंस फाड़ दिया तो इस तरह से झूठे मुकदमें जो लगाये गये हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं लड़ रहा हूं संघर्ष कर रहा हूं और राजनीति में एक दूसरे का विरोध होता रहता है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से शरारत की है और जिस तरह से जुल्म ढाये हैं ऐसी मिसाल किसी के साथ नहीं मिलेगी। मैं इनके लिये मसीहा था। मान्यवर 12 अप्रैल को मायावती जी ने दनियाबाग के मैदान में मंच से एलान करके लाखों के बीच में यह कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है और चुनाव बीतने के बाद मुख्तार अंसारी माफिया है उससे जो मिलने भी जायेगा चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे क्षेत्र की जनता हो, दोस्त हो, उसको बंद किया जायेगा और कहा जायेगा कि मुख्तार अंसारी को जेल से तीन आदमी एक-एक कारतूस लेकर भगाने आयेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री मुख्तार अंसारी-

मान्यवर, हमारे ऊपर जुल्म किया गया और वह शरारती अधिकारी जो इस तरह की हरकत किये हैं उन सबके खिलाफ आप कोई आदेश करें, अब जैसे एक दिन मैं विधान सभा आ रहा था मेरे बड़े भाई भी साथ आ रहे थे। गाजीपुर जेल से मैं यहा बसपा सरकार में आ रहा था। लैटर जाता है अदालत आदेश करती है, मैं आ रहा था तीन गाड़ी साथ थी पुलिस की और मेरे बड़े भाई भी विधायक हैं वह भी आ रहे थे उनके साथ भी तीन गाड़ी में लोग थे और मान्यवर, यहां से पांच किलोमीटर दूर 26 लोगों को बन्द कर दिया गया। कि यह लोग मुख्तार अंसारी के काफिले में चल रहे थे। 26 में 26सों पर कोई मुकदमा पहले नहीं था। सब निर्दोष थे, सिर्फ इसलिये कि मुख्तार अंसारी को बिल्कुल अकेला कर दिया जाय और अकेला करके मुख्तार अंसारी को मरवा दिया जाए। लेकिन मौत और जिन्दगी का मालिक सिवाय अल्लाह के दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिये यह मेरा बाल बांका नहीं कर सके। मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र की सरकार है और माननीय मुख्य मंत्री जी जो अखिलेश यादव जी हैं, मैं मुख्तार अंसारी.....

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जैसा मैने इनको पाया है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार नहीं पांच बार माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्य मंत्री जी बनेंगे। (मेजें थपथपाई गई) इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद जिस इंसान के अन्दर घमंड नहीं होता है उसकी कुदरत मदद करती है। और जिस इंसान की कुदरत मदद करेगी वह पांच बार मुख्य मंत्री बनेंगे और यह लोग ताकते रह जायेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भावुक होकर नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं सदन के हर सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार न्याय के सिवा कुछ नहीं करेगी।

श्री मुख्तार अंसारी-

अध्यक्ष जी, अभी भी कार्यवाही चल रही है, उस पर रोक लग जायेगी तो ठीक रहेगा। उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, अभी-अभी भैय्या का फोन आया था।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपकी सूचना सही नहीं है, जैसे ही आपने सूचना दी थी, तुरन्त मुख्य मंत्री जी को सूचना दे दी गई थी और मुख्य मंत्री जी के द्वारा गृह विभाग को सूचना पहुंच गयी थी। गृह विभाग ने उसी वक्त सूचित कर दिया था कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बिल्कुल शान्ति है और वहां किसी किस्म का कानून के खिलाफ किसी की करने की हिम्मत नहीं है।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर उसके समर्थन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अभी कटौती का प्रस्ताव जब नेता प्रतिपक्ष रख रहे थे तो हमारे नेता सदन के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री को रखना चाहिये, और कितना समय सदन का लिया और सारा सदन उनकी बात सुनता रहा और अब अपना भाषण देकर जब उनके सुनने की बारी आई तो चले गये। मान्यवर, उन्होंने सामान्य प्रशासन के कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुये कहा कि थोड़े दिन की इस सरकार में उत्तर प्रदेश की कुछ बैंक लुट गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने हमारी सरकार में एक बैंक के लुटने की बात किया है, आपको शर्म आनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश सरकार के सारे खजाने पर आपने डाका डालने का काम किया है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है।

(नेता प्रतिपक्ष के आ जाने पर)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक बैंक के लुटने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने का लुटवाने का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे इसका हिसाब चाहती है। आपने ऐसे-एसे थानेदार बनाये थे जो जन्म दिन के नाम पर केवल चन्दा उगाही का काम कर रहे थे, कैसे कानून-व्यवस्था ठीक होने का काम होगा ? आज हमारे नेता सदन ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है तो जो अपराध आपके जमाने में हुये थे, उन अपराधों पर आज सदन के अन्दर चर्चा करने का काम कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है और इसीलिये यह बौखला गये है। इन्होंने जो वसूली का राज, जो अपराध का राज, गुण्डागर्दी और रिश्वतखोरी का राज कायम करने का काम किया था, अब इनकी गुण्डागर्दी चलने वाली नहीं है इसलिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कानून का राज स्थापित किया है, उससे बौखला गये हैं। अभी पूरे सदन में चर्चा हुई है, पिछली सरकार ने सरकारी खजाने को

लूट करके उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है और कम संसाधनों के बाद भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने हमारे नेता ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और नेता सदन को बधाई देना चाहता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश का गरीब और किसान मुख्य मंत्री जी को बधाई दे रहा है, इसलिये बधाई दे रहा है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है। छात्र बधाई दे रहा है, अल्पसंख्यक बधाई दे रहा है, दलित बधाई दे रहा है, किसान बधाई दे रहा है। जिनके चेहरे मुरझा गये थे, अगर उनके मुरझाये चेहरों पर किसी ने मुस्कान लाने का काम किया है तो वह अखिलेश यादव ने किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुये हैं, कानून का राज कायम हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं नेतापक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में और उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, वह भारत सरकार के भी कैबिनेट सेक्रेटरी हुये, टी0एस0आर0 सुब्रमण्यम। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जर्नी फ्राम नेटालेण्ड टू बाबूडम। मुझे विश्वास है कि जो कन्सर्न लोग हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने आत्मकथा लिखी है और आत्मकथा की शुरूआत इस बात से की है कि एक ट्रेनी आई0ए0एस0 अधिकारी के रूप में जब मैं गाजीपुर में अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने गया तो उसके पूर्व मैं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव, उन्होंने नाम लिया है मैं भी नाम ले सकता हूं उसमें समस्या नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तत्कालीन मुख्य सचिव से मिला। मुख्य सचिव ने उनसे जो कुछ कहा मैं उसे दोहराना चाहूंगा क्योंकि वह सब रिकार्ड है वह नहीं छिपाया जा सकता। मुख्य सचिव ने कहा इट इज ओ0के0।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे हिन्दी में अनुवाद कर दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

जी मान्यवर। ''पोस्टिंग के दौरान तुम जा करके ग्राम सेविका के साथ सोओ ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में यदि तुम कानून-व्यवस्था की रक्षा करने में असफल हो गये, तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा।'' मान्यवर मैं यह क्यों कह रहा हूं। मान्यवर, यह बात चालीस साल पुरानी होगी। एक भारत के वरिष्ठतम् आई0ए0एस0 अधिकारी जो भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी रहा। जो उत्तर प्रदेश का भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहा और संभवतः उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव भी रहा। उसने अपनी पुस्तक की शुरूआत की और मैं इस वाक्य को सिर्फ इसलिये दोहरा रहा हूं कि माननीय आजम खां जी अभी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा और ठीक कहा जो स्थिति कल थी वही आज भी है और वही कल भी रहेगी। माननीय हुकुम सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने इसी बात को कहा कि व्यवस्था नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही। क्योंकि हम लोगों ने एक अजीब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी सोच बना रखी है। जिन अधिकारियों को हम जिलों में पोस्ट करते हैं उन अधिकारियों के साथ सिर्फ एक शर्त लगाते हैं अगर एक शर्त पर वह खरे उतर जायें तो शेष उन्होंने क्या किया है उसकी ओर कोई झांकने की कोशिश भी नहीं करता और वह शर्त है कि अधिकारी को अपने जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखनी है। मैं उदाहरण दूंगा। प्रतापगढ़ की बहस चल रही थी मैं बोला नहीं। मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा था क्योंकि अनावश्यक वह बहस जिससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं था वह दूसरी ओर जाती। लेकिन एक और चीज है अध्यक्ष जी, एक दलित बालिका का बलात्कार हुआ, एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। अधिकारियों का ट्रांसफर तब तक नहीं किया गया जब तक वहां दंगे नहीं हुये। जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होती हम अधिकारियों के विरुद्ध चाहे वह कितने भी लापरवाह हों कोई कार्यवाही नहीं करते और ज्यों ही कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है हम उन्हें तुरन्त निलंबित करते हैं। जो करना है वह करते हैं और मैं अपनी छोटी सी 10-12 साल की राजनीति में महसूस करता हूं कि इस सारी व्यवस्था के बिगड़ने के केन्द्र में सिर्फ यही है। जब एक अधिकारी के ऊपर हम यह शर्त लगाते हैं कि जाओ गोरखपुर या अन्य किसी जनपद में और देखो कि कानून व्यवस्था के लिये समस्या न पैदा होने पाये। तो कभी यह सोच कर देखिये कि वह करता क्या है। किसी भी जनपद में पहुंचने के बाद वह पहली कोशिश यह करता होगा कि यह पता करो कि उस जनपद के अंदर वह कौन-कौन लोग हैं जो कूानन व्यवस्था के लिये खतरे बन सकते हैं। खतरे बन सकने वाले लोगों के साथ वह समझौते करता है, उनसे दोस्ती गांठता है। उनके हर प्रकार के वह काम करता है। उनको येनकेन प्रकारेण संतुष्ट करने की कोशिश करता है।

जितने भी ऐसे लोग चाहे वह विधायक हों, चाहे मंत्री हों, राजनैतिक हों या गैर राजनैतिक हों, लेकिन अगर समाज में उनकी न्यूसेन्श है, अगर वह न्यूसेन्श वैल्यू रखते हैं तो वह अधिकारी उनसे दोस्ती गांठता है, उनके हर तरह के काम करता है और जब अकेले में मिलता है तो हाथ जोड़कर यही कहता है कि तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा, जब तक मैं यहां डी0एम0, एस0एस0पी0 रहूं यहां शान्ति रहनी चाहिये, यही वह शर्त है जिसके आधार पर इन अपराधीनुमा राजनेताओं को और अपराधीनुमा सामाजिक नेताओं को हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं, नागरिक हमसे काम चाहता है, वह हमारे पास आता ही इसलिये है कि हम उसके काम करें, अगर उसको यह लगता है कि फलाना विधायक सीधा है, अधिकारी के पास जायेगा, इसकी बात नहीं सुनी जायेगी, बगल के क्षेत्र में एक विधायक है, यह बगल के क्षेत्र का एक दूसरा जनप्रतिनिधि है या एक राजनेता है किसी राजनैतिक दल का या नहीं है तो सामाजिक रूप से न्यूसेन्श क्रियेट करने वाला व्यक्ति है, वह जब फोन कर देगा, तो काम हो जायेगा, तो नागरिक अच्छे-अच्छे जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके ऐसे ही न्यूसेन्श वैल्यू के लोगों के पास जाते हैं क्योंकि हमारा तंत्र उन्हीं न्यूसेन्श वैल्यू की बात सुनता है, इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह जो प्रशासनिक सोच हम लोगों ने 40-45 साल से बनाई हुई है, कानून और व्यवस्था के नाम पर अधिकारियों के मूल्यांकन करने की, उस सोच को बदलना चाहिये। कम से कम हम यह तो कर सकते हैं कि दो प्रकार के अधिकारी किसी जनपद में होते हैं एक आई0पी0एस0 और एक आई0ए0एस0। बहुत काम है आई0ए0एस0

अधिकारियों के पास, एक जिलाधिकारी के पास अगर ईमानदारी से काम करे तो उसके पास एक सेकेण्ड की भी फुरसत नहीं हो सकती, उसके पास ढेरों काम हैं, कम से कम हम लोग यह व्यवस्था कर सकते हैं कि कानून-व्यवस्था का जो पूरा जिम्मा हम लोगों ने जो आई0पी0एस0 के साथ-साथ इन जिलाधिकारियों को दे रखा है, कम से कम इन जिलाधिकारियों के पास से इस काम को अलग कर सकते हैं और कानून-व्यवस्था का अकेला जिम्मा आई0पी0एस0 के अधिकारियों को दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई तो हम तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी जो अनुशासनहीन हो गया है, जिन कामों पर उनका दिमाग जाना चाहिये, जिन पर उनको समय देना चाहिये, जिनका उनको पालन ईमानदारी के साथ करना चाहिये वह अपना दिमाग उस पर लगा सकें। मा0 अध्यक्ष महोदय, एक बात बहुत अच्छी यहां आई थी, मुझे नहीं मालूम कि क्यों पीछे चली गई। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही थी, पुलिस प्रशासन को दो हिस्सों में बांटने की और उन्होंने कहा था कि एक प्रक्रिया जो बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है और पुलिस सुधार आयोग की संस्तुतियां भी हैं कि जांच करने वाले अधिकारी अलग से बनाये जायं। यह मुद्दा अगर हम लोग सफलता के साथ खड़े होते तो शायद जो पुलिस विभाग के अन्दर अक्षमता और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगता है हम उसमें बहुत कुछ नियंत्रण करने में सफलता पा लेते। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिये हम पुलिस तंत्र के अन्दर हर कोने में और हर एस0एस0पी0 के अण्डर में वह टीम खड़ी कर सकते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश के अन्दर जो मुकदमें दर्ज होंगे उनकी पैरवी का तंत्र अलग बनेगा और पुलिस का जो लॉ-एण्ड-आर्डर मेन्टेन करने का विंग होगा वह अलग होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रास्ते निकालने होंगे और जब तक आप नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको यह प्रयास करना होगा कि जो आप के पास कैडर है उस कैडर को डायवर्टीफाई करके उसी के बीच में से एक अलग कैडर हम बनायें और उन लोगों को जो बीच में विशेष रूप से जिन्हें विवेचना का काम दिया जाय उनकी प्रोन्नति को, उनके चरित्र प्रमाण-पत्र को इस बात से चिन्हित करें कि जिन केसों पर मुकदमों की उन्होंने विवेचना की है उनमें से कितने केसों में वह वास्तव में अपराधियों को दण्डित करा सके। मा0 अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी सी बात, यातायात की चर्चा मैंने कल परसों में की थी, आप कभी गौर करके देखियेगा कि प्रदेश में यातायात पुलिस की कितनी कमी है, इस कमी को तो दूर करना पड़ेगा और यातायात पुलिस के अन्दर कितना भ्रष्टाचार है इस भ्रष्टाचार को भी दूर करना पड़ेगा। अगर नो ट्रैफिक जोन में 11 से 06 बजे के बीच में ट्रकें जायेंगी, इसके नाते जायेंगी और उन ट्रकों से दब करके अध्यक्ष महोदय छोटे-छोटे बच्चे, नौजवान, बच्चियां जो साइकिलों से जाते हैं, दब करके मरेंगे तो उन पुलिस कर्मियों को दण्डित किया जाना चाहिये और इतने प्रभावी ढंग से दण्डित किया जाना चाहिये कि दोबारा पैसा ले करके नो ट्रैफिक जोन में किसी ट्रक को गुजरने न दे।

यह एक प्रकार से आपराधिक लापरवाही है, अध्यक्ष महोदय और इस सदन में मैं यह मांग करता हूं कि ऐसे पुलिस कर्मी और ऐसे थाने के लोग जिनके रास्ते से यह ट्रकें पैसे के

आधार पर भीड़ भरे रास्ते से गुजरती हैं और एक्सीडेंट की वजह से नौजवान लोगों की मौत होती है। उनके ऊपर क्रिमिनल निगलीजैन्स की धारा 304(ए) के जो मुकदमें होते हैं, वह मुकदमें दर्ज किये जाने चाहिये, जब तक यह कार्यवाही नहीं होगी, जिस बात की चर्चा मा0 हुकुम सिंह जी कर रहे थे, कि किस प्रकार से रास्ते पर खड़े हो करके पैसे की वसूली होती है। अपने द्वारा स्वयं होती है या अपने द्वारा किराये पर बैठाये गये सिविलियन लोगों के द्वारा होती है, तब तक इस पर नियंत्रण हम लोग कर पायें, यह सम्भव नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा, मान्यवर, टी0वी0 पर हम लोगों ने देखा है, संत कबीर नगर के एस0एस0पी0 को बहुत भद्दे तरीके से टिप्पणी करते हैं। मान्यवर, आप बगल से आते हैं, संतकबीर नगर की आधी लड़कियां भाग जाती हैं। यह बड़ी शर्मनाक टिप्पणी है किसी एस0पी0 का यह कमेंट की मैं चोरों को पकडूं की या इन लड़कियों को खोजूं, तो यह बहुत शर्मनाक टिप्पणी है और बहुत अच्छा लगा था कि उस पुलिस अधिकारी को हटाया गया। लेकिन, बहुत दुख हुआ था हटाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर उसे पुनः पदास्थापित किया गया। मैं जानना चाहूंगा सरकार से अगर उसे पुलिस अधिकारी ने सही कहा था तो उसे हटाया क्यों गया और अगर गलत कहा था तो हटा करके दोबारा बैठाया क्यों गया ? धन्यवाद।

श्री माइकल चन्द्रा-

आज सदन में प्रथम बार बोलने के लिये मौका देने पर मैं मा0 अध्यक्ष को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, दिल की गहराइयों से। सदन के सभी सदस्यों को अपना परिचय देते हुये नमस्कार करता हूं, और बार-बार धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना तो कई बार की गयी लेकिन मौका नहीं मिला, आज मुझे बोलने का मौका आपने दिया है। जनाब, 36 साल सरकार की नौकरी की है, केन्द्र सरकार की, पुलिस विभाग से जुड़ा रहा हूं, बहुत-सी परेशानियों को जानता हूं, बहुत से कामों को संभाला है।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकारी पक्ष में हैं, इसको भी जान लीजिये।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, मैं पक्ष में बोल रहा हूं। मैं पक्ष में ही बोलने के लिये खड़ा हूं। पक्ष में ही बैठा हूं तो पक्ष में ही बोलूंगा, पक्ष का आदमी हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन की गहराइयों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे सामने आदरणीय मौर्या साहब, बैठे हुये है। आज मैं सदन के अंदर एक महीने से बराबर सुन रहा हूं, देख रहा हूं उन सब चीजों को, जो दावे करके ये खड़े हुये हैं, जो चीजें ये ले करके खड़े हुये हैं, कभी जिन्दगी में इन्होंने अपने दिल की गहराइयों से यह नहीं देखा। कभी जिन गरीबों की, तन्हाओं की, मजबूरों की बात करके यह सदन में और पूरे प्रदेश के अन्दर सत्तानशीन हुये थे। कभी इन्होंने खुद को झांक कर नहीं देखा। जो बताते हैं दूसरों को बुरा उन्हें खुद का पता नहीं होता। इन्होंने जिस तरीके की बर्बादी की, जिस तरीके की तबाहियां की हैं, जिस तरीके के जुर्म किये हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय, मुख्य मंत्री जी और अन्य मंत्रीगण भी बैठे हैं, यह सवाल मैं उनसे करता हूं। असल में

कोई दूसरा शासन होता तो कम से कम इनमें से 10 लोगों को जेल भेज दिया जाता। मैं इनसे कहता हूं कि यह किस मुंह से कहते हैं, क्या जुबान है इनकी कहने के लिए। मैं सबसे दबे और सबसे पिछड़े तबके का आदमी आज आपके सामने यह बात कह रहा हूं, मैं वाल्मीकि समाज का आदमी हूं। सफाई पेशावर्ग का आदमी हूं। सफाई पेशा वर्ग का एक प्रतिनिधि बन कर यहां पर आया हूं। ये बतायें कि आज तक इन्होंने कितने जुर्म किये हैं सफाई पेशाओं के ऊपर। बहन जी का शासन यह देखा करते थे। किस तरीके से एक सतीश पासा नाम का नेता होता था, नोएडा के अंदर वहां पर उसने एक रिप्रिजिडेशन भेजा, इनकी सरकार को कि यहां 20-20 साल पुराने वाल्मीकि समाज के लोग जो सफाई का काम कर रहे हैं, उनमें से किसी को पक्का नहीं किया जा रहा है। हमारी भी सुनी जाए इसलिये यहां पर 50 लोगों का डेलीगेशन बहन जी से मिलने के लिये आया। उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया तब मजबूर होकर उन्होंने वहां हड़ताल कर दी नोएडा में, सड़कों पर कूड़ा छोड़ दिया और बेचारे अपना दुख रो रहे थे। इन्होंने सीधे डी0 एम0 को ऑर्डर किया। मैं डी0 एम0 साहब का नाम बता सकता हूं। डेलीगेशन में मिलने के लिये डी0 एम0 साहब को सीधा ऑर्डर गया यहां से कि इनको दबा दिया जाये, वाल्मीकियों के ऊपर घोड़े चढ़ा दिये, पानी की बौछार मारी गयी और मैं गवाह हूं इस बात का कि चार प्रेगनेण्ट औरतों का वहां पर मिसकैरेज हो गया। वहां पर चार औरतों के बच्चे वहां पर निकल गये, पैदा हो गये। इस तरीके से इन्होंने जुल्म किया है। आज ये बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं, ये इंसाफ मांगते हैं ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनको गैरत आनी चाहिये, शर्म आनी चाहिये इनको कोई बात कहने से पहले। मैं खुद आपको बताऊं, आपको पता होगा और आप बहुत सीनियर लोग यहां पर बैठे हुये हैं। आपके सामने मैं एक अदना सा आदमी हूं। मैं आया हूं मैंने नौकरी की है। मैं राजनीति नहीं जानता, मैं दिल की बात कहता हूं, इंसानियत की बात कहता हूं। वही बात कहने के लिये आपके बीच में मुझे मेरी जनता ने भेजा है। मैं सच्चाई बताता हूं, इन लोगों की कि यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे आये थे बहन जी के पास थे उम्मीद लेकर कि आज ये हमारे समाज की एक दलित समाज की औरत यहां पर चीफ मिनिस्टर बनी हैं, शायद हमारा भी ख्याल करेंगी। चन्द मांगें थीं, क्या मांगें होती हैं बेचारों की, झाड़ू टोकरी की मांग। क्या मांगें होती हैं कि साहब बोनस दे दीजिये। क्या मांगें होती हैं, क्या इनसे पेट्रोल पम्प मांगे थे, इनसे कोई बड़े-बड़े ठेके मांगे थे। सिर्फ यही मांगे लेकर आये थे। शर्म आनी चाहिये इन्हें, गैरत आनी चाहिये इन्हें, यहां सामने के मैदान पर लाठियों से पिटवाया इन्होंने। 27 आदमी यहां अस्पताल में भर्ती हुये, हाथ टूट गये, पैर टूट गये, उसमें मेरा एक सगा भाई भी था। आज तक इनकी मार का मारा हुआ उसका पैर सीधा नहीं है। आप कहेंगे तो मैं उसे कल सदन में लाकर खड़ा कर दूंगा। ये शर्म की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिये, कालिख पुती हुयी है इन लोगों के मुंह पर। ये किस तरीके की बातें करते हैं। ये तो इनकी बात हो गयी, बात पुलिस प्रशासन पर चल रही थी। कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। इन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिये, इन्हें तो चाहिये कि मुंह पर नकाब डालकर बैठें। ये हाथ उठाकर यहां से चले जायें, यही इनके लिये शर्म की बात होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कुछ और पुलिस प्रशासन बगैरह पर सुझाव देना हो तो दीजिये, बहुत हो गया।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपने एक महीने में कभी मुझको मौका नहीं दिया। आज मैं बार-बार आपसे मौका मांग रहा था। मैंने बार-बार आपसे कहा, आपने लिख कर एक तरफ को डाल दिया। मान्यवर, आज मुझे आप बोलने दीजिये, जो मेरे दिल के छाले हैं। बहुत लोग बड़ी उम्मीदें लेकर आये थे।

''अरे आप कांटों की बात करते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाये हैं,

आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमायें हैं।''

आप हमारा हिस्सा, सबका हिस्सा खा गये। पहाड़िया साहब अभी बैठे हुये थे। रोज बोलते हैं पहाड़िया साहब यहां पर, हमेशा एक बात बोलते हैं कि ये एक खास विशेष वर्ग के लिये खा गये। पहाड़िया जी ये एक खास विशेष वर्ग का नहीं, ये सबका खा गये। इनका पेट तब भी नहीं भरा, ये नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे, इन्हें ईश्वर की मार पड़ेगी, इन्होंने सबका खाया है, ये इस तरीके के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात खत्म करिये।

श्री माइकल चन्द्रा-

इस समाज के अन्दर अनियमितता जो आयी है, इस समाज के कुछ सामाजिक मापदण्ड होते हैं। आदमी के अंदर कुछ न कुछ गैरत होती है। आदमी अपने अंदर से महसूस करता है कि हां मुझसे गलती हुयी है, आदमी कहीं न कहीं शर्मसार हो जाता है। ये तो इतने बेगैरत हैं कि ये शर्मसार भी नहीं होते।

श्री अध्यक्ष-

माइकल चन्द्रा जी, आप तो खुफिया अधिकारी रहे हैं तो प्रशासन के बारे में कुछ बताइये।

श्री माइकल चन्द्रा-

ये चोरी और सीना जोरी करने वाले लोग हैं सर।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर बेशर्म लोगों को शर्म हो जायेगी तो कानून व्यवस्था काफी अच्छी हो जायेगी वो अच्छी राय ही दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री माइकल चन्द्रा-

मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात जहां तक आती है। यहां पर बहुत प्रबुद्ध लोगों ने बड़ी राय दे दी है लेकिन एक किस्सा ये रहा है कि जैसे एक चूहा छत्तर पा जाता है वो बदगुमान हो जाता है, बहन जी के साथ भी वही हुआ है। एक्चुली उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और ये भगवान पता नहीं क्या गलती कर गया, किसी तरह से क्या हो गया। मान्यवर, उन्होंने भी सोचा होगा कि अरे यह कैसे हो गया कि वह चीफ मिनिस्टर बन गयीं। (हंसी) मान्यवर हमारे यहां कहा जाता है कि प्यादे से फर्जी भयो टेंरो-टेंरो जाये। मान्यवर जो आदमी सोच भी नहीं सकता था कभी वह मुख्य मंत्री बन गयी थीं और फिर उनकी मंडली भी वैसे ही बन गयी थी। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं कि जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसके लिये यह लोग जिम्मेदार हैं। मान्यवर, ब्रिटिश काल में पुलिस बल का गठन हुआ था। उसमें पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो पुलिस विभाग में रहे हैं तो कुछ सुझाव दे दें।

श्री माइकल चन्द्रा-

जी हां मान्यवर, मैं उस विभाग में रहा हूं मैं कह रहा था कि 300 साल पहले ब्रिटिश शासन काल में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिये पुलिस बल का गठन किया गया था उसके गठन के पीछे एक ही मकसद था कि हिन्दुस्तानी आदमी अपनी आवाज को न खोले और बहन मायावती जी ने भी अपने शासन काल में यही किया लोगों की आवाज दबा दी गयी।

मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, पुलिस बल में नियुक्यिों में तमाम गड़बड़ियां हुईं। करोड़ों रुपये के घोटाले हुये है और मुख्य मंत्री के जन्म दिन के नाम पर करोड़ों रुपये इक्ट्ठे किये जाते थे और यहां पहुंचाये जाते थे और उतने ही रुपये दलालों की जेबों में चले जाते थे मान्यवर, इससे उस समय पुलिस बल के मनोबल में गिरावट आयी। उस समय दलितों के प्रति पुलिस वालों का उत्पीड़न हुआ है उसके पीछे मंशा यही थी कि लोगों की जुबान न खुले।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें आपका समय समाप्त। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज 4.30 बजे इस पर चर्चा समाप्त होगी फिर नेता विरोधी दल बोलेंगे और मुख्य मंत्री जी बोलना चाहेंगे और उसके बाद चर्चायें लगी हैं और विधेयक भी पास होने हैं।

श्री तेज पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नेता सदन यहां बैठे हुये हैं, कोसी कलां में घटना हुई साम्प्रदायिक घटना हुई, और उसकी हवा और आग देहात में फैल गयी। मान्यवर, हमारे यहां सहार गांव है, बरसाना थाने के अन्तर्गत पड़ता है वहां विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। मान्यवर, वहां पर एक 22 साल के लड़के राम बाबू को खुले आम दिन

दहाड़े 2.30 बजे के आस-पास मार दिया गया। उसको लेकर हजारों हजार लोग इकट्ठा हो गये। मुझे दहशत यह लगी कि एक बगल के गांव में भी विशेष समुदाय के लोग रहते हैं तो कहीं बात बढ़ न जाये। तो मैंने वहां पहुंच कर स्थिति को कन्ट्रोल करने का प्रयास किया प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गये। रात में किसी तरीके से उसका पोस्टमार्टम कराया गया फिर जब उसके शव का दहन करने की बात आयी तो वहां पर भीड़ इकट्ठा थी तो वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा कर यह कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दंगा में मृतकों को पांच-पांच लाख रुपये दिलवाये हैं उसी तरह से राम बाबू के परिवारजन को भी पांच लाख रुपये मिल जायेंगे उसके बाद उसके शव दहन का कार्य हुआ। लेकिन मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राम बाबू के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिल पायी और उसको वहां के अधिकारी और कर्मचारी केवल यह बात छिपाने के लिये कि यह सब सम्प्रदायिक दंगे से संबंधित नहीं है इसीलिये उनको नहीं दे रहे हैं कि पहली तारीख को यह घटना हुई और उसके 8 दिन बाद यह घटना हो गयी लेकिन मेरा आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध है कि राम बाबू पुत्र दामोदर निवासी सहार थाना बरसाना जो मारा गया है मेरे पास लिखा हुआ है उसको आपके पास भिजवा रहा हूं उसके पिता जी ने लिखकर दिया है, नेता सदन मैं आपके पास भिजवा भी रहा हूं। मान्यवर, एक और गम्भीर बात है टी0 राम जी बैठे हैं और माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी बैठे हैं। पी0डब्लू0डी0 का जब बजट पेश हो रहा था टी0 राम जी ने एक शंका जाहिर करी थी अपनी तरफ से कि मथुरा में काले तेल की बहुत बड़ी मंडी है और मथुरा में काले तेल की मण्डी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सड़कों का सुधार होने वाला नहीं है। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मण्डी मथुरा और मथुरा में पिछली सरकार के रहते हुये सब गोदामों में छापे पड़े 34 मुकदमें लिखे गये और 34 मुकदमें लिखे जाने के बावजूद उस सरकार में सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुये एक कैबिनेट मंत्री की 7 फैक्ट्रियां अकेले 7 गोदाम उन्हीं श्रीमान् जी के चलते थे। 7 गोदाम जिनके भाई के खिलाफ रिपोर्ट हुई, भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट हुई, रिश्तेदारों के खिलाफ रिपोर्ट हुई और काले तेल की 34 की 34 एफ0आई0आर0 होने के बावजूद उत्साहवर्धन तो अलग रहा पुलिस का, यह बात हो दूर रही उस अधिकारी की पीठ थपथपानी चाहिये थी जिसने 34 कारखाने, गोदामों को बन्द किये और उसमें जो कैबिनेट मंत्री के 7 कारखाने, गोदामों को बन्द किया उसकी पीठ थपथपाने के बजाय उसको सजा दी गयी उसका तबादला कर दिया गया 10 दिन के अन्दर। माननीय टी0 राम जी यहां बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब आपको यह पता था कि मथुरा में काले तेल की मण्डी है और मथुरा में काले तेल के गोदाम चलते हैं तो मान्यवर, आप उसी सरकार में थे ई0एन0सी0, कभी आपने यह प्रयास किया कि इसको मुख्य मंत्री जी को बता दें कि आपके बीच में जो कैबिनेट मंत्री बैठा है, 7 कारखाने अकेले उसके चलते हैं। मान्यवर, जो 34 एफ0आई0आर0 दबा दी गयी है, इसमें बहुत प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है आप समय नहीं दे पा रहे हैं लेकिन मैं जो 34 एफ0आई0आर0 हुई थी उन 34 एफ0आई0आर0 को माननीय मुख्य मंत्री जी निन्दा करिये, वह मण्डी बन्द होगी तभी यह सड़कें बनेंगी नहीं तो यह सड़कें बनने वाली नहीं हैं और आज जो कह रहे हैं जो दंगा करा रहे

हैं कोसी में वही माननीय मंत्री जी जिनके 7-7 कारखाने वहां चलते हैं तो मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है, मान्यवर, नेता सदन मेरी एक मिनट बात सुन लेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े लेखक हुये हैं आपका बहुत लम्बा सफर है नेता सदन जी, बहुत लम्बी दूरदृष्टि आपको रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद जी बहुत बड़े लेखक हुये थे अपने लेख में एक जगह उन्होंने उल्लेख किया है राजा राज नहीं करता है राजा का इकबाल राज करता है और मान्यवर, इकबाल जिन्दा रखने के लिये यह बहुत जरूरी है क्योंकि पुलिस मुख्य कड़ी होती है शासनतंत्र की और शासनतंत्र की मुख्य कड़ी को सुधारने के लिये बहुत आवश्यकता इस बात की है। मान्यवर, हम जिस जिले से आते हैं 3-3 स्टेटों का बार्डर है हरियाणा का, राजस्थान का, बहुत अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि किसी जमाने में हमारा स्टेट बदनाम था कि हरियाणा में हमारे लोग खुराफात कर रहे हैं राजस्थान में डकैती डाल रहे हैं लेकिन आज उल्टी बात हो रही है हरियाणा एवं राजस्थान के लोग हमारे प्रदेश में आकर डकैती डाल रहे हैं। हमारे प्रदेश में आकर वारदात कर रहे हैं तो यह सब चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। मैंने जो बात कही क्योंकि आपकी लम्बी रेस है, लम्बी सोच है और लम्बी रेस और लम्बी सोच के साथ इस इकबाल को कायम रखिये ताकि जनता को यह भरोसा रहे कि आज जो कुर्सी पर बैठा है वह हमारा रहबर है हमारा रहनुमा है तभी जनता के बीच में एक संदेश जायेगा। आप उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है मुझे अभी तक याद है उनकी एक ही मंशा हुआ करती थी वह कहा करते थे मैं समाज के उस अंतिम व्यक्ति के होठों पर मुस्कान देखना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी भी वही सोच होनी चाहिये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक तो वह रामबाबू जिसके लिये कहा है उसको आप 5 लाख रुपये दिलवा दीजिये और दूसरा काले तेल की उन 34 एफ0आई0आर पर कार्यवाही कराइये। आपको धन्यवाद।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, गृह विभाग बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग है। चाहे प्रदेश की कानून और व्यवस्था का मामला हो, चाहे खनन और राजस्व के मामले हों, दलित उत्पीड़न के मामले हों और जमींदारी से जुड़े मामले हों चाहे एक्सीडेंट से जुड़े मामले हों, मान्यवर तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से हमारे जेवर विधान सभा क्षेत्र के भट्ठा पारसौल में किसानों पर बर्बरतपूर्वक लाठीचार्ज किया। हमारे नेता राहुल गांधी वहां आये और उनकी मौजूदगी में जिस तरह से महिलाओं ने बयान दिये कि उनके साथ उत्पीड़न ही नहीं, मारपीट ही नहीं बल्कि बलात्कार तक की घटनायें हुईं। मान्यवर, बड़े शर्म की बात है आज बसपा के लोग यहां बैठे हैं जिस समय नोएडा जिले में आदरणीय मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ लोगों को उनका हालचाल जानने के लिये नहीं जाने दिया गया। लोगों को बार्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया जैसे-तैसे लुकाछिपी करके हम सुबह पांच बजे मा0 राहुल गांधी जी को ले करके वहां पहुंचे। मान्यवर, वहां के लोगों की बड़ी पीड़ा है अगर आप सुनते तो आपको एहसास होता कि किस तरह का उत्पीड़न वहां हुआ। मान्यवर, पुरानी सरकार में जिस तरह से थानों के माध्यम से लूट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और खसोट हुई वह बहुत गम्भीर है। मान्यवर, मैं वर्तमान सरकार को एक बात के लिये आगाह करना चाहता हूं कि आज पुलिस विभाग में इंस्पेक्टरों में इतनी भारी कमी है कि आज गैरजिम्मेदार सब-इंस्पेक्टर लोग कोतवाली चला रहे हैं, इसलिये मान्यवर, पुलिस विभाग में भर्ती की जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि कानून-व्यवस्था में जो गिरावट आई थी उसमें कुछ सुधार हुआ है तत्कालीन सरकार के उच्चाधिकारियों को बदलने का जरूर काम किया है लेकिन अभी 75 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने पिछली सरकार में पैसा कमाने का काम किया है, उन्हें बदला जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल आरोप लगा रहे थे कि तीन महीने के छोटे से कार्यकाल में लॉ एन्ड आर्डर बहुत गड़बड़ हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007 मे बसपा सरकार बनने के बाद आप भी गये थे एक माह के अन्दर धन्नीडीह काण्ड हुआ था, श्रावस्ती जनपद में, जहां पर गरीब मुसलमानों के घरो को उजाड़ दिया गया था और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। ये लोग यह भूल गये कि उस समय बसपा सरकार के तत्कालीन मंत्री के घर के लोगों ने गरीबों, अल्पसंख्यकों के घरों को उजाड़ दिया था। ये यह भूल गये कि हजरतगंज कोतवाली के अन्तर्गत ज्वैलर्स खुनखुनजी के घर में रात में डकैती पड़ी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। ये यह भूल गये कि दिन-दहाड़े दो-दो सी0एम0ओ0 डा0 आर्या और डा0 सिंह की हत्या हुई और इस हत्या में किसी अपराधी नहीं बल्कि इनकी सरकार के कई मंत्रियों के हाथ पाये गये हैं और वह जेल में बन्द हैं। ये वह भूल गये कि इनके शासनकाल मे शीलू निषाद बांदा जिले की रहने वाली इन्हीं की पार्टी के विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के यहां जब न्याय मांगने के लिए गई तो उसके साथ एक दिन नहीं दो दिन नहीं बल्कि एक महीने तक बलात्कार किया गया, इतना ही नहीं इसे छिपाने के लिए उस महिला के ऊपर चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेज दिया गया। हमारी पार्टी के तत्कालीन विधायक विशम्भर प्रसाद निषाद जी और तमाम लोगों ने जब प्रदर्शन किया, यहां तक कि हाईकोर्ट में गये तब जाकर शीलू निषाद को जेल से रिहा किया गया। ये यह भूल गये कि औरैया जनपद में जब मायावती का जन्मदिवस था उस समय पूरे प्रदेश में धन की उगाही हो रही थी तो औरैया के इनकी पार्टी के तत्कालीन विधायक मनोज तिवारी ने औरैया के डाक बंगले में तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियन्ता को रात भर ठिठुरती ठण्डक में जब पारा 5 से 7 डिग्री था उस समय उस पर पानी डालकर उसे मारा गया रुपया लेने के लिए और उससे कहा गया कि चन्दा दो यह मायावती का जन्मदिवस है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसके बाद उस अधिशासी अभियन्ता को फंसाने के लिए महिलाओं को बुलाया गया था, उसके बाद उसे कोतवाली ले गये जब पुलिस ने देखा कि यह तो मर गया है तब इनके लोग भाग आये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद बलरामपुर में एक ब्राह्मण महिला गुड्डी शर्मा के ससुर कौशिक इन्हीं की पार्टी के बलरामपुर सदर के तत्कालीन विधायक के पास 18 जनवरी, 2010 को न्याय मांगने के लिए गया और उसको विधायक जी ने जिला अस्पताल में

भर्ती करा दिया और 24 जनवरी, 2010 को एक हफ्ते के अन्दर उसको अस्पताल से ले जाकर उसकी पूरी प्रापर्टी की वसीयत अपने भाई के नाम करा ली और फिर 31 दिसम्बर को उस कौशिक को मार डाला गया संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश को उसके घर में फेंक दिया गया। उसके बाद वह विधवा बहू कोतवाली से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और यहां तक कि मायावती जी के दफ्तर में भी गई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सामने बैठे लोग हैं, यह अपने गिरेबान में झांकें-

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

जिनके मकान कांच के बने होते हैं वह दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, इस बात की इनको सीख लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीन महीने के अन्दर जो भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, इन सारी घटनाओं में, जैसा कि हमारे विधायक जी ने बताया कि इन सारी घटनाओं में बसपा के नेता पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों का हाथ है। ये लोग हताश हो गये हैं। सत्ता ने जनता ने इन्हें हटा दिया है इसलिए ये लोग हताश हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

समयाभाव के कारण बोलने से रह गये सदस्यों से कार्यवाही में जुड़वाने हेतु भाषण लिख कर देने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

सभी दलीय नेता बड़े पैमाने पर अपने-अपने दल की ओर से सामान्य प्रशासन पर अपनी बात रख चुके हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी आये हैं, नेता विरोधी दल हैं, ये अपनी बात रखेंगे। आप लोगों को जो भी कहना हो उसे आप लिख करके दे दीजिए उसे हम कार्यवाही में जुड़वा देंगे। अब आप लोग कृपया बैठ जाएं।[†]

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(सदन के कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने के लिए समय दिये जाने का आग्रह करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग लिखकर दे दीजिएगा उसको कार्यवाही में जोड़ दिया जायेगा। अब आप लोग बैठिये। मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष जी अब आप वाइण्डअप करिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

सूप तो सूप बोले, चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद। ये (ब0स0पा0) कानून-व्यवस्था की बात करेंगे।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

[†] (देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 121-153 पर)

श्री अध्यक्ष-

रिजवी साहब बैठिये। आप लोग शांत रहिये। जो लोग नहीं बोले हैं वह लिखकर के दे देंगे, वह प्रोसीडिंग में छपवा देंगे।

श्री विजय मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निजी मामला है उसे मैं लिखकर नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष-

निजी मामला है तो परसों, सोमवार को उठा लीजिएगा।

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, मेरा भी निजी मामला है।

श्री अध्यक्ष-

सब निजी मामले जीरो ऑवर में उठते हैं आप सोमवार को रहियेगा और सोमवार को जीरो ऑवर में उठाइएगा।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदानों की मागों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग एवं अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव पर जिन मा0 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है जिससे कि जो कानून-व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के प्रति कहीं भी अधिकारी के स्तर से, शासन या प्रशासन के स्तर से कहीं कोई कमी है तो उसे इंगित किया जाए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका इसीलिए होती है कि समय-समय पर सरकार को आगाह किया जाए, इसीलिए कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। हमारे माननीय सदस्यगण, हम तो चाहते हैं कि आप इसी गलत मुगालते में रहिये और इसी गलत मुगालते में जब आप रहेंगे तो सरकार को सही निर्णय लेने का मौका नहीं आयेगा। आप अपनी सरकार को धोखा दे रहे हैं, अपने मा0 मुख्य मंत्री को धोखा दे रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप की बातें नहीं, मैंने तथ्यात्मक बातें रखी हैं और यह उत्तर, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी का रखा हुआ है। मैंने 40 दिन का जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अपराध का ब्यौरा था उसको मैंने रखा था और उसको आप लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह चिंतनीय विषय है। इसका रिश्ता सरकार और विपक्ष से नहीं है, इसका रिश्ता है उत्तर प्रदेश की जनता को कानून का राज देने से, इसका रिश्ता है उत्तर प्रदेश की जनता की हिफाजत और सुरक्षा से। इसीलिए इन बातों को यहां पर रखा गया और जो माननीय सदस्य शायद चिल्ला-चिल्ला कर यह कह रहे थे कि ये आरोप बेबुनियाद हैं तो मैंने उनसे कहा, इसलिए कहा कि यह सदन की सम्पत्ति है, माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं ये केवल 40 दिन के आंकड़े हैं। इसी 40 दिन के आंकड़े में 669 हत्या, 164 डकैती, 1164 बलात्कार, 1821 लूट.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल ये चीजें तो एकबार आप कह चुके हैं। पिछली बार जब कटमोशन रख रहे थे तो बोल चुके हैं। इसको मत बोलिये, वैसे बोलिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इनके राज में 2500 बलात्कार हुए थे, ये कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

श्री जियाउद्दीन रिजवी साहब, आप शांत रहें, उन्हें बोलने दें।

श्री स्वामी प्रसााद मौर्य-

इसी 40 दिन को 100 दिन के आंकड़े में परिवर्तित किया जाए तो 100 दिन के आंकड़े पर, इसी के हिसाब से 100 दिन में हत्या पड़ेगा 1672, डकैती पड़ेगी 410, बलात्कार की घटनायें होंगी 2910, लूट की घटनायें होगी 4577, वाहन चोरी की.....

श्री अध्यक्ष-

यह सब आप बोल चुके हैं। जो नहीं कह पाये हैं वह कह लीजिए।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नेता प्रतिपक्ष को टोकने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें मैं आपसे ज्यादा उन्हें टोक रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज जो उत्तर प्रदेश की चिन्तनीय व्यवस्था है जो कानून के राज की लचर हालत है। इसको स्वीकार करना होगा। अगर स्वीकार करेंगे तो आपकी सेहत के लिए यानी सरकार की सेहत के लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट रखा है उसी में मैं आपको इंगित करना चाहता हूं अभी कल की ही घटना है बागपत के बड़ौत में थाना कोतवाली की घटना कोतवाल तो खैर वहां हैं नहीं कल वहां पर कुछ लोगों ने साजिश के तहत दंगा कराने की कोशिश की थी बहरहाल वहां जनप्रतिनिधियों के आगे आने से उस पर अंकुश लगा इसका संज्ञान लें क्योंकि आगे पीछे वह मामला बढ़ सकता है। क्योंकि एक मंदिर की पांच बीघा जमीन पर एक व्यक्ति विशेष ने कब्जा करने की कोशिश की दोनों पक्षों मे टकराहट हुई तीन लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं कल फायरिंग हुई आशुतोष अस्पताल में मेरठ में भर्ती है। यह मैं आपके संज्ञान के लिए दे रहा हूं। इसी तरह से जैसा कि कानूनी कार्यवाही करने से तमाम जगह पर सरकार बाज आती है जो पुलिस कर्मी हैं वह कहीं न कहीं उदासीन हैं सरकार का ऐसा निर्देश नहीं होगा कि एफ0आई0आर0 न लिखी जाय लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर तमाम अधिकारी टाल मटोल की कोशिश करते हैं। आपके बहराइच जनपद में एक गुड़िया कश्यप नाम की लड़की 15 साल की उसका अपहरण हुआ एफ0आई0आर0 हुई लेकिन न आज तक बरामदगी हुई न किसी की गिरफ्तारी हुई। आपके ज्योतिबा फूले नगर में एक साधन गली वहां पर रेनू लड़की को अचानक एक इंडिका कार से लोग ले गए इंडिका कार का नम्बर डी0एल04 एल0यू0 1824 जो थाने में दिया लेकिन न लड़की की बरामदगी हुई

न ही एफ0आई0आर0 लिखी गई न ही अपहरण कर्ताओं को पकड़ने की कोशिश की गई। जबकि उसके पिता जी ने लिखित सूचना दिया। टाल-मटोल की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से एक घटना है अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क ग्राम धनीपुर वहां एक श्रीमती शांति देवी हैं 7 तारीख को एक आशीर्वाद नर्सिंग होम में अपनी किडनी का इलाज कराने गई डाक्टर ने बताया कि किडनी खराब है दाहिनी किडनी निकालने का उसने सलाह दिया एडमिट किया और दाहिनी के बजाय बाईं किडनी निकाल ली। दाईं यथावत पड़ी है। वह एक हफ्ते से दौड़ रही है जिला प्रशासन उस पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आशीर्वाद नर्सिंग होम के लोग तुम्हारा निःशुल्क इलाज करेंगे तुम इस मामले को रफा-दफा कर लो। इस प्रकार के जो गम्भीर प्रकरण हैं यह सरकार के संज्ञान में इसलिए आने चाहिए।

श्री जमीरउल्ला खां-

यह मामला बिल्कुल झूठ है। यह मेरे संज्ञान में है। आप झूठ बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमें मालूम है। आपके जिलाध्यक्ष ने 10 लाख रुपए का सौदा किया है। आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उनको बोल लेने दीजिए। गलत है तो गलत हो जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सरकार के पास मशीनरी है, वह उसकी जांच करवा ले। अगर गलत है तो मालूम हो जाएगा। सरकार आपकी है आप जांच करवा लें। अगर सही घटना है तो उस पर कार्यवाही करो। मैंने आपके संज्ञान में लाया है। जांच करने का अधिकार आपके पास है। इसी तरह से जैसी बातें पिछले सदन में आई थीं आज तमाम स्थितियां चाहे आगरा का ताज हो, काशी है या अन्य जो हमारे ऐसे चिन्हित स्थान हैं। जो संवेदनशील हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम जगह पर जैसे अभी ताज का प्रकरण आया था कि वहां पर सारे सी0सी0 कैमरे और टी0वी0 काम करना बंद कर दिये हैं किसी न किसी कारण से। ऐसी चीजों को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसमें पिछले दिनों राजू पाल हत्या हुई थी एक नहीं तीन-तीन माननीय सदस्यों की हत्या हुई थी। मैं उसको नहीं गिनना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपराध करने के लिये नहीं आती है बल्कि सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये आती है, सरकार कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये आती है। सरकार चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक रोबरी, अपहरण, फिरौती पर अंकुश लगाने के लिये आती है। इसको बढ़ावा देने के लिये नहीं आती है और जब मैं सुझाव दे रहा हूं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बड़ा हाय तौबा कर रहे हैं। इसलिये मान्यवर, यह सरकार आज भी इतना सुझाव देने के बाद भी अक्ल पर पत्थर पड़ा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर यह बात समझ में नहीं आ रही है तो वह दिन दूर नहीं जब आप लोग यहां आओगे और इधर के लोग उधर जायेंगे। वह दिन आयेगा, इसलिये मैंने आगाह किया। इसीलिये मान्यवर, चूंकि कानून-व्यवस्था के प्रति सरकार

सम्वेदनशील नहीं है और इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी बजट के प्रस्तुतीकरण के समय सदन से बाहर भी चले गये थे वह भी गम्भीर नहीं हैं, इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का जोश, उनका हौसला, उनकी हिम्मत और पूरे प्रदेश के सामने यह साबित करना कि **बोल तू मेरा क्या कर लेगा।** हर चीज को स्वीकार किया आपने। स्वीकार किया कि जब आप सत्ता में थे यानि जब आप राजा थे तब आपके मंत्री जेल गये आपने स्वीकार किया। जब आप राजा थे आपके एम0एल0ए0 जेल गये। आपने स्वीकार किया किस चीज में गये। चोरी में, डकैती में, हत्या में, बलात्कार में। यह आपने कहा अभी। आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके पदाधिकारी, जिस राजा के वजीर ऐसे हों, जिस राजा की फौज ऐसी हो, उसमें जनता के साथ क्या हुआ होगा। उसका थोड़ा सा आइना दिखाता हूं आपको। मैं कोशिश कर रहा था और मैंने बड़ी शराफत से सुबूत दिया था और यह कहा था कि सरकारें अराजकता फैलाने के लिये नहीं होतीं। उनकी मजबूरियां हो जाती हैं। मगर आज सी0सी0, टी0वी0 कैमरा पत्थर के हाथियों से हट गया तो उस पर बेचैनी। इंसानों पर निगाह नहीं गई आपकी। क्यों नहीं गई ? क्योंकि शेखर तिवारी की हत्या आपके एम0एल0ए0 ने की। अरे वह मनोज तिवारी। बांदा में शीलू बलात्कार, कौन था जिम्मेदार ? पुरुषोत्तम द्विवेदी। खीरी थाने में बलात्कार नाबालिग लड़की के साथ। उसकी हत्या और सिर्फ बलात्कार और हत्या ही नहीं उसकी लाश को थाने के बाहर टांग दिया गया। थाना कैंम्पस में थाने के बाहर इसीलिये कह रहा हूं। मुरादाबाद मे 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और टेबिल पर लिटाकर जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ नंगी 15 साल की लड़की उसके बाप को बुलाकर, उसकी शर्मगाह की तरफ उंगली उठाकर डाक्टर ने कहा बाप से कि देख इसके साथ बलात्कार कहां हुआ। आपकी सरकार थी। रीता बहुगुणा जी के घर को आग लगाई गई आपकी सरकार थी, हुकुम सिंह जी के साथ क्या हुआ उन्होंने नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि उन्हें कहना नहीं चाहिए था क्या हुआ उनके साथ आपकी सरकार थी। सी0एम0ओ0 की हत्या जेल के अन्दर, मैंने कहा था इसी सदन में, कि हार्ड एण्ड क्रिमिनल, जब उसे अपनी जान का खतरा होता है तो अपनी जमानत तुड़वाकर जेल के अन्दर चला जाता है कि जेल के अन्दर महफूज रहूंगा, लेकिन आपकी सरकार में जेल के अन्दर कैदी भी महफूज नहीं थे। आपने हर मंत्री को बर्खास्त किया, जिसकी आपने खता देखी, उसको आपने बर्खास्त किया, लेकिन आपने जेल मंत्री को क्यों बर्खास्त नहीं किया। क्योंकि जेल मंत्री मुख्य मंत्री थीं और जब आपने बर्खास्त नहीं किया तो हमेशा मैंने कहा है कि जमीन वालों जमीन वालों के साथ इंसाफ करो और अगर जमीन वालों जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो आसमान वाला इंसाफ करेगा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, यह जमीन वालों ने नहीं, आसमान वाले ने किया है, और अभी आपके गुनाहों की सजा मिलना बाकी है, यह मत समझिए कि आपके गुनाहों की सजा आपको मिली गई है जहां-जहां जुर्म पकड़ा जाएगा वहां-वहां आपकी मोहर लगी नजर आएगी। मैंने आज ही आपको मिसाल दी थी कि तीन करोड़ के शौचालय बनाये गये और तीन शौचालय नहीं बने। अधिकारियों के खिलाफ वारंट है और अधिकारी गायब हैं, यह उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के हर जिले में जब आपके उन अधिकारियों के हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, जो सिर्फ आपका नाम बतायेंगे तब आपको पता चलेगा कि अपराध कहां था और कहां है। कहा हमारे साथियों

ने, मैं तो आपसे ही पूछता हूं ऐसा प्रदेश जहां आधे लोग आज भी बिना रोटी के सोते हैं एक चौथाई लोग ऐसे हैं जिनको सर छिपाने को आसरा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है पैर में चप्पल नहीं है। उनकी रानी का जन्मदिन जब होता था तो सैकड़ों करोड़ों रुपये के हीरे-जवाहरात उनके शरीर पर होते थे और उस वक्त वह गरीब आवाम के ऊपर ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारती थीं और उनको उनकी औकात और हैसियत याद दिलाती थीं। क्या यही होता है लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र की शान है, और यह हुआ उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, गरीब कांस्टेबिल, कोई जुल्म से बच कैसे जाए, किसी को उसके किए का पूरा सिला कैसे न मिले, कांस्टेबिल को हटाना था किसी कांस्टेबिल से रानी नाराज हो गईं, तो कानून बना, नादिरशाही कानून बना, जो दिख जाए उसका सर उतार लिया जाए, यह न देखा जाए कि कौन है, इसीलिए लोग नादिरशाह के कानून की मिसाल देते हैं। एक कांस्टेबिल से नाराज हो गईं तो यह आदेश हुआ कि कोई भी कांस्टेबिल उत्तर प्रदेश में कहीं भी भेजा जा सकता है। बेईमानी को बढ़ावा दिया गया, वह कांस्टेबिल जिसकी तनख्वाह शायद उसके गुजारे के वास्ते पूरी न हो, गाजियाबाद का रहने वाला, मेरठ का रहने वाला, गोरखपुर तबादला कर दिया गया, महाराजगंज तबादला कर दिया गया, सजा के लिए, उनको हमने इंसाफ दिया है, उनको गृह जनपद के करीब वापस लाए हैं इसलिए मान्यवर, जो कुछ कहा है नेता विरोधी दल ने वह उनकी जिम्मेदारी हो सकती है।

मान्यवर, कानून बनाया था कि दस किलोमीटर दौड़ोगे, आप ही ने तो पेट आगे करा दिए, थाने से जाने ही कब दिया बाहर, इतनी चर्बियां चढ़ा दीं, कैसे दौड़ेगा, और दौड़ेगा, और दौड़ेगा नहीं तो मरेगा। जो दस किलोमीटर दौड़ा वह बीमार हुआ या फिर मर गया। क्या कहने आपके कानून के, मान्यवर, रामपुर में सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस का हैडक्वाटर है बहुत बड़ी छावनी है। मान्यवर, 31 दिसम्बर और पहली जनवरी की मध्य रात एक हादसा हुआ और कहा गया कि आतंकवादी हमला हुआ है। कोई बहस नहीं है, हमला हुआ या नहीं हुआ, अगली सुबह नई-नई सरकार की मुख्य मंत्री जी हैलीकाप्टर से वहां पहुंची और उन्होंने बयान दिया कि यह सी0आर0पी0एफ0 का अन्दरूनी मामला है, उन्होंने उसे आतंकवादी हमला नहीं माना। अभी यहां बैठे थे मुख्तार अंसारी, इस सदन में जो लोग चुनकर आए हैं, वह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, वे इन दीवारों के बाहर क्या हैं, उसका इतिहास सदन नहीं देखेगा। जो लोग चुनकर आए हैं, उन्हें अपना दर्द, अपनी व्यथा बयान करने का पूरा अधिकार है और अगर कोई शख्स कोई सही बात कह रहा है तो इस सदन के मुखिया की यह जिम्मेदारी है कि न सिर्फ उसकी सही बात को सुना जाए, बल्कि उसके साथ सही इन्साफ भी होना चाहिए। मान्यवर, यह मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 31 दिसम्बर और पहली जनवरी की रात और सुबह के दरम्यान मुख्य मंत्री जी रामपुर पहुंची तो वहां के बाद फिर वह पुलिस लाइन पहुंची। पुलिस लाइन के अन्दर एक कमरे के अन्दर सिर्फ वह थी और मुरादाबाद का डी0आई0जी0 था। बैठे है, आलम साहब, अभी मिलने आए थे, मंत्री रहे हैं, इसी सदन में, इसी प्रदेश के काबीना वजीर रहे हैं, लोक सभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, उनके बेटे का वलीमा था, पहली जनवरी नया साल, हम भी बुलाये गये थे। यह था कानून का राज आपका, पहली जनवरी, वलीमा, मुजफ्फरनगर जाना है, हमारा पहले से प्रोग्राम मालूम है। जिला प्रशासन को भी मालूम है, मुख्य मंत्री, हमारा दुर्भाग्य है, आती हैं, पुलिस लाइन जाती हैं, डी0आई0जी0 को बुलाती हैं और जानते हो क्या षड़यन्त्र हुआ ? मेरे पास काली गाड़ी थी, मैं, मेरा छोटा बच्चा जो नाबालिक था, मेरे साथ गाड़ी में था। मुजफ्फरनगर के लिए

रवाना हुए, छजलैंट थाना आया, मुरादाबाद, बैरियर्स लगे हुए थे सड़क पर, यह था कानून आपका, ड्राइवर ने कहा बैरियर्स लगे हुए हैं, क्या किया जाए ? मैंने कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक ली गयी। दोनों तरफ पी0ए0सी0 के जवान राइफलें ताने खड़े थे और छजलैट थाने का दरोगा नंगा रिवाल्वर लिए सड़क पर खड़ा था। गाड़ी रोक ली गयी। हमसे कहा गया कि गाड़ी से उतर कर आइये। मैंने कहा कि नहीं उतरेंगे, बताओ। कहा गाड़ी से उतर कर आइये, हमने कहा नहीं उतरेंगे, पहले बताओ। उसने कहा पीछे से एक मैसेज आया है, वायरलेस मैसेज आया है कि काले रंग की गाड़ी आ रही है जो संदिग्ध है और इसमें आतंकवादी हैं। पुलिस, मुख्य मंत्री हमारे मिजाज से वाकिफ थे कि हो सकता है, हम गाड़ी न रोकें और जब हम गाड़ी न रोकें तो पहले से हमारी हत्या के लिए वायरलेस से मैसेज मंगा लिया गया है कि यह काली गाड़ी है, इसमें आतंकवादी हैं, गाड़ी को भून दिया आयेगा और उस दिन में और मेरा मासूम बच्चा कत्ल कर दिया जायेगा, यह था आपका कानून। उस कानून की आप दुहाई देते हैं ? मैं उतरा गाड़ी से, वहीं फूटपाथ पर बैठ गया, बैठे हैं यहां, बैठे हैं माननीय सदस्य जो मंत्री भी हैं, उसी फुटपाथ पर बैठे जिसने देखा आजम भाई बैठे हैं, वहां भीड़ जमा हुई, ये लोग आएं और डी0एम0 और एस0पी0 ने हाथ जोड़कर हमसे कहा कि दरोगा की गलती है। हमने कहा कि नहीं, दरोगा ने हमें नाम से कहा है कि आपकी गाड़ी रोकने को कहा है, गलती कहां है ? लेकिन हमने इस ख्याल से कि चलिए बात को दरगुजर किया जाए, हम आलम खां के बेटे का वलीमा नहीं खाने गए, दिल्ली चले गए और जब यू0पी0 भवन में जाकर ठहरे और देखा तो पट्टी चल रही है, आजम खां और उनके साथियों के खिलाफ, पूर्व मंत्री और विधायकों के खिलाफ मुकदमें कायम करा दिए गए और सेवेन क्रिमनल ऐक्ट का मुकदमा मेरे उस बच्चे पर कायम किया गया जिसे शिक्षा के लिए मैं कही बाहर भेजना चाहता था, नहीं भेज सका, यह था इनका इन्साफ। बैठे है हमारे विधायक जी, रामपुर के, 5 हजार लोगों के साथ हम पर कातिलाना हमला किया, नहीं होते आज हम इस सदन में, बिल्कुल अकेले थे, मान्यवर, यह है आपका इन्साफ और यह था आपका कानून। सही कहा आपने कि सरकारें कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून पर अमल कराने के लिए होती हैं। तीन महीने की यह सरकार, आंकड़ों की सरकार नहीं है, आंकड़े ठीक दिखाये, वाकई उस पर भी हम शर्मिन्दा हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि अगर गलत बात को जोर से कहोगे तो वह सही नहीं हो जाएगी। जो गलत है वह गलत रहेगा। मैं इन आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं जो आपने सुनाये हैं। मान्यवर, दिनांक 01-06-2012 से 15-06-2012 तक।

(खांसी)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

पानी पी लें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने स्थान पर खड़े होने पर टोकाटाकी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इनको जरा तमीज सिखाये। बात करने का तरीका सिखायें। आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो आप क्या समझते हो, आप कोई अरवाहे -चरवाहे नहीं हो।

(श्री राजेन्द्र सिंह राणा के अपने स्थान पर खड़ा होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

राणा जी बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब आपकी तरफ से कोई माननीय सदस्य बोलता है तो हम बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पानी पी पीकर बोल रहे हैं तब भी हम सुन रहे हैं। आप भी कम से कम सुनने का धैर्य तो बनायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पानी भी अपनी गलती से पी रहे हैं। मान्यवर, दिनांक 01-06-2012 से 15-06-2012 तक के आंकड़े है इसलिए कि सरकार तीन महीने की है और यह 15 दिन के आंकड़े उसूलन सही हैं। मा0 हुकुम सिंह जी, नेता कांग्रेस ने कहा कि तीन महीने का हिसाब नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इन 15 दिनों के आंकड़े पेश कर रहा हूं। डकैती 2010 में 13, 2011 में 17 और इन 15 दिनों में 05, लूट 2011 में 147, 2012 के इन 15 दिनों में 108, हत्या 2011 में 214 और 2012 के इन 15 दिनों में 199, गृह भेदन 205 आपकी सरकार में और अब 151, वाहन चोरी 819 और अब 783, बलवा 227 अन्य अपहरण और इस तरह मान्यवर, बलात्कार 86 और इन 15 दिनों मे 82 इसका हरगिज यह मतलब नहीं है और सरकार यह हरगिज नहीं कहना चाहती कि अगर हत्या, डकैती और बलात्कार में कमी आयी है तो हम यह कहें कि यह हमारी वजह से कमी आयी है। मैं जिन मान्यताओं को मानने वाला हूं और जिसकी सजा सदन और सदन के बाहर पाता हूं। आज भी पायी है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब तक उंगली गरीब तक नहीं जाएगी उस वक्त तक उंगली की पकड़ नहीं होगी। हमारे पास अदालते हैं। कानून हैं। अदालतों को मानने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारा संविधान और हमारा सिस्टम इसके लिए हमें पाबन्द करता है मगर मैं सदन में अदालतों के उन फैसलों की तरफ भी कभी-कभी अपनी राय रखता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इसलिए हो सकता है कि मेरी राय और मेरे इजहार का कोई मतलब न हो, आप बड़े हैं, आपकी राय और आपके इजहार का कोई मतलब हो, लेकिन जब तक कानून छोटा पड़ता रहेगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मान्यवर, इसीलिए मैंने आज अपनी बात की शुरूआत जहां से की थी शायद गलत की थी, मा0 हुकुम सिंह जी ने मुझे दार्शनिक साबित कर दिया, धन्यवाद उनका मुझे एक बड़ा लकत दिया, लेकिन मान्यवर, इतिहास आज का भी कल पढ़ा जायेगा, क्योंकि कल के इतिहास से आज हम सीख ले रहे हैं और अगर आज के इतिहास की तरफ हमारी निगाह नहीं होगी तो आने वाला कल इस आज को जिसमें हम बड़ी रोशनी के साथ इस सदन में बैठे हुए हैं यदि आज भी यह कहा गया, खुद प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि सबकी जिन्दगियां मुस्तकिल नहीं हैं, सबको जाना है मान्यवर और अपनी इसी शान-ओ-शौकत के साथ सबको वापस चले जाना है खुले हाथों के साथ, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके पीछे उनकी दास्तानें होंगी। उत्तर प्रदेश के इस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की दास्तान आने वाला कल पढ़ेगा, हो सकता है इस सदन में बैठा हुआ हर शख्स बुनियाद की ईंट बन जाये, लेकिन जो नेता होगा सदन का वह बुनियाद की ईंट नहीं बन सकता, इन ईंटों पर उसकी इमारत बनानी होगी और आने वाला इतिहास उस इमारत को देखेगा और वह इमारत अगर टूटी हुई है, वह इमारत अगर टेढ़ी है और उस इमारत पर कोई पाप का निशान है तो इतिहास उसे पढ़ेगा, इसीलिए एहसास दिलाता हूं कि बुनियाद की ईंटें तो छुप जायेंगी, लेकिन बुनियाद की ईंटों पर बनी हुई इमारतें कभी नहीं छिपेंगी और वही इतिहास कल

का इतिहास होगा। गरीब की तरफ उंगली उठेगी, वह बलात्कार करेगा तो बलात्कारी कहलायेगा, वह कत्ल करेगा तो कातिल कहलायेगा, लेकिन समाज के सभ्य लोग, व्हाईट कालर क्रिमिनल्स, राजा लोग अगर अपराध करेंगे तो कानून सहारा देगा और हम उसके हिमायती बनेंगे और जब तक यह होगा, जब तक राजा पर उंगली नहीं उठेगी और मैं सिर्फ मुसलमान सदस्यों से जो दोनों तरफ बैठे हैं वह समझेंगे वह समझेंगे मेरे इस इशारे को कि जब तक वक्त के खलीफा से एक आम आदमी यह नहीं पूछेगा कि बता जब सामान बंटा था तो जो कपड़ा सबके हिस्से में आया था, उस कपड़े से जब मेरा कुर्ता नहीं बना तो तेरा कुर्ता कैसे बन गया। यह सवाल एक राजा से पूछा था गरीब ने तो उस राजा को जवाब देना पड़ा था कि यह कुर्ता इसलिए बन गया कि जो कपड़ा मेरे बेटे को मिला था, न उसका कुर्ता बन सकता था और जो कपड़ा मुझे मिला था न कुर्ता उसका बन सकता था, मेरे बेटे ने अपने लिबास की इसलिए कुर्बानी दी कि मैं राजा था और दो के कपड़े से मिलकर यह कुर्ता बना था, इसलिए वह राजा था, इसलिए आज इतिहास उसका नाम याद रखती है।

राजा पर उंगली नहीं उठेगी जिस दिन राजा के चरित्र पर उंगली नहीं उठेगी उस दिन समाज अपने गुनाहों की पूरी सजा पायेगा और जब राजा के कुकर्म भी बताये जायेंगे और जब राजा के दामन पर लगा हुआ दाग बताया जायेगा तो आने वाले राजा को यह एहसास होगा कि कल के राजा के दामन पर लगा हुआ दाग समाज ने देखा था और उसे दाग कहा था तभी आने वाला कल सुधर सकता है। मैं यह जजबाती बातें नहीं कर रहा हूं, कोई दार्शनिक भाषा नहीं है, यह समाज की वह सच्चाईयां हैं जिन्हें लोग कहने की हिम्मत नहीं रखते, हम कहने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए कहते हैं सजा और सजा बरदास्त करने की हिम्मत रखते हैं, उन पांच वर्षों में जो सजायें हमने पाई है वह पांच सदियों के लिए हमें याद रखनी होगी। मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए लोगों के खिलाफ और इस जनता के खिलाफ जिस जनता से ताकत हासिल की हो, विशेष थाने बनाये जायें। मुकदमें दर्ज हों, हर तरफ दहशत का माहौल, जबकि पूरा प्रदेश एक नये सिस्टम की खुशियां मना रहा हो, जो आपके लिए था, आपकी सरकार आई थी, खुशियां आपके लिए मनाई जानी थीं, पूरे प्रदेश को कैदखाना बना दिया आपने। लोग छतों से कूद-कूद कर भागने लगे। बेगुनाहों के खिलाफ हजारों लाखों मुकदमें लिखे गये, क्या यही लोकतंत्र था ? उसी लोकतंत्र के लिए आप चीखते हैं सदन में। उसी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आज जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, जुर्म के, जिसके ऊपर हुकुम सिंह जी ने कहा कि अगर तीन महीने की सरकार में इतने अपराध हुए हैं, जो 5 वर्ष की सरकारों में नहीं हो सकते हैं। मैं आपके आंकड़ों को सही मान लेता हूं आपने जो आंकड़े पेश किये हैं। क्या इस तरह सरकारें चलेंगी, क्या नेता प्रतिपक्ष का यह चरित्र होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की अखबारों में छपी हुई खबरों से कम्प्यूटराइज्ड आंकड़े निकाल कर एक जुर्म गाजियाबाद में हुआ वह मेरठ में भी छपा, वह मुरादाबाद में भी छपा, वह लखनऊ में भी छपा, वह गोरखपुर में भी छपा और आपने कम्प्यूटराइज्ड आंकड़े निकाल कर एक लिस्ट सदन में पढ़ना शुरू कर दी। इस सदन ने कभी समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया है। यह बात बार-बार आई है कि मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होगा, जिस पर इल्जाम लगा है और जिसके खिलाफ इल्जाम साबित हुआ है। जिस पर साबित हुआ है उसका जिक्र होगा लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन हो, हम यह भी नहीं कहते हैं कि आपके वे आंकड़े फर्जी हैं लेकिन आपने जिस तरकीब के साथ उन आंकड़ों को जमा किया है, वह उत्तर प्रदेश के अपराध के आंकड़े न थे, न हैं और न हो सकते हैं। (मेंजे थपथपाई गईं) आपकी वह सूचना कम्प्यूटराइज्ड सूचना है, अखबारों की सूचना है, समाचार-पत्रों की सूचना है, वह सच्चाई और धरातल

की सूचना नहीं है। मान्यवर, मैंने तो चाहा था कि बात इस रुख पर न जाए, लेकिन क्या किया जाए मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने.... मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहरों के बड़े थानों में जहां गाड़ियों की कमी है, वहां एक छोटी गाड़ी, जीप, बुलारो या इसी तरह की गाड़ियां देने जा रहे हैं और जो चौकियां हैं, उन पर एक-एक मोटर साइकिल देने जा रहे हैं। मान्यवर, अच्छे हथियारों का भी इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आप और वे सब सीनियर साहिबान जो इस सदन में हैं। मान्यवर, और जिन्होंने कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और जिन्होंने अपने बड़ों से इतिहास भी पूछा है उन्हें मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के एक आई0जी0 होते थे और कैसा होता था एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा लॉ एण्ड आर्डर होता था ?

क्या हम यह कहें कि सात समुन्दर पार से जो लोग हम पर हुकूमत करने आये थे, वह हमसे बेहतर थे, लेकिन हां कहीं न कहीं दिल में कसक होती है कि आज भी अंग्रेजों का वही कानून। वही कानून जिसमें अंग्रेजों ने बापू की उस तहरीक को जो साउथ अफ्रीका से शुरू हुए थी। बापू ने आजादी का पहला नारा हिन्दुतानियों के लिए नहीं दिया था। आजादी का पहला नारा और पहली आवाज साउथ अफ्रीका के उन कालों से हुई थी, जिन्हें जानवरों का स्थान भी अंग्रेजों ने और गोरी चमड़ी वालों ने नहीं दिया था। मान्यवर, उनके गले में तख्ती टांगी जाती थी, जिस पर समय लिखा होता था और वहां बना था यह कानून कि 5 लोग जमा नहीं हो सकते और वहीं कानून हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखने के लिए बना था कि 5 हिन्दुस्तानी एक जगह इसलिए जमा नहीं हो सकते कि पांच हिन्दुस्तानी इंकलाब जिन्दाबाद का नारा लगायेंगे और उस फिरंगी को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। वह कानून आज तक हमारा कानून है। वही सी0आर0पी0सी0 जो सात समुन्दर पार के लार्ड बहादुर ने हमारे लिए बनायी थी आजादी की यह बदनसीबी है कि वही हमारे पास है। आई0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 और सी0पी0सी0, वो तमाम कानून जो अंग्रेजों की लानत थे आजाद हिन्दुस्तान पर, उस वक्त गुलाम हिन्दुस्तान पर आज वहीं हम पर लागू हैं। कितनी बार इस सदन में कहा गया है, कितनी बार बगावत का एलान हुआ है इस पार्लियामेन्ट के खिलाफ लेकिन क्या कभी सोचा है हमने। हमने आजाद हिन्दुतानियों के बारे में सोचा कभी। अब यही बात कही जायेगी तो यह भाषण दार्शनिक हो जाएगा। यह एक मास्टर का एक बेवकूफी का बयान ही ज्याादा है, लेकिन सोचना तो इसी पर पड़ेगा, मान्यवर, दिन-को दिन नहीं कहेंगे तो रात-को रात कोई नहीं मानेगा। इसलिए कानून से ज्यादा जरूरी है कि समाज सुधरे। कानून से ज्यादा जरूरी है कि हम सुधरें। हमें लोग देखते हैं, हम आईडियल हैं उनके और जब हम ही ऐसे होंगे कि हमें वोट देने वाला ही शर्मिन्दा हो। वही यह सोचें और जैसे आज आयी ये बात कि विधायकों को जमीन मिलना चाहिए, कहां गोमती नगर में, कहां लखनऊ के दिल में। क्योंकि मिलना चाहिए इसलिये कि विधायक हैं। ये तुर्रा-ए-इम्तियाज कि जब हमारी सरकार थी तब कांग्रेस ने बंगले दिये थे। हम क्या संदेश दे रहे हैं उस रिक्शा चलाने वाले को जिसके लिये समाजवादी सरकार ने ये कहा है कि जो अपनी रिक्शा में आदमी और इंसान को बिठाकर जानवर साबित करता है और तय करता है कि ऐ इंसान मैं तुझसे पांच और दस रुपये की पगार इसलिए ले रहा हूं कि मैं इस वक्त जानवर का काम कर रहा हूं। इस सरकार ने उन जानवरों को इंसान का नहीं, आदमी का दर्जा देने के लिये ये तय किया है कि हम उन्हें मोटर चालित रिक्शा देंगे। बताये ये सदन, जिस-जिस ने सुना हो, जिस-जिस ने सुना हो, ये सदन बताये कि 20 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे। क्या आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उस गरीब आदमी के खिलाफ जिसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खजाने भरे जाते हैं, जिनसे यह सदन चलता है, जिनसे इन लकड़ियों पर पॉलिश होता है, जिनसे हमें तनख्वाह मिलती है। वहां बैठे हुये लोगों ने ये तय किया है हमारे पास

झोपड़ी नहीं है, मैं इस फुटपाथ के किनारे पैदा हुआ था, फुटपाथ के किनारे मर गया लेकिन मेरे ही टैक्स से भरे हुये खजाने से जो लोग माननीय बन गये हैं उन्होंने लखनऊ की कीमती जमीन पर अपने लिये महल मांगे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हम, क्या साबित करना चाहते हैं। जब इन चीजों पर विचार नहीं होगा, कानून के इन आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। कितने हथियार बढ़ायेंगे आप, क्या हथियारों से सरहदें शान्त हो गयी। क्या दो जंग-ए-अजीम इसलिये नहीं हुयीं कि हथियार ज्यादा थे। जितने हथियार ज्यादा होंगे, अमन को खतरा उतना ही ज्यादा होगा ये दुनिया मान चुकी है मान्यवर। पुलिस की ज्यादती, खाकी वर्दी इससे चलायेंगे हम कानून लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि हम कैसे हों और जिन लोगों के बीच हम काम करते हैं उनको हम किस बात के लिये तैयार करें। जब तक हम अपने आप को विधायक के साथ-साथ ये नहीं समझेंगे कि हमारे पर समाज की निगाहें हैं और जिन लोगों के जरिये हम चुनकर आते हैं, हम उनके आइडियल हैं और हम उन जैसा अगर नहीं बन सकते, उन जनता जैसा जिसके हम नुमाइन्दे हैं तो फिर हमें इस सदन में आने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह बजट कानून का है, ये बजट सामान्य प्रशासन का है, घर का है और पूरा सदन ये कह चुका है बार-बार कि इस सदन का मुखिया अच्छा है। जब सदन का मुखिया अच्छा है तो कुछ वक्त हमें इस बात का भरोसा करना चाहिये कि जब घर का मुखिया अच्छा है तो घर की जिन्दगी खुशहाल होगी, नज्म से भरी हुयी होगी और हम एक अच्छे प्रदेश की परिकल्पना कर सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, घर का मुखिया अच्छा है लेकिन जब आप चलने देंगे तब न। यही तो हम भी कहते हैं कि घर का मुखिया तो अच्छा है लेकिन चलने दें, एक चीज। दूसरी चीज, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी घर का मुखिया अच्छा है ये तो हम भी कहते हैं लेकिन आप लोग चलने तो दें और इसीलिये मैं आगाह कर रहा हूं कि बिगड़ती हुयी बात को अभी बना लें। दूसरी बात, जो भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्यवाही हुयी, ये मैंने कहा और बहुजन समाज पार्टी की हुकुमत में जो भी हमारे विधायक, सांसद मंत्री जेल गये थे, उन्हें हमारी तत्कालीन हमारी मा0 मुख्य मंत्री जी ने ही भेजा था, आप नहीं भेजे थे। आप लोग तो एफ0आई0आर0 कराने भी नहीं गये। उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने भेजा और यही मैं चाहता हूं कि कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। तीसरी चीज, जन्म दिन के नाम पर गलत उगाही की जा रही थी, इसीलिये वो गलत काम करने गये थे, उनको भी जेल भेजा और उनके साथ हमारा जिलाध्यक्ष था जो भी जेल गया। मैं यही चाहता हूं कि कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिये। तीसरी चीज, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उस पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं कि एक बार नहीं हजार बार जांच करा लो, स्वामी प्रसाद मौर्य झुग्गी, झोपड़ी, सड़क से निकल कर आये हैं, संघर्षों से आये हैं। अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी किसी ईमानदार से कम नहीं है। एक बार हजार बार जांच कर मान्यवर, यह चुनौती देता हूं सरकार को चुनौती देता हूं। कहीं मेरी गलती हो तो आप जेल भेज दीजियेगा। एक बार भी गिडगिडाउंगा नहीं। शान से चला जाउंगा। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, भूमिका जो हमें विपक्ष की निभानी है उसको दबाने की कोशिश न की जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस स्कूल से आप आये हैं उसी स्कूल से मैं भी आया हूं। आप घुड़कियों से धमका करके विपक्ष की बात को दबा नहीं सकते हैं। अगर हम वहां नहीं पहुंच सके हैं और यहां पर पहुंच गये हैं तो हम अपनी बात रखेंगे और भूमिका को निभायेंगे। आप दबाने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप पानी पीकर बोले हम बिना पानी पिये 24 घण्टे बोल सकते हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी। आप कानूनों को बदलवाना चाहते हैं आपने उनका अपने भाषण में जिक्र भी किया है। आप बदलवा दें। हम आपके साथ हैं। लेकिन जो संविधान है वह तो महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान तो वैसे ही बना रहेगा और उसको आप मजाक न बनाइये। मान्यवर, यहां पर अम्बिका चौधरी जी बैठे हुए हैं उनका भी कटौती का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन और गृह विभाग पर आया है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं जब विपक्ष में थे तो उनका भी कटौती का प्रस्ताव आया था। उसका पूरा ब्योरा हमारे पास है। मान्यवर, मैंने जो यह कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके लिए जिलों-जिलों से आंकड़े मंगाये हैं और उसकी संकलित सूची बनायी है और उसके आधार पर कुछ आंकड़े हमने आज प्रस्तुत भी किये हैं। मान्यवर, आप वही काम करें तो अच्छा अगर वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य करें तो बुरा।

(हंसी)

मान्यवर, मैं तो इसीलिए अपनी बातें यहां कह रहा हूं कि मैं आपको ठीक करने के लिए लगा हुआ हूं मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाये।

(हंसी)

मैं तो इसीलिए आपके पीछे लगा हुआ हूं। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पीछे आपके लगा रहूंगा और इसी के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 5 वर्ष में आपने इतना ठीक कर दिया अब इससे ज्यादा क्या ठीक करेंगे।

(हंसी)

जहां तक मुखिया की बात है मान्यवर, आपका इस तरह से झांका-झांकी करना ठीक नहीं है। घरों में झांकना ठीक नहीं है। आपको यह राय देता हूं कि आप शरीफ आदमी हैं मैंने तो आप के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने तो मकानों की बात कही थी। जो आपने नहीं रखा था। न मैं आपसे मुखातिब था। मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द झांकना यह तो गलत बात है आगे से इसका आप लिहाज रखें यह गुजारिश है। मान्यवर जन्म दिन कब नहीं मनाया जब पूरी कश्ती डूब रही थी और थोड़ी सी पतवार बची थी तो यह सोचा कि आखिरी साल है कहीं पूरी कश्ती न डूब जाये इसलिए नहीं मनाया। आप उनको समझाइये।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, बरतानिया की रानी का जन्म दिन था तो वहां लोग इकट्ठा थे तो उन्होंने पूछा यह सारे लोग क्या कहते हैं तो बताया गया कि यह रोटी मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनसे कहो कि केक पेस्ट्री और ब्रेड खायें। मान्यवर, हमारी जनता और उसकी रानी की इतनी मेहरबानी होगी तो कैसे चलेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी भी दरख्वास्त कर रहे हैं, सम्मानित नेताओं से, अब सदन की बातें सदन में आपके हमारे रिश्ते कहाँ चले जायेंगे। यदि हम आपसे पहले चले गये तो क्या आप हमें कांधा नहीं देंगे और यदि आप हमसे पहले चले गये तो क्या हम उसमें शरीक नहीं होंगे। मान्यवर, अब तो कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

क्या होगा, हद से हद क्या होगा मान्यवर, मैंने न अखिलेश जी से पूछा है मुख्य मंत्री नेता सदन से न अपने नेता पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी से लेकिन इस सदन में एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते एक घोषणा करता हूँ कि इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने पर अगर आप पार्टी से निकाल दिये गये तो मैं आपको मंत्रियों में शामिल कर लूँगा, अगर बेन्चेस खाली नहीं होगी तो मैं यह जगह छोड़ दूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी रखे होते तो शायद विचार करता लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है और वह भी इन्होंने पूरे मामले को ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया है कि कहीं सामान्य प्रशासन गृह विभाग पटरी से उतर न जाय, इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, देखा पक्षपात, यही समाज के साथ इन्होंने किया है। मैं गरीब आदमी था तो मेरी नहीं मानेंगे ये मुख्य मंत्री है इनकी मानेंगे।

*श्री हुकुम सिंह-

जिस प्रकार से मान्यवर, आज इनका परिचय दिया और कहा इन्होंने कि मैं भी उसी स्कूल से हूं एक तो उस स्कूल का एड्रेस पता चल जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी बहुत से लोग उसी स्कूल के है। अब खत्म कर दीजिए अभी एक घंटे की चर्चा लगी है, विधेयक है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और आज इनका जो वाल्यूम था ओर सामने से भी बराबर का था करीब-करीब तो यह जरूर कोई न कोई खास स्कूल है जहाँ यह प्रतियोगिता होती है मान्यवर, इनका भी फायदा हो जायेगा और उधर भी फायदा हो जायेगा। मान्यवर, यह बता दे कि कौन सा स्कूल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता भाजपा बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और अपने इतने लम्बे राजनीतिक जीवन में इन्होंने कोई स्कूल नहीं छोड़ा जिस स्कूल में इनका दाखिला न हुआ हो तो सारे स्कूल को अच्छी तरह से जानते है।

श्री अध्यक्ष-

मैं अब प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,10,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,11,18,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, मैंने आपसे आग्रह किया था, मैं उसका यहाँ सन्दर्भ देना नहीं चाहता। जो तय हुआ था, वह किसी कारण से हुआ था। यहाँ प्रश्न 5 मिनट 6 मिनट का नहीं है। प्रश्न चर्चा की गंभीरता को बनाये रखने का है। यह चर्चा एक घन्टे में निपट जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सब तय कर लें, इनका निपट जाये। लेकिन यह एक घन्टे में खत्म हो जाना है, बहुत से लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शुरूआत आप करेंगे, फिर मंत्री जी और उसके बाद एक दो सदस्य जो चाहें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसी आपकी इच्छा हो।

मान्यवर, मैं इस उम्मीद के साथ में खड़ा हुआ हूँ कि इस चर्चा पर ध्यान देते हुए कम से कम एक बार इतनी प्रभावशाली कार्यवाही हो जाये कि आगे इस प्रदेश की सम्पत्ति के साथ में कोई खिलवाड़ न कर सके। यह मेरा आशय है मैं केवल चर्चा के लिये चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इसके पीछे जो गंभीरता है, आप ध्यान करे मान्यवर कि कितनी कठिनाई से चीनी मिल खड़ी की गयी, नुकसान में चली गयी और नुकसान में जाने के बाद में एक नहीं कई-कई सरकारों ने इस पर विचार किया, 1994 में इनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए कैसे इसमें सुधार हो, यह बी0आई0एफ0आर0 को संदर्भित कर दी गयी और इस आशय से की गयी कि कोई पैकेज बनकर आयेगा और इन चीनी मिलों को दुबारा चलाने का प्रयास किया जायेगा, कोशिश यह थी लेकिन सरकार आई और 2007 में सरकार आने के बाद में सरकार ने इस बात के लिये मजबूती दिखाई कि हम निर्णय लेते हैं कि पैकेज की कोई जरूरत नहीं, दुबारा इन्हें चलाने की कोई जरूरत नहीं, प्रदेश को इन मिलों की कोई जरूरत नहीं और हम इनको बेचने का निर्णय लेते है। यह निर्णय सरकार पहले भी ले सकती थी लेकिन किसी का साहस सार्वजनिक सम्पत्ति को बेचने का नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने साहस दिखाया कि हम इनको बेचेंगे। एक बात इसमें मान्यवर है, जो बहुत सटीक बात है और उस पर अगर विचार कर लें तो शायद कोई इतिहास लिखे या नावेल लिखे और उसके यह काम आये कि कोई सरकार अगर गलत निर्णय लेती है, जनहित में निर्णय नहीं लेती है और जनता के विरोध में निर्णय लेती है, सरकारी कोष को लुटाने का निर्णय लेती है तो कहीं न कहीं उसको ऐसा सलाहकार जरूर मिल जाता है जो कहता है कि इसकी जांच होगी तो कौन फँसेगा, कैसे उससे बचा जाये। यह प्रक्रिया तय की गयी कि केवल बच इस तरह सकते हैं कि जितना भी बेचने की प्रक्रिया है, उसमें हर कदम पर मंत्रि-मण्डल का अनुमोदन लिया जाये और मंत्रि-मंडल का अगर अनुमोदन होगा तो मंत्रि-मंडल के फैसले की जांच नहीं कर पायेंगे, कोर्ट चाहे कर ले, सी0ए0जी0 या कोई दूसरी एजेन्सी इसकी जांच नहीं कर पायेगी, यह इसके पीछे आशय था। इसलिए वैल्यूवेशन करने वाला कौन होगा, सर्वे करने वाले कौन होंगे, सलाहकार कौन होंगे इन सब बातों के लिये सचिव की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन कर दिया गया, कोर ग्रुप इस पर विचार करते रहे। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। किस कीमत पर तय हुयी थीं और किस कीमत पर वह आई। यह मान्यवर, आपको जानकारी है कि 1971 में चीनी निगम की स्थापना हुयी और 1971 से लेकर 1979 तक 28 मिलों का इसने वितरण कराया। एक मिल का क्रय 1974 में किया गया और 74 से 88 के बीच 6 नई चीनी मिलों की स्थापना निगम के माध्यम से की गयी। 2001 और 2003 के मध्य चीनी निगम ने 11 चीनी मिलों को अपने पास रखा और 18 मिलें जो बाकी थी, उसमें 10 बंद थी और 8 को अनुचित पाया गया, वह चीनी निगम और गन्ना निगम एक बनाया गया था, उसको स्थानान्तरित कर दी गयी। मान्यवर, 1994 में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया

कि जो मिलें सिक हो गयी थी, वह बी0आई0एफ0आर0 को संदर्भित कर दी गयी फिर 2007 में इनको बेचने का निर्णय लिया गया। अब राज्य चीनी निगम और गन्ना निगम की 14 और बाकी का 2010 के बीच विक्रय का मामला सम्पन्न हो गया। गन्ना विकास निगम की 11 मिलों का विक्रय जनवरी 2011 से लेकर मार्च 2011 के बीच में सम्पन्न हो गया। इसमें उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि सलाहकार की नियुक्ति हो गयी, विधि सलाहकार और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति हो गयी और माननीय मंत्रि-परिषद् से उसका अनुमोदन हो गया। मान्यवर, इसमें विभिन्न चरण आते है, प्रथम चरण में क्या हुआ 22 जून, 2007 से 5 मई 2008 के बीच में नोडल एजेन्सी, परामर्शदाता की नियुक्ति, मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति का कार्य सम्पन्न हो गया।

द्वितीय चरण में क्या हुआ, 14 मई, 2008 से 14 नवम्बर, 2008 तक बीडिंग के प्रपोजल प्राप्त किये गये और अब इसमें देखने की बात क्या है, जिस पर मैं आपका ध्यान चाह रहा हूँ मेसर्स चढ्ढा प्राइवेट लिमिटेड की जो सबसे ऊँची बिड थी, उसको चयनित किया गया 107 करोड़ 11 लाख की बिड थी और इसका आरक्षित मूल्य 630 करोड़ था। रिजर्व वैल्यूवेशन जो 630 करोड़ का था और बिड थी 107 करोड़ 11 लाख की। यह नहीं सोचा गया कि जब आरक्षित मूल्य दूसरा है तो दुबारा बिड करायें, कोई और आयेगा बजाय इसके 107 करोड़ 11 लाख की बिड को मान लिया गया। इसके बाद तीसरा चरण आया 19 दिसम्बर, 2008 से मार्च, 2011, सभी मिलों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी। अब है क्या इसमें, मैं भी यहां पर सदस्य के रूप मैं बैठा था, वर्ष 2009 में एक संशोधन विधेयक आता है, चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम था, उसमें संशोधन करने के लिये और उसमें धारा 3 ए से लेकर 3 ई बढ़ाई गयी, इस धारा को क्यों बढ़ाया गया क्योंकि अभी तक प्रावधान यह था कि जो भूमि होगी, उसका उपयोग आप बदल नहीं पायेगें, अगर बेचेगें भी, तो उसका उपयोग बदल नहीं पायेगें। लेकिन इन्होनें इसमें संशोधन करके यह कर दिया कि लैंड यूज भी बदल सकते हैं। सरकार अगर चाहे तो सारी मिलों को बेच सकती है। हिस्से में करके बेच सकती है, इकट्ठा करके बेच सकती है, संशोधन करके यह अधिकार प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि भारी बहुमत था। इसके पीछे षड़यंत्र क्या था, षड़यंत्र यह था कि इसको इतना फूलप्रूफ का दो कि कल कोई अदालत में भी जाये तो उसको चुनौती न दी जा सके इसलिये यह अधिनियम लाये। मुझे खुशी है कि निगम के कुछ कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय मे गये और उच्च न्यायालय ने इस संशोधन को रोक दिया और रोकने के बाद यह मामला अभी तक उच्चतम न्यायालय में पेंडिग है। लेकिन आगे क्या-क्या आधार लेकर कीमतों को कम करने का काम किया गया यह बात सबसे इन्ट्रस्टिंग है। यह भी शायद लोगों के काम आये कि किसी गलत का को करने के लिये क्या-क्या करना चाहिये। मान्यवर, 11 मिलें बंद थी, 20 अगस्त 2009 को पहले तो 11.00 बजे मीटिंग होती है और मूल्य आता है 840 करोड़ 40 लाख और बताया गया कि कुछ जमीन विवादित है, झंझट है, इसलिए कम करना चाहिए, यह भी कहा गया कि प्लांट और मशीनरी के मूल्य कुछ अधिक है। इसलिए उसी दिन 20 अगस्त, 2009 को 6.00 बजे पुनः वही कोर ग्रुप की मीटिंग हुयी, वह कहता है कि भूमि के मूल्य में कुछ और कटौती करनी चाहिये और कटौती लगभग 30 प्रतिशत करनी चाहिये और उतनी कटौती कर दी। भूमि का आकार बड़ा है, ज्यादा जमीन है, इसलिए और कटौती करनी चाहिये, स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करनी चाहिये और इस प्रकार अंतिम मूल्य 884 करोड़ से 551 करोड़ पर आकर टिका। यह काम एक दिन में हुआ। सुबह के

11 बजे से शाम के 6 बजे तक 884 करोड़ से 551 करोड़ पर कारण बताये मैंने कि क्या-क्या बताये गये। मान्यवर, भिन्न-भिन्न मदों पर कोर ग्रुप में विचार होता रहा। दूसरे, चीनी और गन्ना विकास निगम की बंद 11 मिलों का मुल्यांकन फिर दूसरा शुरू हुआ। वर्ष 2010 में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा 212.20 करोड़ रुपये आंका गया था। बाद में विभिन्न प्रकार की छूट दे करके 30 करोड़ पर आ गये। भूमि का बाजार मूल्य 2007-08 में, यह भी जरा विचारणीय बिन्दु है, आज जो भूमि का मूल्य है एक साल के बाद में उसका मूल्य बढ़ेगा, कम नहीं होगा लेकिन यहां 2007-08 में 33 मिलों की भूमि का मूल्य 280.39 करोड़ आंका गया था। 2009-10 में बजाय बढ़ाने के, उसको घटा करके 152 करोड़ रुपया कर दिया गया।

मान्यवर, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार दोनों निगमों के मिल बेचने में जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है उसका जो अनुमान है 840.40 करोड़ की कमी आयी। मैंने जो अंदाजा लगाया कि कम से कम इसमें 2000 करोड़ रुपये की लूट है 840 करोड़ की नहीं है। कितनी होशियारी का काम है कम्पनी एक है, नाम दो हैं, एक नाम है वेव इण्डिस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है पी0बी0एस0 ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। इनकी बिजनौर, सहारनपुर तथा बुलन्दशहर इन तीनों जगह में फैक्ट्री है। कोई तीसरी बिड नहीं आती है। मालिक एक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक, कम्पनी के नाम दो। उन्हीं को आपस में प्रतिस्पर्धा कराते है और प्रतिस्पर्धा करा करके 251.50 करोड़ के स्थान पर 166 करोड़ रुपये में मिल बेच दिया जाता है। 125 करोड़ की कमी वहां पर आयी। दूसरा उदाहरण यह कि एक और क्रेता आई0पी0एल0, जितना हमारा वैल्युवेशन था आई0पी0एल0 की बिड उससे ज्यादा आयी। ये जो चड्ढ़ा और वेव इण्डस्ट्रीज हैं इनकी जितनी बिड आयी है वह उससे कई-कई सौ करोड़ रुपये कम आयी है लेकिन उनको मिल दे दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कल माननीय मंत्री जी गन्ना विभाग के बजट पर बोल रहे थे, मैंने इनका भाषण भी पढ़ा है। इन्होंने कहा की हम जांच करायेंगें, जेल भेजेंगें लकिन अब यह राग तो पुराना हो गया। जांच कराना, जेल भेजने की घोषणा करना यह राग बहुत पुराना हो गया, निष्प्रभावी हो गया, इसमें कोई आकर्षण भी नहीं रहा। आप जांच किस चीज की और किस एजेंसी से करायेंगे। जो जांच की रिपोर्ट आपके सामने है इससे बड़ी एजेंसी जांच की क्या कोई है ? सी0ए0जी0 से बड़ी जांच की एजेंसी कोई नहीं हैं। जांच एजेंसी इससे बड़ी नहीं है और अथेन्टिक भी नहीं है, भले ही उन्होंने 840 करोड़ रुपये का बताया हो और मेरा अनुमान हजारों करोड़ का हो। हम 840 करोड़ को मान लें इसके बाद में जो लोग इसमें विशेषज्ञ हैं, कानून की, नियमों की सारी जानकारी उनको है, संवैधानिक उनका स्थान है उनकी जांच के बाद आप किससे जांच करायेंगे ? अब आपका दायित्व क्या है और वास्तव में आप गंभीर हैं, क्योंकि दिक्कत आपके सामने बहुत हैं। जिस व्यक्ति का, जिस कम्पनी का इसमें नाम आ रहा है आम चर्चा यह है कि जितना करीब यहां था, उससे कहीं ज्यादा करीब आपके यहां है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहां से डेपुटेशन पर वहां गया था। पांच साल डेपुटेशन पर रहा, दुबारा फिर अपनी जगह पोस्टिंग पा गया। वह खतरा है, वह जनता के मन में एक आशंका छायी हुई है कि कार्यवाई होनी नहीं है, जांच की बात कहीं जाती रहेगी, जांच चलती रहेगी या नहीं चलेगी और पांच साल का कार्यकाल विधान सभा का पूरा हो जायेगा। वे लोग जिन्होंने इस गरीब प्रदेश के खजाने का लूटा है, खुलकरके डकैती डाली है, नीचता दिखायी है जिस प्रकार से, मैं उन अधिकारियों के बारे में जिनकी अध्यक्षता में कोर ग्रुप बना था, जेल उनको तो बाद में भेजना, पहले इस कोर ग्रुप को जेल भेजकर दिखाईये। जिन

लोगों ने इस प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, बेईमानी की है सुबह 11.00 बजे बैठते हैं और 11.00 बजे से लेकर 6.00 बजे तक कई सौ करोड़ रुपये की कमी कर देना। वही मिल है, वही जमीन है वही अधिकारी हैं किसी ने कहा कि अभी कमी रह गई, कमी और करो, बड़ा आकार है बड़ा आकार को मानकर कमी कर दो, फिर बताया मशीन पुरानी हो गयी है, फिर कमी कर दो फिर लैण्ड यूज की बात कही उसमें कमी कर दो। मान्यवर, दो फैक्ट्री है एक पुरारी एक नई सहारनपुर में है दोनों फैक्ट्री चीनी निगम की पुरानी फैक्ट्री सहारनपुर के बीच में बन्द हो गई उसके स्थान पर नई फैक्ट्री लगाई गई उस फैक्ट्री में 37 हेक्टेएयर जमीन है। जो शहर के बीच में है। वह बेशकीमती जमीन इतनी है कि 291 करोड़ रुपए का अनुमान है उस जमीन का अंदाजा जो था उस जमीन का वह 291 करोड़ का था। वह 17 करोड़ में दे दी। सहारनपुर के बीच में इतनी बेशकीमती जमीन जिसमें माल बनेंगे क्योंकि आपने संशोधन कर दिया लैण्ड यूज़ चेंज हो सकता है। इतनी होशियारी से बैठे-बैठे काम कर रहे हैं। जब लैण्ड यूज़ चेंज हो सकता है तो माल बनेंगे और चीजें बनेंगी जो पाबंदी थी कानून में। कानून में पाबंदी यह थी कि अगर यह फैक्ट्री बेची भी जाएंगी स्थानान्तरित भी होंगी तो इनकी जमीन का लैण्ड यूज़ नहीं बदलेगा। फैक्ट्री चलानी पड़ेगी। फैक्ट्री को बन्द नहीं किया जाएगा। वह सारी शर्ते खत्म करके अब बता दिया कि आप लैण्ड यूज़ चेंज कर सकते हैं। इससे ज्यादा घिनौनी मानसिकता कोई और हो सकती है क्या इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है। अपराध सीधा-सीधा कागजों के ऊपर अपराध सीधा सीधा-सीधा जो कार्य प्रणाली उन्होंने अपनाई जिन लोगों ने कहा कि दो कम्पनी है उन्हीं की बिडिंग करा रहे हैं उसमें भी काम नहीं चला। जमीन की 100 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी कहा कि इतनी बड़ी डील हुई है इसलिए स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी थी एक कलम मे खत्म कर दिया। मेरी मांग यह है कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है उसको जेल भेजेंगे नहीं भेजेंगे कम से कम इतनी तो कृपा करें अगर आपका उनके ऊपर प्रभाव है तो कम से कम 900 करोड़ रुपया इस प्रदेश के खजाने में आ जाए। क्षेत्र विकास निधि की मांग आ रही थी हमें तो देते हुए आप तक़ल्लुफ़ कर रहे हैं कि 630 करोड़ का प्राविधान कर दिया पर यह दो-दो कम्पनी एक घराने को आप 900 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लुटा रहे हैं हमें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि 900 करोड़ रुपये एक घराना हमारी साजिश से हमारी कांस्पीरेसी से हमारी हठधर्मी से हमारी बेईमानी से 900 करोड़ रुपये प्रदेश का लूटकर ले गया और हम विधायकों के बारे में संकोच कर रहे हैं कि बढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। विपक्ष के हैं फलां के हैं जहां दिल खोलकर काम करना चाहिए वहां नहीं करते। इस धनराशि से सदस्य सड़क बनवाते, खड़ंजा लगवाते, नाली बनवाते, नल लगवाते वह विकास का काम होता चलिए उसको भी छोड़ दीजिए अगर यह धन सरकारी खज़ाने में आता तो न जाने कितने स्कूल बनते, कितने कॉलेज बनते मैं यह चाहता हूं कि यह जो जांच वाली बात है तो जांच ने बहुत सत्यानास किया है। जांच वाली बात समाप्त हो जांच हो चुकी है। अधिकृत एजेंसी की रिपोर्ट आपके पास जा चुकी है। अधिकृत एजेंसी ने कहा है कि प्रदेश का एक हजार करोड़ रुपया लूटा गया है। कारण बता दिए कौन अधिकारी दोषी है उनके नाम बता दिए जिनकी वह कमेटी थी एक कोर ग्रुप बना उसके बाद मंत्रि-मण्डल की सब कमेटी बनी उनके अध्यक्ष जी अभी चले गये यह बात स्पष्ट है कि कौन-कौन दोषी है उसमें एक बार साहस दिखाओ ताकि आगे कोई हिम्मत न कर सके इस प्रदेश की सम्पत्ति को लूटने या बेचने की सब जेल जाएं चाहे जितने बड़े पद पर कोई रहा हो। जिन लोगों ने इस प्रकार से धोखा देने का काम किया है।

कानून ले आए संख्याबल के आधार पर पास भी करा लिया लेकिन पीछे इरादा क्या था कैसे हम प्रदेश को तबाह करेंगे कैसे हम एक-एक चीज को बेचेंगे। अच्छा हुआ ईश्वर की कृपा रही कि संविधान निर्माताओं ने पांच साल कार्यकाल रखा अगर 10-20 साल कर देते तो शायद इस सरकार के आने की नौबत ही न आती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर कोई बात आएगी तो मुझे उत्तर देने का अधिकार होगा।

श्री अध्यक्ष-

इसका नियम यह है कि जो चर्चा के लिए देंगे वह चर्चा शुरू करेंगे और मंत्री जी उस पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी इसका उत्तर देंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हुकुम सिंह जी की बात से और जो आपने रखा है उससे इंकार कहाँ है सरकार को। जो रिपोर्ट आई है सरकार को उससे इत्तेफाक है हाई कोर्ट जो निर्णय लेगा सरकार उससे एत्तेफाक करेगी।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें कल जो आपका जवाब आया इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करायेंगे तो मान्यवर, इससे बड़ी जांच कौन सी होगी। इससे बड़ी जांच एजेन्सी और कोई हो नहीं सकती। मैं बता रहा हूं क्या संसदीय कार्य मंत्री करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

देखिये सी0ए0जी0 रिपोर्ट, क्योंकि जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट जो कहती है सरकार अपने आपको उससे अलग नहीं करती। सी0ए0जी0 रिपोर्ट कहती है कि यह गलत बेची गई है। हम भी कह रहे हैं कि यह गलत बेची गई। हाई कोर्ट का फैसला देख लीजिये। जो निर्णय हाई कोर्ट का होगा सरकार उसको मानेगी।

श्री हुकुम सिंह-

हाई कोर्ट में है ही नहीं कुछ मामला। हाई कोर्ट ने तो आधा काम जो कानून आपने पास किया था उस धारा को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया। जिसमें आप न ड्यूज चेंज कर सकते हैं उसको संविधान के प्रतिकूल घोषित कर दिया उन्होंने। वह मामला दोनों पक्षों से उच्चतम न्यायालय में गया है कि इससे प्रभाव होगा कि नहीं होगा। हाई कोर्ट का स्टे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

ठीक है हुकुम सिंह जी, इस पर विचार हो जायेगा माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है। देखिये चूंकि पूरा प्रकरण नेता सदन के संज्ञान में है और मैं जो कुछ कह रहा हूं उनकी सहमति से ही कह रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

एफ0आई0आर0 दर्ज है, बेईमान लोग जेल जायं। मैं मानता हूं कि आप नेता सदन की ही सहमति से कह रहे हैं लेकिन इसमें कुछ समय सीमा बता दीजिये तो बहुत कुछ क्लीयर हो जायेगा। बहुत बड़ा संदेश जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

शीघ्रातिशीघ्र

श्री अध्यक्ष-

शीघ्र अति शीघ्र कह रहे हैं। (श्री रविदास मेहरोत्रा के खड़े होने पर) देखिये आपने भी उस पर दिया था, यह सही है। आप क्या बोलेंगे अब। वो तो सारी बात बता दिये। अरे बैठ जाइये। वैसे तो आप रहते नहीं हैं कभी अपना नोटिस देकर, पता नहीं आज कैसे आ गये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

अध्यक्ष जी, यह किसके लिए कह रहे हैं मेरी बात सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी ने कह दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं। सुन क्या लें, यह लोग नियम कानून तो जानते नहीं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले 16 मई को मैंने 21 चीनी मिलों के विक्रय में हुयी अनियमितितायें एवं भ्रष्टाचार पर यह प्रश्न लगाया था उसके बाद 13 जून को यह प्रश्न स्वीकृत हुआ। मैंने नियम-52 में चर्चा के लिये दो विधायकों के समर्थन से आपको लिखकर दिया। मेरी चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले लिखकर दिया। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप देखिये कि दो विधायकों के समर्थन से...

श्री अध्यक्ष-

पूरा मत समझाइये। दो मिनट में जो कहना है, कह दीजिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

नियम-52 की चर्चा के लिये मैंने सबसे पहले लिखकर दिया था कि यह चीनी मिलें जमीन के सर्किल रेट से भी कम कबाड़ के मूल्य से भी कम दाम पर बेच दिया गया था....

श्री अध्यक्ष-

नियमावली पढ़ लीजिये कि आता है कि नही, इसमें लिखा हुआ है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

पिछले 5 साल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो वित्तीय अनियमिततायें एवं लूट हुई हैं, जो घोटाले एवं करेप्शन हुआ है वह पूरे प्रदेश ने देखा है। बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थीं। इन 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में जो अपराध किया है जनता कभी इनको क्षमा नहीं करेगी। 10 चीनी मिलें लाभ में चल रही थीं उन चीनी मिलों के गोदामों में शक्कर भरी हुई थी बोरे भरे हुए थे और चीनी मिल बेचने के बाद जो उसकी लायबिलिटी थी, जो उसकी देनदारी थी उसको सरकार ने अदा करने का काम किया लेकिन लेनदारी मिल मालिक को मिल गयी जो मजदूर वहां काम कर रहे थे जबरन उनको वी0आर0एस0 देने का काम किया। जिन किसानों का गन्ना लिया गया था उसका भुगतान करने का काम चीनी मिल बेचने से आये पैसे से हुआ यह मिल मालिक के बजाय

सरकार को किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमको केवल इतना कहना है कि पूर्व की बी0एस0पी0 सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर सारी सीमाएं तोड़कर भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियतितायें कर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का काम किया है। जनता कभी भी इनको क्षमा करने का काम नहीं करेगी।

(माननीय सदस्य श्री पहाड़िया के बोलने के लिए खड़े होने पर)

सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आ गयी है इसमें स्पष्ट हो गया है कि इस विक्रय में सरकार का 1180 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह घोटाला इससे भी बड़ा था। पूरे प्रदेश की 20 करोड़ जनता यह चाहती है कि सरकारी चीनी मिलों को बेंचने में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों के साथ सम्भावित कार्यवाही की जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के दोषियों के खिलाफ सभी संभावित कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

मा0 अध्यक्ष-

अरे पहाड़िया जी, आप हर बात में क्यों खड़े हो जाते हैं। आपके नेता खड़े हैं। दिन भर, हर बार आप एक नोट लेकर खड़े हो जाते है। हर विषय पर बोलना जरूरी है ? आप प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं ?

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, हमारे यहां एक चीनी मिल है जो तत्कालीन एन0डी0 तिवारी जी की सरकार में स्वीकृत हुई थी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने इसको बढ़ाने का काम किया। दुर्भाग्य से उनकी सरकार डेढ़ साल चली। आज उस चीनी मिल की कम से कम 1200 बीघा जमीन है 250 एकड़। माननीय अध्यक्ष जी, 90 प्रतिशत काम हो चुका है। पिछले 15-16 साल से न वह चीनी मिल है, न बीमार है न बेकार है।

मैं जानना चाहता हूँ माननीय गन्ना मंत्री जी बैठे हैं क्या सरकार की मंशा उस चीनी मिलों को चलाने की है तो जवाब आया गन्ना मंत्री जी का धन का अभाव है ऋण की असुविधा है इसलिए चीनी मिल नहीं चला पाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिह जी ने कहा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मान लिया कि सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आएगी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

यह अलग प्रकरण है वर्तमान सरकार यदि यह नेक काम करेगी तत्कालीन सरकार इसको बेचना चाहती थी। आज यह जमीन ग्रेटर नोएडा के पार्ट 2 में आ गई है ढाई सौ एकड़ जमीन है, कम से कम दो अरब की जमीन है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

जहांगीरपुर चीनी मिल को किसी ऐसे ग्रुप को बेचा जाए जो इसको इसी स्वरूप में चलाए।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब इनको बैठाएं हुकुम सिंह जी ने कहा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनकी बात मान ली अब इसमें कहां चर्चा है।

*श्री प्रदीप माथुर-

उसी घोटाले में मैं छाता शुगर मिल को भी शामिल कर रहा हूं। वह शुगर मिल न तो बिकी और वह चड्डा एण्ड कम्पनी उसके अन्दर की सारी टरबाइन और लोहा निकालकर ले गई। उस पर्टिकुलर कम्पनी के पिछली सरकार में हौसले इतने बुलन्द थे कि वह बिना खरीद फरोख्त के जो शुगर फैक्ट्रियां ऐसे ही पड़ी थीं उन पर भी हाथ साफ कर दिये गये उन्होंने छाता शुगर फैक्ट्री पर बिना खरीदे बिना बेचे हाथ साफ कर दिया। इसकी भी जांच कराई जाय। उसकी सारी मशीनें ले गए उसकी सारी टरबाइन ले गए, उसका सारा लोहा लंगड़ ले गए। 100 एकड़ जमीन है और वहां किसानों ने उस छाता शुगर फैक्ट्री के बंद होने के बाद गन्ना बोना बंद कर दिया और वहां के किसानों की हालत खराब हो गई यह गम्भीर मामला है इसको भी इसी से सम्बद्ध किया जाए।

श्री तेजपाल सिंह-

छाता शुगर मिल जिसका जिक्र किया मा0 माथुर साहब ने किया हमारे जनपद में अकेली छाता चीनी मिल है और नेता जी ने उसको तीन बार बिकने से पहले रोका था हमारे अनुरोध पर। हम चाहते हैं कि जो अकेली छाता की चीनी मिल है वह बनी रहनी चाहिए क्योंकि किसान तबाह हो गया। वहां पर गन्ने की खेती होती है ज्यादा, हमारे यहां आसपास कोई चीनी मिल नहीं है। एक चीनी मिल हरियाणा पलवल में लगी है हरियाणा में जो लगी है वह हमारा गन्ना लेती नहीं है तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो छाता शुगर मिल मथुरा में लगी है अकेली चीनी मिल है और माननीय मंत्री जी जानते हैं कि तीन बार उसको बिकने से रोका है, तो उस मिल को जरूर चलवा दें वरना किसान बरबाद हो जाएगा यह हमारा आपसे अनुरोध है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया जांच का, कार्यवाही का आश्वासन दिया, यथाशीघ्र भी कहा मैं उम्मीद करता हूं कि दो महीने के अंदर कार्यवाही होगी पब्लिक के सामने आएगी। मान्यवर, सभी विधायक अपनी समस्या रख रहे हैं अजय जी निघासन के विधायक हैं इनके यहां भी सरजू सहायक चीनी मिल है इसको भी बेचने का प्रयास हो रहा है इसमें रुकावट हो जाए। आगे न बिकें और जो मिलें खराब हैं उनको चलाने की व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक मा0 सदस्य-

हमारे यहां छितौनी चीनी मिल है...

श्री अध्यक्ष-

आप तो उसमें थे नहीं, मा0 हुकुम सिंह जी ने सारे तथ्य रख दिए सरकार ने मान लिया कि जांच करेंगे रिपोर्ट करेंगे कार्यवाही करेंगे। बेकार आप लोगों को आदत है हर मामले में खड़ा जो जाना। मैं छितौनी को आपसे ज्यादा जानता हूं। आप बैठ जाएं।

*लोक निर्माण, सिचांई, सहकारिता एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, 21 चीनी मिल बेची गयी हैं। पहली बार में 4 मिलें बेची गयीं, फिर 6 मिल बेची गयीं, उसके बाद 11 चीनी मिलें बेची गयीं। माननीय हुकुम सिंह जी ने एक तो नाम ले दिया जबकि उससे हम लोगों की कोई सांठगाठ नहीं है और सबसे पहले तो मा0 हुकुम सिंह जी आपकी सरकार में आपके लोगों से उनका सम्पर्क था। मेरी जानकारी में है और फिर ऐसे लोग तो सब जगह जाते हैं। तो हो सकता है कि आया हो हमारी सरकार में भी, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

लेकिन लेकर कुछ नहीं गया है।

(हंसी)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह सही है कि लेकर कुछ भी नहीं गया है और जो दूसरा हम बताना चाह रहे हैं बसपा के एम0एल0सी0 हैं तो उनका भी नाम आ जाना चाहिए उनका नाम है मो0 इकबाल। सहारनपुर के रहने वाले हैं। उनके पुत्रों के भी नाम हैं। यह सही है कि जमीन की कीमत बहुत कम लगायी गयी और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट भी आ गयी है और अदालत में भी मामला है। यह है एस0एल0पी0 संख्या 16362/2010 राजीव कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरी है जनहित याचिका 5283/2011 सच्चिदानन्द गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। मान्यवर, यह सही है कि चीनी मिलों की कीमत कम लगायी गयी है। यह अब पी0ए0सी0 में जाएगा और जो भी अदालत का आदेश होगा और जब कमेटी में जा रही है, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है और जो आश्वासन मिला है तो अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही होनी है और आगे कोई चीनी मिल बेची नहीं जाएगी, चलायी जाएगी और हम कल भी बता चुके हैं कि हम पालिसी भी बनायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

पी0ए0सी0 की रिपोर्ट का इससे मतलब नहीं है। यह रूटीन में जाती है तो वहां जाये, वहां का काम दूसरा है। इसके आधार पर कार्यवाही करने में पी0ए0सी0 भी आड़े नहीं आती। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कार्यवाही कर दें। बस वही बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मामला अदालत में भी तो है।

श्री हुकुम सिंह-

मामला अदालत में यह है ही नहीं। अदालत में तो मामला है कि जो कानून बना था लैण्ड यूज वाला जो मामला था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हमने आपको बता दिया है कि सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के अनुसार इतना घाटा हुआ है और मैंने यह भी बताया कि बहुत कम कीमत लगायी गयी। मैंने नाम भी बता दिये। मैंने कहा कि अब कोई चीनी मिल बेची नहीं जाएगी, चीनी मिल चलायी जायेगी। हम नई नीति ला रहे हैं। आपको पता है कि हमारी सरकार में 28 चीनी मिलें लगी थीं और इन पांच सालों में तो एक भी नहीं लगी और पालिसी भी खत्म कर दी है और हमारी सरकार में एक ऐसी पालिसी थी मिल मालिक किसान के पास जाते थे और 300 से लेकर साढ़े तीन सौ रुपये गन्ना का मूल्य मिला था, कम्प्टीशन था। मिल मालिक जाते थे, तो हम ऐसी पालिसी ला रहे हैं जिससे किसानों का भला होगा, किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, हम ऐसी पालिसी ला रहे हैं और इन पर अतिशीघ्र कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब चर्चा समाप्त।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और जिसे श्री अध्यक्ष ने धन विधेयक प्रमाणित किया, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशः-

खण्ड-2

इस विधेयक के खण्ड-2 में (क) की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायः-

''(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।''

राजस्व,अभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर पदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

बुन्देलखण्ड को बिजली कटौती से मुक्त रखा जा चुका है, लेकिन वर्तमान समय में.....

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सर्वसम्मति से सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है।

जनपद बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली की अघोषित कटौती किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

बुन्देलखण्ड को बिजली कटौती से मुक्त रखा जा चुका है, लेकिन वर्तमान समय में.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में बिजली अघोषित कटौती से आम जनता, छात्र, किसान, व्यापारी सभी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महोबा में भी सबसे अधिक परेशानी विद्युत कटौती से हो रही है। कटौती के बाद ही जो आपूर्ति का समय है वह भी पूर्णतः गलत है। क्योंकि दोपहर के समय व देर रात्रि में कटौती की जाती है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। इसके अतिरिक्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को महीनों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाद भी नहीं बदला जाता तथा क्षेत्र की अनेक ग्रामों की दलित बस्तियों में विद्युतीकरण न हो पाने से गरीब कमजोर वर्ग को विद्युत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपरोक्त कारण से सभी वर्गों में भारी नाराजगी है। स्थिति कभी भी आन्दोलन का रूप लेकर विस्फोटक हो सकती है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान मे बुन्देलखण्ड के जनपद महोबा में 16.00 बजे से 07.00 बजे एवं 10.00 बजे से 13.00 (कुल 18.00 घंटे) विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसके सापेक्ष माह मई, 2012 में औसत विद्युत नगरीय क्षेत्र में 16.50 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 15.25 घंटे रही। इसी प्रकार माह जून, 2012 (01-06-12 से 15-06-12 तक) औसत विद्युत आपूर्ति नगरीय क्षेत्र 16.40 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 14.40 घंटे रही।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खराब एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को शहरी क्षेत्रों में 3 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन में बदलने की व्यवस्था है। भण्डार में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे क्षतिग्रस्त परिवर्तक क्रमशः एक दिन तथा तीन दिन में भी बदल दिया जाता है। महोबा जनपद में माह मई, 2012 में खराब हुए 26 परिवर्तकों के सापेक्ष सभी 26 परिवर्तक बदल दिये गये एवं माह जून, 2012 (01-06-12 से 15-06-12 तक) में 18 परिवर्तकों के सापेक्ष 16 परिवर्तक बदल दिये गये हैं, शेष दो परिवर्तक के बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

महोबा जनपद के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्व में किया गया है, उनके साथ लगी हुई दलित बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में 300 या अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों जिसमें दलित बस्ती भी सम्मिलित है, के विद्युतीकरण की कार्य योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (भारत सरकार), नई दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।]

जनपद चन्दौली के सैय्यद राजा तथा बरहनी विकास खण्ड में स्थित चिकित्सालयों में फैली अव्यवस्थाओं के दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं अस्पताल में चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री मनोज कुमार द्वारा नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा जनपद चन्दौली में पूर्व मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा 24 बेड का संयुब्क्त चिकित्सालय ओयरचक का निर्माण कराया गया था। उक्त चिकित्सालय अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उक्त चिकित्सालय में खिड़की, दरवाजे, पंखे, बिजली व चिकित्सकों आदि का अभाव है। वहां व्यक्ति के स्थान पर जानवर रहते हैं तथा गोबर, भूसा आदि सामान रखकर जानवरों की सेवा की जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली को जानकारी देने के बावजूद उनके द्वारा उक्त कमियां एक सप्ताह के अन्दर दूर किये जाने का आश्वासन दिया गया, किन्तु 02 महीना बीतने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार का एक चिकित्सालय अमडा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहनी विकास खण्ड के अन्तर्गत अवस्थित है, जहां चिकित्सक आते ही नहीं हैं तथा चिकित्सालय जर्जर अवस्था में है। उक्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु आये लोग जीवन व मौत से लड़ रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी की है।

मा0 सदस्य द्वारा उउक्त लोक महत्व के प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त दोनों चिकित्सालयों का नवीनीकरण करने तथा जनता को उचित चिकित्सा दिये जाने हेतु श्रेष्ठ चिकित्सकों एवं एक-एक महिला चिकित्सक की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने मा0 सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2- मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी है। उनके पत्र दिनांक 23-06-12 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार संयुक्त चिकित्सालय, ओयरचक, विकास खण्ड बरहनी, जनपद चन्दौली बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित है। विगत वर्ष बाढ़ में पूर्णरूप से लगातार दो माह डूबे रहने के कारण चिकित्सालय की दीवारें, फर्श, खिड़की, दरवाजे आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। संयुक्त चिकित्सालय, ओयरचक के भवन की मरम्मत हेतु रु0-1,02,11,312.00 (रुपये एक करोड़ दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ बारह मात्र) के आंगणन पर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार संयुक्त चिकित्सालय, अमड़ा के भवन की मरम्मत हेतु रु0-95,41,395.00 (रुपये पन्चानवे लाख इकतालिस हजार नौ सौ पन्चानवे मात्र) के आगणन पर कार्यवाही की जा रही है। उक्त आंगणनों की समीक्षा करके उपयुक्त धनराशि बजट स्वीकृत होने के उपरान्त उपलब्ध कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

3-संयुक्त चिकित्सालय, ओयरचक पर फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, एल0ए0 स्वीपर कम चौकीदार एवं वार्डब्वाय कार्यरत हैं। वहां एक चिकित्सक भी तैनात था, किन्तु निरीक्षण में पाया गया कि उसके द्वारा नियमित ओ0पी0डी0 नहीं की जा रही है। उन्हें कार्य प्रणाली में सुधार हेतु चेतावनी भी दी गयी थी, किन्तु सुधार न होने पर वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया। अब पुनः एक अन्य चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है। उक्त चिकित्सालय की ओ0पी0डी0 मे माह जनवरी, 2012 से अब तक कुल 1565 मरीज देखे जा चुके हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि चिकित्सालय की परिधि में सघन आबादी नहीं है तथा यह प्रदेश के सीमान्त क्षेत्र में है, जिसके कारण ओ0पी0डी0 मे तुलनात्मक रूप से मरीजों की संख्या कम है। चिकित्सालय की बाउण्ड्री न होने के कारण आसपास के लोग चिकित्सालय के बाहर जानवर बांध देते थे, किन्तु नियमित भ्रमण कर इस पर रोक लगायी गयी है। चिकित्सालय नियमित रूप से संचालित हो रहा है।

4-संयुक्त चिकित्सालय, अमड़ा में दो चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्वीपर कम चौकीदार, दो वार्ड आया व दो वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं। चिकत्सालय का भवन साफ-सुथरा है। विद्युत वायरिंग तथा पंखे आदि लगे हुये हैं। वहां विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा चिकित्सालय को शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो जायेगा। चिकित्सालय के कामकाज में सुधार के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। इस चिकित्सालय में माह जनवरी, 2012 से ओ0पी0डी0 में 1885 मरीजों को देखा जा चुका है। संयुक्त चिकित्सालय, अमड़ा विकास खण्ड

स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहनी से मात्र 02 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण आसपास के मरीज प्रायः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहनी पर ही उपचार हेतु आते हैं। उक्त दोनों चिकित्सालयों में उपलब्ध संसाधनों से मरीजों का उपचार सुचारु रूप से किया जा रहा है।]

जनपद इलाहाबाद में स्थित ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजद पार्क में स्थित स्टेडियम को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खेलकूद, युवा कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय ''गामा'' मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 तहत सूचना दी गयी है कि जनपद इलाहाबाद में अवस्थित ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क जिसे कम्पनी बाम के नाम से भी जाना जाता है, के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय स्टेडियम स्थित है। क्या इसे स्थानान्तरित करने का मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कोई आदेश निर्गत हुआ है और यदि आदेश हुआ है तो इसे स्थानान्तरित करने की क्या सरकार की कोई योजना है जिसके अन्तर्गत जमीन चिन्हित करके शासन द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है।

यह आवासीय स्टेडियम महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न है इसे बनवाने हेतु सरकार कब तक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी और यदि नहीं करेगी तो क्यों ?

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इलाहाबाद में ऐतिहासिक चन्द्रशेखर आजाद पार्क में वर्ष 1960 से मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, स्थापित है जहां तक स्टेडियम को हटाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20-03-2007 सिविल संख्या-6211-2000 में यह आदेश पारित किया है कि यदि उ0प्र0 पार्क, खेल मैदान, ओपेन स्पेस (प्रिय रिजर्वरेशन एन्ड रेगुलेशन) एक्ट 1975 के लागू होने के दिनांक पर अगर पार्क, खेल मैदान एवं ओपेन स्पेस किसी कार्य के लिए प्रयोग हो रहा हो, तो उसे उसी कार्य हेतु प्रयोग करते रहने दिया जाय। अतः स्टेडियम को हटाने का कोई आदेश सम्प्रति मा0 उच्च न्यायालय का फिलहाल नहीं है उपरोक्त परिस्थितियों में वर्ष 1975 से पूर्व (1960 से) शहर के मध्य स्थापित यह एक मात्र स्टेडियम है, जिसमें लगभग एक हजार खिलाड़ी निरन्तर प्रातः एवं सायंकाल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पदक अर्जित कर प्रदेश व देश को गौरवान्ति कर रहे हैं तथा प्रायः जनपदीय व राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आयोजन हेतु प्रयोग किया जा रहा है जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय व एक्ट 1975 के अुरूप है। ऐसे परिस्थिति में स्टेडियम को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के ग्राम जमालपुर पिपरी में गोमती नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[सूचना मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-जगदीशपुर के विकास खण्ड-बल्दीराय के ग्राम जमालपुर पिपरी में गोमती नदी से हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। विकास खण्ड-बल्दीराय के ग्राम जमालपुर पिपरी की आबादी लगभग 7000 है यहां पर गोमती नदी के कटान से बनी हुई लोक निर्माण विभाग की सड़क लगभग 700 मीटर को अपनी धारा मे लिया है, जिससे सड़क का कहीं भी अस्तित्व नहीं रह गया है। गोमती नदी के कटान से ग्राम गौरापरानी, कांकर कोला, उमरा, कांपा पूरे जबर, पूरे बुद्धी, पूरे झाऊ, पूरे जवाहर तिवारी और कृषि योग्य लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। गोमती नदी के कटान से होने वाली क्षति से लाखों किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा उनकी कृषि योग्य भूमि भी गोमती नदी में समा जा रही है। कटान को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई सही व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिससे आगे आने वाले समय में हजारों किसान भुखमरी का शिकार होने लगेंगे। सरकार से मेरी मांग है कि गोमती नदी के कटान को रोकने के लिये ठोस इंतजाम करने की कृपा की जाये, ताकि लोगों की कृषि योग्य भूमि बच सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्ब विषय पर मैं इस सदन के माध्यम से सरकार के वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-श्री राधेश्याम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पर आख्या निम्नवत् है :-

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर के विकास खण्ड-बल्दीराय मे गोमती नदी के तट पर ग्राम पिपरी, जमालपुर, कांकर कोला एवं नेवादा स्थित है। नदी के कटान से कोई आबादी प्रभावित नहीं है, परन्तु नदी के एलांग लगभग 2.00 कि0मी0 लम्बाई में 100-150 मीटर की चौड़ाई में कृषि योग्य भूमि का कटान हो रहा है। नदियां अपनी धारा में बदलाव करती रहती हैं तथा इनकी मीन्डरिंग प्रवृत्ति से कहीं पर कृषि भूमि का कटान होता है तथा कहीं-कहीं पर कृषि योग्य भूमि नदी से बाहर भी आती है। कृषि योग्य भूमि के कटान को रोकने के लिये सिंचाई विभाग की नीति नहीं है।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज मे जले हुए घरों के पीड़ित परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में अंकित करते हुये सभी सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री जगराम पासवान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-06-2012 को नियम-51 के तहत विधान सभा में इस आशय की सूचना दी गयी थी कि जनपद-बलरामपुर के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास खण्ड-श्रीदत्तगंज में ग्राम सभा रामपुर वगनहा में नटवन गांव स्थित है और लगभग डेढ़ माह पहले इस गांव में आग लग जाने से बुरी तरह से घर व सामान जल कर राख हो गया और नट जाति (मंगता) का न तो पक्का घर है और न राशन कार्ड व बी0पी0एल0 कार्ड है और न ही अन्त्योदय कार्ड है। इस कारण ये गरीब मंगता जाति को सरकारी आवास की सुविधा नहीं मिल पाती है और राशन एवं सरकारी योजना का लाभ भी नहीं पाते हैं। इन मंगता जाति की संख्या उनके विधान सभा में तीन हजार से चार हजार तक है। इन सभी का वोटर लिस्ट में नाम भी है। ये सभी अपने मतों का प्रयोग भी करते हैं। जनहित में ग्राम सभा-रामपुर वगनहा विकास खण्ड-श्रीदत्तगंज में जले हुए घर के परिवारों को आवास दिलाने व इन गरीब मंगता जातियों को बी0पी0एल0 सूची में नाम अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम-रामपुर वगनहा के पुरवा नटवन ग्राम (मंगतनडेरा) विकास खण्ड-श्रीदत्तगंज में दिनांक 18-04-2012 को हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित 27 व्यक्ति प्रभावित हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति श्री ओमकार का पूर्व से पक्का मकान बना हुआ है और एक व्यक्ति श्री जोगी को पूर्व में इन्दिरा आवास आवंटित किया जा चुका है। दो व्यक्तियों (श्री परदेशी एवं श्री गुल्लुर) का नाम बी0पी0एल0 सूची-2002 में अंकित होने तथा उनके पात्रता श्रेणी में आने के आधार पर उन्हें इन्दिरा आवास स्वीकृत कर दिया गया है। शेष 23 व्यक्तियों का नाम बी0पी0एल0 सूची में अंकित न होने के कारण पात्रता की श्रेणी में न आने के फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया जा सकता है।

3-जहां तक मंगता जातियों को बी0पी0एल0 सूची में नाम अंकित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस जाति का मुख्य व्यवसाय मांगना है, जो गांव को छोड़ कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के सर्वे में यह सभी अग्निकाण्ड पीड़ित 23 परिवार ग्राम सभा-रामपुर वगनहा (नटवन/मंगतनडेरा) में न तो उपलब्ध थे और न ही इनके बारे में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा ही किसी प्रकार की सूचना दी गयी जिसके कारण इनका नाम बी0पी0एल0 सूची-2002 में अंकित नहीं किया जा सका।

4-वर्ष 2002 के बाद वर्ष 2012 तक बी0पी0एल0 सर्वे का पुनर्सर्वेक्षण कार्य नहीं हुआ है, जो भारत सरकार के निर्देश पर किया जाता है। वर्तमा समय में जनपद बलरामपुर में आर्थिक सामाजिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वे का कार्य चल रहा है। इस सर्वेक्षण के बाद बी0पी0एल0 सर्वे का कार्य प्रारम्भ होगा। प्रश्नगत प्रकरण का गम्भीरता पूर्वक संज्ञान ले लिया गया है। आगामी बी0पी0एल0 सर्वे के समय गहन छानबीन एवं परीक्षण कराया जायेगा और स्थलीय सर्वे में उपर्युक्त से सम्बन्धित जो भी परिवार नियमानुसार पात्रता की श्रेणी में आयेंगे, उन्हें आगामी बी0पी0एल0 सूची में अंकित कराते हुए समस्त अनुमन्य सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।]

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत अकोला के समस्त ग्रामों में खारे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11-06-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है ''कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में समस्त ग्राम में खारे पानी की बिकट समस्या है खारे पानी की समस्या को लेकर आये दिन क्षेत्रीय लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी ग्राम के पश्चिम भाग में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु मीठे पानी के क्षेत्र में काफी समय पहले ट्यूबवेल बोर भी हो चुका है परन्तु बिजली विभाग व जल निगम की लापरवाही से न तो उसका कनेक्शन किया है और न ही उसको सुचारु रूप से चालू किया गया है जिसके कारण लोगों को मीठे पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।''

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र 90 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला के पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ट्यूबवेल रिबोर किया जा चुका है तथा मीठे पानी का स्रोत भी प्राप्त हो गया है। उक्त ट्यूबवेल को चालू किये जाने हेतु विद्युत कनेक्शन की शिफ्टिंग सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी हैं एवं विद्युत कनेक्शन की शिफ्टिंग का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी।]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के सभी विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा केवल 5-6 घण्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत लालगंज, सांगीपुर, रामपुर बावली, उदयपुर, रायपुर तियाई तथा मंगापुर, रानीगंज एवं संग्रामगढ़ (तहसील कुण्डा) सहित मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 5-6 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है और कभी-कभी तो 5 घण्टे भी विद्युत नहीं मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को जहां कृषि कार्य के लिये पानी नहीं मिल रहा है वहीं उनकी प्रमुख धान की बेहन डालने का कार्य बाधित हो रहा है। समय से कृषि कार्य संपादित न होने पर इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ संग्रामगढ़, सांगीपुर एवं लालगंज प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है, जहां पर विभिन्न राजकीय विभागों के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान स्थित हैं और यहां

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर कई बैंकों की शाखायें भी स्थित हैं तथा शिक्षण संस्थायें भी हैं। बिजली की कमी के कारण राजकीय कार्यों का कार्य भी बाधित हो रहा है।

विद्युत उपकेन्द्र लालगंज, सांगीपुर, संग्रामगढ़, रामपुर बावली, उदयपुर, रायपुर तियाई तथा मंगापुर, रानीगंज सहित सम्पूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ में 16 घंटे (रात्रि एवं दिन दो शिफ्टों में) बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये, जिससे चिकित्सालयों, ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं, राजकीय प्रतिष्ठानों का कार्य जहां सुचारू रूप से सम्पादित हो सके और लोगों को पीने के लिये शुद्ध एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके, वहीं किसानों को कृषि कार्य के लिये परेशानी का सामना न करना पड़े।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र को जनपद प्रतापगढ़ की तहसील-लालगंज के अन्तर्गत स्थित विद्युत उपकेन्द्रों यथा लालगंज, सांगीपुर, संग्रामगढ़ रामपुर बावली, उदयपुर, रामपुर तियाई, मंगापुर, रानीगंज से विद्युत आपूर्ति निर्धारित ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार की जा रही है, जो दिन एवं रात्रि मिलाकर (22.00 बजे से 04.00 बजे एवं 10.00 से 15.00 बजे तक) कुल 11.00 घंटे की विद्युत आपूर्ति आदेशित है। उक्त उपकेन्द्रों को मई, 2012 एवं जून, 2012 (दिनांक 01-06-12 से 18-06-12) में औसत विद्युत आपूर्ति 10.00 से 10.30 घंटे तक दी गयी है।

ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे की विद्युत आपूर्ति करने का कोई शिड्यूल प्रचलन में नहीं है। पेयजल योजना एवं राजकीय नलकूपों को भी विद्युत आपूर्ति ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार दी गयी है। गर्मी के कारण विद्युत की मांग में अत्यधिक बढ़ोत्तरी एवं उपलब्धता में कमी तथा राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है।]

जनपद जौनपुर के केराकत में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री गुलाब चन्द सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-06-12 को मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को दी गयी सूचना में मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये विधान सभा क्षेत्र केराकत, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बीचों-बीच होकर गोमती नदी जाती है। गोबरा घाट से महदेवा घाट तक नरायनपुर कुसरना में 500 मी0 लम्बे पुल की आवश्यकता है। उक्त पुल के न बनने से तहसील केराकत आने-जाने में जनता को 25-30 किमी0 घूमकर जाना पड़ता है। पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोबरा घाट-महदेवा घाट के डाउनस्ट्रीम में लगभग 4.5 किमी0 में कीनाबाबा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर बरैछाघाट पर सेतु की स्वीकृति शासनादेश सं0-78 आगणन/23-10-10-115(सेतु)/10, दिनांक 20-11-2010 द्वारा दी गयी है। सेतु अंश की लागत रु0 611.35 लाख पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहित कुल लागत रु0 739.76 लाख का 209.43 मी0 लम्बे सेतु की स्वीकृति दी गयी है एवं लगभग 9.00 किमी0 डाउनस्ट्रीम में 211 मी0 लम्बा गोमती सेतु चन्दवक पर निर्मित है। अपस्ट्रीम में लगभग 10 किमी0 में 209.43 मी0 लम्बा गोमती सेतु केराकत पर निर्मित है। अतः 10 किमी0 की सीमा के अन्तर्गत सेतु की स्वीकृति होने के कारण गोबरा घाट-महदेवा घाट पर सेतु बनाया जाना नीतिगत नहीं है।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा मध्य क्षेत्र में मार्टिनपुरवा हजरतगंज मे सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में कालीदास मार्ग के सामने स्थित मार्टिनपुरवा का सीवरेज कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित करते हुये उक्त क्षेत्र का डी0पी0आर0 जिसकी अनुमानित लागत रु0 419.37 करोड़ है, का विरचन पूर्ण किया गया था। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं गवर्नेन्स (यू0आई0जी0) कार्यान्श के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित परिव्यय (एलोकेशन) समाप्त हो जाने के कारण परियोजना को भारत सरकार प्रेषित नहीं किया जा सका।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम का आगामी द्वितीय चरण भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् परियोजना की स्वीकृति तथा धनावंटन के बाद प्रस्तावित कार्य कराये जा सकेंगे।]

उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाचार्य के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ एवं शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्यगण श्री मो0 आसिफ एवं श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा दिनांक 18 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना देते हुये अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। ये तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 1981 में वर्णित प्रावधानों के तहत नियुक्त/कार्यरत हैं। सूच्य है कि यह कठिनाई निवारण आदेश 1981 प्रदेश में रिक्त शिक्षकों के पदों को त्वरित गति से भरने के उद्देश्य से ही जारी किया गया था। इस आदेश के तहत 06 अगस्त, 1993 तक नियुक्त अध्यापकों की सेवायें स्थाई की जा चुकी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 33(ग), 33 (ड़) एवं 33(च) में वर्णित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। परन्तु 06 अगस्त, 1993 से अद्यतन तिथि तक कार्यरत तदर्थ अध्यापकों की सेवायें आज भी विनियमित नहीं हैं, जिसके कारण इन अध्यापकों की नौकरी पर तलवार हमेशा लटकती रहती है। ये तदर्थ अध्यापक विगत 19 वर्षों से अनवरत कार्यरत हैं। शिक्षक बनने की अर्हता पूरी करते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाकर चयनित हैं। ये शिक्षक रिक्त पदों के प्रति कार्यरत हैं। इनके विनियमितीकरण से शासन पर कोई अतिरिक्त व्यय-भार नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तदर्थ अध्यापक पहले से ही पूर्ण वेतन पा रहे हैं। किन्तु विनियमितीकरण न होने से तदर्थ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः मा0 सदस्यगण द्वारा इस लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मांग की गयी है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 06 अगस्त, 1993 तक कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विहित शर्तों के अधीन विनियमितीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के रिक्त पदों पर निरन्तर चयन की कार्यवाही की जा रही है। चयन बोर्ड अधिनियम के प्रख्यापित होने के उपरान्त मौलिक रिक्त पदों पर अध्यापकों का चयन करने का अधिकार केवल चयन बोर्ड को ही है। संस्था के प्रबन्धतंत्र के स्तर से प्रति वर्ष सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को एक वर्ष पूर्व चयन बोर्ड को अधियाचन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

चयन बोर्ड द्वारा अध्यापकों को चयनित किये जाने में विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य एवं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिये चयन बोर्ड अधिनियम में धारा 18 की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें प्रारम्भ में दो माह तक चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के न आने तक प्रबन्धतंत्र द्वारा इन मौलिक रूप से रिक्त पदों पर चयन करने की तदर्थ व्यवस्था की गयी। धारा 18 में समय-समय पर संशोधन किये गये और 1994 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1995 (18-12-1994 से प्रभावी) द्वारा मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। धारा 18 में पुनः संशोधन (30 सितम्बर, 2000) से शिक्षकों के लिये तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करते हुये केवल प्रधानाचार्य के लिये तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था यथावत् लागू है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के उपरान्त अल्पकालिक रिक्तियों पर शिक्षकों की व्यवस्था हेतु समय-समय पर कठिनाई निवारण आदेश निर्गत किये गये और 25 जनवरी, 1999 को कठिनाई निवारण आदेश विखण्डित कर दिये गये और इस आदेश द्वारा अल्पकालिक पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। उपर्युक्त धाराओं के अधीन शिक्षकों की नियुक्ति चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक के लिये की गयी थी।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के कतिपय मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 06-09-2011 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रश्नगत मांग के सम्बन्ध में सम्यक्

विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्शोपरान्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।]

रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार मौर्य आदि निवासीगण वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती अनुप्रिया पटेल इस समय सदन में उपस्थित है, वह अपनी याचिका उपस्थित करें।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद वाराणसी के अन्तर्गत 387 रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार मौर्य तथा श्री हरीशंकर पटेल, निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम उठते हैं। दिनांक 02 जुलाई, 2012 दिन सोमवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 06 बजे सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2012 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 30 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी-'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 86 पर)

चोरी, डकैती, लूट व हत्या

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

दिनांक	जनपद	घटनाएं
1	2	3
20 मार्च, 2012	लखनऊ	अमीनाबाद हाईटेक चोरों ने 20 तालों में बंद कुमार ट्रेडर्स एण्ड ज्वैलर्स के शोरूम से लगभग एक करोड़ के जेवर उड़ाये।
22 मार्च, 2012	लखनऊ	चौक स्थित चूड़ी वाली गली में तमंचों के बल पर लुटेरों ने सर्राफा कारीगर से 13 लाख का सोना लूटा।
22 मार्च, 2012	महराजगंज	बदमाशों ने सिपाहियों को बंधक बनाकर रायफल लूटा।
26 मार्च, 2012	रायबरेली	पुरे दीना मजरे गांव में असहलों से लैस बदमाशों ने देशराज यादव के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की।
28 मार्च, 2012	बहराइच	महेशपुरवा के निकट रात में असलहों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने 11 लोगों से लूटपाट किया।
29 मार्च, 2012	लखनऊ	डी0आई0जी0 आवास के पास बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से 3 लाख के गहने-कैश लूटे।
30 मार्च, 2012	बांदा	अंतरा थाने से महज 5 सौ मीटर दूर सेंध लगाकर 56 लाख की लूट।
01 अप्रैल, 2012	सी0एम0एस0नगर	गौरीगंज कस्बा निवासी सर्राफा व्यवसायी हरीराम सोनी से बाइक सवारों ने गोली मारकर तीन लाख रुपये लूट लिये।
10 अप्रैल, 2012	गोरखपुर	राधा टेक्सटाइल्स के व्यापारी से बदमाशों ने 7 लाख लूट लिये।
16 अप्रैल, 2012	श्रावस्ती	भिनगा कोतवाली क्षेत्र में पंकज ज्वेलर्स के दुकान का ताला काटकर 17 लाख के जेवर व पचास हजार नगदी लूट लिये।
09 अप्रैल, 2012	लखनऊ	मड़ियाव क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने पत्रकार को धारदार हथियार से जख्मी कर चालीस हजार व सामान लूटे।
10 अप्रैल, 2012	कुशीनगर	स्टेट बैंक में पैसा जमा करने जा रहे आर0के0 पेट्रोल पम्प के मुनीम से बदमाशों ने तीन लाख रुपये लूटे।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
14 अप्रैल 2012	कुशीनगर	थाना पटहेरवा में 8.50 लाख रु0 बदमाशों लूट लिये।
19 अप्रैल, 2012	लखनऊ	पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा के बीच चोरों ने क्राइम ब्रांच के दरोगा के घर से लाखों रु0 उड़ा ले गये।
19 अप्रैल, 2012	लखनऊ	गोसाईगंज के सठवारा गांव में बदमाशों ने चार लाख से अधिक का माल लूट ले गये।
19 अप्रैल, 2012	गोरखपुर	कुसरेवा गांव में बदमाशों ने व्यवसायी को गोलीमार कर नगदी व जेवर समेत सवा तीन लाख का सामान लूट ले गयें।
23 अप्रैल, 2012	लखनऊ	मड़ियाव में घैला पुल के पास क्लीनर की हत्या कर बदमाशों ने ट्रक लूट लिया।
22 अप्रैल 2012	बाराबंकी	हैदरगढ़ के भड़खेड़िया गांव में लूट का विरोध करने पर गृह स्वामी को गोली मार कर बदमाशों ने हत्या कर दी।
23 अप्रैल, 2012	सी0एस0एम0नगर	बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोलपम्प के मैनेजर श्री अच्छेलाल यादव को गोलीमार कर आठ लाख रु0 लूट लिये।
28 अप्रैल, 2012	सी0एस0एम0नगर	मुसाफिरखाना कोतवाली अन्तर्गत बदमाशों ने लिफ्ट देने का झांसा देकर कस्टम दरोगा से नकदी और अटैची लूट ली।
28 अप्रैल, 2012	लखनऊ	चिनहट के लौलाई गांव में बदमाशों ने सात घरों में बेखौफ होकर लूटलाट की। महिला को अधमरा किया।
04 मई, 2012	एटा	जैथरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक की हत्या कर लाइसेंसी रायफल लूट ली।
04 मई, 2012	लखनऊ	कैसरबाग में बदमाशों ने कंडक्टर से रुपयों भरा बैग लूटा।
05 मई, 2012	सुल्तानपुर	जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी सर्राफ से बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 4 लाख रु0 लूटे।
05 मई, 2012	फैजाबाद	बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मंगरी पुल पर बाइक सवार युवकों ने सरेशाम ज्वैलर्स से लूटपाट की।
05 मई, 2012	अम्बेडकर नगर	टाण्डा थाना क्षेत्र के लोहा व्यवसायी संतराम मौर्य को सशत्र बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की।
06 मई, 2012	लखनऊ	बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर गाड़ी लूटी।
07 मई, 2012	भदोही	कोइरौना थाना क्षेत्र के बसही भीखीपुर गांव के पास बदमाशों ने चालक को तमंचा लगाकर ट्रैक्टर लूटा।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
07 मई, 2012	बहराइच	कोतवाली देहात अन्तर्गत शिवनगर स्थित रेलवे क्रासिंग के पास कैशियर से बाइक सवार बदमाशों ने 34 लाख रु0 लूटा।
08 मई, 2012	लखनऊ	हसनगंज इलाके में लुटेरों ने अध्यापिका से चेन लूट ली।
08 मई, 2012	लखनऊ	मदेयगंज में लुटेरे ने बुजुर्ग महिला से चेन लूटा।
08 मई, 2012	गौतमबुद्धनगर	नोएडा में सपा नेता द्वारा एक करोड़ की डकैती किया गया।
11 मई, 2012	लखनऊ	गुडम्बा के सिपरा गांव में बिजली का सामान बनाने वाली फैक्टरी में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गार्ड को गोली मारी।
12 मई, 2012	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर थानाक्षेत्र के ग्राम बरकलीगंज के लकड़ी ठेकेदार के बुजुर्ग पिता से बाइक सवार बदमाशों ने 20 हजार रु0 लूटा।
12 मई, 2012	लखनऊ	लखनऊ पी0जी0आई0 अस्पताल परिसर में सुबह टहलने निकली डॉक्टर की पत्नी से लुटेरे ने चेन छीनी।
13 मई, 2012	लखनऊ	इन्दिरानगर में मस्जिद के इमाम के घर चोरी।
13 मई, 2012	लखनऊ	हसनगंज में सुबह दवा लेने जा रहे वृद्ध से बदमाशों ने लूटपाट की।
14 मई, 2012	कुशीनगर	कुबेर सीन थाने के गांव सहजवलिया के पास दिन दहाड़े पल्सर सवार लुटेरों ने एक मनीट्रान्सफर एजेन्सी के कर्मियों से रिवाल्वर के बल पर 6 लाख रु0 लूट लिये।
14 मई, 2012	कुशीनगर	कोतवाली पडरौना शहर में बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे व्यक्ति से लुटेरों ने 50 हजार रु0 लूटा।
15 मई, 2012	लखनऊ	विभूति खंड स्थित मंत्री आवास में पूर्व मुख्य मंत्री व भाजपा विधायक उमा भारती के आवास में चोरों ने घुस कर चोरी की।
15 मई, 2012	सी0एम0एस0नगर	पीपरपुर थाना अन्तर्गत रामगंज कस्बे में एक युवती व दो बदमाशों ने सरेबाजार सर्राफ की हत्याकर लूटा, बचाने दौड़े अन्य दो व्यवसाइयों पर फायर झोंका।
15 मई, 2012	लखनऊ	त्रिवेणीनगर निवासी इन्द्रपाल की पत्नी राजवती से बदमाशों ने चेन लूटी।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
17 मई, 2012	लखनऊ	आशियाना में एक ज्वैलरी शाप से बेखौफ बदमाशों ने 12 लाख रु0 लूट लिये।
16 मई, 2012	लखनऊ	मड़ियाव के सीतापुर रोड निवासी वकील प्रदीप के घर से बदमाशों ने लाखों का माल उड़ाया।
16 मई, 2012	लखनऊ	महानगर की सचिवालय कालोनी निवासी समीक्षा अधिकारी राजकुमार की पत्नी का लूटेरों ने चेन लूट लिया।
17 मई, 2012	लखनऊ	मोहनलालगंज में एक निजी मैनेमेन्ट कालेज में बदमाशों ने धावाबोलकर गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट किया।
18 मई, 2012	लखनऊ	पी0जी0आई0 के न्यू डिफेंस कालोनी में सेवानिवृत्त सूबेदार के घर से बदमाशों ने जेवर सहित 4.50 लाख रु0 लूट लिये।
18 मई, 2012	लखनऊ	महानगर के कृष्णा गोपाल एण्ड संस नामक दुकान से बदमाशों ने लाखों का जेवर उड़ाया।
18 मई, 2012	लखनऊ	वजीरगंज क्षेत्र में शहीद स्मारक के पास बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन लूटी।
18 मई, 2012	लखनऊ	गोमती नगर में देवरिया निवासी सुभाष चन्द सोनी की इंडिगो कार चोरों ने उड़ायी।
18 मई, 2012	लखनऊ	महानगर सेक्टर बी में पत्रकार के घर में घुसे बदमाशों ने खिड़की की ग्रील काटकर 20 लाख रु0 के जेवर चुरा ले गये।
18 मई, 2102	लखनऊ	महानगर क्षेत्र में सिपाही की बाइक चोरों ने उड़ायी।
18 मई, 2012	झांसी	टोड़ी फतेहपुर थाने के दो सिपाहियों को बदमाशों ने बंधक बनाकर पीटा, राइफल व नकदी लूटी।
18 मई, 2012	बलिया	शहर कोतवाली क्षेत्र के अमृतपाली और सहरसपाली में रात को सो रहे परिवार के लोगों को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर 11 लाख की सम्पत्ति लूट ली।
18 मई, 2012	लखनऊ	महानगर के बी ब्लाक निवासी भास्कर जोशी के घर रात में बदमाशों ने 3 लाख के जेवर चुरा ले गये।
18 मई, 2012	लखनऊ	बीकेटी क्षेत्र के गांव परसऊ में तीन घरों में हजारों की चोरी।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
20 मई, 2012	लखनऊ	बेखौफ बदमाशों ने मोहनलालगंज स्थित फतेखेड़ा कनकहा के जायसवाल मार्केट में सर्राफा व्यापारी ऋहष सोनी के दुकान से बदमाशों ने दो किलोग्राम चांदी चुरा ले गये।
20 मई, 2012	लखनऊ	जानकीपुरम् के सेक्टर एफ निवासी डॉ0 प्रीति पांडेय के मकान की खिड़की काटकर करीब दो लाख रु0 के गहने चुरा ले गये।
20 मई, 2012	लखनऊ	हसनगंज में बाइक सवार बदमाशों ने महिला को रोक कर लूटा।
21 मई, 2012	लखनऊ	पी0जी0आई0 क्षेत्र में सोमवार रात बदमाशों ने एक इंजीनियर के घर में धावा बोला घरवालों को कमरे में बंद कर दो लाख के जेवर चुरा ले गये।
23 मई, 2012	वाराणसी	रथ यात्रा एच0डी0एफ0सी0 बैंक से पांच लाख रुपये लेकर जा रहे राईस मिल मालिक से लूट लिया गया।
24 मई, 2012	शाहजहांपुर	गृहस्वामिनी को बन्धक बनाकर 35 लाख का डकैती।
25 मई, 2012	बुलन्दशहर	खुर्जा में बेखौफ चार बदमाशों ने प्रापर्टी डीलर को बन्धक बनाकर घर के अन्दर से नगदी व जेवर सहित लगभग 50 लाख रुपये की लूट।
25 मई, 2012	मेरठ	खरखौदा तिहाई मोहल्ला में आलू व्यापारी के घर से 30 लाख की लूट।
26 मई, 2012	बाराबंकी	सफदरगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत फैजाबाद हाइ-वे रोड के किनारे लक्ष्मी ढावे पर बदमाशों द्वारा धावा बोलकर लूट पाट किया गया।
27 मई, 2012	लखनऊ	चिनहट इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर सोने-चांदी के गहने की लूटपाट की।
28 मई, 2012	लखनऊ	तालकटोरा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश सर्राफा व्यापारी को तमंचा सटाकर उसकी मोटरसाइकिल लूट ले गये।
28 मई, 2012	बाराबंकी	मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चिराइयां में जगदीश वर्मा के मकान में घुसे चोरों ने 35 लाख के जेवर एवं 27 हजार के नगदी की लूट।
29 मई, 2012	सी0एम0एस0नगर	मोहनगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग कर मौत के घाट उतारा और 6-7 लाख के जेवर से भरा बैग लूटा।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
29 मई, 2012	सीतापुर	पिसांवा इलाके में तेंदुआ गांव के पास गुटखा व्यापारी शिव प्रसाद श्यामबहार से बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2.25 लाख रु0 लूट लिये।
30 मई, 2012	लखनऊ	ट्रान्सगोमती में चेन लुटेरों ने एक युवती की चेन लुटी।
04 जून, 2012	लखनऊ	मोहनलालगंज में बदमाशों ने वैन से जा रहे राहगीरों को लूटा।
05 जून, 2012	फैजाबाद	इनायतनगर थाना क्षेत्र के हैरिग्टनगंज पुलिस चौकी के पास ही बदमाशों ने 70 हजार रु0 उड़ाये।
05 जून, 2012	लखनऊ	जानकीपुरम क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दूध लेने जा रही महिला की चेन लूट लिया।
08 जून, 2012	लखनऊ	त्रिवेणीनगर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला पार्षद प्रत्याशी की चेन लूटी।
08 जून, 2012	चंदौली	बलुआ थाना क्षेत्र के चकरा गांव में स्थित रामजानकी मंदिर से करोड़ों की अष्टधातु की मूतियां चोरी।
09 जून, 2012	लखनऊ	माल में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से तमंचे के बल पर 6 हजार रु0 लूटा।
09 जून, 2012	सुल्तानपुर	भदैंया थाना लंभुआ के पास बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी से 70 हजार रु0 लूटा।
10 जून, 2012	लखनऊ	सरोजनी नगर के शमा विहार कालोनी में एक फार्मासिस्ट के घर से लाखों की चोरी।
11 जून, 2012	बहराइच	शहर के अग्रसेन चौक पर एक व्यवसायी के मुनीम से तमंचों के बल पर बदमाशों ने सवा दो लाख लूटा।
12 जून, 2012	लखनऊ	चिनहट क्षेत्र के गांव मल्हौर के मजरा गोसाईन पुरवा बुजुर्ग दम्पत्ति को घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट किया।
13 जून, 2012	लखनऊ	तालकटोरा के सी-ब्लाक में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन लूट ली।
15 जून, 2012	सहारनपुर	नकुड़ से बैनामा कराकर लौट रही महिला से बदमाशों ने साढ़े सात लाख रु0 लूट लिये।
17 जून, 2012	रायबरेली	मोहनलालगंज से रविवार को बुकिंग के बहाने रायबरेली ले गये कार को बेखौफ लुटेरों ने डलमऊ के पास तमंचे के बल पर लूट लिया।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
19 जून, 2012	लखनऊ	बेखौफ बदमाशों ने कैसरबाग क्षेत्र में महिला को रिक्शे से गिराकर चेन लूटी।
20 जून, 2012	लखनऊ	जानकीपुरम में घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने जेवरात लूट लिये।
21 जून, 2012	लखनऊ	बंथरा क्षेत्र में एक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर पर 60 लाख की लूट की।
25 जून, 2012	लखनऊ	हजरतगंज में सरेराह सवा लाख रु0 की लूट, रकम लेकर बैंक जा रहा था डायग्नोस्टिक सेन्टर के कर्मचारी से।
25 जून, 2012	सुल्तानपुर	कुड़वार स्थानीय थानान्तर्गत शिवनाथगंज स्थित पेट्रोल पम्प से सशस्त्र बदमाशों ने बम फेंक कर 35 हजार रु0 लूटे।
26 जून, 2012	गोरखपुर	राजघाट थाना क्षेत्र में टी0पी0 नगर पुलिस चौकी के पास पल्सर सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार कर 1.25 लाख रु0 लूट लिये।
27 जून, 2012	सुल्तानपुर	बल्दी राय थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर गांव में बदमाशों ने खाकी वर्दी पहनकर लाखों की डकैती।

हत्यायें व अन्य गम्भीर अपराधिक घटनायें

दिनांक	जनपद	घटनायें
17 मार्च, 2012	हमीरपुर	चुनावी रंजिश के चलते बसपा कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या। मौदहा थाना क्षेत्र के परछां गांव निवासी सलमान ने वि0स0 चुनाव में बसपा प्रत्याशी का समर्थन किया था, जिसके चलते सपा समर्थक बच्चा, फरीद, जावेद और परवेज ने मिलकर सलमान को सुबह करीब 8.00 बजे गोली मार दी।
20 मार्च, 2012	कानपुर	गुण्डा टैक्स न देने पर सपा नेता ने की युवक की पिटाई। जिससे क्षुब्ध युवक अंकित ने फांसी लगा ली।
20 मार्च, 2012	मऊ	जिला कारागार में कैदी के मौत पर जेल में बवाल कैदियों ने डिप्टी जेलर व पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा।
22 मार्च, 2012	सीतापुर	रंगदारी में शराब न देने पर सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर तलवार बाजी व फायरिंग हुई जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी।

दिनांक	जनपद	घटनायें
22 मार्च, 2012	लखनऊ	गोमती नगर में फिल्मी अंदाज में गुण्डागर्दी। राजेश ने रौब दिखाते हुये अर्जुन के खड़ी कार में टक्कर मारी, झगड़ा किया और फिर उसे कुचल कार मार डाला।
23 मार्च, 2012	लखनऊ	कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुये गोसाईगंज थाने के पास ही प्रापर्टी डीलर सुरेश रावत को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियों से उड़ा दिया।
23 मार्च, 2012	फैजाबाद	पैसे के लेन-देन में दबंगों ने युवक को जिन्दा जलाया।
23 मार्च, 2012	आजमगढ़	दबंगों ने दो युवक को गोली मार कर हत्या कर दी।
06 अप्रैल, 2012	सुल्तानपुर	बदमाशों ने असलहे और बमों से हमला किया, एक की मौत और तीन लोग घायल।
11 अप्रैल, 2012	गाजीपुर	बसपा नेता हरीप्रसाद कुरील को चाकू मार कर हत्या कर दी गयी।
13 अप्रैल, 2012	सीतापुर	दर्जनभर असलहाधारी बदमाशों ने तबाड़तोड़ गोलियां चलाकर बसपा नेता बॉबी मियां की हत्या कर दी।
18 अप्रैल, 2012	मऊ	आजमगढ़ जेलर को मारने जा रहे बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, कोतवाल सहित चार की मौत।
18 अप्रैल, 2012	मेरठ	जेल अधीक्षक और कैदियों के बीच खूनी संघर्ष में 164 लोग जख्मी।
18 अप्रैल, 2012	कानपुर	बालिका इण्टर कालेज की महिला प्रिंसपल की गोली मारकर हत्या।
23 अप्रैल, 2012	अम्बेडकरनगर	दबंगों ने लाठी-डंडों से पीट-पीट कर दलित की हत्या कर दी और बेटे को घायल कर दिया।
23 अप्रैल, 2012	लखनऊ	मोहनलालगंज दबंगों ने दलित की पिटाई कर पैर तोड़कर मरणासन्न किया।
22 अप्रैल, 2012	सीतापुर	कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास घर में घुसकर आधा दर्जन हमलावरों ने 10वीं के छात्र को गोली मार कर हत्या कर दी।
24 अप्रैल, 2012	मुजफ्फरनगर	पुलिस को छकाते हुए बदमाशों ने प्रापर्टी डीलर-ललित गुप्ता की गोली मार हत्या कर दी।
25 अप्रैल, 2012	लखनऊ	अमीनाबाद थानान्तर्गत लाटूश रोड पर बिल्डर यूनुस को गोली मार कर हत्या

दिनांक	जनपद	घटनायें
27 अप्रैल, 2012	बाराबंकी	नगर कोतवाली अन्तर्गत बदमाशों ने गांव केवाड़ी में रंजिशवश बाइक सवार युवक को कार से रौंद कर हत्या कर दी।
27 अप्रैल, 2012	मुजफ्फरनगर	गांव सुजडू के इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की ट्रक बरामद करने आई पुलिस पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई दरोगा समेत तीन सिपाही घायल।
27 अप्रैल, 2012	देवरिया	सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनाथ मुहल्ले में रेप में विफल होने पर सिरफिरे युवक ने किशोरी को जिन्दा जलाया।
28 अप्रैल 2012	लखनऊ	चिनहट के सरायशेख गांव में चार बदमाशों ने घर में घुसकर छात्र अंकुश को बम से उड़ा दिया।
27 अप्रैल, 2012	हरदोई	बिलग्राम थाना क्षेत्र में घर से बाहर रात्रि में सो रहे युवक को जिन्दा फूंक दिया गया।
26 अप्रैल 2012	शाहजहांपुर	निगोही थाना क्षेत्र के भटियुरा गांव में चौपाल में सो रहे युवक अहिवरन की गोली मारकर हत्या।
26 अप्रैल 2012	शाहजहांपुर	थाना गेट के पास सपाइयों ने पत्रकारों पर झोंका फायर।
29 अप्रैल 2012	बिजनौर	सपाइयों ने पुलिस को दौड़ा-दौड़ा पीटा।
01 मई	गोंडा	थाना- उमरी बेगमगंज क्षेत्र के डिक्सिर गांव में ग्राम प्रधान ओंकार सिंह पर बम से हमला।
03 मई	लखनऊ	अलीगंज-थाना के कपूरथला के पास दिन दहाड़े दरोगा के सामने व्यवसायी को गोली मारी गई।
03 मई	बाराबंकी	थाना टिकैत नगर के गांव बहोरिक पुरवा में दबंगों ने किशोरियों को दौड़ा-दौड़ा पीटा।
04 मई	इटावा	दंबगों ने एस0एस0पी0 कार्यालय पर ही बाप बेटों की जमकर पिटाई की पुलिस तमाशा देखती रही।
04 मई	रामपुर	दिनदहाड़े शाहबाद रोड पर मारूती सवार बदमाशों ने शिक्षिका रीति शर्मा का पीछाकर छींटाकशी का विरोध करने पर वैन से टक्कर मारी और कुचल कर मार डाला।

दिनांक	जनपद	घटनायें
05 मई	बाराबंकी	कोतवाली देवा अर्न्तगत कपड़ा व्यापार की गोली मारकर हत्या।
06 मई	बाराबंकी	मसौली थाना के अर्न्तगत दो गुटों में खूनी संघर्ष एक की मौत दर्जन भर घायल।
07 मई	इलाहाबाद	टैगोर टाउन इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या कर दिया।
07 मई	गोरखपुर	चुनावी में बदमाशों ने गोरखपुर के छात्र संघ चौराहे पर दिनदहाड़े पप्पू निषाद की टवेरा गाड़ी घेर कर गोलियां बरसाई। तीन लोग घायल।
07 मई	बस्ती	हरैया थाना क्षेत्र अन्तर्गत कैशल गांव के पास बदमाशों ने शिक्षक की गोली मार कर हत्या कर दी।
07 मई	लखनऊ	बंथरा के गांव दरियापुर में चुनावी रंजिश में सज्जन की गोली मार कर हत्या।
08 मई	गोण्डा	कटरा विधान सभा क्षेत्र में भाजपा विधायक बावन सिंह के बेटे की गोली मार कर हत्या।
09 मई	बाराबंकी	सफदरगंज इलाके में बदमाशों ने युवती का गला रेतकर झाड़ियों में फेंका।
10 मई	लखनऊ	सआदतगंज में लेन-देन को लेकर छिड़े विवाद को खत्म करने के इरादे पंहुचे बुजुर्ग को दबंगों ने पीटकर मार डाला।
11 मई	लखनऊ	मोहनलालगंज के ग्राम मुढ़ा में युवक राजकुमार की चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। चार दिन पहले बाबा की हत्या हुई थी।
11 मई	लखनऊ	पारा थाना क्षेत्र में हरदोई निवासी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार कर हत्या कर दी।
11 मई	आगरा	पेशी से वापस जाते समय चलती वैन में कैदियों में खून-खराबा, गुण्डा टैक्स वसूली के लिए आपस में ब्लेड चालाई।
11 मई	बागपत	मोहल्ला केती पुरा में कांग्रेस नगर अध्यक्ष को गोलियों से भूना।

दिनांक	जनपद	घटनायें
11 मई	बलिया	बाजार में शुक्रवार रात में बदमाशों ने एक घर पर बदमाशों ने बम फेंका कई मवेंशी जख्मी, परिवार के लोग बालबाल बचें।
11 मई	बाराबंकी	हैदरगढ़ के ग्राम भैरम पुर में दहेज के लोभ में विवाहिता को बांधकर ट्रैक पर फेंका।
11 मई	जौनपुर	भुलवही बाजार में दवा व्यापारी के घर बाइक सवार बदमाशों ने बम फेंका।
12 मई	फिरोजाबाद	टूंडला नगर के मोहल्ला शिवपुरी में दबंगों ने शादी समारोह में तमंचे के बल पर महिलाओं को नचाया।
12 मई	चंदौली	मुगलसराय रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जबरजस्त बम विस्फोट से अफरा-तफरी मचीं।
12 मई	सी0एस0एम0नगर	जगदीशपुर इलाके के मुबारकपुर में सुबह एक प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापक को दो बदमाशों ने गोली से उड़ाया।
12 मई	शाहजहांपुर	थाना सेहरामऊ दक्षिणी के ग्राम परसनिया में खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मार कर हत्या।
12 मई	लखनऊ	माल क्षेत्र में नशे में धुत दबंगों ने किसान के घर में घुसकर परिजनों को पीटने के बाद घर में आग लगा दी।
12 मई	चित्रकूट	मारकुंडी थाना क्षेत्र के गांव टिकरिया में रात करीब 11.00 बजे दर्जन भर सशस्त्र बदमाशों ने गांव के महिला प्रधान के घर धावा बोलकर सो रहे प्रधान के देवरों संतोष व सुरजा को बंधक बनाकर गोलियों से भून दिया।
13 मई	मुजफ्फरनगर	कांधला के गांव परसौली में दो समुदायों के बीच जमकर गोलीबारी हुई एक मौत।
13 मई	लखनऊ	गोसाईगंज के चमरतलिया गांव में दुपट्टे से गला कसकर युवती की हत्याकर शव खेत में फेंका।
13 मई	हमीरपुर	थाना मुस्करा के गांव गहरौली में कर्ज डूबे किसान ने खुदखुशी कर ली।
13 मई	मेरठ	हापुड़ खरखौदा थाना क्षेत्र के अतराडड़ा गांव के प्रधान और सपा नेता देवेन्द्र प्रताप के छोटे भाई राकेश त्यागी की कार सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी।

दिनांक	जनपद	घटनायें
13 मई	लखनऊ	गोमतीनगर विरामखण्ड पुल के पास राजीव सक्सेना की ईंट से कुचलकर हत्या।
13 मई	लखनऊ	नगराम के गांव नवाजखेड़ा में रात को बीमा एजेन्ट की हत्या कर शव पेड़ से लटकाया।
14 मई	लखनऊ	नशे में धुत कार सवार रईशजादों ने कई व्यक्तियों को ठोंका और एक को कार की बोनट पर टांग कर घुमाया।
15 मई	लखनऊ	बंथरा में बचनापुर गांव में रेलवे क्रासिंग के पास एक युवक की ईंट से कुचल हत्या कर शव जलाने की कोशिश।
15 मई	लखनऊ	ठाकुरगंज में छेड़खानी का विरोध करने के विरोध पर बाइक सवार शोहदों ने फायर झोंका।
14 मई	लखनऊ	लखनऊ सरोजनी नगर बंथरा में दबंगो की पिटाई से महिला का गर्भपात हुआ।
16 मई	लखनऊ	कैण्ट में रंगदारी न देने पर व्यापारी पर हमला कर लहूलुहान किया।
17 मई	लखनऊ	चिनहट में जमीनी विवाद को लेकर फैक्ट्री मालिक पर जानलेवा हमला।
18 मई	लखनऊ	इमामबाड़े के पास पुलिस की मौजूदगी में दो गुटों मे बवाल मारपीट।
18 मई	भीमनगर	गुन्नौर में एक बापव ने अपने चार बेटों को काट डाला और खुद को गोली मार ली।
18 मई	बांदा	गेंहू खरीद केन्द्र मंडी परिसर में बिचौलियो व दलालों के वजह से किसानों के दो गुट भिड़े मार पीट।
18 मई	लखनऊ	बंथरा क्षेत्र मे बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर सहजिनपुर रेलवे क्रासिंग के पास जंगल में शव फेंका।
19 मई	अम्बेडकर नगर	राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कालूपुर गांव में महिला की हत्या कर शव सरयू में फेंका।
19 मई	गोंडा	बेलसर में घर में घुसे बदमाशों ने युवक को गोली मारी।

दिनांक	जनपद	घटनायें
19 मई	लखनऊ	निगोंहा में साइकिल पहिया खेत में चले जाने से दबंगो ने महिला समेत तीन लोगों को पीटा।
19 मई	लखनऊ	मोहनलालगंज के गांव कुडौली में चंद्रपाल नामक बृद्व को दंबगों ने पीटा।
20 मई	महोबा	चुनावी रंजिश को लेकर सशस्त्र हमलावारों ने महोबा जिला अस्पताल में तबातोड़ फायरिंग की, गोली लगने से तीन लोग घायल।
20 मई	लखनऊ	मड़ियांव में एक युवक ने मुकदमा वापस नहीं ले रही महिला फायरिंग करवाकर जानलेवा हमला कराया।
20 मई	सी0एम0एस0 नगर	जायस कोतवाली क्षेत्र के मौलवी खुर्द गांव में दिन दहाड़े एक वृद्व को दबंगों ने लाठियों से पीट-पीट कर मार डाला।
20 मई	इटावा	चौबिया थाना क्षेत्र के ग्राम सीपुरी में बदमाशों व ग्रामीणों में भीषण मुठभेड़, फायरिंग एक ग्रामीण की मौत 6 घायल हो गये।
20 मई	लखनऊ	डीजीपी कार्यालय से चन्द कदम दूर रेस्टोरेंट पर कब्जा करने की नियत से आये दबंगों ने तोड़फोड़ की दो कर्मचारी घायल।
20 मई	लखनऊ	सत्ताधारी पार्टी की हनक दिखाकर कार चालक रईसजादों ने रात की रोडवेज की बस को साइड लगाकर चालक, परिचालक को पीटा और बस के शीशे की तोड़--फोड़ की।
21 मई	लखनऊ	निगोहां के गांव ददरौली के गुड्डू पर चुनावी रंजिशवश हमला किया गया।
22 मई	लखनऊ	काकोरी में नशे में धुत बदमाशों ने मोहन रावत की पीट-पीट कर हत्या कर दी।
22 मई	लखनऊ	निगोहां में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को पीटा।
22 मई	लखनऊ	काकोरी में देर शाम को नशे में धुत दबंगों ने ठेला लगाने वाले दुकानदार को पांच रु0 फुटकर मांगने पर लाठी-डण्डों से पीट-पीट कर मार डाला। बचाने आये पिता को घायल कर दिया।

दिनांक	जनपद	घटनायें
21 मई	बाराबंकी	हैदरगढ़ में सोमवार की रात खेत में सो रहे किसान की सिर कूच कर हत्या।
22 मई	लखनऊ	गुडम्बा में गलत दिशा में कार चला कर चार सिपाही को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो तानी पिस्टल।
23 मई	लखनऊ	गोसाईगंज थाना अन्तर्गत कन्डेक्टर की पीट-पीट कर हत्या।
23 मई	इलाहाबाद	करैली थाना अन्तर्गत विस्फोट मे पांच मासूमों की मौत।
23 मई	अम्बेडकर नगर	पूर्व नेता एवं सरमाजिक कार्यकर्ता श्री सूर्यमणि यादव पर जानलेवा हमला।
23 मई	रायबरेली	जगतपुर थाना अन्तर्गत बरुआ ग्राम के पास युवक की गला दबाकर हत्या।
24 मई	बलिया	गढ़वार थाना क्षेत्र के रामपुर ग्राम के पास आभूषण व्यवसायी की हत्या।
25 मई	मेरठ	अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवकों को गोली मार हत्या कर दी।
26 मई	कौशाम्बी	मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या कर तीन टुकड़ों में हत्या कर लाश फेंकी गई।
26 मई	वाराणसी	शिवपुर थाना अन्तर्गत तुलसी विहार कालोनी मे रिटायर्ड महिला सिपाही प्रेमा सिंह की सिर कूचकर हत्या।
26 मई	सीतापुर	रामकोट थाना अन्तर्गत ग्राम मथुरा नगर निवासी सुरेन्द्र कुमार विकलांग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।
26 मई	लखनऊ	ठाकुरगंज में बाइक सवार बदमाशों ने आजाद नगर बी ब्लाक निवासी अमित सिंह को गोली मार कर घायल कर दिया।
27 मई	अम्बेडकर नगर	जयपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जफरपुर गांव में सपा जिला सचिव हीरा पहलवान का ताड़व कब्जे को लेकर हवाई फायरिंग कर घर में आग लगाई।
27 मई	सीतापुर	रामपुर थाने के खूबपुर निवासी अमित कुमार पुत्र श्री मुकुट विहारी नामक युवक की हत्या।
28 मई	इटावा	इकदिल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही परिवार के 6 लोगों की गला रेत कर हत्या।

दिनांक	जनपद	घटनायें
28 मई	मथुरा	राष्ट्रपति के समधी एवं पूर्व आई0ए0एस0 भगत सिंह वर्मा पर हमला।
28 मई	मुरादाबाद	घर से निकली दो छात्रायें वर्षा व रोशनी की गला दबाकर हत्या तथा शव को पेड़ से लटकाई।
28 मई	मुरादाबाद	विधायक पति ने चदौसी गन्ना विकास चेयरमैन से फोन पर धमकी 10 लाख की फिरौती मांगी।
28 मई	हरदोई	लोनार थाना के अन्तर्गत बच्ची का अपहरण कर हत्या।
31 मई	लखनऊ	मलिहाबाद क्षेत्र में बदमाशों ने किसान की धारदार हथियार से हत्या कर आंख फोड़ी।
01 जून	मथुरा	कोसीकलां में दंगा चार लोगों की मौत सैकड़ों लोग घायल।
03 जून	कुशीनगर	रामकोला थानान्तर्गत चंदरपुर गांव में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने गरीरब की झोपड़ी उजाड़ी।
04 जून	फर्रूखाबाद	जिला जेल के सेशन हवालात से 8 बंदी फरार।
04 जून	बागपत	तांत्रिक ने युवक को जिन्दा जलाया।
04 जून	बाराबंकी	जिला कारागार से पेशी पर आया शातिर अपराधी पुलिस अभिरक्षा से फरार।
04 जून	बुलन्दशहर	युवक की हत्या कर शव कपना नहर में फेंका।
04 जून	कन्नौज	पीस पार्टी के प्रत्याशी के दफ्तर पर सपा कार्यकर्ताओं ने धावा बोलकर तोड़फोड़ व मारपीट किया और पीस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को उठा ले गये।
05 जून	मेरठ	बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस के सामने रंगदारी न देने पर व्यापरी को गोलियों से भून दिया।
05 जून	लखनऊ	मड़ियांव के भरतनगर मोहल्ले में छेड़खानी से आहत छात्रा ने आग लगा कर अत्म हत्या कर ली।
05 जून	आजमगढ़	भगतपुर गांव से एक युवक को बदमाशों ने अगवा कर हत्या की।
05 जून	बांदा	डी0आई0जी0, कमिश्नर आवास के पास इलाहाबाद बैंक में सेंध लगाते बदमाशों को चौकीदार ने रोका तो उसकी हत्या कर दी।
08 जून	लखनऊ	गोसाईगंज में युवक की हत्या कर बदमाशों ने शव रेल ट्रैक पर बांधा।

दिनांक	जनपद	घटनायें
08 जून	लखनऊ	निगोहां के हरिवंश खेड़ा गांव में पत्नी के साथ अभद्रता करने का विरोध करने पर बदमाशों ने पति को गोली मारी।
08 जून	जौनपुर	राजापुर गांव के प्रधान पति राजकरन उर्फ मल्लू यादव को बदमाशों ने गोली मारी।
08 जून	अम्बेडकर नगर	अहिरौली थाना क्षेत्र के अशरफपुर बरवा निवासी एक सपा कार्यकर्ता को बदमाशों ने गोली मार कर हत्या की।
08 जून	अम्बेडकर नगर	अकबरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी एक मजदूर को बकाया मजदूरी मांगने पर दबंगों ने चाकू घोंपकर हत्या की।
08 जून	आगरा	आवास विकास कालोनी से0-5 के कैला देवी चौराहे पर हेयर सैलून पर दो शूटरों ने कुख्यात अपराधी भूरा यादव को गोलियों से भूना।
09 जून	कानपुर	कानपुर में तीन लड़कियों पर बदमाशों ने तेजाब फेंका।
09 जून	गाजीपुर	सैदपुर कोतवाली क्षेत्र में कनौली गांव के पास भोजपुरी गायिका और बोलेरो मालिक समेत बदमाशों ने दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी।
09 जून	फैजाबाद	इनायतनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने राजेश शर्मा के आठ वर्षीय बेटे को ईंट से कूच कर हत्या कर दी।
10 जून	लखनऊ	अमीनाबाद में दो हमलावरों ने महेन्द्र यादव नामक व्यापारी की गोली मार कर हत्या कर दी।
10 जून	फैजाबाद	मण्डल कारागार में बन्द कैदी फरार।
10 जून	अम्बेडकर नगर	महज सौ रुपये के लिए बेवाना गांव में एक बच्चे की हत्या कर शव को दफना दिया गया।
11 जून	सुल्तानपुर	ईंट भट्ठे पर गए एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश को दिन दहाड़े गोलियों से उड़ाया।
12 जून	लखनऊ	मडियांव के शाहपुर तकिया गांव में मंगलवार देर रात तीन नकाब पोस बदमाशों ने संघलोक सेवा आयोग के इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या।
12 जून	सी0एम0एस0नगर	सलोन कोतवाली क्षेत्र में रात को बदमाशों ने एक तांत्रिक की गोली मार कर हत्या कर दिया।

दिनांक	जनपद	घटनायें
13 जून	लखनऊ	जानकीपुरम् क्षेत्र में तीन हमलावरों ने देर रात एक बैंक कर्मी को गोली मार कर घायल कर दिया।
14 जून	लखनऊ	अमीनाबाद में चार हमलावरों ने कपड़ा व्यवसायी के घर धावा बोल कर फायरिंग किया, दो व्यक्ति घायल।
15 जून	मैनपुरी	जनपद की बेवर नगर पंचायत के सभासद पद के उम्मीदवार बंशी दीक्षित को बदमाशों ने गोली मारी।
15 जून	लखनऊ	राजाजीपुरम् में बेटे ने मां और उसके प्रेमी को गोली से उड़ाया।
15 जून	बहराइच	हुजूरपुर थाना अन्तर्गत पुलिस टीम पर हमला गैंगेस्टर आरोपी बदमाश को छुड़ाया।
15 जून		
16 जून	लखनऊ	ठाकुरगंज में लूट करने जा रहे बदमाशों ने बम से हमला किया, तीन लोग घायल।
16 जून	वाराणसी	बेनियाबाग इलाके में कब्रिस्तार की जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों में संघर्ष तीन मरे।
16 जून	फर्रूखाबाद	मेरापुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बसपा नेता गुरूवचन सिंह की गोली मार कर हत्या।
16 जून	अलीगढ़	महानगर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ शुक्ला घराने की बहू नेत्र सर्जन गर्भवती डाक्टर की घर में फंदा लगाकर हत्या।
17 जून	फतेहपुर	बसपा नेता रामधनी वर्मा को घेरकर गोली मार कर हत्या।
17 जून	लखनऊ	आलमबाग चौराहे पर शोहदे ने युवती पर फेंका तेजाब।
18 जून	लखनऊ	महानगर के सेक्टर एच में सरकारी कंपनी के दफ्तर में दो लोगों की हत्या।
18 जून	बाराबंकी	बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के गांव सहरी में सोते समय बदमाशों ने दो भाइयों पर हमला किया एक की मौत, एक घायल।
19 जून	लखनऊ	पालीटेक्निक चौराहे के ओवरब्रिज पर बदमाशों ने केबल आपरेटर महेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी।
19 जून	हरदोई	कोतवाली शहर के दरवेशपुर भिठारी में पानी के लिए कत्ल और छः लोग घायल।

दिनांक	जनपद	घटनायें
19 जून	सुल्तानपुर	कूरेभार थाना क्षेत्र के मठिया गांव में भूमि विवाद को लेकर महिला का कत्ल।
19 जून	लखनऊ	कैसरबाग के सुंदरबाग मोहल्ले में दबंगों ने टैक्स कलेक्शन एजेन्सी पर धावा बोलकर तोड़फोड़ किया।
19 जून	सीएसएम नगर	सलोन कोतवाली क्षेत्र में धनकी मजरे मीरजहा पुर निवासी एक महिला को रात में बदमाशों ने पीट-पीट कर मार डाला।
20 जून	आगरा	फतेहपुर सीकरी में रूपवास रोड पर दो जूता श्रमिक महिलाओं की गला रेत कर हत्या।
20 जून	इलाहाबाद	पूर्व मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी और उनकी पत्नी को बदमाशों ने बम से उड़ाने की धमकी।
20 जून	अंबेडकर नगर	अलीगंज थाना क्षेत्र के मुसहां में जल निकासी के लिए नाली
20 जून	लखनऊ	हजरतगंज में डी0आर0एम0 आफिस के पास आइसक्रीम विक्रेता को गोली मारी।
22 जून	बहराइच	बनहापुरा गाँव में बदमाशों ने सिपाही के घर में घुस कर गोली मारी।
23 जून	लखनऊ	वजीरगंज थाना अर्न्तगत बेखौफ बदमाशों ने आटो चालक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका।
23 जून	अंबेडकर नगर	अकबरपुर थाना के सीहमई गांव से लापता किशोर की हत्या कर बदमाशों ने शव नहर में फेंका।
24 जून	लखनऊ	डीएम आवास के पास रईशजादों ने युवक पर की फायरिंग।
24 जून	लखनऊ	रेलवे अतिथि गृह में घुसकर बदमाशों ने पत्नी सहित रेल अफसर को पीटा।
25 जून	लखनऊ	बाजार खाला क्षेत्र में साइड न देने के विवाद में दबंगों ने युवक को गोली मारी।
27 जून	सीतापुर	रेउसा इलाके में बदमाशों ने वीभत्स तरीके से युवक की हत्या कर बाइक समेत फूंक दिया।
28 जून	बदायूं	संपति विवाद में महिला डाक्टर की गोली मार कर हत्या।

दिनांक	जनपद	घटनायें
29 जून	लखनऊ	इन्दिरा नगर में बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रापर्टी डीलर को गोली मारी।

बलात्कार की घटनाएं

04 मई	गाजियाबाद	महागुन मॉल की पार्किंग में बीटेक छात्रा से गैंगरेप।
04 मई	फर्रूखाबाद	कायमगंज के ग्राम जिराऊ में दबंगों ने किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को जला दिया। किशोरी के परिवार को पांच दिनों तक बंधक भी बनाया गया।
04 मई	बाराबंकी	रामसनेही कोतवाली अंतर्गत परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा से बदमाशों ने बलात्कार में नाकाम होने पर घायल कर फरार हो गये।
05 मई	सीतापुर	थान गांव इलाके की एक बालिका को गांव के ही बदमाशों ने अगवा कर डेढ़ माह तक दुराचार किया और फिर बेचा।
05 मई	औरैया	औरैया कोतवाली के गांव ग्वारी में हैवानों ने दलित बालिका का रेप कर जिन्दा जलाया।
06 मई	बाराबंकी	देवां कोतवाली क्षेत्र के गांव केमई में बदमाशों ने किशोरी को बंधक बनाकर किया दुराचार।
07 मई	महराजगंज	सदर कोतवाली अन्तर्गत युवक ने दंरिदंगी की सारी हदें पार की नाबालिक युवती से चार घंटे तक किया रेप।
07 मई	जौनपुर	जमुहाई बाजार में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से मनबढ़ों ने छेड़छाड़ कर किया बवाल।
07 मई	कन्नौज	अंबेडकरनगर क्षेत्र में आधी रात को डेढ माह की बच्ची के सीने पर तमंचा रख मां के साथ गैंगरेप।
14 मई	बांदा	बदौंसा थाना क्षेत्र के उतरावां गांव में तमंचे के बल पर किशोरी से गैंगरेप।
17 मई	उन्नाव	उन्नाव में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्रा से एक शिक्षक ने दूराचार किया। करतूत छिपाने के लिए कराया गर्भपात।
18 मई	चित्रकूट	रैपुरा थाना अन्तर्गत एक दलित किशोरी से शिक्षक ने रेप किया और वीडियोक्लिप बनाई।

दिनांक	जनपद	घटनाएं
21 मई	गोण्डा	बलरामपुर जिले के पंचफेड़वा इलाके में तैनात एक डाक्टर की पत्नी को अगवा कर गैंगरेप की घटना।
28 मई	बदायूं	लालपुर पुलिस चौकी में पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग किशोरी से बलात्कार।
30 मई	मुरादाबाद	पूर्व बसपा विधायक के पौत्री के साथ गैंगरेप, किशोरी ने खुदकुशी की।
04 जून	बाराबंकी	घुंघटेर थाना क्षेत्र के गांव मकदूमपुर में किशोरी से गैंगरेप।
04 जून	गोण्डा	उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सोते हुए एक बालिका को घर से उठा ले गए और बंधक बनाकर गैंगरेप किया।
09 जून	लखनऊ	आशियाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक छात्रा को अगवाकर गैराज में छेड़खानी की रेप करने की कोशिश की तो अस्मत बचाने के लिए छात्रा छत से कूदी।
12 जून	इलाहाबाद	लालगोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत एक 11 साल की मूक-बधिर लड़की के साथ गैंगरेप।
17 जून	झांसी	बबीना थाना क्षेत्र के गांव डुबकी में एक युवक ने एक बालिका को कमरे में पूरी रात बंधक बनाकर दुष्कर्म किया, फलस्वरूप बालिका ने जान दी।
18 जून	बाराबंकी	देवां क्षेत्र के गांव मामपुर मजरे कुसंभा में रात को दुष्कर्म के बाद मासूम बालिका की ईट से कुचल कर हत्या कर दी गयी।
22 जून	उरई	तुलसीनगर में ट्यूशन पढ़ाने आई शिक्षिका से दुष्कर्म।
23 जून	प्रतापगढ़	दलित बालिका के साथ गैंगरेप होने एवं कोई कार्यवाही न होने से कुण्डा में बवाल और दर्जनों मकान फूंके।
26 जून	प्रतापगढ़	लालगंज के मकदूमपुर गांव में बाग की रखवाली करने गयी मासूम बालिका को रेप करने के बाद हत्या।
27 जून	प्रतापगढ़	कंधई थाना क्षेत्र के वीरमऊ गांव के मासूस सात वर्षीय बालिका के साथ रेप करने के बाद पीटा।
29 जून	प्रतापगढ़	अंतू थाना क्षेत्र के गांव साधोपुर में फिर से दिन-दहाड़े गैंगरेप।
29 जून	लखनऊ	गोसाईगंज से दवा लेकर लौट रही ननद-भाभी छेड़छाड से बचने के लिए टैम्पो से कूदीं।

शनिवार 30 जून, 2012 हिन्दुस्तान

बारातियों ने दुल्हन की रिश्तेदार 12 साल की बच्ची को बनाया निशाना

प्रतापगढ़ में दिनदहाड़े फिर गैंगरेप

गड़वारा (प्रतापगढ़)/हिसं

बेल्हा में एक और मासूम वहशी दरिन्दों का निशाना बन गई। हफ्ते भर में दुराचार की चौथी घटना ने जिले में दहशत फैला दी है। इस बार बारात में आये युवकों ने 12 वर्षीय बालिका से गैंगरेप किया।

बालिका के शोर मचाने पर चरवाहे दौड़े तो दरिन्दे उसे छोड़कर फरार हो गये। बाइक से भाग रहे एक आरोपित को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। दो फरार होने में कामयाब रहे। अंतू थाना क्षेत्र के गांव साधोपुर में लालगंज थाना क्षेत्र के लीलापुर से बारात आई थी। सुबह बारातियों को चाय-नाश्ता देने की तैयारी चल रही थी। तभी घराती के रिश्तेदार कृष्ण कुमार की 12 वर्षीय बेटी मोनी (दोनों नाम काल्पनिक) सौच के लिए नदी की ओर गई। बारात आये तीन युवकों की नजर उस पर पड़ी तो वे भी उसके पीछे हो लिये। सरपत की आड़ में मोनी बैठी ही थी कि तीनों उस पर टूट पड़े। उनमें से एक घटना स्थल से थोड़ी दूर खड़ा होकर निगरानी करने लगा जबकि दो युवक ने बारी-बारी से मोनी के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच मोनी दरिन्दों से जूझती रही और शोर भी मचाती रही। उसकी आवाज सीवान में मौजूद चरवाहों के कान में पड़ी तो सभी दौड़ पड़े। उन्हें आता देख दूर से निगरानी कर रहे दरिन्दों ने साथियों को आवाज लगाई तो सभी मोनी को छोड़कर भाग निकले। इसके बाद तीनों बारातियों के बीच पहुंचे और बाइक से भागना चाहा। तब तक मोनी को साथ लेकर पहुंचे चरवाहों ने दौड़ाकर तीन में से एक को पकड़ लिया। जब घरातियों को घटना का पता चला तो हंगामा होने लगा। इस दौरान दो दरिन्दे फरार हो चुके थे। गिरफ्त में आये एक युवक की जमकर पिटाई की गई।

पुलिस ने लालगंज निवासी बृजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने दुष्कर्म की बात मानी। फरार आरोपियों में से एक का नाम करन निवासी फतेशाहपुर थाना लालगंज तथा एक अज्ञात है। थाने पर दोनों पक्ष में पंचायत चली। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।

आठ दिन में दुराचार की यह छठी वारदात

1-17 जून	2-21 जून	3-22 जून	4-26 जून	5-27 जून
गैंगरेप के बाद छिनैती	**गैंगरेप के बाद हत्या**	**बलात्कार फिर हत्या**	**गैंगरेप और हत्या**	**रेप के बाद घायल किया**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
प्रेमी के साथ गजेहड़ा जंगल गई युवती को चार	नवाबगंज थाना क्षेत्र के अस्थान गांव में 12	उदयपुर थाना क्षेत्र के पैगाड्रेन के नीचे युवती	लालगंज थाना क्षेत्र के अगई मकदूमपुर में	कंधई थाना क्षेत्र के वीरमऊ विष्णुदत्त गांव की

दरिन्दों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। फिर दोनों संग लूटपाट भी की। पुलिस ने युवती को खदेड़कर मामले को दबा दिया। सिर्फ युवक के साथ लूटपाट की घटना दर्ज की।	वर्षीय रेखा के साथ गांव के चार लोगों ने दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।	का निर्वस्त्र शव मिला। बलात्कार के बाद हत्या की गई। युवती सी0एस0एम0 नगर के परइया नसीराबाद की सीमा (18) थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।	बाग की रखवाली करने गई आशा (12) के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया।	गुड़िया (7) बारात देखने गई थी। एक युवक उसे झाड़ी में घसीट ले गया और दुराचार करने के बाद उसे बूटों से जमकर पीटा। परिवारजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया।

लखनऊ, शनिवार 30 जून, 2012 **हिन्दुस्तान**

प्रसिद्ध अंग्रेजी पॉप गायक क्लिफ रिचर्ड का जन्म लखनऊ में हुआ था।

गोसाईगंज से दवा लेकर लौट रही युवतियों को अकेला देख चालक ने टैम्पो सूनसान रास्ते में मोड़ दी थी

छेड़छाड़ से बचने के लिये ननद-भाभी टैम्पो से कूदीं

मोहनलालगंज/हिन्दुस्तान संवाद

गोसाईगंज से दवा लेकर लौट रही एक युवती और उसकी भाभी से टैम्पो में ड्राइवर ने छेड़छाड़ की और फिर टैम्पो सूनसान सड़क की ओर मोड़ दी। ड्राइवर से बचने के लिए दोनों चलती टैम्पो से कूद पड़ीं। घायल ननद-भाभी का शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया।

पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस शीशे पर ताजमहल आकृति बनी टैम्पो और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है। एस0एस0पी0 के आदेश पर शनिवार को पुलिस स्टैण्ड पर ड्राइवरों की शिनाख्त परेड भी कराने की कवायद कर रही है। गौरा गांव में रहने वाली 20 वर्षीय रामकुमारी (काल्पनिक नाम) अपनी 16 वर्षीय ननद के साथ शुक्रवार को गोसाईगंज गई थी। वहां से वे टैम्पो से मोहनलालगंज आ रही थीं। गणेशखेड़ा के पास इन दोनों को छोड़कर अन्य सवारियां उतर गईं। रामकुमारी के मुताबिक उन दोनों को अकेला देखकर ड्राइवर ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले उन लोगों ने विरोध नहीं किया तो वह हद पार करने लगा। उसने रामकुमारी का हाथ पकड़ लिया। फिर मऊ से अतरौली जाने वाले सूनसान मार्ग पर टैम्पो मोड़ दी। ड्राइवर से बचने के लिये दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चलती टैम्पो से कूद पड़ीं। एक ग्रामीण की नजर दोनों घायलों पर पड़ी तो उसने अपने साथियों को वहां बुला लिया। ग्रामीणों की मदद से रामकुमारी और उसकी ननद को डाक्टर के पास ले जाया गया। इस घटना की सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने दोनों के बयान लिये। रामकुमारी ने बताया कि टैम्पो के शीशे पर ताजमहल की पेन्टिंग बनी हुई थी। डाक्टर के यहां से लौटते समय गोसाईगंज से आ रही एक टाटा मैजिक के ड्राइवर की तरफ दोनों ने इशारा कर पुलिस को बताया कि यह ड्राइवर टैम्पो के ड्राइवर से गोसाईगंज टैम्पो स्टैण्ड पर पूछताछ कर रहा था। अब पुलिस इस ड्राइवर से पूछताछ कर आरोपितों का पता लगा रही है। एस0एस0पी0 आशुतोष पाण्डेय ने पुलिस को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

दुस्साहस

- घायल ननद-भाभी का शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया
- स्टैण्ड से बुलाकर ड्राइवरों की शिनाख्त परेड कराई जाएगी

शादी में अड़चन डाल रहे युवक पर मुकदमा

बीकेटी। बख्शी का तालाब के चंदन कुण्ड गांव निवासी एक युवती ने वहीं के एक युवक पर शादी में रुकावट डालने व छेड़खानी का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई है। कठवारा के मजरा चंदन कुण्ड निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि गांव का शिव भोला उसकी शादी को रुकवाने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि 25 जून को उसके ससुराल वाले गोद भराई से लौट रहे थे।

रास्ते में मां चंन्द्रिका देवी रोड पर शिव भोला ने उन लोगों को रोक लिया और शादी तोड़ने के लिए कहा। वरना जान से मारने की धमकी दी। युवती ने बताया कि आरोपित युवक उसके साथ आये दिन छेड़छाड़ भी करता है। कुछ दिन पहले युवती के बहनोई को धमकी दी थी।

कमता में युवती की संदिग्ध हालात में लाश मिली, पुलिस ने कहा-खुदकुशी

लखनऊ। चिनहट के कमता में लिवइन रिलेशनशिप में रह रही गीतांजलि सिंह (20) का दो दिन पुराना शव पंखे से लटकता मिला। मकान मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर पुलिस खुदकुशी का दावा कर रही है।

चिनहट के कमता में हसन गार्डेन कालोनी निवासी इजहारुल हक ने बताया कि 25 जून को शशांक व गीताजंलि उनके घर किराये पर रहने आए थे। दोनों ने अपने आपको पति-पत्नी बताया था। शशांक 26 जून की दोपहर इलाहाबाद जाने की बात कहकर चला गया था। गीतांजलि घर में अकेली थी। शुक्रवार सुबह नौ बजे कमरे से बदबू आने पर इजहारुल ने खिड़की से झांककर देखा तो स्तब्ध रह गये। गीतांजलि का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें गीतांजलि ने अपने माता-पिता को सम्बोधित किया है। उसने शशांक से आहत होने की बात भी लिखी है। एस0आई0 शशिकान्त चौहान ने बताया कि गीतांजलि सी0एस0एम0 नगर की रहने वाली थी।

मान्यवर, मेरा भाषण सदन में पूरा नहीं हो सका। शेष भाषण मैं लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके आदेशानुसार/कृ0 कार्यवाही में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसाकि आपको ज्ञात है कि विगत में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तत्कालीन उ0 प्र0 सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा धरना-प्रदर्शन व आन्दोलन किये गये थे। किसानों के स्वतःस्फूर्त आन्दोलनों को दबाने के लिये ऐसे आन्दोलनरत किसानों के खिलाफ उ0 प्र0 सरकार द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की गई थी व मुकदमें दर्ज किये गये थे।

भट्टा पारसौल के किसान आन्दोलन के दौरान भी निर्दोष किसानों पर ऐसे ही मुकदमें दर्ज किये गये थे। मुझे खुशी है कि आपकी सरकार ने भट्टा पारसौल के किसानों के खिलाफ दर्ज ऐसे मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। अतएव उ0 प्र0 के विभिन्न जनपदों में जबरन भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आन्दोलनों के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज इसी प्रकार के सभी मुकदमों को वापस लिया जाना न्याय संगत होगा। यह कतई उचित नहीं है कि किसान अपनी जमीन भी दें, डंडा-गोली भी खाएं और मुकदमें भी झेलें।

अतएव आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि समूचे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण आन्दोलनों में किसानों के विरुद्ध दर्ज ऐसे सभी मुकदमें तत्काल वापस लिये जाएं। विभिन्न जनपदों में दर्ज कुछ प्रमुख मुकमदों का ब्यौरा इस पत्र के साथ संलग्न है। गृह एवं सामान्य प्रशासन पर भाषण।

मथुरा जनपद

1-मुकदमा संख्या-14/2009, राघवेन्द्र बनाम रामबाबू तथा 18 अन्य 147/148/149/436/336/307/341/427 आई0पी0सी0, पुलिस स्टेशन नौझील (मांट), एफ0आई0आर0 22-01-2009 को पंजीकृत की गई थी। अब तक कोई अन्तिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

2-मुकदमा संख्या-02/09, राज्य बनाम डा0 अनिल चौधरी तथा 13 अन्य 142/148/149/307/333/353/334/504/506/427 आई0पी0सी0 तथा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम और 25.27.30 शस्त्र अधिनियम पुलिस स्टेशन सदर बाजार मथुरा, एफ0आई0आर0 01-01-2009 को पंजीकृत की गई थी।

3-मुकदमा संख्या-196/2010, राज्य बनाम सुखवीर तथा 16 अन्य 147/148/149/332/353/186/427 आई0पी0सी0 और 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, पुलिस स्टेशन नौझील (मांट), एफ0आई0आर0 14-8-2010 को पंजीकृत की गई थी। मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एन0बी0डब्ल्यू0 की अनुमति के लिए रोका गया है। गांव तेहरा के इस मामले में पुलिस स्टेशन नौझील ने मामले को वापस लेने के आदेश जारी करने की बात कही है लेकिन फाइल में वापसी आदेश नहीं है।

मेरठ जनपद

1-मुकदमा संख्या-345/11, सरकार बनाम राममेहर सिंह तथा 150-200 अन्य 147/148/452 आई0पी0सी0 व 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, पुलिस थाना टी0पी0 नगर, एफ0आई0आर0 25-08-2011 को दर्ज की गई।

2-मुकदमा संख्या-355/11, राज्य बनाम मुकेश कुमार पुत्र राममेहर सिंह, मांगेराम पुत्र घासीराम, धारा-3 (2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, एफ0आई0आर0 24-7-2011 को परतापुर थाने में दर्ज कराई गई।

3-मुकदमा संख्या-411/11, राज्य बनाम मुकेश कुमार पुत्र राममेहर सिंह, धारा-420/467/468/471 एफ0आई0आर0 27-7-2011 को थाना सिविल लाइन्स में दर्ज कराई गई।

4-मुकदमा संख्या-490/11, राज्य बनाम मुकेश कुमार पुत्र राममेहर सिंह, मांगेराम पुत्र घासीराम, धारा-420/467/468/471 एफ0आई0आर0 29-08-2011 को थाना सिविल लाइन्स में दर्ज कराई गई।

इलाहाबाद जनपद

1-मुकदमा संख्या-31/2011, राज्य बनाम राजबहादुर पटेल तथा 25 अन्य एवं 500 अज्ञात, 147/149/323/504/506/336/436/308/307/283/397/392/353 आई0 पी0 सी0 तथा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, पुलिस थाना करछना, एफ0आई0आर0 16-08-2011 को दर्ज की गई।

आगरा जनपद

1-मुकदमा संख्या-412/2010, राज्य बनाम अनिल कुमार, दीवान सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, मनोज शर्मा एवं 2-3 अन्य अज्ञात 147/148/149/353/504/506/447 आई0पी0सी0 व 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, एफ0आई0आर0 28-09-2010 को थाना एत्मादपुर में दर्ज कराई गई।

2-मुकदमा संख्या-413/2010, राज्य बनाम रामेश्वर, बलवीर, प्रणवीर, इन्द्रप्रताप, अजयपाल पुत्र गजसिंह, अवधेश सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह, मनोज शर्मा, 147/148/149/353/504/506/447 आई0पी0सी0 व 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, एफ0 आई0 आर0 28-09-2010 को थाना एत्मादपुर में दर्ज कराई गई।

3-मुकदमा संख्या-414/2010, राज्य बनाम किशन स्वरूप, गजराज, गिर्राज पुत्र बदन सिंह, मुकेश पुत्र यशपाल सिंह तथा 4-5 अज्ञात लोग 147/148/149/353/504/506/447/352 आई0पी0सी0 व 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, एफ0 आई0 आर0 28-09-2010 को थाना एत्मादपुर में दर्ज कराई गई।

4-मुकदमा संख्या-415/2010, राज्य बनाम असमान सिंह, दीवान सिंह एवं 5-6 अज्ञात लोग 147/148/149/353/504/506/447/352 आई0पी0सी0 व 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, एफ0आई0आर0 28-09-2010 को थाना एत्मादपुर में दर्ज कराई गई।

5-मुकदमा संख्या-520/2010, राज्य बनाम रोहित पुत्र राजीव कुमार, थाना एत्मादपुर।

6-मुकदमा संख्या-107/09, राज्य बनाम महावीर सिंह, वीरेन्द्र सिंह, किशन स्वरूप, दिनेश असमान सिंह, भूरा, मुकेश भोला, रामेश्वर, थाना एत्मादपुर।

7-मुकदमा संख्या-212/2011, राज्य बनाम राम नरेश, मुकेश, वेद प्रकाश, संतोष, थाना एत्मादपुर।

8-मुकदमा संख्या-276/09, राज्य बनाम किशन स्वरूप, महावीर, वीरेन्द्र, दिनेश, असमान सिंह, भूरा, मुकेश, भोला, माधव सिंह, थाना एत्मादपुर।

9-मुकदमा संख्या-209/2011, राज्य बनाम रामनरेश, दीवान सिंह, राकेश, सुखवीर पुत्र लालकुमार, माधव सिंह, गंगा पुत्र गजराज, बिन्दु, भरत, प्रदीप, हरिकिशन, मुकेश, अजय, पंकज, अमित, भोला, वेदप्रकाश, राकेश पुत्र रघुराज, संतोष, रामप्रकाश, धर्मेन्द्र, नरेन्द्र, अजयपाल, थाना एत्मादपुर।

10-मुकदमा संख्या-102/09, राज्य बनाम 40-50 अज्ञात थाना एत्मादपुर।

11-मुकदमा संख्या-276/09, राज्य बनाम महावीर, वीरेन्द्र, भोला, किशन स्वरूप, दिनेश, असमान सिंह, भूरा, रामेश्वर सिंह, मुकेश, थाना एत्मादपुर।

मा0 अध्यक्ष जी,

मा0 मंत्री जी आवास विकास बजट की चर्चा में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

(1) मा0 मंत्री जी आवास विकास परिषद् द्वारा दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों की ब्याज माफ करने की कृपा करें जिससे गरीबों का भला हो सके।

(2) मा0 मंत्री जी आगरा रुई की मण्डी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें जिससे एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से ताजमहल देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो सके।

(3) आगरा कोठी मीना बाजार में एक पार्क स्वीकृत कराने की कृपा करें उस ग्राउन्ड में सभी नेता सभा करने के लिए आते हैं।

(4) सड़क का निर्माण कराने से पहले नाली का निर्माण कराया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी,

सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट पर मैं अपनी बात रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपराध पर नियंत्रण वास्तविक अपराधी को पकड़ने और दण्डित करने पर होगी किन्तु पुलिस सही अपराधी को न पकड़ कर अपितु खाना पूर्ति के लिए हलका केस बनाकर फर्जी लोगों का चालान किया जाता है। अपराधों का न्युनीकरण भी अपराधों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। हत्या 302 आई0पी0सी0 के बड़े अपराधी को बचाने के लिये 404 व 304 ए आई0पी0सी0 में मुकदमें लिखकर एक्सीडेन्ट आदि दिखाकर किराये के मुल्जिमान पर कार्यवाही करके रफा-दफा किया जाना अपराध को बढ़ावा देता है। बहराइच जनपद सीमा पर स्थिति है यहां मुख्य मार्ग पर की जमीन माफिया बिना जमीन के मालिक भूमिधर के जानकारी के फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके बैनामा लिखा देते हैं इन माफिया के वकील मुंशी के गैंग तथा रजिस्ट्री आफिस भी साज करके रखा है। जब वास्तविक जमीन मालिक को पता चलता है तब उसको धमकाने, आधा, अधूरा पैसा देकर निपटाने व पुलिस से फंसाने का भय दिखाकर जमीन के मालिक को विवश कर दिया जाता है। इस तरह से माफिया व अपराधी लोगों को संरक्षण मिलने से प्रशासन की असफलता दिखाई पड़ेगी इसलिए इस तरह के संरक्षण को रोका जाय तथा अपराधी को दण्डित किया जाय।

एक और बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं बहराइच जनपद की सीमा पर नैपाल बार्डर पर एस0एस0बी0 तैनात हैं, एस0एस0बी0 व पुलिस में भी बराबर संघर्ष होता है यह संघर्ष बार्डर से होने वाले अवैधानिक लाभ को लेकर तथा उसमें रुकावट डालने के कारण होते हैं। एस0एस0बी0 को हटाने के लिए प्रयास किया जाना भी गलत है तथा बार्डर पर सही और राष्ट्रीय सोच के लोगों को लगाया जाय तथा बार्डर से हो रहे अवैध असलहों की तस्करी तथा मादक वस्तुओं की तस्करी और देश विरोधी विदेशी ताकतों के आवागमन पर भी प्रशासन की सफल निगाह होनी चाहिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा

मा0 अध्यक्ष जी,

मैं सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर,

पिछले 5 वर्षों में ब0स0पा0 सरकार में माफिया एवं गुण्डा राज कायम था कानून एवं व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गयी थी। पूर्व सरकार में मंत्री और विधायक हत्या और बलात्कार में जेलों में बन्द हुए। थानों में बलात्कार हुए। लाल बत्तियों की गाड़ी में अपराधी घूम कर अपराध करते थे पिछले 5 वर्षों में दहशत एवं आतंक के साये में जनता ने 5 वर्ष काटे हैं। पुलिस गुण्डों एवं सत्ता के मंत्रियों की तिगड़ी बन गयी है। पुलिस जुल्म एवं सरकारी तानाशाही से जनता की अवाज दबायी गयी। लखनऊ शहर में दो सी0एम0ओ0 की शरेआम हत्या कर दी गयी। घरों एवं दुकानों में हत्या हो रही थी लेकिन जेलों में बन्द लोगों की भी हत्यायें। लखनऊ में डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्या इसका एक उदाहरण है। पिछले 5 वर्षों में कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी थीं। जनता की समस्याओं के लिए अवाज उठाने वालों को दमन एवं अत्याचार से पुलिस को अवाज दबाने की खुली छूट थी। हमारे ऊपर पुलिस ने अनेकों बार लाठीचार्ज किया तथा फर्जी मुकदमें लगाकर जनता की अवाज दबायी गयी। पूर्व ब0स0पा0 सरकार में कानून छोटा हो गया था। कानून के मापदण्ड दोहरे हो गये थे। पूरे प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा था। दमन, तानाशाही, अन्याय एवं अत्याचार से पिछली पांच सरकार चली हैं। पिछले 5 वर्षों में बिगड़ी कानून-व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज कायम करने के लिए प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव को बहुत प्रयास करने होंगे। प्रदेश की सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। सरकार कानून-व्यवस्था तोड़ने वालों के साथ सख्त कार्यवाही करे समाजवादी पार्टी का स्वप्ना एवं संकल्प है कि प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज कायम हो हर इन्सान को न्याय मिले हर इन्सान भयमुक्त रहे। व्यापारी बिना खौफ के व्यापार करे रात में हमारी बहनें और मातायें बिना भय के आ जा सकें। बहनें और मातायें हर जगह अपने को सुरक्षित समझें। इन शब्दों के साथ मैं समान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री महावीर सिंह राणा-

अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से मा0 आवास विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत लगभग 50 के लगभग कालोनियों में गरीब व्यक्ति गांव से आकर निवास करते हैं वहां इन कालोनियों में सड़क, बिजली, सीवर की व्यवस्था कराने का कार्य कराया जाना, सहारनपुर नगर पालिका से नगर निगम बन गया है। उसके विकास के लिए अन्य निगमों की तरह (सौ) 100 करोड़ रुपये अवस्थापना मूल रूप से विकास की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन, आवास एवं उनके बच्चों की उचित व्यवस्था का अनुरोध करता हूं। क्योंकि कानून-व्यवस्था तभी उचित हो सकती है जब उन अधिकारियों व कर्मचारियों को पारिवारिक, आर्थिक तंगी उनसे सुव्यस्थित शासन व्यवस्था होगी। इनकी भर्ती कर जनसंख्या के अनुसार में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति कराने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर,

नानौता शुगर मिल सहकारी चीनी मिल है जिसका अभी तक मात्र 31 जनवरी तक का ही भुगतान हुआ है जबकि शुगर मिल 17 मार्च तक चली है पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ अतिशीघ्र भुगतान की व्यवस्था करायी जाये।

सहकारी चीनी मिल में डेलीवेजेज कर्मचारी कार्यरत है जिनकी संख्या लगभग 250 है जिनकी लगभग आधे से अधिक उम्र निकल चुकी है। उनको नियमित किया जाये।

विडवी शुगर मिल पिछली बी0एस0पी0 की सरकार के दौरान बेच दिया गया जो कौड़ियों के दाम मात्र 36 करोड़ रु0 में बेचा गया है जबकि इसके पास कई सौ बीघा जमीन है 36 करोड़ रु0 का तो शुगर मिल से स्क्रैप ही इतनी लागत का निकल सकता था जबकि इनकी जमीन शहर की आबादी में भी आयी हुयी है उसको भी उसी में शामिल किया गया है मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 गन्ना मंत्री जी से इसकी गम्भीरता पूर्वक जांच करायी जाये और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

मा0 अध्यक्ष जी बिडवी शुगर मिल पौंटी चड्ढा ग्रुप ने खरीदी है उसमें जो कर्मचारी पहले से कार्यरत थे जिन्होंने उसी फैक्ट्री में कार्य करने का निर्णय लिया है जो लोकल है उनको परेशान किया जा रहा है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी उपरोक्त सुझाव को गन्ना विभाग के बजट की कार्यवाही में शामिल कराये जाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी मुझे आपने मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। गन्ना विकास विभाग अनुदान सं0 24 चीनी उद्योग पर मैं आपके माध्यम से मा0 गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लगभग 1200 बीघा (250) एकड क्षेत्रफल के जहांगीरपुर सहकारी चीनी मिल की स्वीकृति मा0 पं0 नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में वर्ष 88 में हुई 8-9 करोड़ रुपया 5-6 वर्ष में धीरे-धीरे लगा लेकिन किसानों का शेयर मनी होने के बावजूद सरकार से मैंने पूछा कि क्या मुख्य मंत्री जी जहांगीरपुर चीनी मिल चलवायेंगे, धन अभाव, ऋण की दिक्कत का जवाब देकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिये मैं चाहूंगा कि किसी चीनी मिल ग्रुप को इसे उचित दामों में बेचकर इस शर्त के साथ कि इस बिल्डिंग जमीन का उपयोग चीनी मिल के लिये होगा किसान हित में होगा। 20 वर्ष से किसानों की बड़ी जिज्ञासा है मिल चले गन्ना विभाग से घोषणा हो कि मिल कर्मचारी के साथ किसान प्रतिनिधि या समिति का कार्य भी हो ताकि ग्रेडिंग व घटतौली नहीं हो सके व मिल द्वारा पानी, बिजली सड़क आदि में किसानों को सहयोग नहीं किया जा रहा है, होना चाहिए, 21 चीनी मिलों की बिक्री की है जिसमें पन्नी जी शुगर मिल बुलन्दशहर भी है जांच कराई जाय और दोषियों को दंडित किया जाय।

श्री गयादीन अनुरागी-

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा मेरे निम्नलिखित सुझाव कार्यवाही में शामिल करा लिये जायें। महान कृपा होगी।

1-बी0पी0एल0 सूची जो 2002 में बनायी गयी थी उस समय कम लोगों को जानकारी थी। प्रधान एवं पंचायत सचिव ने मिलकर धांधली करके बी0पी0एल0 सूची बनायी थी। मेरा सुझाव है कि गांव में मुनादी कराकर बी0पी0एल0 सूची बनायी जाये।

2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। मेरा सुझाव है कि बुन्दलेखण्ड क्षेत्र के राठ विधान सभा अन्तर्गत अतिरिक्त हैण्डपम्पों की व्यवस्था एवं गहरी बोरिंग करायी जाये।

3-विधायक निधि से गरीब, असहाय व्यक्तियों को आवास दिये जाने का प्राविधान कराये जाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी निम्नलिखित सुझाव कार्यवाही में शामिल किये जाने का कष्ट करे :-

मा0 अध्यक्ष जी मैं बाँदा जनपद की तिन्दवारी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं आपको अवगत कराना है कि बांदा जनपद में केन, यमुना, बागै नदी में बड़े पैमाने पर नेताओं के दबाव में पुलिस की मिली भगत से बालू/मौरंग की चोरी कराकर रोजाना लाखों रु0 की राजस्व का नुकसान कराया जा रहा है। पूर्व सरकार में भी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही थी। जनता को इस सरकार से भी बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उससे भी बड़े पैमाने पर चोरी अभी भी हो रही है। यहां तक की जगह-जगह झगड़े बालू को लेकर हो रहे हैं तथा पूर्व अभी एक हत्या भी हो गयी थी, अतः आपसे निवेदन है कि किसी ईमानदार व सख्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त करके, बालू मौरंग की चोरी तथा राजस्व की क्षति को रोके जाने का कष्ट करें।

मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी निम्नलिखित सुझाव कार्यवाही में शामिल करा लिया जाय, महान कृपा होगी, मा0 अध्यक्ष जी मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तिन्दवारी वि0स0 जनपद बाँदा से चुनकर आया हूं पूरा बुन्देलखण्ड क्षेत्र पेयजल समस्या से जूझ रहा है, वाटर लेबल नीचे जा रहा है, अतः बुन्दलेखण्ड क्षेत्र में अधिक हैण्डपाइप तथा गहरी बोरिंग कराये जाने का कष्ट करें, तथा पूर्व के कई सालों की विधायक निधि से जांच करा ली जाय तथा जहां नियम के विपरीत विधायक निधि खर्च की गयी वहां रिकवरी कराकर रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कष्ट करें, तथा विधायक निधि से पात्र व्यक्तियों को आवास दिये जाने का प्राविधान कराये जाने का कष्ट करें।

श्री जगपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे ग्राम्य विकास जैसे महतवपूर्ण बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। आज की मौजूदा सरकार ने गरीबों के विकास बजट को कम करने का काम किया है जिससे ग्राम विकास पीछे हटेगा पूर्ववर्ती सरकार ने गांव के विकास के लिए आज की सरकार से ज्यादा बजट देकर अम्बेदकर ग्राम विकास योजना, चलाकर महामाया योजना चलाकर, मान्यवर कांशीराम आवास योजना चलाकर अन्य योजना चलाकर गांव का विकास भी पूर्ण जिम्मेदारी से किया है।

मान्यवर, बाबा साहब का सपना था कि फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोगों के पास अपना आवास हो, बिजली हो, पानी हो और उसी में शौचालय यह कार्य पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिखाया, महोदय आज की सरकार ने गांव के हर समाज में जन्मे कम बजट देकर गरीबों की अनदेखी करने का कार्य किया है।

महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहां कि कुछ लोगों के घर में नल लगे है ये बात सच है लेकिन पूर्ववर्ती मान्य मुलायम सिंह जी सपा सरकार में 2500/- जमाकर लाभार्थी ने सरकार को अंशदान देकर अपने व्यक्तिगत घरों में लगवाये थे।

महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा की ग्राम कैलाशपुर व गांव गागलहेडी, ग्राम कोटा में पेयजल के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में पानी की टंकियां लगी हैं जिनसे समय से गांववासियों को पानी नहीं मिलता है।

महोदय आपके माध्यम से मैं अपनी विधान सभा 04 सहारनपुर के ग्राम में तीन टयूबवेल लगवाने का कर्य करें ताकि जनहित में सब ग्रामवासियों को शुद्ध पानी मिल सके महोदय मैं आपका अभारी हूं आपने मुझे ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे आपने गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्यायें हैं जिनको मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मिलक से केमरी के बीच थाना नहीं है जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है यहां पर रटौड़ा शिव मन्दिर है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालू प्रत्येक वर्ष आते हैं इससे काफी दूर तक कोई थाना नहीं है जिससे जनता को परेशानी हो रही है। रटौड़ा में भूमि भी उपलब्ध है। ग्राम रटौड़ा तहसील मिलक में थाना खोला जाय तथा विलासपुर तहसील में फायर स्टेशन नहीं है यह कृषि प्रधान तहसील है प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये का अनाज जल जाता है। यहां पर फायर स्टेशन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है तथा काफी समय से इसकी मांग भी होती रही है कृपया विलासपुर में फायर स्टेशन खोला जाय आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री मनीष असीजा-

सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग बजट कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में महोदय मैं आपके माध्यम से नेता सदन एवं संसदीय कार्य मंत्री को कुछ सुझाव प्रेषित कर रहा हूं।

1-महोदय प्रायः प्रत्येक क्षेत्र गांव/शहरों में यह देखने पर आता है कि हर मोहल्ला स्तर पर कोई न कोई दबंग व्यक्ति अपने अवसरवादी धूर्त एवं राजनैतिक रूप से रंग बदलने में माहिर योग्यता का सहारा लेकर लम्बे समयों तक क्षेत्र में अपना आतंक कायम रखता इसी तरह के छोटे-मोटे दंबगों का एक जुड़ाव एक बड़े दंबग के संरक्षण में क्षेत्र में अपना आतंक कायम रखता है। साधारण जनता इनके आतंक से त्रस्त रही है। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, जमीनों पर कब्जा, जबरन वसूली, चौथ, छीनाछपटी महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर, सार्वजनिक संस्थाओं, भूमियों पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखना, मंदिर, मस्जिद, वक्फ की सम्पत्तियों तथा उ0प्र0 धार्मिक ट्रस्टों पर कालेजों तथा धर्मशाला की कमेटियों पर कब्जा करना इनका रोजमर्रा का काम होता है।

दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इन तत्वों को बेनकाब करें।

इनका मान मर्दन करें।

इनका मनोबल जमीन पर लाने का कार्य करे।

इनको बेरहमी के साथ कुचलने का कार्य करें।

पूरे समाज में बहुत बड़ा संदेश जायेगा और घुटन तथा अत्याचार से राहत मिलेगी।

2-महिला स्कूल कालेजों के बाहर सादी वर्दी में कुशल अधिकारियों को मुस्तैदी से लगाया जाये। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनायें बहुत ही बैखोफ होकर की जा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में आधी आबादी को राहत मिलेगी।

3-अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों की आवाभगत स्वागत समारोह किये जाते हैं। बड़ी चतुराई के साथ इस प्रकार के आयोजनों में दबंग/अपराध द्वारा समाज के भले लोगों को शामिल करा कर ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अधिकारी ऐसे अपराधी एवं दबंगों के फैलाये सामाजिक मायाजाल में फँसने से बचें एवं इतनी योग्यता तथा दृढ़ इच्छाशक्ति रखें कि ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकें।

4-जहां तक हो सके अपराध घटने वाले स्थल पर जनपद के वरिष्ठतम् पुलिस अधिकारी यथा एस0पी0, ए0एस0पी0 न केवल पहुंचें अपितु वहां क्षेत्र की जनता के बीच विश्वास कायम करने का कार्य करें।

यातायात की अव्यवस्था को समाप्त करने के लिये बाकायदा एक विशेषता के साथ काम कर चुकी एजेंसी के माध्यम से पूरे प्रदेश के यातायात संबंधी संकट को दूर करने का कार्य कराया जाये।

6-भू-माफियाओं को चिन्हित करा जाये एवं उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जाये जो कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए भी मिसाल बने।

7-हार्डकोर क्रिमिनल के विरुद्ध बाकायदा उनके तंत्र को समाप्त करने के लिए पूरी तरह योग्यता के साथ कार्य किया जाये। इनका प्रभाव क्षेत्र बड़ी चतुराई के साथ अपने स्तर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद अथवा राजनैतिक संरक्षण का आवरण लपेटा रहता है।

इस जाति, धर्म, क्षेत्रवाद अपना दलगत संरक्षण को तार-तार करे बगैर इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसे समाप्त करने के लिए बाकायदा एक अतृप्त दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्मित विशेष एजेंसी कार्य करे तभी प्रदेश में इन माफियाओं से छुटकारा मिलेगा।

"बड़ी-बड़ी बातों से कभी-कभी छोटे काम नहीं हो पाते हैं एवं छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े काम हो सकते है।"

धन्यवाद।

श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं :-

1-कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधान सभा 332 के 23 ग्राम पहले बघोरा घाट जनपद देवरिया में थे-अब कुशीनगर जनपद के पटहेरवा थाने से सम्बद्ध कर दिये गये हैं।

2-इन गांवों के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर 18 किमी0 जाना पड़ रहा है जो काफी श्रमसाध्य और खर्चीला भी है।

3-एक बीच में कही रिपोर्टिग चौकी तत्काल स्थापित की जाय ताकि पशु तस्करी और अपराधों पर अंकुश लग सके।

श्री रविन्द्र भड़ाना-

माननीय अध्यक्ष,

मान्यवर, गृह विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर कटौती समर्थन में बोलने का मौका नहीं मिला आपके आदेशानुसार लिखकर दे रहा हूं। जो निम्नवत है। लिखा जाये।

1-मेरठ जिला संवेदनशील एवं दिल्ली के नजदीक होने के कारण समस्यायें अत्यन्त हैं। थानों की अत्यन्त कमी है। उसे पूरा किया जाये मांग के अनुरूप थाने खोले जायें।

2-पुलिस कर्मियों की अत्यन्त कमी है उन्हें पूरा किया जाये।

3-पुलिस कार्मियों ने प्रमोशन परिक्षण दी थी उसके कुछ प्रश्न गलत थे लेकिन ठीक से जांच की जाय। प्राप्तांकों को ठीक कर रिजल्ट ठीक कर उन पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति दी जायें क्योंकि वैसे ही पुलिस की कमी है।

4-वी0आई0पी0 डयूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का टी0ए0 बढ़ा जाये।

5-आई0पी0एस0 के सेवानिवृत्ति होने के उपरान्त उनको यथाशीघ्र पेंशन शुरू की जाये।

6-जाति के आधार पर थानेदार, सी0ओ0, एस0पी0, एस0एस0पी0 की पोस्टिंग न की जाये।

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे गृह विभाग पर बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद मान्यवर आज पुलिस प्रशासन का जनता में विश्वास नहीं है कि ये लोग आपको न्याय देंगे या नहीं बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि पुलिस जिम्मेदारों व्यक्तियों के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ दोस्ती रखती है आये दिन मर्डर, बलात्कार, जैसी घटनायें इन्ही कारण हैं कि पुलिस अच्छे लोगों की इज्जत नहीं करती है। लोगों में अविश्वास की भावना है। समाज में बदमाशों का आतंक है कि सरकार का अंकुश नहीं है। अगर सरकार मजबूत होगी सजग होगी तो हिम्मत नहीं जुटा पायेंगे पुलिस कर्मी मान्यवर, यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा चौ0 चरण सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, एक बार थाने में भेष बदलकर थाने में भैंस चोरी की एक एफ0आई0आर0 लिखवाने गये तो थाने में पैसे मांगे चौधरी साहब ने तुरन्त ही थाना सस्पैन्ड किया हल्ला मच गया पूरे प्रदेश में इस कहानी का पूरे प्रदेश में पुलिस व तमाम महकमें ठीक हो गये। मान्यवर आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0 195 विधान सभा (354)-28-9-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।